सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय का प्रतिवेदन

प्राकृतिक या संवर्धित मोती, बहुमूल्य या कम बहुमूल्य रत्न, बहुमूल्य धातु, बहुमूल्य धातु चढी हुई धातु और उसकी वस्तुऐं, नकली गहने, सिक्कों (सीटीएच का अध्याय 71) पर निष्पादन लेखापरीक्षा।

संघ सरकार

राजस्व विभाग -अप्रत्यक्ष कर -सीमा शुल्क

2016 की संख्या 6

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
के कार्यालय का प्रतिवेदन

मार्च 2015 में समाप्त वर्ष के लिये

प्राकृतिक या संवर्धित मोती, बहुमूल्य या कम बहुमूल्य रत्न, बहुमूल्य धातु, बहुमूल्य धातु चढी हुई धातु और उसकी वस्तुऐं, नकली गहने, सिक्कों (सीटीएच का अध्याय 71) पर निष्पादन लेखापरीक्षा।

संघ सरकार

राजस्व विभाग -अप्रत्यक्ष कर -सीमा शुल्क

2016 की संख्या 6

लोक सभा/राज्य सभा में प्रस्तुत __________

विषय - सूची

सूची		पृष्ठ
प्राक्कथन		i
संक्षेपण		iii
कार्यकारी सार		vi
अध्याय 1: प्रस्तावना		1
1.1	पृष्ठभूमि	1
1.2	प्रशासनिक संरचना	2
1.3	हमने यह विषय क्यों चुना?	3
1.4	लेखापरीक्षा उद्देश्य	4
1.5	लेखापरीक्षा नमूना	4
1.6	लेखापरीक्षा मानदंड	5
अध्याय 2: प्रणालीगत विषय		7
2.1	अध्याय 71 के माल के अंतर्गत आयात/निर्यात की प्रवृत्ति और संयोजन	8
2.2	आयातित और निर्यातित माल के डाटाबेस का विश्लेषण	13
2.3	20:80 योजना	15
2.4	निवल विदेशी मुद्रा अर्जन (एनएफईई)	31
2.5	सीमाशुल्क की इडीआई प्रणाली	33
2.6	अपर्याप्त व्यापार सरलीकरण	39
2.7	सेज में गतिविधियां	45
2.8	मानदण्ड तथा सक्षम करने वाली शर्तों का अभाव	53
अध्याय 3: अनुपालन विषय		67
3.1	गलत निर्धारण के मामले	67
3.2	छूटों की अनियमित मंजूरी के मामले	77
3.3	अधिनियम, नियम, निर्देशों एवं संचालन शर्तों का उल्लंघन	87
3.4	प्रचालनात्मक विनिर्माण के मामले	95
3.5	विविध अनियमिततायें	108
अध्याय 4: समन्वय, आंतरिक नियंत्रण और निगरानी		109
4.1	सीमाशुल्क द्वारा नामित एजेंसियों की लेखापरीक्षा	109
4.2	डीओसी, डीओआर एवं डीजीएफटी के बीच समन्वय का अभाव	109
4.3	अनुचित निगरानी के मामले	115
4.4	आंतरिक नियंत्रण का अभाव	124
5	निष्कर्ष	128
परिशिष्ट		131

प्राक्कथन

मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिये यह रिपोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिये तैयार की गई है।

रिपोर्ट में 2010-11 से 2014-15 के दौरान प्राकृतिक या संवर्धित मोती, बहुमूल्य या कम बहूमूल्य रत्न, बहुमूल्य धातु, बहुमूल्य धातु चढी हुई धातु और उसकी वस्तुऐं, नकली गहने, सिक्के (सीटीएच का अध्याय 71) पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष शामिल हैं।

इस रिपोर्ट में उल्लिखित उदाहरण, वो है जो 2015-16 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा जांच में ध्यान में आए।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हुये की गई है।

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय (डीओसी), राजस्व विभाग (डीओआर) और उसकी क्षेत्रीय संरचनाओं और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त सहयोग के लिये आभार व्यक्त करती है।

संक्षेपण

एए	:	अग्रिम प्राधिकरण
एपीआर	:	वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट/वार्षिक प्रगति रिपोर्ट
बीओए	:	अनुमोदन समिति
बीसीडी	:	मूल सीमाशुल्क
बीई	:	आयात पत्र
बीएलयूटी	:	बांड सहित वैधिक वचनपत्र
बीटीपी	:	जैव प्रौद्योगिकी पार्क
सीएडी	:	चालू खाता घाटा
सीबीईसी	:	केन्द्रीय बोर्ड उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क
सीआईएफ	:	लागत, बीमा, भाड़ा
सीपीडी	:	कटा और पॉलिश किया गया हीरा
सीएसईजेड	:	कोचिन विशेष आर्थिक क्षेत्र
सीएसटी	:	केन्द्रीय बिक्री कर
सीटीएच	:	सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष
सीवीडी	:	प्रतिकारी शुल्क
डीसी	:	विकास आयुक्त
डीईए	:	आर्थिक मामलों का मंत्रालय
डीएफआईए	:	शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण
डीजीएफटी	:	महानिदेशक विदेश व्यापार
डीजीओवी	:	महानिदेशक मूल्य निर्धारण
डीजी (प्रणाली)	:	महानिदेशक प्रणाली और डाटा प्रबंधन
डीओसी	:	वाणिज्य विभाग
डीओआर	:	राजस्व विभाग
डीआरआई	:	राजस्व अंवेषण निदेशालय
डीटीए	:	घरेलू शुल्क क्षेत्र
ईडीआई	:	इलैक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज
ईएचटीपी	:	इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर तकनीकी पार्क

ईओ	:	निर्यात दायित्व
ईओडीसी	:	निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र
ईपी	:	निर्यात निष्पादन
ईपीसीजी	:	निर्यात संवर्धन पूँजीगत माल
ईओयू	:	निर्यात उन्मुख इकाईयां
एफईएमए	:	विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम
एफओबी	:	जहाज तक नि:शुल्क
एफटीपी	:	विदेश व्यापार नीति
एफटीडीआर एक्ट	:	विदेश व्यापार (विकास और नियम) अधिनियम
एफसेज	:	फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र
जीडीपी	:	सकल घरेलू उत्पाद
जीएंडजे	:	रत्न और आभूषण
जीजेईपीसी	:	रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद
एचबीपी	:	प्रक्रियाओं की विवरण पुस्तिका
आईसीईएस	:	भारतीय सीमाशुल्क ईडीआई प्रणाली
आईसेज	:	इंदौर विशेष आर्थिक क्षेत्र
आईटीसीएचएस	:	अंतर्राष्ट्रीय शुल्क वर्गीकरण (सुसंगत प्रणाली)
एलओए	:	अनुमोदन पत्र
एलओपी	:	अनुमति पत्र
एमईपीजेड	:	मद्रास निर्यात संसाधन क्षेत्र
एमकेएसईजेड	:	मनिकंचन विशेष आर्थिक क्षेत्र
एनए	:	नामित एजेंसी
एनएफईई	:	सकल विदेश विनिमय आय
एनआईडीबी/ईसीडीबी	:	राष्ट्रीय आयात डाटाबेस/निर्यात वस्तु डाटाबेस
एनआईआई	:	बिना हस्तक्षेप निरीक्षण
एनओसी	:	अनापत्ति प्रमाणपत्र
एनसेज	:	नोएडा विशेष क्षेत्र जोन
पीसीए	:	पोस्ट निष्पादन लेखापरीक्षा
पीसीसीसीसी	:	बहुमूल्य कार्गो सीमाशुल्क मंजूरी केन्द्र

क्यूपीआर	:	त्रैमासिक निष्पादन रिपोर्ट
आरबीआई	:	भारतीय रिजर्व बैंक
आरएलए	:	क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण
आरएमएस	:	जोखिम प्रबंधन प्रणाली
एसबी	:	शिपिंग बिल
एससीएन	:	कारण बताओं नोटिस
एसईजेड	:	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसटीएच/पीटीएच	:	स्टार ट्रेडिंग हाउस/प्रीमियर ट्रेडिंग हाउस
एसटीपी	:	सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क
एसवीबी	:	विशेष मूल्यांकन शाखा
यूएई	:	संयुक्त अरब अमीरात
यूएसी	:	इकाई अनुमोदन समिति
एसईईपीजेड	:	सांताक्रूज इलैक्ट्रॉनिक्स निर्यात संवर्धन क्षेत्र
वीएसईजेड	:	विशाखापटनम विशेष आर्थिक क्षेत्र

कार्यकारी सार

रत्न और आभूषण (जीएंडजे) उद्योग का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह प्रमुख विदेशी विनिमय अर्जक है और सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक। इसने राष्ट्रीय निर्यात में 15 प्रतिशत का योगदान दिया। इस उद्योग की मुख्य उत्पाद श्रेणी सोने और हीरे के आभूषण हैं। सोने के आभूषण भारतीय आभूषण बाजार का करीब 80 प्रतिशत बनाता है जबकि शेष बाजार मांग की जडित आभूषण की है जिसमें जडित हीरे के साथ-साथ रत्न जडित अभूषण शामिल हैं। विश्व के पोलिश किये गये हीरे का करीब 65 प्रतिशत मूल्य के संदर्भ में, मात्रा के संदर्भ में 85 प्रतिशत और टुकड़ों मे 92 प्रतिशत भारत में निर्मित होता है। भारत का हीरा निर्माण क्षेत्र देशभर में लगभग दस लाख लोगों को रोजगार देता है। हीरे के निर्माण का अधिकतर कार्य सूरत, गुजरात में होता है। मुंबई में भारत डायमंड बोर्स, आधुनिक व्यापार परिसर, जिसने 2010 में अपना कार्य शुरू किया, विश्व में सबसे बड़ा बोर्स है और भारत के कुल हीरे के व्यापार के करीब 90 प्रतिशत के लिये जिम्मेदार है। आभूषण और रंगीन रत्नों का निर्माण जयपुर में केन्द्रित है जो विश्व का सबसे बड़ा निर्माण केन्द्र है।

खुरदुरा हीरा, बहुमूल्य रंगीन रत्न और सोना भारत में उत्पादित नहीं होते। यह मुख्य स्रोत देशों या व्यापार केन्द्रों से आयातित किये जाते हैं। यह रत्न और आभूषण (जीएंडजे) क्षेत्र के लिये आवश्यक इनपुट हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के सादे और जडित आभूषण के लिये जीएंडजे क्षेत्र के पास परंपरागत कौशल, सामाजिक-आर्थिक महत्व और बड़े घरेलू बाजार की अनोखी उपलब्धता है। यह क्षेत्र आर्थिक गतिविधि की उचित राशि भी उत्पन्न करता है और देश के जीडीपी में योगदान देता है यदि मूल्य अंतिम उत्पाद में जोड़ दिया जाये। अन्य मुद्रा और निवेश संपत्ति श्रेणी की तुलना में भारत में सोने की मुद्रा और संपत्ति की मांग विश्व में सबसे अधिक है। विशेष भारतीय डिजाइन और कारीगरी, कट और पॉलिश किये गये हीरे (सीपीडी) और आभूषण की वैश्विक मांग दशकों से मुख्य निर्यात उत्पाद में से एक है। खुरदुरा हीरे के सीपीडी और सोने को सादे/जडित आभूषण में बदलने से सभी आर्थिक कारकों पर पर्याप्त मूल्य एकीकरण के साथ जटिलता उत्पन्न होती है।

सोने, आभूषण आदि के आयात से 2010-11 में ₹ 3,50396 करोड़ से 2014-15 में ₹ 3,81,515 करोड़ (9 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। समरूप माल के निर्यात से 2010-11 में ₹ 1,98,886 करोड़ से 2014-15 में ₹ 2,53,940 करोड़ (28 प्रतिशत) की भी वृद्धि हुई। 2014-15 में सभी आयात के अध्याय 71 माल के आयात का शेयर 13.93 प्रतिशत था जबकि उसके निर्यात का शेयर 13.39 प्रतिशत था। पिछले वर्ष की तुलना में यद्यपि आयात 10.57 प्रतिशत बढा, निर्यात केवल 0.7 प्रतिशत बढा।

व्यापार घाटा 43 प्रतिशत (वित्तीय वर्ष 11) से 34 प्रतिशत (वित्तीय वर्ष 15) कम हुआ लेकिन छोड़ा गया राजस्व 14 प्रतिशत (वित्तीय वर्ष 11) से 20 प्रतिशत (वित्तीय वर्ष 15) बढा।

इस अवधि के दौरान, यूएस डॉलर की कीमत आयात को अनुपातिक रूप से महंगा और निर्यात को सस्ता करते हुये 34 प्रतिशत बढ़ी। पूर्ण पांच वर्ष की अवधि में, अध्याय 71 के अंतर्गत आयात के मुख्य घटक के रूप में सोने का आयात हुआ लेकिन आभूषण के इसी निर्यात की तुलना में उसे नाकारात्मक निवल विदेशी मुद्र अर्जन (एनएफईई) का सामना करना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय सोने का मूल्य 2012 में अपने चरम पर पहुँच गया और 2015 में तेजी से गिर गया। स्पष्ट रूप से, 2013-14 में कच्चे हीरे ने अध्याय 71 आयात की प्रमुख श्रेणी बनाई और सीपीडी ने इन दो श्रेणियों के बीच साकारात्मक एनएफईई के साथ निर्यात का बडा हिस्सा बनाया। तथापि माल की इस श्रेणी में मूल्य वर्धन 2010-2013 की पूर्व अवधि के दौरान काफी बेहतर था। केवल पीसीसीसीसी, मुंबई के माध्यम से सीपीडी के आयात, पुन: आयात और निर्यात काफी बढ़ा। पिछले पांच वर्षों में कुल आयात से सीपीडी का पुन: आयात 27 से 79 प्रतिशत तक बढ़ा और निर्यात से सीपीडी के पुन: आयात से 10 से 29 प्रतिशत तक बढा।

भारत नाममात्र के लिये हीरे या सोने का उत्पादन करता है। यह पिछले पांच वर्षों में सोने का सबसे अधिक औसत आयातक था। 2007-08 के बाद अपनी संपत्ति मांग में वृद्धि के कारण सोने के आयात के शेयर में तीव्र बढोतरी हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि, 2013-14 में खुरदुरा हीरे या सोने के गैर-

मौद्रिक रूप का निर्यात क्रमश: 10.10 और 11.04 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर भी था।

भारत और उसके निर्यातक/आयातक साझेदारों के बीच व्यापार के लेनदेन वार निर्धारण के बीच अंतर ने दर्शाया कि भारत, विश्व में अवैध वित्तीय बहिर्वाह की मात्रा में $4^{थे}$ स्थान पर था। यह 2013 में करीब $83 अरब यूएसडी था और पिछले दस वर्ष की प्रवृत्ति के समान, बढ रहा था। यह भारत के जीडीपी का करीब 4.5 प्रतिशत था (4 प्रतिशत के वैश्विक औसत के प्रति) और व्यापार की गलत प्रक्रिया के कारण बहिर्वाह से पूर्ण रूप से समझौता था।

निर्यात विकास (2014-15 में 0.7%) रोजगार सृजन और अन्य आर्थिक संकेतकों को प्रभावित करते हुये डीओसी कार्यनीति में उल्लिखित 25 प्रतिशत की दर से काफी कम था। डीओसी की कार्यनीति की मध्यकालक समीक्षा ने दोनों वैश्विक और घरेलू स्थितियों के कारण करीब 30 प्रतिशत (2013-14) निर्यात लक्ष्य घटता संशोधन दर्शाया। एफटीपी 2015-20 ने क्षेत्र के उप इष्टतम निष्पादन को स्वीकार किया और निर्यात मूल्य प्रतिस्पर्धा और उत्पादन और श्रमदक्षता बढ़ाने के लिये अप्रत्यक्ष कर छूट पर आधारित इनपुट; व्यापार लेनदेन में सूचना प्रौद्योगिकी संरचना के बेहतर प्रयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

परिशिष्ट 2ए में उल्लिखित, 2010-11 से 2014-15 के दौरान सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, हांगकांग, थाइलैडं और यूएई से सोने के आभूषण के आयात के संबंध में डीओसी के निर्यात आयात डाटा से पता चला कि वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान एशियाई देशों से सोने के आभूषण के आयात में वृद्धि थी जब 20:80 योजना प्रचलन में थी; क्योंकि सोने के बार का आयात उपरोक्त अवधि के दौरान सामान्य आयातकों के लिये प्रतिबंधित था। 2 प्रतिशत सीमाशुल्क (जनवरी 2012) लगाने के बाद जब सोने और सोने के आभूषण में उछाल आया, यूएई के हीरे के व्यापार में 2011 के बाद मंदी आई।

यह देखा गया कि आयातित सोने के आभूषण का 64 प्रतिशत औसत रूप से 120 विषम स्रोत देशों में से स्विजरलैंड, यूएई और हांगकांग से था। तथापि, यूएई और हांगकांग को छोड़कर आयातक देशों को निर्यात नहीं किया जा रहा

था। समान रूप से, आभूषण का 63 प्रतिशत निर्यात यूएई और हांगकांग को था। 2014-15 में यूएई के साथ अध्याय 71 की चार मुख्य श्रेणी सोने, हीरे, सीपीडी और आभूषण के व्यापार के विश्लेषण से पता चला कि 15 प्रतिशत (कुल समान आयातित माल) यूएई से आयातित था और कुल समान माल का 29 प्रतिशत यूएई को निर्यात किया गया था। इसके अतिरिक्त देश का अध्याय 71 के तहत व्यापार विश्लेषण; संबंधित पार्टी लेनदेन के मामले, उल्टी शुल्क संरचना और पुन: निर्यात के अंतर्गत उत्पादों की प्रत्येक चार श्रेणियों के बीच बार-बार लेनदेने दर्शाता है। स्पष्ट रूप से पुन: व्यापार के कुल मूल्य को बढाते समय निर्यात सहित यूएई के साथ व्यापार से मुख्य आर्थिक गतिविधि नहीं बनी। इसने व्यापार लेखाकरण और बैंक वित्तीय चैनल के माध्यम से सामान्य रूप से गुजरते हुये पुन: निर्यात की बजाय, मूल्य वर्धन और आर्थिक विकास की रचना के माध्यम से सही अर्थव्यवस्था से जुडे आयात और निर्यात में अंतर के लिये विस्तृत जांच को आवश्यक किया।

डीओसी द्वारा क्षेत्र से जुडी लेनदेन लागत में वृद्धिशील परिवर्तनों का कोई भी विश्लेषण नहीं किया गया था। सोने के मूल्य, आयात नियम, निर्यात संवर्धन योजना में परिवर्तन का सोने के व्यापार पर असर नहीं था। वित्तीय बहिर्वाह से संबंधित जीएंडजे व्यापार निरंतर चलता रहा।

डीओसी को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करना और निर्यात में बढ़ते विकास के माध्यम से रत्न और आभूषण क्षेत्र के विकास के लिये सक्षम पर्यावरण और संरचना को सुविधाजनक बनाना अनिवार्य था। उच्च घरेलू मूल्य संवर्धन परिणामी निर्यात इस क्षेत्र में व्यापार घाटे को कम कर सकता था और परिणामस्वरूप चालू खाता घाटा (सीएडी) कम हुआ। तथापि, एफटीपी 2015-20 ने 2014 में 20:80 योजना हटाने के बाद भी जीएंडजे क्षेत्र के लिये भी परिभाषित प्रावधान नहीं बनाया और अपनी मध्य-कालिक समीक्षा के बाद, डीओसी की रणनीति के निर्धारित लक्ष्य से नीचे आया।

आरबीआई की भूमिका विदेशी विनिमय के विनियमन द्वारा बाहरी क्षेत्र को नियमित करना थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि केवल रत्न और आभूषण क्षेत्र ने कुल विदेश विनिमय व्यय के करीब 13 प्रतिशत का योगदान दिया। सरकार के साथ परामर्श से आरबीआई ने चालू खाता घाटे को कम करने के

लिये और घरेलू बाजार में सोने की खपत को कम करने के लिये अगस्त 2013 में 20:80 योजना शुरू करी। परिणामस्वरूप सोने का आयात नियंत्रित हुआ, जब तक योजना डीईए द्वारा और मई 2014 में संशोधित की गई थी; आरबीआई ने सोने के आयात के लिये स्टार/प्रीमियम ट्रेडिंग की अनुमति दी।

समान रूप से, सीबीईसी/डीओआर को निर्यात संवर्धन उपायों के क्रियान्वयन और कर राजस्व को प्रभावी रूप से एकत्र करने के लिये, बेहतर करदाता सेवा उपलब्ध कराना अनिवार्य था। 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिये छोड़ा गया कुल सीमाशुल्क ₹ 12,26,033 करोड़ था जबकि उपरोक्त में रत्न और आभूषण क्षेत्र का शेयर उसी अवधि के लिये 25 प्रतिशत (₹ 3,01,042 करोड़) था। मूल्यांकन डाटाबेस प्रबंधन और सीमाशुल्क इलैक्ट्रॉनिक डाटा एप्लीकेशन में अंतर से अवधि के दौरान व्यापार के गलत परिचालन में क्रमिक वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप विदेशी विनिमय/पूँजी का बहिर्वाह हुआ।

जीएंडजे क्षेत्र का अंतिम बार 2008 में लेखापरीक्षण किया गया था तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा सिफारिश किये गये अधिकतर सुधार नहीं किये गये थे।

उसके क्रियान्वयन से पूर्व और क्रियान्वयन के बाद या समाप्ति पर परिणाम मूल्यांकन योजना के प्रभाव आकलन में कमी से अपर्याप्त समन्वय, नियंत्रण और निगरानी के कारण अप्रभावी नीति; संचालन कमी, गैर-अनुपालन के मामले; कर प्रशासन, सीमा नियंत्रण, सुविधाऐं और प्रमाणीकरण के लिये अपर्याप्त आईसीटी संरचना हुई।

डीओआर, सीबीईसी और डीओसी, डीजीएफटी को विकास के लिये समन्वय को सुधारने; पूर्ण कार्यात्मकता से ईडीआई प्रणाली का क्रियान्वयन; लेनदेन लागत कम करने; संबंधित पार्टी लेनदेन, शुल्क और पुन: निर्यात को नियमित करने की आवश्यकता है जिसके परिणामस्वरूप मात्र व्यापार लेखा के माध्यम से बढ़े हुये निर्यात आंकडों से बचने के लिये उचित रत्न और आभूषण व्यापार हुआ।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा का ₹ 19,522.67 करोड़ के प्रणालीगत मामलों के अतिरिक्त ₹ 1,003.37 करोड़ और आंतरिक नियंत्रण मामले जो निर्धारित नहीं किये जा सकते का राजस्व निहितार्थ है।

सिफारिशों का सार

1. *वाणिज्य विभाग को आर्थिक, व्यापार एवं राजस्व परिप्रेक्ष्य से रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु कार्यान्वित की गई महत्वपूर्ण योजनाओं का परिणाम विश्लेषण करना चाहिए। सभी इन्वर्टिड शुल्क संरचनाओं, संव्यवहार लागतों, संबंधित पार्टी संव्यवहारों, पुन: निर्यात संव्यवहारों, सरलीकरण उपायों की प्रभावी प्रोत्साहन योजना बनाने से पूर्व सावधानीपूर्वक समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।*

2. *सीबीईसी को सभी टैरिफ लाइनों के लिए एक सुदृढ तथा अद्यतित मूलयनिर्धारण डाटा का रख-रखाव करना चाहिए ताकि इनका उपयोग किया जा सके और अन्य संबंधित विभागों के साथ इन्हें साझा किया जा सके।*

3. *सीबीईसी शुल्क सरंचना के यौक्तिकीकरण पर विचार कर सकती है ताकि विदेशी मुद्रा अर्जन एफटीपी के तहत कम से कम छोड़ गए शुल्क के सम मूल्य पर हो सके।*

4. *सीबीईसी सभी उच्च मूल्य और संवेदनशील पण्यों के लिए आईसीईएस 1.5 का शीघ्रताकर से कार्यान्वयन सकती है। ईडीआई प्रणाली को गोल्ड डोर बार के आयात/निर्यात सोने के आभूषणों की निर्यात, हाथ का सामान और डिस्पोजल तक विस्तृत किया जा सकता है। समय में ढंग से इडीआई प्रणाली में टैरिफ मूल्य, विनिमय दर और शुल्क दर के अद्यतन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र को अपनाया जा सकता है।*

5. *वाणिज्य विभाग सेज इकाईयों द्वारा न्यूनतम मूल्य संवर्धन निर्धारित करने; सोने के आभूषण, हीरे की केरट की शुद्धता की जांच के लिये माल के परीक्षण की कुछ न्यूनतम प्रतिशतता प्रदान करने और डीटीए में परिवर्तन की जांच के लिये नियमित स्टॉक पुष्टिकरण के लिये सेज नियमों में उचित प्रावधान लाने पर विचार कर सकता है। प्रावधान में एनएफईई की गणना के उद्देश्य हेतु डीटीए (विदेशी मुद्रा में भुगतान) से सेज द्वारा की गई खरीद का मूल्य शामिल होना चाहिये।*

6. *राजस्व के बचाव तथा आवर्तन ट्रिपिंग को रोकने के लिए, पुन: आयातों के शामिल परिणाम तथ मूल्य को ध्यान में रखते हुए, वाणिज्य विभाग जी एंड जे निर्यातों उत्पाद वर्ग तथा देश वार पर अनुमत निर्यात प्रोत्साहनों की समीक्षा कर सकता है।*

7. *टैरिफ मूल्य निर्धारण के लिए वर्तमान व्यवस्था की सीबीईसी द्वारा समीक्षा की जा सकती है ताकि राजस्व प्रबंधन तथा मूल्यांकन प्रयोजनो के मध्य एक संतुलन सुगम बनाया जा सके।*

8. *भारतीय हीरा उद्यम में ग्राहक तथा व्यापार भरोसा बनाए रखने के लिए, सीबीईसी प्राकृतिक हीरे को मानव निर्मित हीरों से विभेद करने के लिए एक स्पष्ट वर्गीकरण पर विचार कर सकता है।*

9. *वाणिज्य विभाग द्वारा एक उचित नियंत्रण तंत्र स्थापित किया जा सकता है ताकि सेज/ईओयू द्वारा एपीआरज में प्रस्तुत डाटा का आश्वासन और विश्वसनीयता प्राप्त की जा सके।*

प्राकृतिक या संवर्धित मोती, बहुमूल्य या कम बहुमूल्य रत्न, बहुमूल्य धातु, बहुमूल्य धातु चढी हुई धातु और उसकी वस्तुऐं, नकली गहने, सिक्कों (सीटीएच का अध्याय 71) पर निष्पादन लेखापरीक्षा।

अध्याय 1: प्रस्तावना

1.1 पृष्ठभूमि

रत्न और आभूषण (जीएंडजे) उद्योग का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्पूर्ण स्थान है क्योंकि यह प्रमुख विदेशी विनिमय अर्जक हैं और सबसे तेजी से बढते उद्यागों में से एक। इस उद्योग की दो मुख्य उत्पाद श्रेणियां सोने के आभूषण और हीरा है। सोने के आभूषण भारतीय आभूषण बाजार का करीब 80 प्रतिशत है जबकि शेष बाजार मांग जडित आभूषण की है जिसमें जडित हीरे के साथ-साथ रत्न जडित आभूषण शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹ 2,53,940 करोड़ के रत्न और आभूषण का निर्यात किया गया था, जिसमे से कट और पोलिश किया गया हीरा (सीपीडी) ₹ 1,38,463 करोड़ का था और आभूषण निर्यात ₹ 80,679 करोड़ था जैसा नीचे तालिकाबद्ध है (तालिका 1)।

तालिका 1: वि.व. 11 से वि.व. 15 के दौरान कच्चे हीरे और सीपीडी का आयात/निर्यात

वर्ष	आयात					निर्यात				
	खुरदरा हीरा	सोना	सीपीडी	अन्य	कुल सीटीएच 71	सोना	आभूषण	सीपीडी	अन्य	कुल सीटीएच 71
वि.वि.11	48832	184729	95464	21371	350396	5763	37373	131011	24739	198886
वि.वि.12	65412	269900	63637	35649	434598	1980	68128	126071	30111	226290
वि.वि.13	80115	292153	36652	46936	455856	23765	75073	116233	23388	238459
वि.वि.14	98471	166243	35031	45285	345030	18351	65570	147716	20538	252175
वि.वि.15	102251	210658	22581	45890	381515	17442	80679	138463	17356	253940

स्रोत: commerce.nic.in, http://indiabudget.nic.in

भारत में विश्व के पोलिश किये गये हीरे के मूल्य के संदर्भ मे करीब 65 प्रतिशत, मात्रा के संदर्भ में 85 प्रतिशत और टुकड़ों में 92 प्रतिशत निर्मित किया जाता है। भारत का हीरा निर्माण क्षेत्र देशभर में करीब दस लाख लोगों को रोजगार देता है। हीरा निर्माण का अधिकतर कार्य सूरत, गुजरात में होता है। मुंबई में भारत डायमंड बोर्स, आधुनिक व्यापार परिसर, जिसमें 2010 में अपना कार्य शुरू किया, विश्व में सबसे बड़ा बोर्स है और भारत के कुल हीरे के व्यापार के करीब 90 प्रतिशत के लिये जिम्मेदार है। आभूषण और रंगीन रत्नों का निर्माण जयपुर में केन्द्रित है जो विश्व का सबसे बड़ा निर्माण केन्द्र है। प्रभावी सीमाशुल्क शुरूआत में कच्चे हीरे और सोने के लिये 1 जनवरी 2007

से 12.5 प्रतिशत से कम होकर 10 प्रतिशत कर दिया गया था। सोने पर प्रभावी शुल्क 27 फरवरी 2010 को प्रति 10 ग्राम ₹ 300 के निर्धारित दर से 13 अगस्त 2013 से 10 प्रतिशत तक अलग-अलग था। कच्चे हीरे के लिये शुल्क की प्रभावी दर मार्च 2012 से 'शून्य' रखी गई है।

1.2 प्रशासनिक संरचना

केन्द्रीय बोर्ड उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क (सीबीईसी), डीओआर, अपने निदेशालय और क्षेत्रीय संरचनाओं के माध्यम से, राजस्व एकत्रित करने, सीमा नियंत्रण और कुछ व्यापार सरलीकरण उपायों के लिये जिम्मेदार है। महानिदेशक विदेश व्यापार (डीजीएफटी)/वाणिज्य विभाग (डीओसी) क्षेत्र के लिये विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के लेन-देन लागत मुद्दों और क्रियान्वयन की निगरानी करता है। रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) इस क्षेत्र को सुविधाजनक बनाने के लिये शीर्ष निकाय के रूप में डीओसी के संरक्षण के अंतर्गत 1996 में बनाया गया था। यह कच्चे हीरे के आयात और निर्यात के लिये किमबर्ली प्रक्रिया प्रणालीकरण योजना (केपीसीएस) के लिये नोडल एजेंसी के रूप में अनिवार्य कर दिया गया है और सभी प्रमाणित 'विवाद-मुक्त' कच्चे हीर की व्यापार जानकारी रखता है। अपने परिणामी बजट 2013-14 में, डीओसी ने पीपीपी आधार पर रत्न और आभूषण के लिये दो नई योजनाऐं प्रस्तावित की। परिणामों की माप और सूचक अभी बताये जाने बाकि हैं। दो प्रस्तावित योजनाऐं निम्नलिखित प्रकार हैं।

i) सामान्य सुविधा केन्द्र: जीएंडजे क्षेत्र में कुशल कारीगरों की भारी कमी को ध्यान में रखते हुये, समूह में रत्न और आभूषण के कारीगरों को आकर्षित करने के लिये अतिरिक्त सुविधाऐं प्रदान करके 12वीं पंच वर्षीय योजना (2012-17) में पीपीपी आधार पर सामान्य सुविधा केन्द्र प्रस्तावित किया गया था।

ii) जयपुर में रत्न बोर्स: सीमाशुल्क, बैंक, क्लियरिंग और फोर्वडिंग एजेंटो आदि जैसी सुविधाओं के साथ जयपुर में रत्न का अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र (रत्न बोर्स) विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया था।

डीओसी की सामरिक योजना में जीएंडजे क्षेत्र का उल्लेख है लेकिन परिणाम रूपरेखा दस्तावेज (आरएफडी) 2013-14 ने जीएंडजे क्षेत्र के लिये कोई विशिष्ट लक्ष्य/योजना/उद्देश्य उल्लिखित नहीं किये यद्यपि इस उद्योग की भारत के निर्यात क्षेत्र में उच्चतम मात्रा है।

भारतीय रिजर्व बैक विदेशी विनिमय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये महत्वपूर्ण तत्व को नियमित करने के लिये उत्तरदायी है।

1.3 हमने यह विषय क्यों चुना?

जीएंडजे क्षेत्र सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची 1 के अध्याय 71 के अंतर्गत कर्वड भारत का सबसे बडा और प्रगतिशील निर्यात क्षेत्र, प्रमुख विदेशी विनिमय अर्जक है, लाखों कुशल और कम-कुशल श्रमशक्ति को रोजगार देता है। इसने विभिन्न मुक्त व्यापार करों के अंतर्गत वरीयता प्राप्त टैरिफ लाइन होने के साथ-साथ विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) में विभिन्न शुल्क छूट और प्रेषण का लंबे समय तक आनंद लिया है। सोना किसी भी रूप में संपत्ति की श्रेणी है और अपनी आर्थिक क्षमता विविधता का लाभ उठाते हुये भारत में उच्च मुद्रा और गैर-मुद्रा मूल्यांकन है। चालू खाता घाटा संकट (जून 2013 में जीडीपी का 4.9 प्रतिशत) से बाहर निकलने में सोना और आभूषण पैट्रोलियम क्षेत्र के बाद विदेशी विनिमय बहिर्वाह का दूसरा सबसे बड़ा सहयोगी था। 20:80 योजना सोने और आभूषण से आयात नियमित करने, निर्यात बढाने और विदेशी विनिमय आय अधिकतम करने के लिये शुरू की गई थी। क्षेत्र की अंतिम बार 2008 में लेखापरीक्षा की गई थी जिसमें इस विशिष्ट क्षेत्र सहित पूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था की उच्च विकास अवधि अन्तर्गत थी। सिफारिशें मुख्य रूप से व्यापार डाटाबेस तैयार करने; बहुमूल्य कार्गो सीमाशुल्क क्लियरेंस केन्द्र (पीसीसीसीसी) पहले डीपीसीसी के नाम से जाना जाने वाला में आईसीईएस के क्रियान्वयन और डीटीए खरीद, क्लियर किये गये माल की भौतिक जांच, सेज में वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (एपीआर) की गुणवत्ता और मूल्य वर्धन पर थीं।

हाल के वर्षों के दौरान रत्न और आभूषण क्षेत्र की महत्वपूर्ण और बढ़ती हुई महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुये, इसके निष्पादन की लेखापरीक्षा की गई थी।

1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

इस निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित पर आश्वासन पाना है:

- क्या उचित अधिनियमों और सक्रिय नियम और विनियम के प्रावधान पर्याप्त हैं और डीओसी (एफटीपी का अध्याय 4), और डीओआर, सीबीईसी (सीटीएच का अध्याय 71) के कथित उद्देश्यों के अनुसार हैं, और आयात/निर्यात समय-समय पर सरकार/आरबीआई द्वारा जारी अधिनियमों, नियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों और दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार हैं।
- क्या बहुमूल्य धातु और अन्य विशिष्ट उत्पादों के आयात के लिये छूट/रियायत/माफी के लाभ सही रूप से अनुमत हैं और ऐसे लाभ देने के लिये नियम और शर्तें पूरी की गई थी।
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, निगरानी और समन्वय तंत्र सरकार के परिणाम आधारित कार्य और उद्देश्यों के निष्पादन को सक्षम करने के लिये पर्याप्त, उचित और उपयुक्त थे।

1.5 लेखापरीक्षा नमूना

यह निष्पादन लेखापरीक्षा डीओआर, डीओसी, डीईए, डीजीएफटी, मुख्य सीमाशुल्क स्टेशनों और सेज/ईओयू इकाईयों में की गई थी। हमने स्तरीकृत याद्दच्छिक नमूना पद्धति के अनुसार सभी चयनित सीमाशुल्क स्टेशनों में 2010-11 से 2014-15 के लिये सीटीएच के अध्याय 71 के अंतर्गत आयात और निर्यात से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा की। क्रमश: 3,26,012 बीईज़ और 11,55,362 एसबीज़ की कुल जनसंख्या में से 21,245 आयात पत्र (बीई) और 13,143 शिपिंग बिल (एसबी) के नमूनों का संवीक्षा के लिये चयन किया गया था। 34 ईओयू इकाईयों में से 28 निर्यात उन्मुख इकाईयों (ईओयू), 891 सेज इकाईयों में से 156 विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) के अभिलेखों और विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत जारी 6607 लाइसेंस में से 1702 लाइसेंस से संबंधित अभिलेखों का भी संवीक्षा के लिये चयन किया गया था। सोने के आयात के लिये पंजीकृत/लाइसेंस प्राप्त 81 नामित एजेंसियों/बैंको/एसटीएच/पीटीएच में से 47 नामित एजेंसियों/बैंको/एसटीएच/पीटीएच के अभिलेखों की भी लेखापरीक्षा की गई थी। डीओआर, डीओसी और डीजीएफटी

मुख्यालय, नई दिल्ली में कुछ संबंधित अभिलेखों की भी जांच की गई थी।

1.6 लेखापरीक्षा मानदंड

हमने निम्नलिखित में वर्तमान प्रावधानों/दिशानिर्देशों के प्रति अपने निष्कर्षों को बेंचमार्क किया:

क. सीमाशुल्क अधिनियम/नियमावली 1962, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975

ख. सीमाशुल्क मैनुअल, सीबीईसी की अधिसूचना और परिपत्र।

ग. परिशिष्ट सहित प्रक्रियाओं की पुस्तिका के साथ विदेश व्यापार नीति; विदेश व्यापार (विकास और विनियम) अधिनियम, 1992

घ. एक्जिम नीतियों और सोने के आयात पर आरबीआई के मुख्य परिपत्र।

ङ. सेज अधिनियम; 2005; सेज नियमावली, 2006

अध्याय 2: प्रणालीगत विषय

कच्चा हीरा, बहुमूल्य रंगीन रत्न और सोना भारत में उत्पादित नहीं होते। यह मुख्य स्रोत देशों या व्यापार केन्द्रों से आयातित किये जाते हैं। यह रत्न और आभूषण (जीएंडजे) क्षेत्र के लिये आवश्यक इनपुट हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के सादे और जडित आभूषण के लिये जीएंडजे क्षेत्र के पास सांस्कृतिक कौशल, सामाजिक-आर्थिक महत्व और बड़े घरेलू बाजार की अनोखी उपलब्धता है। यह क्षेत्र आर्थिक गतिविधि की उचित राशि भी उत्पन्न करता है और देश के जीडीपी में योगदान देता है यदि मूल्य अंतिम उत्पाद में जोड़ दिया जाये। अन्य मुद्रा और निवेश संपत्ति श्रेणी की तुलना में भारत में सोने की मुद्रा और संपत्ति मांग विश्व में सबसे अधिक है। विशेष भारतीय डिजाइन और कारीगरी, कट और पॉलिश किये गये हीरे (सीपीडी) और आभूषण की वैश्विक मांग दशकों से मुख्य निर्यात उत्पाद में से एक है। कच्चे हीरे के सीपीडी और सोने को सादे/जडित आभूषण में बदलने से सभी आर्थिक कारकों पर पर्याप्त मूल्य एकीकरण के साथ जटिलता उत्पन्न होती है।

भारत में जेएंडजी क्षेत्र ने अनुपातिक राजस्व सहयोग के साथ निर्यात क्षेत्र और माल निर्यात वृद्धि में काफी योगदान दिया है (15 प्रतिशत)। रत्न और आभूषण निर्यात में वृद्धि का कारण डीओसी द्वारा गतिशील उद्यमशीलता, अनुकूल विदेश व्यापर नीति (एफटीपी) प्रावधान, और बाजार आकार[1] को माना गया था। पहचानी गई समस्याऐं थी कि उद्योग विदेश से आयातित कच्चे माल के 90 प्रतिशत के साथ आयात संवेदनशील था; कच्चा माल सीधे स्रोत से उपलब्ध नहीं था जो उसकी लागत बढा रहा था; कुशल मानव संसाधन की बढ़ती आवश्यकता; तात्कालिक प्रशिक्षण और सुविधा केन्द्र; उच्च व्यापार संबंधित लेनदेन लागत और प्रतिस्पर्धी वित्त की उपलब्धता, अनुकूल कर व्यवस्था सहित ब्याज दर थी। प्रमुख विदेश विनिमय अर्जक और श्रम आधारित क्षेत्र जो करीब 34 लाख कर्मियों (2008[2]) को रोजगार देता है होने

[1] 'भारत के विनिर्माण निर्यात बढ़ाने' पर कार्यदल की रिपोर्ट; डीओसी; सितम्बर 2011

[2] भारत में डायमंड कटिंग और पोलिशिंग इंडस्ट्री पर वैश्विक संकट का प्रभाव, यूएनडीपी, इंदिरा हायरवे।

के कारण यह अनुमान लगाया गया था कि क्षेत्र की 25 प्रतिशत[3] वार्षिक औसत वृद्धि के लिये, 2018 तक 66 लाख कर्मियों की आवश्यकता होगी।

जीएंडजे के निर्यातकों के लिये योजनाऐं डीओसी के एफटीपी के अध्याय 4 में हैं। व्यापार लेनदेन सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) के अध्याय 71 के अंतर्गत, सीमाशुल्क विभाग, डीओआर द्वारा लिया जाता है। आयात और निर्यात की प्रक्रिया की मूल्यांकन, टैरिफ, प्रमाणीकरण (स्रोत और प्रमाणिकता) और सीमाशुल्क द्वारा स्थापित सुविधाओं के माध्यम से निगरानी की जाती है। विदेश विनिमय में व्यापार संबंधित भुगतान और प्रेषण को आरबीआई के संबंधित विनियम/योजनाओं के अंतर्गत नियमित किया जाता है। जीएंडजे उत्पादों के आयात और निर्यात के आधार पर वित्तीय प्रवाह, अंतिम उपयोग पर ध्यान दिये बिना, बहुत अधिक है।

यह अध्याय, दोनों मूल्य और मात्रा में, सीमाशुल्क व्यापार डाटा, श्रेणीवार उत्पाद की प्रवृत्ति और संयोजन का विश्लेषण करता है। एफटीपी, एफटीए और प्रचलित टैरिफ के अंतर्गत योजना के प्रभाव का विश्लेषण किया गया था। व्यापार की दिशा का महत्वपूर्ण व्यापार साझेदारों के संबंध में विश्लेषण किया गया था। बनाये गये इलैक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज (ईडीआई) प्रणाली के मूल्यांकन और क्षमता के लिये डाटावेस की गुणवत्ता को प्रणालीगत स्तरों पर समीक्षा की गई है।

20:80 योजना का निष्पादन की उसकी क्षमता के आकलन के लिये लेखापरीक्षा की गई थी यद्यपि संकेतक जैसे सकल विदेशी विनिमय आय (एनएफईई), निर्यात दायित्व (ईओ), टैरिफ आदि का व्यापार और लेनदेन के संदर्भ में विश्लेषण किया गया। सेज/इओयू कानून के मौजूदा प्रावधानों के संबंध में निर्यात वृद्धि के साधन के रूप में व्यापार सरलीकरण प्रक्रिया और संस्थान का अवलोकन किया गया था।

2.1 अध्याय 71 के माल के अंतर्गत आयात/निर्यात की प्रवृत्ति और संयोजन

2010-11 से 2014-15 के दौरान सीटीएच के अध्याय 71 के अंतर्गत माल के आयात और निर्यात निष्पादन को परिशिष्ट 1 से 1 सी में तालिकाबद्ध किया

---

[3] डीओसी रणनीतिक योजना; तीन वर्षों (2011-12 से 2013-14) तक में निर्यात को दोगुना करने के लिये रणनीति, डीओसी।

गया है। इस अध्याय के अंतर्गत करीब 84 विभिन्न आयातित मद थे और 89 मद निर्यात किये गये थे। अध्याय 71 के अंतर्गत कुल आयात के कच्चे हीरे, सोने, आभूषण, पॉलिश किया गया हीरा और अन्य मद के निर्यात का मूल्य के शेयर से पता चला कि कच्चे हीरे आयात का 75-80 प्रतिशत थे जबकि निर्यात सीपीडी और आभूषण का करीब85 प्रतिशत समाविष्ट था। कच्चे हीरे के शेयर में सामान्य वृद्धि थी। इसलिये माल की महत्वपूर्ण चार श्रेणी अर्थात गैर मुद्रा सोना, कच्चा हीरा, कट और पॉलिश किया गया हीरा (सीपीडी) और अध्याय 71 व्यापार के सोने के आभूषण का विश्लेषण किया गया था।

सोने, आभूषण आदि के आयात से 2010-11 में ₹ 3,50396 करोड़ से 2014-15 में ₹ 3,81,515 करोड़ (9 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। समान माल के निर्यात से 2010-11 में ₹ 1,98,886 करोड़ से 2014-15 में ₹ 2,53,940 करोड़ (28 प्रतिशत) की भी वृद्धि हुई। 2014-15 में सभी आयात के अध्याय 71 माल के आयात का शेयर 13.93 प्रतिशत था जबकि उसके निर्यात का शेयर 13.39 प्रतिशत था। पिछ्ले वर्ष की तुलना में यद्यपि आयात 10.57 प्रतिशत बढा, निर्यात केवल 0.7 प्रतिशत बढा। चार श्रेणियों के अंतर्गत आयातित और निर्यातित माल के मूल्य और मात्रा से कच्चे हीरे, सोने के निर्यात में सामान्य रूप से वृद्धि की प्रवृत्ति और उसके निर्यात पर आभूषण के आयात की वृद्धि की प्रवृति का पता चला।

पिछ्ले पांच वर्षों में, कुल अध्याय 71 आयात के समान, सोने, आभूषण और सीपीडी निर्यात के मूल्य के साथ-साथ सोने के आयात के मूल्य में वृद्धि दर अनियमित थी, जबकि, कच्चे हीरे के आयात और निर्यात दोनों की वृद्धि दर कम हुई।

व्यापार घाटा में 43 प्रतिशत (वि.व. 11) से 34 प्रतिशत(वि.व. 15) तक कमी आई किंतु छोड़ गए शुल्कों में आयातों के मूल्य के 14 प्रतिशत (वि.व. 11) से 20 प्रतिशत (वि.व. 15) तक वृद्धि हुई है।

इस अवधि के दौरान, यूएस डॉलर के मूल्य में 34 प्रतिशत तक वृद्धि हुई जिससे आयात आनुपातिक रूप से महगें एवं निर्यात सस्ते हो गए। पॉच वर्ष की पूरी अवधि में अध्याय 71 के तहत आयातों के मुख्य घटक के रूप में

स्वर्ण का आयात देखा गया था किंतु इसमें आभूषणों के तदनुरूपी निर्यातों की तुलना में नकारात्मक एनएफईई की हानि हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण कीमतें 2012 में इसके शीर्ष पर पहुंच गई थी और 2015 तक इसमे निरंतर कमी आई। स्पष्ट रूप से, 2013-14 में खुरदरा हीरा अध्याय 71 आयातों की प्रमुख श्रेणी बनाता है और सीपीडी इन दो श्रेणियों के बीच सकारात्मक एनएफईई के साथ निर्यातों की बहुलता बनाता है। तथापि, माल की इस श्रेणी में मूल्य संवर्धन 2010-2013 की पिछली अवधि के दौरान ज्यादा बेहतर था। एकमात्र पीसीसीसीसी, मुंबई के माध्यम से सीपीडी का आयात, पुन: आयात एवं निर्यात में बहुविध वृद्धि हुई थी। पिछले पांच वर्षों में कुल आयात वृद्धि में सीपीडी का पुन: आयात 27 से 79 प्रतिशत तक बढ़ गया था और निर्यातों के सीपीडी के पुन: आयात में 10 से 29 प्रतिशत तक वृद्धि हुई थी।

भारत नाममात्र को हीरा या स्वर्ण का उत्पादन करता है। यह पिछले पांच वर्षों में स्वर्ण का सर्वोच्च मध्यम आयातक था। 2007-08 के पश्चात स्वर्ण के आयात की हिस्सेदारी में इसकी परिसंपति मांग[4] में इसकी वृद्धि के कारण तीव्र बढ़ोतरी हुई। रूचिपूर्ण ढंग से 2013-14 में खुरदरा हीरा और स्वर्ण के गैर मौद्रिक रूप का निर्यात भी क्रमश: 10.10 और 11.04 प्रतिशत के अधिकतम स्तर पर था। तदनुसार, सदृश मदों की जब्ती में 2010-11 में ₹ 22.11 करोड़ (आयात के मूल्य का 0.006 प्रतिशत) से 2014-15 में ₹ 1,419.22 करोड़ (आयात के मूल्य का 0.37%) तक की वृद्धि हुई थी। जब्ती अध्याय 71 के माल के मूल्य में 2012-13 में ₹ 156.61 करोड़ से 2013-14 में ₹ 950.16 करोड़ तक बहुत बड़ा परिवर्तन था। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत डीआरआई द्वारा पता लगाए गए शुल्क अपवंचन मामलों में भी 2010-11 से 2014-15 के बीच वृद्धि हुई थी।

निर्यात वृद्धि (2014-15 में 0.7 प्रतिशत) डीओसी नीति में परिकल्पित दर से काफी कम थी जिससे रोजगार सृजन तथा अन्य आर्थिक सूचक प्रभावित हुए। डीओसी की नीति की मध्यावधि समीक्षा ने वैश्विक तथा घरेलू स्थितियों दोनों के कारण लगभग 30 प्रतिशत (2013-14) तक निर्यात लक्ष्यों के अधोमुखी

[4] आरबीआई (2013): ' एनबीएफसी द्वारा स्वर्ण आयातों तथा स्वर्ण ऋणों से संबंधित मामलों के अध्ययन हेतु कार्यकारी समूह की रिपोर्ट' भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली।

संशोधन को दर्शाया था। एफटीपी 2015-20 में क्षेत्र के उप इष्टतम निष्पादन को अभिस्वीकृति दी और व्यापार संव्यवहारों; निर्यात कीमत प्रतिस्पर्धा हेतु इनपुट आधारित अप्रत्यक्ष कर छूट एवं उत्पादन एवं श्रमबल दक्षता संवर्धन में सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना के बेहतर उपयोग को दर्शाया[5] गया था।

व्यापार का निर्देशन

खुरदरा हीरे के प्रमुख उदगम स्थान रूस, कनाडा, बोत्सवाना, अंगोला, नामिबिया, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया डीआरसी और जिम्बाब्बे थे। रंगीन रत्न तन्जानिया, मयनमार, थाइलैंड, श्रीलंका, नामिबिया, कोलम्बिया तथा ब्राजील से प्राप्त होते थे। प्रमुख मौजूदा बाजार केंद्र हॉगकॉग, यूएई तथा सिंगापुर थे।

जैसाकि परिशिष्ट 2ए में उल्लिखित है, 2010-11 से 2014-15 के दौरान सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, हॉगकॉग, थाइलैंड और यूएई से स्वर्ण आभूषण के आयात के संबंध में डीओसी के निर्यात-आयात डाटा से पता चला कि वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान एशियन देशों से स्वर्ण आभूषण के आयात में तेजी आई थी जब 20:80 योजना प्रचालन में थी, अत: स्वर्ण छड के आयात को उपरोक्त अवधि (परिशिष्ट 4 और 6) के दौरान सामान्य आयातकों के लिए सीमित कर दिया गया था। यूएई के हीरा व्यापार में 2011 के बाद गिरावट आई, 2 प्रतिशत सीमा शुल्क के पश्च अधिरोपण (जनवरी 2012) पर स्वर्ण एवं स्वर्ण आभूषण में बढ़ोतरी[6] हुई।

2010-11 से 2014-15 के दौरान अध्याय 71 के शीर्ष सात उदगम स्थान देशों और माल के गन्तव्य देशों को क्रमश: परिशिष्ट 2ख तथा 2ग में शामिल किया गया है।

यह देखा गया कि आयातित स्वर्ण आभूषण का औसतन 64 प्रतिशत 120 अद्वितीय उदगम स्थान देशों में से स्विटजरलैंड, यूएई और हॉगकॉग से था। तथापि, आयातक देशों को यूएई तथा हॉगकॉग को छोड़कर, निर्यात नहीं किया जा रहा था। इसी प्रकार, आभूषण का 63 प्रतिशत निर्यात यूएई तथा हॉगकॉग

---

[5] एफटीपी 2015-20 मुख्य बातें

[6] इडेक्स ऑनलाइन कॉम, इंटरनेशनल डायमंड एक्सचेंज; थॉमस रूटर (2013) स्वर्ण सर्वेक्षण 2013 अद्यतन।

को किया गया था। 2014-15 में यूएई के साथ अध्याय 71 की चार मुख्य माल श्रेणी के व्यापार के विश्लेषण से पता चला कि 15 प्रतिशत (आयातित कुल सदृश माल का) का आयात यूएई से किया गया था और कुल सदृश माल के 29 प्रतिशत का निर्यात यूएई को किया गया था। देश के व्यापार विश्लेषण में अध्याय 71 के अंतर्गत उत्पादों की चार श्रेणियों के भी लगातार संव्यवहारों; संबंधित पार्टी संव्यवहारों के मामलों, इन्वेंटेंड शुल्क संरचना और पुन: निर्यात को दर्शाया गया है जिनका आगामी पैराग्राफों में उल्लेख किया गया है। स्पष्ट रूप से, यूएई के साथ व्यापार, जिसमें पुन: निर्यात शामिल है, व्यापार के कुछ मूल्य में बढ़ोतरी के समय प्रमुख आर्थिक सक्रियता का सृजन नहीं करता। यह सामान्यता व्यापार लेखांकन तथा बैंक फाइनेंशिंग चैनलों से गुजरकर पुन: निर्यात के बजाय मूल्य संवर्धन तथा आर्थिक वृद्धि के सृजन के माध्यम से वास्तविक अर्थव्यवस्था से जुड़े आयातों तथा निर्यातों को अलग करने हेतु व्यापक जांच को आवश्यक बनाता है।

डीओसी द्वारा इस क्षेत्र से संबंधित संव्यवहार लागत में वृद्धि संबंधी परिवर्तनों के किसी विश्लेषण का कोई मापन नहीं किया गया था। स्वर्ण कीमत, आयात विनियम, निर्यात संबर्धन योजनाओं में परिवर्तन का स्वर्ण व्यापार पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा। एफटीपी 2015-20 में, डीओसी ने विभागीय नीति और 20:80 योजना की वापसी की मध्यावधि समीक्षा में अपनी गलती मानने के बावजूद पिछली एफटीपीज से पृथक जीएण्डजे क्षेत्र के लिए कोई निर्धारक प्रावधान नहीं बनाया था। जीएण्डजे व्यापार संबंधित वित्तीय बहिर्वाह अक्षुण्ण बना रहा।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में बताया कि 2003 परिपत्र में आभूषण के आयात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और कोई देश प्रतिबन्ध नहीं है। आभूषण को एफटीए के अंतर्गत कवर किया जाता है।

विभाग का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि इसने विशेष रूप से विशिष्ट उदगम एवं गन्तव्य देशों के संबंध में आयातों, निर्यातों, राजस्व या सीएडी के संबंध में न तो इसके कार्यान्वयन से पूर्व 20:80 योजना के संभावित प्रभाव का और न ही एक वर्ष में इसे वापस लेने के बाद इसके परिणाम का

विश्लेषण किया था। इस योजना से सीखे गए पाठ को भविष्य में समान प्रोत्साहन योजनाओं के विकास के लिए उपयोग किया जा सकता था।

सिफारिश सं. 1: *वाणिज्य विभाग को आर्थिक, व्यापार एवं राजस्व परिप्रेक्ष्य से रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु कार्यान्वित की गई महत्वपूर्ण योजनाओं का परिणाम विश्लेषण करना चाहिए। सभी इन्वर्टिड शुल्क संरचनाओं, संव्यवहार लागतों, संबंधित पार्टी संव्यवहारों, पुन: निर्यात संव्यवहारों, सरलीकरण उपायों की प्रभावी प्रोत्साहन योजना बनाने से पूर्व सावधानीपूर्वक समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।*

2.2 आयातित तथा निर्यातित माल के डाटाबेस का विश्लेषण

डीजीओवी, मुम्बई की स्थापना मूल्य निर्धारण से संबंधित नीति मामलों में बोर्ड की सहायता करने के लिए वर्ष 1997 में की गई थी। डीजीओवी को इस कार्य को करने के लिए आयातित एवं निर्यातित माल का विस्तृत वास्तविक समय इलेक्ट्रानिक डाटाबेस विकसित करना था।

रत्न एवं आभूषण निर्यात समिति ने इस क्षेत्र में विश्वसनीय टर्नओवर सांख्यिकी के अभाव पर चिंता व्यक्त की थी और सलाह दी थी कि बिक्री कर और आयकर दोनों से बचने के लिए घरेलू व्यापार का मोटे तौर पर कम अनुमान लगाया गया था और कर अपवंचन के मामलों का पता लगाने के लिए ट्रेडिंग डाटा की अन्य कर प्राधिकरणों के साथ सहभागिता की सिफारिश की थी। डाटाबेस के बहु उपयोग को देखते हुए डाटा की पूर्णता ऐसे विश्वसनीय विश्लेषण को करने के लिए पूर्वापेक्षा थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आयात/निर्यात डाटा अपूर्ण था और इसे किसी वास्तविक विश्लेषण के लिए आधार डाटा के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता था। उच्च यूनिट मूल्य उत्पादों के आयातों एवं निर्यातों के अवमूल्यांकन तथा अधिक मूल्यांकन भी व्यापार के गलत बीजक बनाने के कारण देश से वित्तीय बहिर्वाह हेतु उपयोग के लिए भी दायी है। डीजीओवी डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली पूर्ण रूप से कार्यात्मक नहीं थी (2015 की सीएण्डएजी की प्रतिवेदन सं.8) और इसे सीमा शुल्क विभाग या डीजीएफटी की ईडीआई प्रणाली के साथ एकीकृत नहीं किया गया था। अध्याय 71 के लिए डीजीओवी डाटाबेस में प्राप्त कुल संव्यवहारों हेतु आयातों तथा निर्यातों का मूल्य मुम्बई

में सीमा शुल्क कमिश्नरी (परिशिष्ट 3) द्वारा दिए गए व्यापार आंकड़ों से मेल नहीं खाता। डीजीओवी ने अवमूल्यांकन तथा अधिक मूल्यांकन के कुछ मामले देखे थे, तथापि, 'कोई मूल्यनिर्धारण चेतावनी/दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए थे।

डीजीओवी तथा संबंधित कमिश्नरियों के डाटा से पता चला कि राष्ट्रीय आयात डाटाबेस (एनआईडीबी)/ निर्यात पण्य डाटाबेस (ईसीडीबी) द्वारा लिया गया डाटा पूर्ण नहीं था। निर्यात डाटा में अंतर 2010-11 से 2013-14 की अवधि हेतु विभिन्न कमिश्नरियों द्वारा उपलब्ध कराए गए वास्तविक डाटा से 1.33 से 81 गुणा के बीच था, आयात क्षेत्र में भी समान अंतर देखा गया था। तथापि, पीसीसीसीसी से संबंधित आयात एवं निर्यात डाटा को डीजीओवी के डाटाबेस में नहीं लिया जा रहा था और गोल्ड डोर बार के आयात डाटा के पीसीसीसीसी में हस्त्य रूप से संसाधित किया जाता है।

भारत तथा इसके निर्यातक/आयातक भागीदारों के बीच व्यापार के संव्यवहार वार मूल्यनिर्धारण के बीच अंतर ने दर्शाया[7] कि विश्व में गैरकानूनी वित्तीय बहिर्वाह की मात्रा में भारत का 4वां स्थान है। यह 2013 में लगभग $ 83 बिलियन यूएसडी था और इसमें पिछले दस वर्ष के रूझान के सदृश वृद्धि हो रही है। यह भारत के जीडीपी का लगभग 4.5 प्रतिशत (4 प्रतिशत के वैश्विक औसत के प्रति) है और इसमें व्यापार के गलत बीजक बनाने के कारण बहिर्वाह पूर्ण रूप से शामिल है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में बताया कि डीजीओवी डाटा को नियमित रूप से अद्यतित किया जाता है और सीबीईसी अनुरोध के आधार पर डीजीओवी डाटा को साझा करना चाह रही है।

सीबीईसी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि डीजीओवी डाटा न तो पूर्णत: कार्यान्तमक था और न ही इसे नियमित रूप से अद्यतित किया जाता था। अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ डाटा के सहभाजन का कोई मौजूदा तंत्र/प्रोटोकोल नहीं हैं।

[7] वैश्विक गैर कानूनी वित्तीय प्रवाह रिपोर्ट: 2015; वैश्विक वित्तीय सम्पूर्णता www.gfintgrity.org

सिफारिश सं.2: *सीबीईसी को सभी टैरिफ लाइनों के लिए एक सुदृढ तथा अद्यतित मूलयनिर्धारण डाटा का रख-रखाव करना चाहिए ताकि इनका उपयोग किया जा सके और अन्य संबंधित विभागों के साथ इन्हें साझा किया जा सके।*

2.3 20:80 योजना

2012-13 के दौरान विकृत चालू खाता घाटा (सीएडी) को नियंत्रित करने के लिए स्वर्ण आयात को डीजीएफटी, डीओसी द्वारा महत्वपूर्ण घटक के रूप में चिन्हित किया गया था। आरबीआई ने भारत सरकार के परामर्श से 20:80 योजना शुरू की थी। आरबीआई ने परिपत्र दिनांक 22 जुलाई, 2013 के द्वारा स्वर्ण के आयात और विदेशी मुद्रा के परिणामी बहिर्वाह में कमी लाने के मद्देनजर देश में स्वर्ण और स्वर्णडोर बार के आयात पर कतिपय प्रतिबद्धताएं लगाई थी और प्राधिकृत आयातकों द्वारा पालन हेतु कतिपय शर्तें निर्धारित की थी।

डीजीएफटी ने रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को भारत में सबसे बड़े निर्यातक क्षेत्रों में से एक के रूप माना और आरबीआई ने अपने परिपत्र दिनांक 14 अगस्त 2013 के द्वारा रत्न तथा आभूषण के निर्यात को प्रोत्साहित करने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए स्वर्ण के आयात हेतु संशोधित दिशानिर्देश निर्धारित किए थे। इसमें सभी नामित बैंकों/ एजेंसियों से आयातित स्वर्ण के प्रत्येक लोट की 20 प्रतिशत के निर्यात दायित्व सुनिश्चित करने की अपेक्षा थी और शेष 80 प्रतिशत को घरेलू उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना था। उनके पिछले आयातों के आधार पर उन्हें स्वर्ण के प्रथम परेषण को आयात करने की अनुमति दी गई थी। आयातित मात्रा के 20 प्रतिशत का निर्यात करने के बाद वें निर्यातों का प्रमाण प्रस्तुत करके स्वर्ण के दूसरे लोट के आयात के लिए पुन: पात्र बन गए है और यह जारी रहा।

सीबीईसी ने सीमा नियंत्रण उपायों के लिए परिपत्र दिनांक 4 सितम्बर 2013 के माध्यम से सीमा शुल्क विभाग और स्वर्ण आयातकों द्वारा पालन किए जाने हेतु दिशानिर्देश अधिसूचित किए।

आरबीआई ने परिपत्र दिनांक 14 फरवरी 2014 के माध्यम से निर्यात, जिसके लिए प्रमाण प्रस्तुत किए गए थे, के पांच गुणा के दो परिमाणों या पहले

अथवा दूसरे लोट में नामित एजेंसी को अनुमत स्वर्ण की मात्रा से कमतर पर सीमित करते हुए दूसरे लोट के पश्चात स्वर्ण के आयात को प्रतिबंधित कर दिया।

दि स्टार ट्रेडिंग हाऊस/प्रीमियर ट्रेडिंग हाऊस (एसटीएच/पीटीएच) को केवल निर्यात उद्देश्य हेतु स्वर्ण के आयात करने की अनुमति दी गई थी और योजना की परिधि से बाहर रखा गया था। तथापि, आर्थिक मामलों का विभाग (डीईए) द्वारा प्रस्तावित आशोधन के आधार पर, आरबीआई ने परिपत्र दिनांक 21 मई, 2014 के माध्यम से इस योजना के तहत स्वर्ण आयात के लिए एसटीएच/पीटीएच को अनुमति दी थी। इन्हें महानिदेशक विदेशी व्यापार (डीजीएफटी) द्वारा नामित एजेंसियों के रूप में पंजीकृत किया जाना था।

आरबीआई द्वारा परिपत्र, दिनांक 28 नवंबर 2014 के माध्यम से इस योजना को वापस ले लिया गया था।

(क) 20: 80 योजना के अंतर्गत स्वर्ण आभूषण का आयात

आरबीआई के परिपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2013 के संबंध में स्वर्ण को स्वर्ण डोर सहित किसी रूप/शुद्धता में 20:80 योजना के अंतर्गत आयात करने की अनुमति दी गई थी। तथापि, आरबीआई परिपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2014 के माध्यम से 20:80 योजना की परिधि से आभूषण/माऊंटिंग के रूप में स्वर्ण के आयात की अनुमति नहीं दी गई थी।

महानिदेशक (प्रणाली) से प्राप्त स्वर्ण आभूषण आयात पर पूरे भारत के डाटा के विश्लेषण से पता चला कि स्वर्ण आभूषण के आयात में 20:80 योजना की अवधि के दौरान पर्याप्त वृद्धि हुई थी। 20:80 योजना की अवधि (अर्थात 14 अगस्त 2013 से 27 नंवबर 2014) के दौरान औसत मासिक आभूषण आयात में जब 20:80 योजना प्रचालन में नहीं थी तब ₹ 25.48 करोड़ के औसत मासिक आभूषण आयात से ₹ 425.05 करोड़ तक की वृद्धि हुई थी जैसाकि परिशिष्ट 4 में दर्शाया गया है। फिर से स्वर्ण आभूषण के औसत आयात में 20:80 योजना की वापसी के बाद पर्याप्त रूप से गिरावट आई थी।

हमारी राय में 20:80 योजना अवधि के दौरान किसी सीमा के बिना स्वर्ण आभूषण के आयात की अनुमति ने घरेलू आभूषण उद्योग को प्रभावित किया था जिसमें काफी संख्या में कामगार तैनात थे।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (दिसंबर 2015) में बताया कि सीमा शुल्क ने आरबीआई परिपत्र**,** दिनांक 1 जुलाई 2014 के जारी होने के पश्चात आभूषण के आयात की अनुमति नहीं दी थी।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 20:80 योजना अवधि के दौरान बिना किसी सीमा के स्वर्ण आभूषण के निर्यात की अनुमति और आरबीआई के स्पष्टीकरण दिनांक 01 जुलाई 2014 ने तत्पश्चात 20:80 योजना के प्रचलन के दौरान स्वर्ण आभूषण के आयात में अचानक वृद्धि के परिणामस्वरूप 20:80 योजना में अभिप्रेत सीएडी को न्यूनतम करने के उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सका। इसके अलावा यह घरेलू आभूषण उद्योग, जो लाखों कारीगरों को रोजगार देता है, के हितों के विरूद्ध भी था।

(ख) 20:80 योजना के अंतर्गत स्वर्ण आयात की अनियमित अनुमति

आरबीआई परिपत्र दिनांक 14 अगस्त 2013 के संबंध में निर्यातकों को स्वर्ण आपूर्ति करने के पिछले अभिलेख न रखने वाले नामित बैंकों/एजेंसियों/रिफाईनरियों और अन्य सत्त्वों को 20:80 योजना के अंतर्गत पहले लोट हेतु स्वर्ण के आयात के लिए आदेश देने से पूर्व आरबीआई से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मै. डायमण्ड इंडिया लिमिटेड (डीआईएल) ने वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2012-13 में निर्यातकों को किसी स्वर्ण की आपूर्ति नहीं की थी, अत: यह 20:80 योजना के अंतर्गत स्वर्ण आयात का हकदार नहीं था। तथापि, डीजीएफटी, नई दिल्ली ने 20:80 योजना के अंतर्गत प्रथम दो लोट के लिए मुम्बई, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर और कोची प्रत्येक स्थान पर 100 किग्रा. स्वर्ण बार के आयात हेतु डीआईएल को अनुमति प्रदान की थी। जो आरबीआई परिपत्र दिनांक 14 अगस्त 2013 के उल्लंघन में है।

डीआईएल ने मुम्बई में 700 किग्रा. स्वर्ण बार (निर्धारणीय मूल्य ₹ 178.82 करोड़) का आयात किया था। डीआईएल द्वारा 20:80 अवधि (14.08.2013 से 27.11.2014) के दौरान अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर तथा कोची स्थानों पर वास्तव में आयात किए गए स्वर्ण की मात्रा के ब्यौरें विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं कराए गए हैं।

हमारे विचार से डीजीएफटी द्वारा 20:80 योजना के अंतर्गत स्वर्ण बार के आयात हेतु डीआईएल को अनुमति देना अनियमित था। आयातित स्वर्ण के आयातों, निर्यातों एवं डीटीए बिक्री की जांच की जानी चाहिए और लेखापरीक्षा को सूचना के तहत एफटीडीआर अधिनियम के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में बताया कि डीआईएल को केवल 600 कि.ग्रा; के आयात हेतु अनुमति आरबीआई परिपत्र दिनांक 14 अगस्त 2013 के अनुसार और परिपत्र में निर्धारित मानदंड के अनुसार उनकी हकदारी के आधार पर सक्षम अधिकारी के अनुमोन से दी गई थी। इसके अतिरिक्त, मै. डीआईएल द्वारा अनुमति का उपयोग नहीं किया गया था क्योंकि सरकार ने आरबीआई परिपत्र दिनांक 28 नवम्बर 2014 के माध्यम से स्वर्ण के आयात पर सभी प्रतिबद्धताओं को वापस ले लिया था।

लेखापरीक्षा को सत्यापन हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए।

(ग) 20:80 योजना के अंतर्गत आरबीआई द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के विभिन्न संग्रहों में विसंगति

आरबीआई का परिपत्र दिनांक 22 जुलाई 2013, स्वर्ण के आयात को घटाकर सीएडी को नियंत्रित करने और विदेशी मुद्रा के परिणामी बहिर्वाह के मद्देनजर देश में स्वर्ण और स्वर्ण बार के आयात पर कतिपय प्रतिबद्धताएं लगाई थी और अधिकृत आयातकों के पालन हेतु कतिपय शर्तें निर्धारित की थी। आरबीआई के परिपत्र दिनांक 14 अगस्त 2013 मे स्वर्ण के आयात हेतु दिशानिर्देशों को संशोधित किया था। इस परिपत्र में एसटीपी/पीटीएच को 20:80 योजना की परिधि से बाहर रखा गया था और इन्हें केवल निर्यात उद्देश्य के लिए स्वर्ण आयात की अनुमति दी गई थी। बाद में आरबीआई ने भारत सरकार के साथ परामर्श से एसटीएच/पीटीएच को डीजीएफटी,

आरबीआई, डीआरआई और पीटीएच/एसटीएच के मतों पर विचार करने के पश्चात 21 मई 2014 को 20:80 योजना के तहत स्वर्ण आयात करने की अनुमति दी थी। तथापि, डीओआर/सीबीईसी की अनुमति नहीं ली गई थी, यद्यपि, डीओआर के पास एसटीएच/पीटीएच को 14 अगस्त 2013 को जारी पिछले आरबीआई परिपत्र के समय पर स्वर्ण आयात की अनुमति देने पर प्रबल सुरक्षित अधिकार थे। लेखापरीक्षा का मत है कि डीओआर के विचार महत्वपूर्ण थे क्योंकि स्वर्ण नीति ने सरकार के कर प्रशासन को प्रभावित किया था। जीजेईपीसी, रत्न एवं आभूषण निर्यातों के प्रोत्साहन हेतु शीर्ष निकायों में से एक ने भी घरेलू क्षेत्र में स्वर्ण के आयात और बिक्री के लिए एसटीएच/पीटीएच को अनुमति देने के विचार का विरोध किया था।

यह देखा जा सकता है कि पीटीएच/एसटीएच की आयात हकदारी 20:80 योजना के शुरू होने से पूर्व पिछले 24 माह में उनके द्वारा आयातित उच्चतम मात्रा पर आधारित थी, जबकि बैंको/नामित एजेंसियों की आयात हकदारियां पिछले वर्षों के दौरान निर्यातों द्वारा निर्धारित की गई थी। योजना के विश्लेषण से पता चला कि इस योजना में एचटीएच/पीटीएच के पक्ष में भेदभाव निहित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 20:80 योजना को पीटीएच/एसटीएच तक विस्तारित करने के परिणामस्वरूप जून 2014 से नवम्बर 2014 के दौरान स्वर्ण के आयात में उछाल आया जिसने सीएडी को कम करने के 20:80 योजना के उद्देश्य को निष्फल कर दिया। औसत मासिक स्वर्ण आयात में 2.74 गुणा तक की वृद्धि हुई थी। ट्रेडिंग घरानों द्वारा आयात के और अधिक विश्लेषण से पता चला कि मुख्य ट्रेडिंग घरानों ने अधिसूचना का लाभ उठाया और आरबीआई द्वारा दी गई छूट के बाद बड़ी मात्रा में आयात किया (परिशिष्ट 5)।

यह देखा जा सकता था कि पीटीएच/एसटीएच के आयातों में तुलनीय अवधि के दौरान तीन गुणा से अधिक वृद्धि हुई थी। जून 2014 से नवम्बर 2014 के दौरान कुल स्वर्ण आयात 533 एमटीएस था इसमें से 282.77 एमटीएस अर्थात कुल स्वर्ण आयातों का लगभग 53 प्रतिशत, 13 ट्रेडिंग घरानों द्वारा किया गया था। इसके अलावा शीर्ष सात ट्रेडिंग घरानों ने 20:80 अवधि के

दौरान कुल स्वर्ण आयात का लगभग 50 प्रतिशत किया था। अत: योजना के अंतर्गत स्वर्ण आयात के लिए पीटीएच/एसटीएच को अनुमति से लाभों पर कुछ कारबार घरानों का एकाधिकार हो गया।

चयनित पीटीएच/एसटीएच के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि पीटीएच/एसटीएच नगण्य या बिना मूल्य संवर्धन के अधिकतर सादा स्वर्ण आभूषण, चूड़ियों या पदकों का निर्यात करते थे। 24 कैरेट के स्वर्ण आभूषण के निर्यात के मामले भी देखे गए थे। कई मामलों में सादा आभूषण का निर्यात स्वर्ण की प्राप्ति के उसी दिन या 1 से 3 दिनों के अंदर किया गया था। निर्यात संबंधित पार्टियों को भी किया गया था। कुछ प्रेषणों को अगले ही दिन प्राप्त किया जा रहा था। इन एजेंसियों द्वारा सादा आभूषण के रूप में नाममात्र मूल्य संवर्धन के बिना ही उत्पादों के निर्यात की संभावना से बचा नहीं जा सकता। यें निर्यातक बहुत कम अंतरालों पर लगातार निर्यातों द्वारा स्वर्ण की उच्च मात्रा का आयात कर रहे थे ताकि 20:80 योजना के 80 प्रतिशत के घटक के प्रति उनकी घरेलू बिक्री हकदारी को अधिकतम किया जा सके। डीआरआई ने यह भी देखा की निर्यात दायित्व को मुख्यत: मशीन से बने सादा आभूषण, अर्थात चूड़ियां तथा चैन, द्वारा पूरा किया जाता था जिन्हें विदेश में पुन: पिघलाया जाता है और पुन: आयात के उद्देश्य हेतु प्रारम्भिक बार के रूप में ढाल दिया जाता है।

महानिदेशक (प्रणाली), नई दिल्ली (परिशिष्ट 6) द्वारा प्रस्तुत निर्यात डाटा के विश्लेषण से पता चला कि सादा स्वर्ण आभूषण के औसत मासिक निर्यात में 20:80 योजना के अंतर्गत दी गई छूट के पश्चात 3.5 गुणा की वृद्धि हुई। तथापि, विभाग द्वारा आंतरिक विश्लेषण में दर्शाया गया कि सादा स्वर्ण आभूषण के निर्यात में छूट के पश्चात वास्तव में 10 गुणा से अधिक की वृद्धि हुई थी।

इसके अतिरिक्त, निर्यातकों की स्थिति रखने वाले एसटीएच/पीटीएच ने किसी कैप के बिना बड़ी मात्रा में स्वर्ण का आयात किया और घरेलू बाजार में इसकी आपूर्ति की जिससे नियम विरूद्ध स्थिति को बढ़ावा मिला।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(घ) अधिसूचना के बिना 20:80 योजना के अंतर्गत नए परिशोधकों का समावेशन

आरबीआई परिपत्र दिनांक 14 फरवरी 2014 में प्रावधान किया गया है कि डीजीएफटी एक अधिसूचना के माध्यम से नए परिशोधकों को शामिल और उनके लिए लाइसेंस मात्रा नियत कर सकता था।

डीजीएफटी, नई दिल्ली के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि सात[8] परिशोधकों ने पहली बार गोल्ड डोर बार के आयात हेतु आयात अधिकार के लिए आवेदन किया था। डीजीएफटी द्वारा इन सात परिशोधकों के लिए 13.8 एमटी की कुल मात्रा हेतु आयात अधिकारों के लिए लिखित अनुमोदन पर 07.03.2014 को सहमति दी गई थी। इन नए परिशोधकों को आयात अधिकार जारी किए गए थे और इन्हें डीजीएफटी के अनुमोदन के आधार पर 20:80 योजना के अंतर्गत लाया गया था। तथापि, सरकार द्वारा 20:80 योजना के अंतर्गत इन परिशोधन शालाओं को शामिल करने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। यह आरबीआई द्वारा उनके दिनांक 14 फरवरी 2014 के इसके परिपत्र में निर्धारित प्रक्रिया के उल्लंघन में है।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में स्वीकार किया कि परिशोधन शालाओं की सूची को अधिसूचित करने के लिए डीजीएफटी में कोई प्रक्रिया/पद्धति नहीं है क्योंकि प्रत्येक बार एक नई परिशोधनशाला लाईसेंस/अधिकार के लिए आवेदन करती हैं, अत: समय-समय पर अनुमत की जाने वाली मात्रा भिन्न होगी जो पूर्व-निर्धारित नहीं हो सकती। इसके अलावा उन्होंने बताया कि परिशोधन शालाएं नामित एजेंसियो से भिन्न हैं क्योंकि परिशोशक को वास्तविक उपयोक्ता की शर्त पूरी करनी होती है और इसलिए निकाले गए स्वर्ण की मात्रा के बारे में उत्पाद शुल्क प्राधिकरण और सीमा शुल्क प्राधिकरण को स्वर्ण डोर के उपयोग के ब्यौरे प्रस्तुत करता है। अत: यह उचित समझा गया कि स्वर्ण डोर के आयात हेतु लाईसेंस/अधिकार,

---

[8] मै. भंडारी गोल्ड एण्ड ज्वैलर्स प्रा. लि, श्री सूर्या रिफाइनरी, उत्तराखण्ड, मल्टीविजन, मुम्बई, पारेख इन्डस्ट्रीज लि, मुम्बई, राजेश एक्सपोटर्स लि. बैंगलोर, डायमण्ड फोरएवर इंटरनेशनल, मुम्बई और चेम्मनूर गोल्ड रिफाइनरी लि. कोचीन।

अधिसूचना जारी करने और बाद में सूची में परिशोधनशालाओं के नाम डालने की बजाय परिशोधन क्षमता के अनुसार मामले के आधार पर दिए जाते है।

डीजीएफटी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पहले से परिशोधनशालाओं को अधिसूचित न करके सीबीईसी, जीजेईपीसी, आरबीआई जैसी अन्य एजेंसियों को दायरे से बाहर रखा गया था।

(ङ) 20:80 योजना के अंतर्गत किया गया अनियमित निर्यात

आयातित स्वर्ण के प्रत्येक परेषण के लिए आरबीआई के परिपत्र, दिनांक 14 अगस्त, 2013 के साथ पठित बोर्ड के परिपत्र दिनांक 4 सितम्बर, 2013 के अनुसार कम से कम 20 प्रतिशत मात्रा केवल निर्यातको आपूर्ति की जानी थी।

इसके अलावा एचबीपी ने अनुबंध किया है कि निर्यातकों को स्वर्ण आभूषण के निर्यात के प्रमाण के समर्थन में अन्य दस्तावेजों सहित एसबी की निर्यात संवर्धन (ईपी) प्रति प्रस्तुत करनी थी और ऐसे निर्यातकों से 90 दिनों के अंदर इससे बनाए गए आभूषण का निर्यात करना अपेक्षित था।

(i) एयर कार्गो कॉम्पलैक्स, मुंबई में, मै. डायमण्ड इंडिया लिमिटेड मुम्बई ने 20:80 योजना के अंतर्गत 7वें लोट के 100 कि.ग्रा. स्वर्ण का आयात किया (अक्तूबर 2014)। निर्यातकों को आपूर्ति किए गए 30 कि.ग्रा. स्वर्ण में से 18 कि.ग्रा. स्वर्ण के प्रति किया गया निर्यात स्वर्ण के निर्गम से पूर्व दर्शाया गया था।

दि बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया, मुम्बई के मामले में भी समान आपत्ति देखी गई थी, जहां इसमें 20:80 योजना के अंतर्गत 3000 कि.ग्रा. स्वर्ण का आयात किया था (अगस्त 2014)। इसमें से 10 कि.ग्रा. स्वर्ण सितम्बर 2014 में निर्यातक को जारी किया गया था। इस स्वर्ण के प्रति किए गए निर्यात को स्वर्ण के निर्गम से पूर्व दर्शाया गया था।

स्वर्ण की प्राप्ति से पूर्व किया गया उपरोक्त निर्यात अनुक्रम में ही नहीं था और इसलिए आयातक दोनों मामलों में ₹ 72.87 लाख के शुल्क भुगतान का दायी था।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में बताया कि (i) डीआईएल के मामले में स्वर्ण की आपूर्ति मै. भिंडी मैन्युफैक्चरर को 17 अक्तूबर 2014 को

की गई थी, न की 20 अक्तूबर 2014 को, जैसाकि लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया तथा उक्त को एसबी, दिनांक 17 अक्तूबर 2014 में दर्शाया गया था। अत: निर्यात स्वर्ण की प्राप्ति से पूर्व नहीं किया गया था। (ii) मै. नोवा स्कोटिया बैंक के मामले में सत्यापन और की गई कार्रवाई के आधार पर उचित उत्तर भेजा जाएगा।

मै. भिंडी मैन्युफैक्चरर को 17 अक्तूबर 2014 को आपूर्ति की तिथि के संबंध में सीबीईसी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, जैसाकि एसीसी, मुम्बई में बॉड सैक्शन में अनुरक्षित रजिस्टर से स्पष्ट है, जिसने दर्शाया कि स्वर्ण की आपूर्ति 20 अक्तूबर 2014 को की गई थी। यद्यपि, यह माना गया कि स्वर्ण की आपूर्ति 17 अक्तूबर 2014 को की गई थी, तब भी उसी तिथि को निर्यात संदेहास्पद है क्योंकि स्वर्ण आभूषण के विनिर्माण में कई प्रक्रियाएं शामिल होती है। इसके लिए व्यापक जांच की आवश्यता है। मै. नोवा स्कोटिया बैंक के संबंध में विस्तृत उत्तर भी प्रस्तुत किया जाए।

(ii) ब्याज सहित ₹ 18.46 लाख के शुल्क निहितार्थ के साथ कोचीन एयर कस्टम्स कमिश्नरी के अंतर्गत आने वाले मै. एमएमटीसी लिमिटेड के मामले में समान आपत्ति देखी गई थी।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में बताया कि मै. एमएमटीसी लिमिटेड को अधिसूचना दिनांक 08 मई 2000 के संबंध में यथोचित अधिकारी द्वारा विस्तारण दिया गया था और माल को पुन: निर्यात किया गया था तथा अधिसूचना के संबंध में माल पर कोई शुल्क देयता शामिल नहीं की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एचबीपी के अनुसार निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए किसी विस्तारण की अनुमति नहीं दी गई थी।

(iii) कोलकाता में दो नामित एजेंसियों (एनए) इंडसइंड बैंक तथा एक्सिस बैंक के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि निर्यातों के एसबीज की ईपी प्रतियां (इंडसइंड बैंक-16 एसबीज तथा एक्सिस बैंक-15 एसबीज) उनके पास उपलब्ध नहीं थी। निर्यातों के प्रमाण के रूप में एसबीज की इन ईपी प्रतियों

के अभाव में ₹ 9.40 करोड़ का आनुपातिक आयात शुल्क संबंधित एनएज से वसूली योग्य था।

तत्पश्चात, एक्सिस बैंक लिमिटेड ने अपने उत्तर (17.08.2015) के माध्यम से एसबीज की केवल 03 ईपी प्रतियां प्रस्तुत की थी और एसबीज की शेष ईपी प्रति प्रस्तुत करने के लिए अपनी असमर्थता व्यक्त की थी।

लेखापरीक्षा को अंतिम परिणाम की सूचना दी जाए।

(iv) बोर्ड के परिपत्र, दिनांक 4 सितम्बर, 2013 में अनुबंध किया गया कि तीसरे परेषण के बाद से स्वर्ण डोर बार के आयात की अनुमति उस मात्रा के केवल 5 गुणा तक दी जानी थी जिसके लिए आयातक द्वारा निर्यात का प्रमाण दिया गया था और यह प्रोदभूत आधार पर किया जाना था।

मै. कुंदन केयर प्रोडक्टस लि. ने 12 नवम्बर 2013 को 210.70 कि.ग्रा. स्वर्ण डोर बार के आयात के प्रति 28 नवम्बर 2013 को 26 कि.ग्रा. सादा स्वर्ण आभूषण का प्रथम निर्यात किया था। इसके अलावा, इकाई ने पिछले आयातों के प्रति निर्यात दायित्व को पूरा किए बिना 20 जनवरी 2014 तथा 21 जनवरी 2014 को क्रमश: 28.87 कि.ग्रा. तथा 76.80 कि.ग्रा. स्वर्ण डोर बार का आयात किया था।

इस प्रकार, निर्यात दायित्व को पूरा किए बिना 103.67 कि.ग्रा. के परेषण के लिए आयातों हेतु इकाई को अनुमति देना अनियमित था और इकाई विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के अंतर्गत शास्ति के लिए दायी थी।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में बताया कि ऐसा प्रतीत हुआ कि मै. कुंदन केयर प्रोडक्टस लि. हरिद्वार ने पिछले आयातों के निर्यात दायित्व को पूरा करने के बाद 103.667 कि.ग्रा. स्वर्ण डोर बार के परेषण का आयात किया है।

उत्तर सुसंगत नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने पिछले आयातों के लिए निर्यात प्रमाण प्रस्तुत किए बिना तीसरे परेषण के आयात हेतु आयातकों को अनुमति देने से संबंधित अभ्युक्ति दी है। मंत्रालय विशेष उत्तर प्रस्तुत करें।

(v) सहायक कमिश्नर केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क डिवीजन, रामपुर ने स्वर्ण डोर बार के आयात तथा स्वर्ण/चांदी बार एवं सिक्कों के विनिर्माण हेतु मै. श्री साई विश्वास पोलीमर्स को अक्तूबर 2013 में अनुमति दी थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इकाई ने जून 2014 से अगस्त 2014 की अवधि के दौरान ₹ 7.08 करोड़ के निर्धारणीय मूल्य के 29.12 कि.ग्रा. स्वर्ण डोर बार का आयात किया था और ₹ 1.77 करोड़ के निर्धारणीय मूल्य के 7.51 कि.ग्रा. सादे स्वर्ण आभूषण का निर्यात किया था जिसके लिए स्वर्ण आभूषण के विनिर्माण हेतु केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग से अनुमति नहीं ली गई थी। तदनुसार, इकाई एफटीडीआर अधिनियम तथा फेमा के तहत शास्ति के लिए दायी थी।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(च) स्थिति प्रमाण पत्र देने हेतु आरबीआई, सेज तथा डीजीएफटी द्वारा जारी परिपत्रों तथा एसटीएच तथा पीटीएच को नामित एजेंसी के प्रमाण पत्र में विसंगति

व्यापारी के साथ-साथ विनिर्माता निर्यातकों, सेवा प्रदाताओं, इओयूज, सेज, ईएचटीपीज, एसटीपीज, बीटीपीज और एग्री-एक्सपोर्ट जोन में स्थित इकाईयों को एसटीएच/पीटीएच की स्थिति के लिए पात्र होना था। इसके अलावा एफटीपी (2009-14) के अनुसार स्थिति स्वीकृति ईपी पर निर्भर करती थी। एसटीएच की स्थिति के लिए और पीटीएच हाऊस के लिए न्यूनतम निर्धारित ईपी क्रमशः ₹ 2,500 करोड़ तथा ₹ 7,500 करोड़ थी। निर्यात निष्पादन को मौजूदा जमा पिछले तीन वर्षों (एक साथ लिया गया) के दौरान वसूली गई निर्यात प्राप्तियों के एफओबी मूल्य के आधार पर संगणित किया जाना था।

आरबीआई परिपत्र दिनांक 14 फरवरी 2014 ने 20:80 योजना की परिधि से अग्रिम अधिकार (एए)/शुल्क मुक्त आयात अधिकार (डीएफआईए) के अंतर्गत किसी आयात को छोड़ दिया गया था। तथापि, आरबीआई ने 21 मई 2014 को एसटीएच/पीटीएच को 20:80 योजना के अंतर्गत स्वर्ण आयात की अनुमति दी थी। इसके अलावा,स्वर्ण/स्वर्ण पदक में डील करने वाली सेज इकाईयों के लिए नियामक कार्यविधि को सुदृढ़ करने के लिए डीओसी ने निर्णय लिया (दिनांक 25 अप्रैल 2013) कि स्वर्ण में संव्यवहार करने वाले सेज इकाईयों को

किसी डीटीए संव्यवहारों की अनुमति नहीं दी गई थी। सेज इकाईयों को निर्यात कार्यकलाप के लिए भी स्वर्ण में व्यापार करने के लिए अनुमति नहीं दी गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन कारबार घरानों ने सेज इकाईयों से निर्यातों के माध्यम से या डीएफआईए लाईसेंस के अंतर्गत निर्यातों के प्रति स्टार/प्रीमियर व्यापार घराना प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए अपेक्षित न्यूतम टर्नओवर प्राप्त कर लिया था, जिन पर नीचे चर्चा की गई है। चूंकि सेज इकाईयों को डीओसी के निर्णय दिनांक 25 अप्रैल 2013 के संबंध में डीटीए में व्यापार के लिए स्वर्ण आयात की अनुमति नहीं दी गई है, अत: सेज से निर्यातों के माध्यम से अर्जित पीटीएच/एसटीएच स्थिति को डीटीए को आपूर्ति करने हेतु स्वर्ण आयात की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और उनके आयातों को सेज में उपयोग हेतु प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

तथापि, न तो आरबीआई परिपत्र, दिनांक 21 मई 2014 और न ही डीओसी ने इस संबंध में सेज/इओयू नियमों/प्रावधानों में कोई संशोधन किया था। इसके अतिरिक्त, आरबीआई स्पष्टीकरण दिनांक 14 फरवरी 2014 के अनुसार डीएफआईए के अंतर्गत निर्यात 20:80 योजना के अंतर्गत और अधिक आयात हेतु पात्रता निर्धारण के लिए हकदार नहीं था। तथापि, डीएफआईए के अंतर्गत किए गए पिछले निर्यातों को प्रस्थिति और नामित एजेंसी प्रमाणपत्र देने के लिए छोड़ा नहीं गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि व्यापार घरानों ने विभिन्न विभागों द्वारा जारी किए गए परिपत्रों में विसंगति का लाभ उठाया था और अपनी स्थिति या तो सेज से निर्यातों को मिलाकर या डीएफआईए के अंतर्गत निर्यातों द्वारा प्राप्त की थी। इसके परिणामस्वरूप वे 20:80 योजना के तहत् स्वर्ण आयात हेतु पात्र बन गए थे और उन्होंने घरेलू क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा की बिक्री की। कुछ निदर्शी मामलों की व्याख्या निम्नलिखित है:

लेखापरीक्षा को सत्यापन हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कराया जाए।

(i) मै. एडलवाइस कमोडिटीज सर्विसेज लि. (औपचारिक रूप से मै. एडलवाइस ट्रेडिंग एण्ड होल्डिंग लिमिटेड) ने एसटीएच के लिए आवेदन करते

समय ₹ 2,537.17 करोड़ के अपने निर्यात कारोबार की घोषणा की थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ₹ 2,479.75 करोड़ मूल्य का निर्यात मणिकंचन सेज, कोलकाता के माध्यम से किया गया था और केवल ₹ 57.42 करोड़ सेज छोड़कर इकाईयों के माध्यम से किया गया था। अत: स्टार ट्रेडिंग हाऊस के रूप में और निर्यातक की नामित एजेंसी के रूप में आबंटित स्थिति सही नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप 20:80 योजना के दौरान 19,000 कि.ग्रा. (₹ 4,699 करोड़) तक के स्वर्ण बार का आयात हुआ जिसमें से 15200 कि.ग्रा. स्वर्ण बार की खपत घरेलू उपयोग के लिए हुई।

इसके अलावा, यह भी देखा गया कि तत्कालीन कंपनी मै. एडलवाइस ट्रेडिंग एण्ड होल्डिंग लिमिटेड (आईईसी सं. 0909004790) ने प्रास्थिति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया था और प्रास्थिति प्रमाणपत्र 06 सितम्बर 2011 को जारी कर दिया गया था तथा बाद में प्रमाणपत्र को मै. एडलवाइस कमोडिटिज सर्विसेज लि. (आईईसी सं. 0307050521) के पक्ष में संशोधित कर दिया गया था। यह उल्लेख करना उचित है कि एफटीपी 2009-14, प्रास्थिति प्रमाणपत्र के भिन्न आईईसी वाले अन्य सत्त्व को हस्तांतरित करने की अनुमति नहीं देता क्योंकि स्टार ट्रेडिंग प्रमाणपत्र निर्यातकों को उनके स्वयं के निर्यात निष्पादन हेतु जारी किया गया था।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि वर्ष 2010-11 (₹ 406.41 करोड़) और 2011-12 (₹ 2,130.76 करोड़) के समान निर्यात कारोबार का दावा दोनों कंपनियों, अर्थात मै. एडलवाइस ट्रेडिंग एण्ड होल्डिंग लिमिटेड तथा मै. एडलवाइस कमोडिटिज सर्विसेज लि. द्वारा किया गया था और जिनमें से दोनों को समान सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित किया गया था। किसी भी परिस्थिति में, एक निर्यात निष्पादन का दावा तदनुसार दो कंपनियों द्वारा नहीं किया जा सकता, इस कारण से सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र सही नहीं था। निर्यातक के साथ-साथ सीए द्वारा प्रमाणित ब्यौरों की जांच के लिए डीजीएफटी में तंत्र उपलब्ध नहीं था।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में बताया कि इस संबंध में यह बताया गया है कि नए सत्त्व के नाम का समर्थन समामेलन/विलयन के आधार पर परिसम्पतियों/देयता के हस्तांतरण के कारण आन्ध्र प्रदेश के

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रास्थिति प्रमाणपत्र पर किया गया था।

डीजीएफटी का उत्तर निर्यातक के साथ-साथ सीए द्वारा प्रमाणित ब्यौरों को सत्यापित करने के लिए तंत्र न रखने के मामले का समाधान नहीं करता।

(ii) मै. श्री गणेश ज्वेलरी हाऊस (आई) लि. ने अप्रैल 2011 से अप्रैल 2014 तक के दौरान ₹ 19,754.74 करोड़ के घोषित निर्यात कारोबार के आधार पर 26 मई, 2014 को पीटीएच के लिए आवेदन किया था। यह प्रास्थिति अपर, डीजीएफटी, कोलकाता द्वारा 6 जून, 2014 को दी गई थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि दर्शाए गए ₹ 19,754.74 करोड़ के कुल निर्यात कारोबार में से ₹ 17981.23 करोड़ इसकी सेज इकाईयों के माध्यम से थे। अत: डीओसी के निर्णय, दिनांक 25 अप्रैल, 2013 के उल्लंघन में दिया गया प्रास्थिति धारक प्रमाणपत्र सही नहीं था, इसके परिणामस्वरूप निर्यातक को अनभिप्रेत लाभ और 20:80 योजना के अंतर्गत उनके द्वारा 400 कि.ग्रा. के स्वर्ण बार (98.75 करोड़) का परिणामी आयात हुआ जिसमें से 320 कि.ग्रा.घरेलू क्षेत्र में आपूरित किया गया था।

एफटीडीआर अधिनियम, 1992 के संबंध में उपरोक्त इकाईयां शास्ति के लिए दायी थी। सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 112 के अंतर्गत शास्ति भी उदग्रहणीय थी।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)

(छ) शुद्धता के संबंध में किसी मूल्य संवर्धन के बिना निर्यात दायित्व पूरा करने के लिए कोई प्रतिमान नहीं

20:80 योजना के अंतर्गत मै. राजेश एक्सपोर्टस प्रा.लि. ने स्विटजरलैड और युनाइटेड अरब अमीरात से 68,500 कि.ग्रा. स्वर्ण का आयात किया और 20 प्रतिशत निर्यात मानदंड को पूरा करते हुए यूनाइटेड अरब अमीरात को 13,700 कि.ग्रा. मेडल और चूड़ियों का निर्यात किया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्यात दायित्व को 24 कैरेट शुद्धता के मेडल और चूड़ियों के निर्यात द्वारा पूरा किया गया है। यह दर्शाता है कि आयातित स्वर्ण (24 कैरेट शुद्धता) को निर्यात उत्पादों में पर्याप्त मूल्य संवर्धन के बिना 24

कैरेट शुद्धता के मैडल एवं चूड़ियों में निर्यात किया गया था। बार में आयात किए गए माल को ही समान शुद्धता (24 कैरेट) के स्वर्ण मैडल तथा अन्य वस्तुओं में परिवर्तित किया गया था ताकि निर्यात दायित्व को पूरा किया जा सके। मूल्य संवर्धन प्रावधान के अभाव में स्वर्ण बार के आयातों/निर्यातों की राऊड ट्रिपिंग के जोखिम से बचा नहीं जा सकता।

हमारे विचार से निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए योजना में राऊंड ट्रिपिंग के जोखिम को कम करने हेतु एफटीपी में निर्धारित नियमित मूल्य संवर्धन की बजाय विशिष्ट न्यूनतम मूल्य संवर्धन मानदंड शामिल किया जाना चाहिए।

(ज) छूट की अनियमित अनुमति

20:80 योजना 28 नवम्बर 2014 से वापस ली गई थी

मै. राजेश एक्सपोर्टस के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि इकाई ने बीई, दिनांक 28 नवम्बर, 2014 के माध्यम से ₹ 121.44 करोड़ के निर्धारणीय मूल्य के 500 कि.ग्रा. स्वर्ण का आयात किया और उसे भंडारित किया। इकाई ने 20:80 योजना के अंतर्गत 100 कि.ग्रा. तथा 400 कि.ग्रा. स्वर्ण हेतु घरेलू खपत के लिए 2 दिसम्बर 2014 को प्रविष्टि को दो एक्स बांड बिल फाइल किए। इकाई ने 400 कि.ग्रा. स्वर्ण पर ₹ 10 करोड़ के शुल्क का भुगतान किया और योजना के अंतर्गत 100 कि.ग्रा. स्वर्ण के लिए ₹ 2.50 करोड़ की छूट प्राप्त की थी, जो कि अनियमित है, चूंकि, 20:80 योजना को 28 नवम्बर, 2014 से तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया था।

मै. रिलायंस इन्डस्ट्रीज लि. के मामले में भी इसी प्रकार की अनियमितता देखी गई थी, जिसने एक्स-बीई, दिनांक 22 जनवरी 2015 के माध्यम से ₹ 2.49 करोड़ के निर्धारणीय मूल्य के 10 कि.ग्रा. भंडारित स्वर्ण की निकासी की थी और 73 लाख की शुल्क छूट का दावा किया था।

₹ 27 लाख के ब्याज सहित ₹ 3.23 करोड़ का छोड़ा गया शुल्क आयातकों से वसूलीयोग्य था

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(झ) बैंक उगाही प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना बॉण्ड का निरस्तीकरण (बीआरसीज़)

बोर्ड परिपत्र, दिनांक 4 सितम्बर, 2013 के अनुसार, निर्यातक द्वारा एफटीपी में निर्धारित अवधि के अंदर उनको जारी किए गए शुल्क मुक्त स्वर्ण से निर्मित आभूषण का निर्यात करने हेतु निर्यात का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना था। अनुदेशों में निर्दिष्ट था कि उन निर्यातों से संबंधित भुगतानों की वसूली सीमा शुल्क अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

एचबीपी खण्ड के अनुसार नामित एजेंसियों द्वारा आपूर्ति के प्रति निर्यात कीमती धातु के ऋण आधार पर स्वर्ण की एकमुश्त खरीद/निर्गमन की तिथि से 90 दिनों की अधिकतम अवधि के अंदर किया जाना था।

इसी प्रकार, यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 8 मई, 2000 के संबंध में सीटीएच 7106 के अंतर्गत आने वाले स्वर्ण को कतिपय शर्तों के अध्यधीन 'नामित एजेंसियों द्वारा आपूर्ति के प्रति निर्यात' की योजना के अंतर्गत समग्र सीमा शुल्क से छूट दी गई थी।

सात नामित एजेंसियों ने 20:80 योजना की प्रचालन अवधि के दौरान चेन्नई एयर और कोयम्बतूर एयर सीमा शुल्क के माध्यम से स्वर्ण बार (995 शुद्धता) के 54 परेषणों का आयात किया था और निर्यातकों को 20 प्रतिशत या मात्रा से अधिक की आपूर्ति की थी जिसमें स्वर्ण आभूषण का विनिर्माण और निर्यात शामिल था। नामित एजेंसियों ने किए गए शिपमेंट के लिए निर्यातों के प्रमाण के रूप में केवल शिपिंग बिलों की प्रति ही प्रस्तुत की थी। तथापि, प्राधिकारियों द्वारा उगाही के बैंक प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए आग्रह नहीं किया गया था।

इसी प्रकार से, मैसर्स बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया ने 2010-11 से 2012-13 (अगस्त 2013 तक) की अवधि के दौरान कोयक्बतूर हवाई सीमाशुल्क द्वारा स्वर्ण की छड़ों (995 की शुद्धता) के 40 प्रेषणों का आयात किया था और इसे स्वर्ण के आभूषणों के निर्यातकों को दिया था। तथापि, बीआरसी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी।

निर्यात बाध्यता पूरी करने के रूप में और संबंधित निर्यातकों से बीआरसी पर आग्रह किए बिना बॉड को रद्द करते हुए विचार करने हेतु विभाग की कार्रवाई सही नहीं थी चूँकि छूट का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भुगतान स्थिति के शेष को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा से उगाही किया जाना था।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में कहा कि आयात करने वाले बैंकों को उनके द्वारा 'निर्यात के प्रमाण' के तौर पर प्रस्तुत किए गए एसबीज के लिए बीआरसीज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है और उसकी निगरानी की जा रही है।

लेखापरीक्षा को अंतिम परिणाम सूचित किया जा सकता है।

2.4 निवल विदेशी मुद्रा अर्जन (एनएफईई)

(क) एनएफई की गणना में विदेशी मुद्रा के भुगतान पर डीटीए से की गई अधिप्राप्ति के मूल्य का शामिल न करना

एसईजेड नियम, 2006 के अनुसार, विदेशी मुद्रा में भुगतान के प्रति डीटीए को एसईजेड इकाईयों द्वारा की गई माल की आपूर्ति को एनएफई गणना के लिए एसईजेड के लिए निर्यात के रूप में माना गया है। तथापि, एनएफई गणना के उद्देश्य के लिए आयात के रूप में विदेशी मुद्रा में भुगतान पर डीटीए से एसईजेड द्वारा की गई अधिप्राप्ति के मानने के लिए एसईजेड नियमों में कोई प्रावधान विद्यमान नहीं है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डीसी, सुरसेज, सूरत के तहत चार इकाइयों ने विदेशी मुद्रा में किए गए भुगतान के प्रति डीटीए से ₹ 2,292.03 करोड़ के मूल्य के माल की अधिप्राप्ति की थी। एफई के उसी बहिवहि के समावेशन के लिए प्रावधान की अनुपस्थिति में, इन इकाईयों के लिए निकाले गए एनएफई पर, हमारे मत में विदेशी मुद्रा में किए गए लेन-देन की सही स्थिति नहीं दर्शाता है।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(ख) अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत विदेशी मुद्रा अर्जन की उच्च लागत

2010-11 से 2014-15 के दौरान 99.5 प्रतिशत शुद्धता की स्वर्ण की छड़ के अायात और जारी 0.999 उत्कृष्टता की चॉदी की छड़ के लिए सीएलए,

दिल्ली के तहत तीन आयातकों को जारी अग्रिम प्राधिकरण/डीएफआईए लाइसेंस के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि पॉच मामलों में, निर्यातकों द्वारा अर्जित निवल विदेशी मुद्रा (एनएफई) के संबंध में स्वर्ण की छड़/चॉदी की छड़ के आयात पर छोड़े गए शुल्क की तुलना पर यह देखा गया था कि निर्यातक द्वारा 1 यूएस $ के अर्जन के समर्थन में सरकार ने ₹ 56.67 से ₹ 221.75 (परिशिष्ट 7) की रेंज में छोड़े गए शुल्क के रूप में व्यय वहन किया था जो कि अवधि के दौरान खुले बाजार में यूएस $ की विनिमय दर से अधिक था। सरकार द्वारा निवल विदेशी विनिमय और छोड़े गए शुल्क के अर्जन के बीच अंतर के लिए मुख्य कारण का तथ्य यह था कि एचबीपी के अनुसार आभूषण निर्यातक द्वारा न्यूनतम मूल्य संवर्धन 1.5 से 5 प्रतिशत की सीमा के बीच होना आवश्यक है जबकि जब स्वर्ण की छड़ को आयातित किया गया था, इसलिए छोड़ा गया/माफ किया गया शुल्क 10 प्रतिशत था। इस प्रकार, विभाग विदेशी विनिमय अर्जनों के माध्यम से अर्जित की जा रही से अधिक राजस्व राशि को छोड़ रहा था।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में कहा कि एक उत्पाद के निर्यात के प्रति अग्रिम प्राधिकरणों को अनुमत करने के लिए मुख्य उद्देश्य इनपुट्स के शल्क मुक्त आयातकी अनुमति करना था (इनपुट्स) के लिए स्वीकार्य अपव्यय को अनुमत करने के बाद ताकि इन इनपुट्स का उपयोग निर्यातकों द्वारा किया जाये और इनपुट्स का उपयोग करने के बाद एक विशिष्ट समय के अन्दर निर्यात उत्पाद का निर्यात किया जाए। यदि निर्यातक पूरी मात्रा मे निर्यात करने में असफल हो जाता है तो वह सीमाशुलक का भुगतान करने का दायी हो जाता हैं और इनपुट्स पर ब्याज उसके पास रहता है। आगे, अपव्यय जो कि 2009-14 एफटीपी में अनुमत थे को नये एफटीपी में कम कर दिया गया है और न्यूनतम वीए को कुछ निर्यात उत्पादों के लिए बढ़ा दिया गया है। तथापि, मूल्य संवर्धन का निर्णय लेते समय; एक मामला जो उभर कर आया था वह था कि यदि बहुत उच्च मूल्य संवर्धन प्रतिमान निर्धारित किए गए हैं तब भारत से निर्यात प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे चूंकि भारत से निर्यातकों को अन्य देशों के निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। इस प्रकार, इस पहलू को ध्यान में रखते हुए मूल्य संवर्धन निर्धारित किए गए थे।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि अग्रिम प्राधिकरण अथवा किसी भी निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत आयात पर छोड़ा गया शुल्क देश के निर्यात को बढ़ाने और देश के लिए पर्याप्त एफई की उगाही करने के लिए अनुमत होता है। जब उगाही किया गया एनएफई छोड़े गए शुल्क से कम होता है तब इसका राजकोषीय प्रबंधन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। बहुत कम मूल्य संवर्धन ने आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र में उत्पादन करने में सहायता नहीं की थी और वापसी यात्राओं के लिए रास्ता खोलते हुए स्फीत व्यापार डाटा प्रवृत्त किया था।

सिफारिश सं 3: *सीबीईसी शुल्क सरंचना के यौक्तिकीकरण पर विचार कर सकती है ताकि विदेशी मुद्रा अर्जन एफटीपी के तहत कम से कम छोड़ गए शुल्क के सम मूल्य पर हो सके।*

2.5 सीमाशुल्क की ईडीआई प्रणाली

(क) आईसीईएस 1.5 का गैर-कार्यान्वयन

(i) भारतीय सीमाशुल्क इलैक्ट्रॉनिक डाटा विनियम प्रणाली (आईसीईएस) ने सभी कमिश्नरियों में आयातों और निर्यातों के विवरणों को केप्चर किया। यह निर्धारणों की गति बढ़ाने, पारदर्शिता उन्नत करने और डाटा के भण्डार के रूप में कार्य करने के लिए प्रस्तावित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि हालॉकि कीमती नौभार सीमा शुल्क निकासी केन्द्र (पीसीसीसीसी) के पास एक समर्पित सर्वर था फिर भी निर्यातों के लिए सीमाशुल्क क्लीयरेंस से संबंधित सम्पूर्ण डाटा को अब भी हस्त्य रूप से रखा जाता है। 28 नवम्बर 2013 को आयातों से संबंधित लेन-देनों को ईडीआई (आईसीईएस 1.5) के साथ एकीकृत किया गया था।

चूंकि देश के अधिकांश आयात और निर्यात लेन-देन पीसीसीसीसी द्वारा संचालित किए जाते है, इसलिए और ईडीआई प्रणाली में डाटा को अभिग्रहण नहीं करने के परिणामस्वरूप जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) और उच्च जोखिम नौभार की जांच के लिए विभाग द्वारा प्रारम्भ की गई पश्च् अनुपालन लेखापरीक्षा (पीसीए) की संवीक्षा से बच गये। हमारी राय में, ईडीआई के साथ निर्यात लेन-देन के एकीकरण में विलम्ब ने कर अपवंचन

और अवमूल्यांकन/ अधिक मूल्यांकन के जोखिम को बढ़ा दिया है जिन्हें आईसीईएस 1.5 के प्रारम्भ करते हुए करने की मांग की गई थी।

इसके अतिरिक्त, सरकार की विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत तदनरूपी निर्यात बाध्यताओं के साथ किए गए आयात अधिकतर निगरानी हुए बिना रहे चूँकि निर्यात डाटा को प्रणाली में अधिग्रहित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि गोल्ड डोर छडों के आयात से संबंधित सभी लेन-देन को हस्त्य रूप से किया जाता है चूंकि ईडीआई प्रणाली में लाइसेंस से संबंधित प्रविष्टि और नामे के बिल को बनाने के लिए कोई सुविधा नहीं है इसलिए आरएमएस, पीसीए, विशेष मूल्यांकन शाखा (एसवीबी), डीआरआई एवं अन्य प्राधिकरियों के द्वारा परिकल्पित नियंत्रण तंत्र को उपयोग में नहीं लाया जा रहा। डीजीएफटी भी उनकी प्रणाली के माध्यम से विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं लाइसेंसों के प्रति आयातों का पता लगाने के योग्य भी नहीं थी चूंकि डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली सीमाशुल्क प्रणाली से जुड़ी हुई नहीं है।

इसी प्रकार सूरत हीरा सर्राफा पर सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा ईडीआई सुविधा को अब भी समर्थ करना था। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने देखा कि ईडीआई सुविधा की अनुपस्थिति में, आयात/निर्यात के ब्यौरो के रखरखाव के लिए रजिस्टर ही एक मात्र अभिलेख है जिसके आधारा पर विभिन्न आतंरिक रिपोर्टें बनाई गई है को बनाई गई रिपोर्ट विवरणियों पर शायद ही कोई आश्वासन देते हुए किसी सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा कोई प्रमाणिकता नहीं दी जा रही थी।

हवाई कार्गो कॉम्प्लेक्स, इंदौर में, ईडीआई प्रणाली के प्रतिष्ठापन के बाद भी आईसीईएस 1.5 प्रणाली प्रचालित नहीं की गई थी।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में कहा कि गोल्ड डोर बार सहित कीमती नौभार को संसाधित करने के लिए सुविधा सहित नवम्बर 2013 से आयात में और 2015 से निर्यात में आईसीईएस 1.5 को पहले से ही कार्यान्वित कर दिया गया है और कुछ साइट्स पर सिस्टम का उपयोग किया जा रहा हैं।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है चूंकि पीसीसीसीसी पर निर्यात के लिए आईसीईएस 1.5 अब भी कार्यान्वयन के अन्तर्गत है क्योंकि ईपी प्रति को सिस्टम के माध्यम से सृजित नहीं किया जा रहा है जिसे डीजी प्रणाली द्वारा स्वीकृत किया गया है। पीसीसीसी पर आयात और निर्यात की 100 प्रतिशत जांच के संबंध में, विभाग ने उस उद्देश्य के लिए कोई परिपत्र जारी नहीं किया न तो अनिवार्य जांच के लिए प्रणाली द्वारा कोई अनुदेश दिए गए है। पीसीसीसी में गोल्ड डोर बार को अब भी हस्त्य रूप से संसाधित किया जाता है।

(ii) एचबीपी के संबंध में, सादे जड़ाऊ आभूषणों के निर्यात के दौरान, सीमाशुल्क प्राधिकरणों को प्रस्तुत किए गए एसबीज और बीजक में मद का विवरण, इसकी शुद्धता, सोना/चॉदी/प्लैटनम पदार्थ का भार, उस पर दावा किया गया अपव्यय,, सोना/ चॉदी/प्लैटिनम पदार्थ का कुल भार एवं दावा किया गया अपव्यय और सोना/चॉदी की 0.995/0.999 शुद्धता के संबंध में इसकी समान मात्रा और प्लैटिनम की 0.9999 शुद्धता और इसके मूल्य, निर्माण में प्रयुक्त कीमती अर्धकीमती रत्न हीरे/मोती का मूल्य, और सोना/चॉदी अलौईंग के लिए प्रयुक्त कोई भी अन्य कमिती धातु, निर्यातों का एफओबी मूल्य और प्राप्त हुआ मूल्य संवर्धन के विवरण शामिल थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सादे/जड़ाऊ आभूषणों के निर्यात के संबंध में सभी एसबीज को चेन्नई और कोयम्बेतूर कमिश्नरी में हस्त्य रूप से फाइल किया गया था। इसके अलावा, पर्याप्त मात्रा में हाथ गाड़ी द्वारा निर्यातित सोने के आभूषणों के लिए एसबीज को भी हस्तय रूप से फाइल किया जाता है।

उच्च मूल्य वाली मद होने के नाते, हाथ गाड़ी द्वारा सोने के आभूषणों के निर्यात के लिए एसबीज को समायोजित करने के लिए आईसीईएस 1.5 प्रणाली के विस्तार के लिए विभाग आवश्यक कदम उठा सकता है ताकि इस प्रकार के लेन-देन से जुड़े जोखिम को नियंत्रित करने के लिए शिपिंग बिलों की हस्त्य फाइलिंग से बचा जाये।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में कहा कि सभी क्षेत्रीय फॉर्मेशनों की सामान्य आवश्यक्ता को ध्यान में रखते हुए आईसीईएस में सुधार किया जा रहा है। तदनुसार, डाटा की अनावश्यक प्रविष्टि से बचने के लिए बीईज

और एसबीज आदि को मानकीकृत किया जाता है। मानकीकृत फॉर्मेट में अतिरिक्त डाटा के समावेशन के लिए इस प्रकार के डाटा को दस्तावेजों के संसाधन से लिंक करने के लिए अतिरिक्त मॉड्यूल पर ध्यान पूर्वक विचार और विकास की आवश्यक्ता है। इसके अतिरिक्त एसीसी दिल्ली सहित बहुत सी ईडीआई साइट्स इस प्रकार के निर्यात को आईसीईएस पर संसाधित कर रही है। सीबीईसी ने यह भी कहा कि बोर्ड इस प्रकार के प्रेषण के लिए निर्यात के एक वैकल्पिक प्रमाण को परिभाशित करने (जो कि स्वचालन के लिए सहायक है) पर विचार कर सकता है।

अंतिम परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित किया जा सकता है।

(ख) आईसीईएस 1.5 प्रणालियों में दरों के संशोधन में विलम्ब

देश को अथवा देश से किये गये आयात और निर्यातों का निर्धारण करते समय बोर्ड निर्धारण अधिकारी द्वारा अपनाए जाने वाले टैरिफ मूल्य, शुल्क दरों और मुद्रा विनिमय दर में समय-समय पर परिवर्तन अधिसूचित करता है।

सीमाशुल्क में ईडीआई प्रणाली के प्रारम्भ करने के बाद अधिकतम निर्धारण न्यूनतम मानव व्यवधान सहित प्रणाली द्वारा किया जाता है। इस प्रकार यह न केवल महत्वपूर्ण है, कम/अधिक निर्धारण के जोखिम को कम करने के लिए सिस्टम प्रबंधक द्वारा किसी विलम्ब के बिना प्रणाली में टैरिफ मूल्य, शुल्क दरों और विनियम मूल्य दरों में उन परिवर्तनों को प्रभावी करना भी आवश्यक है।

(i) हवाई कार्गो कॉम्प्लेक्स, मुम्बई, एसीसी, बैंगलोर, चेन्नई हवाई सीमाशुल्क और दिल्ली हवाई अड्डे के आयात डाटा के विश्लेषण से पता चला कि जैसा कि बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया गया है टैरिफ मूल्य या विनिमय दर या दोनों को आईसीईएस 1.5 प्रणाली में अद्यतित नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप सही टैरिफ मूल्य का गैर अभिग्रहण हुआ जिसमें आयातित सोने की छड़ों पर 2012-13 से 2014-15 की अवधि के लिए ₹ 16.82 करोड़ का ब्याज और शुल्क का कम उदग्रहण शामिल था।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में कहा कि एसीसी, बैंगलोर के मामले में, 17 आयातकों द्वारा कम प्रदत्त ₹ 3.87 करोड़ के शुल्क में से, 3

आयातकों से ₹ 9 लाख के ब्याज सहित चार आयातकों (एक्सिस बैंक, एमएमटीसी, राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड और टाइटन इंडस्ट्रीज लिमिटेड) से ₹ 25 लाख वसूल किए गए हैं। मैसर्स राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड को ₹ 29,573 के ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। मैसर्स इंडसइंड बैंक लिमिटेड को ब्याज सहित ₹ 0.32 करोड़ की वसूली के लिए एससीएन जारी किया गया है। ब्याज के सहित ₹ 3.30 करोड़ की वसूली के लिए शेष 12 आयातकों को एससीएन जारी करने की प्रक्रिया में है।

(ii) 21 जनवरी 2013 की अधिसूचना के माध्यम से बोर्ड ने 21 जनवरी 2013 से प्रभावी सोने की छड़ के आयात पर बीसीडी दर को 4 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक संशोधित कर दिया था।

बैंगलोर हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा और अहमदाबाद हवाई अड्डे के आयात डाटा लेखापरीक्षा के विश्लेषण से पता चला कि नौ आयातकों ने 21 जनवरी 2013 को ₹ 457.64 करोड़ के निर्धारणीय मूल्य के 12 बीईज (16 मदों) के द्वारा 1528.25 किलो सोने की छड़ को बेचा था। तथापि, आईसीईएस 1.5 प्रणाली में गैर-अद्यतित अधिसूचना निदेशिका के कारण, ये बीईज 6 प्रतिशत के ब्याज 4 प्रतिशत के शुल्क की निम्न दर पर निर्धारित किए गए थे, जिसके परिणास्वरूप ₹ 9.43 करोड़ के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में कहा कि दिनांक 21 जनवरी 2013 को अधिसूचना का जारी करना 9.25 अपराहन पर सूचित किया गया था और उसी दिन 9.45 अपराहन पर अद्यतित किया गया था। चूँकि यह आईसीईएस 1.0 में था, इसलिए यह 22.01.2013 को 00:00 घंटे से प्रभावी हुआ था। एसीसी बैंगलोर के मामले में मैसर्स इंडसइंड बैंक लिमिटेड के द्वारा कम प्रदत्त ₹ 1.23 करोड़ की वसूली के लिए उनको एससीएन जारी होने की प्रक्रिया में है।

सीबीईसी ने आगे कहा कि मानक प्रचालन पद्धति (एसओपी) अधिसूचना निर्देशिकाओं के समय से अद्यतन के लिए 11 जून 2015 को जारी की गई थी। आगे, तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए बोर्ड ने पीयर लेखापरीक्षा का एक नया तंत्र अनुमोदित किया है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिसूचना 21 जनवरी 2013 को अस्तित्व में आई थी और यह साथ ही साथ आईसीईएस प्रणाली पर अद्यतित हो जानी चाहिए थी ताकि यह फील्ड फार्मेशनों द्वारा कार्यान्वित की जा सके। सिस्टम पर अधिसूचना के जारी होने और इसके अद्यतन के बीच समय-अंतराल के कारण राजकोष को राजस्व की हानि हो सकती है।

(ग) यात्री द्वारा लाए गए पण्य पर शुल्क के निर्धारण के लिए कम्प्यूटराईज्ड प्रणाली

लेखापरीक्षा ने देखा कि एसवीपी, अंतर्राष्ट्रिय हवाई अड्डा अहमदाबाद पर यात्रियों द्वारा लाये गए सामान के लिए सीमा शुल्क का हस्त्य रूप से निर्धारण किया जाता है। यात्रियों का विवरण जैसे कि नाम, विदेश में रहने की अवधि, वस्तु का विवरण और मूल्य, वस्तु पर उदग्रहण शुल्क आदि को शुल्क डेबिट रजिस्टर (डीडीआर) वाउचर में हाथ में भरा जाता है जिसके बाद वाउचर पर निर्धारित शुल्क को बैंक में जमा किया जाता है और माल को यात्री को सौंप दिया जाता है। यात्री द्वारा लाए गए पण्य पर शुल्क के निर्धारण के लिए कोई कम्प्यूटराईज्ड प्रणाली विद्यमान नहीं है।

बेहतर पारदर्शिता लाने के लिए विभाग एक प्रणाली विकसित कर सकता है जिसमें कतिपय सूचना का उल्लेख करना जैसे कि लाभ उठाए गए मुफ्त भत्ते का मूल्य और पिछली रवानगी की दिनांक को शुल्क के निर्धारण करने से पहले अनिवार्य किया जा सकता है। इसे प्राप्त किया जा सकता है यदि निर्धारण की प्रणाली कम्प्यूटरीकृत हो जिसमें इस प्रकार की सूचना को प्रसंस्करण से पूर्व अनिवार्य किया जा सके।

इसी प्रकार सांगनेर हवाई अड्डा जयपुर के पास भी यात्री द्वारा लाए गए पण्य पर शुल्क के निर्धारण के लिए कोई कम्प्यूटरीकृत प्रणाली नहीं है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में यह स्वीकारते हुए कि यात्री टर्मिनल पर कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया का नहीं किया गया है कहा कि निर्धारण प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण पहलू की देखा जा रहा है और व्यवहार्य अध्ययन किया जा रहा है, आवश्यक कदम अति प्राथमिकता पर उठाए जाएंगे।

किए जा रहे व्यवहार्यता अध्ययन का अंतिम परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित किया जा सकता है।

सिफारिश सं.. 4: *सीबीईसी सभी उच्च मूल्य और संवेदनशील पण्यों के लिए आईसीईएस 1.5 का शीघ्रताकर से कार्यान्वयन सकती है। ईडीआई प्रणाली को गोल्ड डोर बार के आयात/निर्यात सोने के आभूषणों की निर्यात, हाथ का सामान और डिस्पोजल तक विस्तृत किया जा सकता है। समय में ढंग से इडीआई प्रणाली में टैरिफ मूल्य, विनिमय दर और शुल्क दर के अद्यतन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र को अपनाया जा सकता है।*

2.6 अपर्याप्त व्यापार सरलीकरण

(क) संदेशवाहक आयातों और निर्यातों (निकासी) विनियमों, 1998 के विनियम आयातित (i) पशु एवं उनके भाग, पौधों और उनके भागों; (ii) नाशवान; (iii) भारत की गलत सीमाओं को दिखाने वाला मानचित्रों का प्रकाशन; और (iv) किसी भी प्रकार में कीमती एवं कम कीमती रत्नों, सोना अथवा चॉदी, उनके निष्कासन से पूर्ण नमूनों की जॉच की आवश्यक्ता अथवा सुसंगत सांविधिक या विशेषज्ञ के संदर्भ में प्राधिकारियों को लागू नहीं किया गया था।

विदेशी डाक घर जयपुर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि इकाईयों द्वारा 2010-11 से 2014-15 के दौरान 3970 पार्सलों द्वारा ₹ 43.90 करोड़ के कीमती एवं कम कीमती रत्नों, सोने के आभूषण और चॉदी के आभूषणों को आयातित किया गया था को विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में संदेशवाहक आयात एवं निर्यात निपटान विनियमों वाली 1998 को लागू करते हुए क्लीयर किया गया था।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में कहा कि डाक द्वारा आयातित या निर्यातित माल सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 82,83 और 84 द्वारा सुशासित किया जाता है। डाक द्वारा माल के निपटान की पद्धति 1953 के भारत के अंदर/बाहर विदेशी पत्तनों से डाक संबंधी पार्सलों और पत्र पैकेटों से संबंधित नियमों में निर्धारित है। विदेशी डाक घर के माध्यम से आयात संदेशवाहक आयात एवं निर्यात (निपटान) विनियमावली 1998 द्वारा कवर नहीं होता है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि संदेशवाहक आयात एवं निर्यात (निकासी) विनियमावली 1998 के विनियम 2(1) के अनुसार, विनियम एक वाणिज्यिक प्रतिफल के लिए एक पेरबिती या प्रेषक की और से परिवहन के किसी अन्य माध्यम द्वारा आवक या जावक पर प्राधिकृत कोरियन द्वारा लाए गए माल के निर्धारण और निपटान के लिए लागू होंगे।

(ख) एमओसी द्वारा गठित टास्क फोर्स समिति ने उनके प्रतिवेदन (जनवरी 2011) में लेन-देन लागत को कम करने के लिए देश के विदेशी व्यापार लेन-देनों को प्रभावी करने वाले समय और लेन-देन लागत को कम करने के लिए विभिन्न उपायों का सुझाव दिया था। दिनांक 16 मार्च 2010 को सीमाशुल्क परिपत्र द्वारा निर्यात बाध्यता पूरी करने के विस्तृत सत्यापन को अधिदेशित किया गया। इसके अतिरिक्त दिनॉक 18 जनवरी 2011 के सीमाशुल्क अनुदेश में यह उल्लेखित किया गया कि उन मामलों में जहॉ आरएलए ने निर्यात बाध्यता उन्मुक्त प्रमाण पत्र (ईओडीसी) का समर्थन किया है वहॉ सीमाशुल्क को एसबीज एवं अन्य दस्तावेजों में सत्यापित करना चाहिए।

मुम्बई में, आरएलए मुम्बई सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ईपीसीजी लाइसेंसों के संबंध में ईओडीसी जारी कर रहा था और उसकी प्रति भी सीमाशुल्क ईपीसीजी सेल का और बॉड के निरस्तीकरण के लिए पंजीकरण के संबंधित पत्तन को भी सीधे अग्रेषित की जाती है। तथापि, बॉड निरस्तीकरण आवेदन को फाइल करने के समय पर, लाइसेंस धारक को ईओडीसी पत्र की मूल और सास्यंकित प्रतिलिपि सहित पुनः इन सभी दस्तावेजों को संलग्न कर के सीमाशुल्क को भेजता है। इसलिए वर्तमान प्रक्रिया ऊपर टास्क फोर्स के सुझावों के साथ संरेखित नहीं है क्योंकि लागत घटाने की सिफारिश और विदेशी व्यापार पर समय प्रभाव अभी भी आर्यान्वित नहीं किया गया है।

डीएफजीटी ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में कहा कि वे लेखापरीक्षा आपत्तियों के साथ सहमति में हैं, कि आरए द्वारा एक बार जारी ईओडीसी किसी की आगे दस्तावेजीकरण पर आग्रह किए बिना सीमाशुल्क द्वारा सम्मानित होना चाहिए जब तक कि ऐसा करने का एक अप्रतिरोध्य कारण हो।

सीबीईसी का उत्तर प्रतिक्षित है (जनवरी 2016)।

(ग) दिनॉक 25 अगस्त 2006 के सीबीईसी परिपत्र के अनुसार, आयात/निर्यात परेषणों (दस्तावेज और सभी प्रकार के नौभार) की 100 प्रतिशत स्क्रीनिंग को एक्स-रे अथवा अन्य गैर हस्तक्षेप जॉच (एनआईआई) प्रौद्योगिकि द्वारा करने की आवश्यक्ता थी तथापि, इस प्रकार की कोई सुविधा या तो एक्स-रे या एनआईआई तकनीक उप कमिश्नर (सीमाशुल्क), एफपीओ, जयपुर के कार्यालय में उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा इस कार्यालय में संदेशवाहक द्वारा आयात के संबंध में कम्प्यूटरीकरण भी नहीं किया गया था।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में बताया कि वर्तमान में 11 एक्स-रे बैगेज निरीक्षण प्रणाली (एक्सबीआईएस) प्रणाली विभिन्न स्थानों पर 7 एफपीओज/पीएडीज प्रतिष्ठापित की गई थी और इसके अतिरिक्त 5 और मशीनें प्रतिष्ठापित किया जाना प्रस्तावित हैं।

सीबीईसी स्थान के बारे में बताए जहॉ ये मशीनें प्रतिष्ठापित की और अथवा प्रतिष्ठापित की जानी प्रस्तावित थी।

(घ) संदेशवाहक आपात एवं निर्यात (मंजूरी) विनियमावली, 1998 के विनियम 2 के उप विनियम 2 (बी) के अनुसार ये विनियम ऐसी वस्तुओं पर लागू नहीं होते जहॉ किसी एक पैकेज का वजन 70 किग्रा से अधिक हों।

इसके अतिरिक्त, ये विनियम कटे एवं पालिश किए हुए हीरे के निर्यात, निर्यातोम्मुख इकाइयों, से समय-समय पर संशोधन के अनुसार वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार, द्वारा प्रकाशित निर्यात और आयात नीति की किसी योजना के अंतर्गत रत्न एवं आभूषणों पर लागू होंगे यदि ऐसे निर्यात के अंतर्गत प्रत्येक निर्यात खेप का मूल्य ₹ बीस लाख से अधिक न हो।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 20 लाख से अधिक मूल्य वाले अध्याय 71 के माल के निर्यात पेरषण एवं 70 किग्रा से अधिक वजन वाले और अध्याय शीर्ष 71031029 के तहत कच्चे अर्द्ध-मूल्यवान पत्थरों के आयात परेषण की भी एफपीओ, कार्यालय, जयपुर द्वारा मंजूरी दी गई थी।

सीबईसी ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में बताया कि डाक के माध्यम से आयातित एवं निर्यातित माल सीमाशुल्क अधिनियम 1953 की भारत के अन्दर/बाहर 1962 की धारा 82, 83 और 84 द्वारा शासित होती है। विदेश डाक से पोस्टल पार्सलों और पत्र पैकेटों के संबंध में नियमावली में डाक के माध्यम से माल की मंज़ूरी की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। विदेशी डाक घर के माध्यम से निर्यात कूरियर आयात एवं निर्यात (मंज़ूरी) विनियमावली, 1998 द्वारा कवर नहीं होता। चूँकि डाक माध्यम से आयात एवं निर्यात, सबसे पुरानी प्रथा है, इसलिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 82,83 धारा 84 में ऐसी कोई वित्तीय सीमा नहीं है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि संदेशवाहक आयात एवं निर्यात (निकासी) विनियमावली 1998 के विनियम 2(1) के अनुसार, ये विनियम आवक अथवा जावक वाली उडान पर 'प्राधिकृत कूरियर्स' द्वारा अथवा वाणिज्यिक उपयोग के लिए पेरषिती या परेषक की ओर से किसी अन्य परिवहन के माध्यम द्वारा वहन किए गए माल के निर्धारण एवं निकासी के लिए लागू होंगे। विदेशी डाक उपरोक्त विनियम के उप-विनियम 3(ए) के अनुसार 'प्राधिकृत कूरियर' की परिभाषा के अंतर्गत कवर होते हैं। इस प्रकार विदेशी डाकघर संदेशवाहक आयात एवं निर्यात (निकासी) विनियमावली, 1998 द्वारा कवर होता है।

(ड़) सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अनुसार उचित अधिकारी को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जॉच करने की शक्ति है जो उतरा हो या बोर्ड करने वाला हो अथवा भारतीय सीमाशुल्क जल क्षेत्र के भीतर किसी जहाज पर बोर्ड करने वाला हो तो छुपाए गए माल के लिए संदिग्ध व्यक्ति की जॉच या शरीर का एक्स-रे कर सकता है। इसके अतिरिक्त, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अनुसार, सीमाशुल्क क्षेत्र में अनलोडेड सभी आयातित माल प्राधिकृत व्यक्ति की अभिरक्षा में रहेगी तथा इसे केवल प्राधिकृत व्यक्ति की लिखित अनुमति से ही बाहर ले जाने की अनुमति होगी।

कमिश्नर सीमाशुल्क, सामान्य, क्षेत्र-1, मुम्बई के निवारक विंग के तहत मुंबई पत्तन न्यास में मौजूदा प्रणाली और अपनाई गई प्रक्रियाओं को लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 'ए' डिवीजन यात्री टर्मिनल पर कोई जॉच मशीन

प्रतिष्ठापित नहीं लगाई गई थी और अधिकारियों को केवल हाथ वाले मेटल डिटेक्र प्रदान किए गए थे। इसके अतिरिक्त, प्रवेश/निकास गेट पर तैनात केंद्रीय औधोगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) अधिकारी केवल सुरक्षा दृष्टिकोण से चालक दल के साथ साथ यात्रियों के सामानों की जॉच कर रहे थे।

आगे यह देखा गया कि विदेशी जहाजों से उतरने वाले यात्रियों को शहर में जाने और वापस आने के लिए अस्थायी पास के साथ बाहर जाने की अनुमति दी गई थी। चालक दल को मुंबई से साइन ऑफ करने की अनुमति दी गई थी, यदि उनकी ड्यूटी अवधि पूरी हो गई हो। यात्री टर्मिनल पर प्रतिष्ठापित जांच मशीन न लगाए जाने के अभाव में सीमाशुल्क अधिकारी यह पता लगाने की स्थिति में नहीं हो सकते कि अस्थायी पास पर अनुमत यात्रियों एवं ड्यूटी समाप्त होने पर साइन ऑफ करने वाले चालक दल के सदस्य अपने साथ कोई शुल्क योग्य अथवा प्रतिबंधित समान तो नहीं ले जा रहे।

यात्रियों/चालक दल को उनके सामान/व्यक्ति को किसी जॉच के बिना निकास की अनुमति लागू शुल्क के भुगतान के बिना शुल्क योग्य माल/प्रतिबंधित माल को बाहर ले जाने के जोखिम से भरा है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में बताया कि जहाजों/पोतों से उतरने वाले यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के लिए कोई सामान स्कैनर नहीं प्रदान किया गया है और एमबीपीटी, मुंबई में स्कैनिंग मशीन प्रतिष्ठापित करने का प्रावधान नहीं है।

अंतिम परिणाम से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए।

(च) सीमाशुल्क नियमपुस्तिका 2014 के अनुसार प्रत्येक मोजूदा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्अेशन या एयर/रेल कार्गोपर कोई भी यात्री द्वारा आयातित किसी अन्य सामानऔर अपनेसामान की पूण्र जॉच के बिना सीमाशुल्क स्टेशन नहीं छोड़ सकता जब तक कि सभी औपचारिकताओं जैसे शुल्क के भुगतान की मंजूरी के पश्चात् सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा अनुमति न दी जाए।

सीमाशुल्क (निवारक) कमिश्नरी, अमृतसर के सीमाशुल्क स्टेशनों अर्थात, एसजीआरडीजेआई हवाई अड्डा आईसीपी अटारी रोड, एलसीएस अटारी रेल के

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि सभी स्टेशनों पर केवल एक्स-रे, मेटल डिटेक्टर प्रतिष्ठापित किए गए थे लेकिन कीमती पत्थरों जैसे हीरे, रत्न एवं अन्य का पता लगाने के लिए कोई तंत्र या कोई अन्य उपकरण उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार, विभाग के पास सोने और सोने के सामान को छोड़ कर हीरे, रत्नों आदि जैसे कीमती रत्नों की तस्करी की जांच करने के लिए उपकरण पर्याप्त नहीं थे।

सीबीइसी अने अपने उत्तर में बताया (दिसंबर 2015) कि आप्रवासन द्वारा यात्री के निर्गम के बाद जहॉ तक हीरे रत्न और अन्य कीमती पत्थरों के पता लगाने के लिए तंत्र की उपलब्धता का संबंध में सीमाशुल्क अधिकारी यात्रियों द्वारा लाए हुए सारे सामान मदों का एक्स-रे करते हैं और स्वयं यात्री मैटल डिटैक्टर के दरवाजे से गुजरते हैं। यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक है कि कीमिती धातु और रत्नों के एक्स-रे में पहचान योग्य संकेत होते हैं। यदि एक्स-रे के दौरान कोई शंका पैदा होती है, तो यात्री के सामान को चिन्हित कर दिया जाता हे और जांच के लिए भेजा दिया जाता है। सीमाशुल्क इस उद्देश्य हेतु स्टेशन पर स्निफर डॉग भी रखती है। उपर्युक्त उल्लिखित उपायों के अतिरिक्त यात्री की प्रोफाईलिंग भी की जाती है और विभिन्न आसूचना एजेंसियों के साथ गहन संपर्क रखती है और यात्री की कोई संदेहास्पद गतिविधि देखने पर, उसकी कठोर जांच की जाती है।

(छ) एक भारतीय यात्री जो एक वर्ष से अधिक से विदेश में रह रहा है, पुरूष यात्री के मामले में ₹ 50,000 कुल मूल्य तक का वास्तविक सामान एवं महिला यात्री के मामलें में ₹ 1 लाख तक का शुल्क मुक्त सामान या आभूषण लाने की अनुमति है।

भारतीय मूल का कोई यात्री (विदेशी राष्ट्रीय नागरिक भी) अथवा पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत जारी वैध पासपोर्ट धारक यात्री जो विदेश में 6 महीने से अधिक रहकर न आया हो, के बाद भारत में आया हो को शुल्क के भुगतान जिसे विदेशी मुद्रा में दिया जाना है, पर सामान के रूप में सोने और चॉदी की विनिर्दिष्ट मात्रा आयात करने की अनुमति है।

देवलदल्ली हवाईअड्डा पर वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिए सामान प्राप्तियों की लेखापरीक्षा जॉच से पता चला कि कई मामलों में विदेश में रूकने

की अवधि दर्ज नहीं थी। इसके अतिरिक्त, इसे रिकार्ड करने के लिए सामान रसीद में कोई कॉलम उपलब्ध नहीं है।

चूँकि भारत लाई जाने वाली अनुमत मात्रा, विदेश में रहने की अवधि पर निर्भर है, इसलिए प्रावधानों के दुरूपयोग को कम करने के लिए समान प्राप्ति बही में विदेश में रहने की अवधि का कॉलम अवश्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में बताया कि सभी अधिकारियों को ऐसी सामान रसीद तैयार करके जारी करने का अनुदेश दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विदेश में रूकने सहित सभी ब्यौरों का उनके द्वारा बनाई गई सामान रसीद में निरपवाद रूप से उल्लेख किया गया है।

तथापि, जारी अनुदेशों की प्रति लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी।

2.7 सेज में गतिविधियॉ

(क) सेज से सादे सोने के आभूषणों का निर्यात

दो मामलों में, लेखापरीक्षा ने देखा कि सोने की छड़ों को आयात करने की प्रक्रिया में उत्पादन इकाईयों तक उनकों पहुॅचना और खरीदारों को उनको निर्यात करना इकाइयों द्वारा घोषित निर्यात को आयात की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर संदेह का कारण देते हुए बहुत कम समय में पूरा किया गया था।

डीसी, नोएडा ने सोने के आभूषण के विनिर्माण के लिए मैसर्स एसआरएस लिमिटेड के पक्ष में एक एलओए जारी (जुलाई 2010) किया था। ईकाई ने नवम्बर 2013 से मार्च 2015 के दौरान सोने की छड़ों से विनिर्मित 923.60 कि.ग्रा की शुद्ध सोने के आभूषणों को निर्यातित किया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्यातों की तिथि से केवल एक या दो दिन पहले इकाई ने सोने की छड़ों को आयातित किया था। आयातित सोने की छड़ों से सोने के आभूषणों का विनिर्माण और उनका निर्यात, इंदिरा गॉधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा (आईजीआई) नई दिल्ली एवं एनसेज पर आयात औपचारिकताओं को पूरा करने, आयात के पत्तन से इकाई तक परिवहन सोने की छड़ों से सोने के आभूषणों का विनिर्माण, एनसेज पर निर्यात औपचारिकताओं को पूरा करना और फिर इस मामले में लक्षण आईजीआई के पत्तन से निर्यात करना जैसी

विस्तृत प्रक्रिया की मॉग करता है। उपरोक्त उल्लिखित सम्पूर्ण प्रक्रिया एक या दो दिन में पूरी की गई है।

इसकी प्रतिष्ठापति क्षमता के परे इकाई द्वारा सोने के आभूषण का विनिर्माण और प्रत्यक्षतः एक या दो दिन की लघु अवधि में जॉच करने की आवश्यक्ता है।

आगे, यद्यपि इकाई ने प्रति दिन 25 कि.ग्रा के सादे सोने के आभूषणों के विनिर्माण की उत्पादन क्षमता घोषित की थी और 18 एसबीज के प्रति दिन 25 कि.ग्रा से अधिक मूल्य के सोने के आभूषणों को निर्यात किया था जो दर्शाता है कि इकाई उसे डीटीए से उसे प्राप्त करते हुए सोने के आभूषणों का निर्यात कर सकती थी।

एक अन्य मामले में, मैसर्स कुंदन केयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने नवम्बर 2013 से नवम्बर 2014 की अवधि के दौरान हरिद्वार गुड़गॉव में अपनी सहयोगी इकाई को 1815 कि.ग्रा सोने की छड़े हस्तांतरित की थी। और गुडगॉव में विनिर्माण के बाद सोने के आभूषण निर्यात किए थे। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला की छड़ों का निर्यात किया था जिसे 103 बिजकों द्वारा निर्यात की दिनांक से केवल एक दिन पूर्व हरिद्वार से प्राप्त किया गया था।

हरिद्वार से गुड़गॉव तक परिवहन से गतिविधियों की श्रंखला गुडगॉव इकाई पर सभी विनिर्माण प्रक्रिया को पूरा करते हुए और निर्यात औपचारिकता एक दिन में संभव नही प्रतीत होती हैं। इस प्रकार, इकाई द्वारा निर्मित सोने के आभूषणों को निर्यात की जांच की आवश्यक्ता हैं।

विभाग एफटीपी के तहत निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के प्रावधानों को पुनः देख सकता है और योजनाओं के तहत संदेह वाले आयात और निर्यात से बचने के लिए उचित जॉच एवं संतुलन लागू कर सकता हैं।

सीबईसी ने मै. कुन्दन केयर प्रॉडक्ट्स लि., हरिद्वार के संबंध में अपने उत्तर में बताया (दिसम्बर 2015) कि मामले में गहराई से समन्वित जांच की आवश्यकता है। तथापि इस मामले में जांच प्रारम्भ की जा रही है और जांच समाप्त होने पर जांच के परिणाम से सूचित किया जाएगा।

अन्तिम परिणाम से लेखापरीक्षा को सूचित कराया जाए।

(ख) सेज नियमों में वास्तविक अपव्यय सुनिश्चित करने हेतु तंत्र न होना तथा मूल्य संवर्धन के प्रावधान का अभाव

एचबीपी ने रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में मूल्य संवर्धन ईओयूज निर्धारित किए थे। तथापि, सेज नियमावली 2006 में ऐसे कोई प्रावधान नहीं हैं और इसलिए सेज में रत्नों एवं आभूषण इकाईयों को अन्य निर्यातकों/ईओयूज की तुलना में एक लाभकारी अवस्था में रखा गया है। इसके अतिरिक्त निर्धारित मूल्य संवर्धन की प्राप्ति में असफलता की दशा में, ईओयूज को वीए की गैर-उपलब्धि के अनुपात में छोड़ गए शुल्क की राशि-का भुगतान करना दायी था, जबकि, सेज में इकाईयों को केवल एक सकारात्मक मूल्य संवर्धन प्राप्त करने की आवश्यक्ता है। इस रिपार्ट के पैराग्राफ 2.4 (बी) में लेखापरीक्षा ने यह मत दिया है कि जब वसूला गया एनएफई अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत छोड़ गए शुल्क से कम है तो इसका राजकोषीय प्रबंधन पर एक सीधा प्रभाव है। यह स्थिति सेज इकाईयों के लिए भी प्रबल हो सकती है।

लेखापरीक्षा ने कोचीन सेज से संबंधित आयात/निर्यात डाटा का विश्लेषण किया और पाया कि मैसर्स राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड ने सोने के 86.18 प्रतिशत का आयात किया और कोचीन विशेष आर्थिक ज़ोन से निर्यात के 83.84 प्रतिशत का योगदान दिया है। 2007-08 से 2013-14 की अवधि के डाटा विश्लेषण से पता चला कि कुल 1108 निर्यात परेषणों में से इकाई ने एचबीपी में प्रावधान के अनुसार 112 परेषणों में 1.5 प्रतिशत मूल्य संवर्धन किया। शेष 996 मामलों में से 554 मामलों में प्राप्त किया गया मूल्य संवर्धन 1.5 प्रतिशत से कम था और 412 परेषणों में 200,775,820 अमेरिकी डॉलर की नकारात्मक मूल्य वृद्धि हुई थी। इसके अलावा, निर्यातित माल की वास्तविक शुद्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकती क्योंकि सीसेज में निर्यातित माल की शुद्धता की जॉच के समय पर उस समय कोई तंत्र नहीं था। चूँकि मै. राजेश स्सपोर्ट्स लि. सीसेज में सोने का प्रमुख आयातक/निर्यातक था, इसलिए रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में न्यूनतम मूल्य संवर्धन निर्धारण करने हेतु सेज नियमों में प्रावधान के अभाव ने विदेशी मुद्रा अर्जन का वांछित उद्देश्य असफल कर दिया।

इसी प्रकार सात सेज इकाईयों (4 नोएडा सेज और 3 मनिकंचन सेज) इओयूज़ के लिए निर्धारित वीए प्राप्त नहीं कर सके हालॉकि वे एनएफई प्राप्त कर चुके हैं।

डीजीएफटी ने सिफारिश के उत्तर में बताया (दिसम्बर 2015) कि डीओसी द्‌वारा कार्रवाई की जानी है क्योंकि सेज अधिनियम/नियमों में परिवर्तन की आवश्यक्ता है।

अंतिम परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित किया जा सकता है।

(ग) तस्करी गतिविधियों को रोकने के लिए अपर्याप्त सेज नियमावली

अनुचित आयात, गलत-उद्‌घोघोषणा आदि के कारण माल जब्त करने और कारण बताओ सूचना जारी करने के बाद मामलों का फैसला करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ करने के लिए विभाग ने सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 लागू किया। राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) निबिद्ध सामान और सीमाशुल्क के अपवंचन से बच सकने वाले सामान जिसमें सोना, चॉदी हीरे और अन्य कीमती और कम कीमती धातु और रत्न शामिल है, की तस्करी गतिविधियों को रोकने के लिए कार्य कर रहा है।

2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान, परिशिष्ट आठ में दिये गये ब्यौरा के अनुसार डीआरआई, चैन्नै से प्रभावित जब्ती में वृद्धि वाली प्रवृति थी।

कोचीन सेज में, सोने को अप्राधिकृत रूप से हटाये जाने के दो दृष्टान्त राजस्व आसूचना निदेशालय द्‌वारा निवारक विंग द्‌वारा पाया गया मै अश्विन गोल्ड प्रा. लिमिटेड गणना न किये गये 10.5 कि.ग्रा. सोने के बारे में सूचित किया गया था और मै, राजेश एक्सपोर्ट लिमि. के एक नियोक्ता से 900 ग्रा. सोना जब्त किया जिसे प्राधिकरण बिना सेज परिसरों से बाहर लाया गया था।

सेज द्‌वार से माल का अप्राधिकृत प्रचालन रोकने के लिए सेज में मौजुदा तंत्र तैयार किया गया और यह सूचित किया गया था कि सुरक्षा कार्मिक सामान के अप्राधिकृत प्रचालन रोकने के लिए सेज के द्‌वार पर नियुक्त किये गये थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सुरक्षा कार्मिक किसी सीमाशुल्क बचाव प्रक्रिया चलाने के लिए प्राधिकृत नहीं है और न ही गेट पास डाटा किसी नियंत्रण जांच हेतु सेज आन लाईन डाटा के लिए लिंक किये गये थे।

सेज नियमावली स्वयं-उद्घोघोषणा के रूप में सेज इकाई को स्वतंत्रता प्रदान नहीं करती और इसके द्वारा विनिर्दिष्ट इन सामान की नियमित जांच को भी उनकी सामान्य कार्य प्रणाली चलाते रहने के लिए सीमाशुल्क कार्यकारियों को प्रतिबंधित करती है। रत्न और आभूषण क्षेत्र के संबंध में राजस्व पहलू से संबंधित निहित जोखिमों के मद्देनजर, लेखा परीक्षा का विचार है कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई विभिन्न अधिसूचनाओं और आदेशों के कारण सख्त सीमाशुल्क पर्यवेक्षण/संवीक्षा के अतंर्गत छूट प्राप्त शुल्क का विस्तार किये जाने के किसी भी अन्य योजना के मामलें में एमओसीआई सोने/हीने की गैर कानूनी रूप से हटाने/तस्करी को रोकने के लिए तंत्र आरंभ कर सकता है

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए सीबीईसी ने अपने उत्तर में बताया (दिसंबर 2015) कि संवर्ग पुनः संरचना के बाद संस्वीकृति क्षमता विभिन्न संवर्गो में बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त कार्यकारी क्षमता में भी सुधार हुआ है। मामला निवारक कार्य में नियुक्त कार्यकारियों की मौजूदा रिक्तियों के संबंध में है और उत्तर इन रिक्तियों को भरने के संबंध में मौन हैं।

(घ) सेज इकाईयों द्वारा आयातित सोने/चॉदी का गैर-लेखांकन

प्रत्येक सेज इकाईयां वित्तीय वर्ष-वार उचित लेखे अनुरक्षित करेगी और सेज नियमावली 2006 प्रावधानों के अनुसार ऐसे लेखें में आयातित माल उपयोग किया गया और उत्पादित प्रयुक्त माल निर्यात द्वारा निपटान माल का मूल्य और स्टॉक का शेष स्पष्ट रूप से दर्शाये जाने चाहिए।

(i) एमइपीजैड के अंतर्गत ज्वैलर्स मैगनम (सेज इकाई) ने 2009-10 से 2011-12 की अवधि के दौरान ₹ 1,405.47 करोड़ का मूल्य का माल आयात किया और सोने की खपत 31 मार्च 2012 तक ₹ 7.97 करोड़ का स्टॉक छोड़ते हुए ₹ 1,397.50 करोड़ के सौने की खपत बताई जबकि माल के मूल्य का अंत स्टॉक वर्ष 2011-12 के लिए एपीआर में ₹ 2.87 लाख बताया गया है। चूंकि वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान कोई आयात और निर्यात नहीं किया गया था, इसलिए सामान का वास्तविक स्टॉक और इसका मूल्य उक्त डुटि के मद्देनजर सीमा-शुल्क के विशिष्टि अधिकारी द्वारा निकलने जाने की आवश्यक्ता है क्योंकि सोने के अंत स्टॉक मूल्य पर 10.3 प्रतिशत पर शुल्क ₹ 82.11 लाख कम आंका गया था।

(ii) मै. फोरएवर परिसियस ज्वैलरी एंड डायमंडस लिमिटेड एक सीसेज इकाई ने 2013 में सेज योजना से बाहर निकलने की अनुमति हेतु अनुरोध किया और सूचित किया (मार्च 2014) कि उनके पास 1.304 कि.ग्रा. सोने और 54.730 कि. ग्रा. चॉदी का स्टॉक था। इकाई के अनुरोध पर, विभाग ने सीसेज में अन्य किसी इकाई को उक्त को हस्तांरण करने के लिए अनुमति प्रदान की (मई 2014)।

आयात-निर्यात डाटा से पता चला कि इकाई ने 8985 कि.ग्रा. सोना आयात किया (मार्च 2011 से मार्च 2013) और 75,303 कि.ग्रा. शेष छोड़ते हुए 89,09.697 कि.ग्रा, का निर्यात किया जबकि वास्तविक बताया गया सोने का स्टॉक 1.304 कि.ग्रा. था। डाटा से यह भी पता चला कि इकाई ने उक्त अवधि के दौरान ही उनके द्वारा आयातित 90 किग्रा. चॉदी के कणों के निर्यात नहीं किये थे। जबकि वास्तविक चॉदी स्टॉक 54.730 कि.ग्रा था। अतः इकाई के पास अलेखांकित 73.999 कि.ग्रा. सोने और 35.270 कि.ग्रा. चॉदी कण थे जिस पर उन्हें क्रमशः ₹ 1.89 करोड़ और ₹ 1.22 लाख शुल्क अदा करना दायी है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इकाई को अभी इग्जिट अनुमति नहीं दी गई थी जिसके कारण अलेखांकित सोने और चॉदी के शुल्क के प्रति ₹1.90 करोड़ का राजस्व अवरूद्ध हो गया।

उपरोक्त मामले में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)

(ड़) सेज में परेषणों की प्रत्यक्ष जांच

सेज नियामावली के अंतर्गत किसी उत्पादक या किसी इकाई द्वारा आयात और घरेलू अधिप्राप्ति के निर्धारण स्वयं-उदघोषणा के आधार पर होंगे और निर्यात हकदारी के दावे के अंतर्गत घरेलू टैरिफ क्षेत्र से अधिप्राप्ति के मामले को छोड़कर नियमित जांच के अधीन नहीं होंगे बशर्ते कि कहीं पूर्व आसूचना के आधार पर, जांच आवश्यक हो जाए तो उक्त को विशिष्ट अधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद प्राधिकृत अधिकारी (अधिकारियों) द्वारा किया जाएगा।

जबकि, दिनांक 1 जुलाई 2006 के आरबीआई परिपत्र के अनुसार, सीमाशुल्क प्राधिकारियों को उनके संबंधित बैंकों से निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिभूति प्रेषणों (जीआर) परिपत्र में निर्यातित माल के मूल्य की जांच करना और उनको प्रमाणित करने की आवश्यकता है।

डीसी, एसईईपीजेड, मुम्बई द्वारा प्रस्तुत सूचना से लेखापरीक्षा ने देखा कि 2010-11 से 2013-14 के दौरान एसईजेड इकाईयों ने ₹ 14,738.35 करोड़ का आयात तथा ₹ 41,494.21 करोड़ का निर्यात किया था। सेज इकाईयों द्वारा इन सभी आयातों तथा पुन: आयातों के मामलों के अतिरिक्त, किसी प्रत्यक्ष जांच के बिना अनुमत किए गए थे। तथापि समान सादृश्यता इसके ऋण आधार तथा निर्यातों पर तराशे गए तथा पॉलिश किए गए हीरों के आयातों के मामले की जांच में धारण नहीं की गई यह सत्यापित करने के लिए कि जड़ने में प्रयोग किए गए हीरे समान थे या नही।

सेज नियमावली में प्रत्यक्ष जांच का सक्षम बनाने वाला प्रावधान, विभिन्न सेज पर सीमाशुल्क प्राधिकारियों तथा डीआरआई द्वारा पता लगाए गए कपट/शुल्क अपवंचन के मामलों की दृष्टि में अत्यंत महत्व का है। डीआरआई ने ईओयू/ईपीजेड/एसईजेड में वि.व. 2010 से वि.व. 2014 के दौरान शुल्क अपवंचन के 29 मामलों का पता लगाया।

आगे लेखापरीक्षा ने देखा कि डीसी सूरत एसईजेड ने 22 नवम्बर 2013/1 दिसम्बर 2013पर खाड़ी देशों से /को आयात/निर्यात के मामले में कुल प्रेषण के न्यूनतम 10 प्रतिशत की सीमा तक सोना, स्वर्ण आभूषण तथा अन्य आभूषणों के आयात/निर्यात की क्रम रहित नमूना जांच के लिए निर्देश जारी किए तथा हांगकांग तथा अन्य देशों के लिए जांच तथा शुद्धता जॉच क्रमरहित आधार पर करनी थी। हमारे मत में ऐसे निर्देशों का कोई वास्तविक प्रभाव नहीं होता क्योंकि यह एसईजेड नियमावली 2006 में संशोधन द्वारा प्रोत्साहित नहीं की गई है।

सेज नियमावली में एक सक्षम बनाने वाले प्रावधान की अनुपस्थिति में, विभाग इकाईयों द्वारा किए गए निर्धारणों तथा इसके परिणामस्वरूप संपादित राजस्व की उपयुक्तता को जांचने की स्थिति में नहीं है। अत: एसईजेड नियमावली तथा आरबीआई निर्देशों के बीच एक अंतरण की

आवश्यकता है। इसीलिए एक सेज इकाई द्वारा आयातित/निर्यातित वस्तुओं की प्रत्यक्ष जांच के लिए बोर्ड से किसी नियम या निर्देशों की अनुपस्थिति में आयात/निर्यात में माल का अवनिर्धारण/अधिक निर्धारण खारिज नहीं किया जा सकता तथा उसी प्रकार से, सेज इकईयों द्वारा प्राप्त मूल्य संवर्धन/निवल निवेश मुद्रा (एनएफई) पर निर्भर नहीं हुआ जा सकता।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित हैं (जनवरी 2016)

(च) स्वर्ण पदकों तथा सिक्कों की शुद्धता जांचने के लिए कोई प्रावधान नहीं

एमईपीजेड, चेन्नई में मै. सुराना कोर्पोरेशन लिमिटेड को आभूषण सामग्रियों पदकों तथा किसी कीमती धातुओं के बारो के निर्माण तथा व्यापारिक गतिविधि के लिए एलओए जारी (मई 2008) किया गया। इकाई स्वर्ण पदकों, सिक्को का निर्माण तथा निर्यात करती थी तथा 2013-14 के दौरान निर्माण तथा व्यापार बंद कर दिया था।

एपीआर के अनुसार 2009-10 से 2013-14 के दौरान, इकाई ने ₹ 161.25 करोड़ का एनएफईई प्राप्त किया। हालांकि बैंक प्राप्ति ब्योरे के अनुसार ₹ 298.97 करोड़ की एक राशि दो वर्षों से अधिक की एक अवधि के लिए बकाया थी। यह निर्यात आय की गैर वसूली के कारण ₹ 137.72 करोड़ के समान की नकारात्मक एनएफई की प्राप्ति में परिणत हुई। परिणामस्वरूप निर्यातो की गैर वसूल एफओबी मूल्य के समान स्वर्ण बार के आयात पर विस्तारित ₹ 15.63 करोड़ का छोडा गया शुल्क लागू ब्याज के साथ वसूला जा सकता है।

इसके अलावा, राजस्व आसूचना निदेशालय, चेन्नई ने मै. सुराना कोर्पोरेशन लिमिटेड से इसके एनएससी बोस रोड़, चेन्नई पर स्थित शोरूम परिसर से ₹ 1.40 करोड़ के मूल्य का 5.242 कि.ग्रा. का तस्करी किया हुआ स्वर्ण पकड़ा तथा यह भी पाया कि 408.739 कि.ग्रा. की स्वर्ण परत वाले आभूषण (तांबे से बने आभूषण जिन पर स्वर्ण रंग की परत है) 22 कैरेट स्वर्ण आभूषण के समान मुहर से चिन्हित थे।

सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा सेज से विभिन्न देशों को निर्यातित स्वर्ण पदकों तथा सिक्को (एसबीज में 995 विशुद्धता की शुद्धता के रूप में उल्लिखित) की शुद्धता की जांच करने का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

सिफारिश संख्या 5: *वाणिज्य विभाग एसईजेड इकाईयों द्वारा सेज नियमावली में एक न्यूनतम मूल्य संवर्धन का आदेश देने वाले उपयुक्त प्रावधानों को प्रस्तुत करने का विचार कर सकता है; स्वर्ण आभूषण की शुद्धता हीरों के कैरेट की जांच करने तथा डीटीए में विपथन जांच के नियमित स्टॉक सत्यापन के लिए माल के निश्चित न्यूनतम प्रतिशत की जांच प्राप्त करने के लिए। प्रावधानों में एनएफईई की संगणना के उद्देश्य के लिए डीटीए से (विदेश मुद्रा में भुगतान पर) सेज द्वारा की गई अधिप्राप्तियों का मूल्य सम्मिलित होना चाहिए।*

2.8 मानदण्ड तथा सक्षम करने वाली शर्तों का अभाव

(क) तराशे तथा पॉलिश किए गए हीरे (सीपीडी) के पुन: आयात के लिए समरूप प्रक्रिया का गैर अस्तित्व

सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अनुसार यदि माल निर्यात के बाद भारत में आयातित होता है, ऐसी वस्तुएं शुल्क के लिए दायी है, तथा शर्तों तथा प्रतिबंधों का विषय है, यदि कोई है तो, जिसके लिए सभी प्रकार तथा मूल्य के माल दायी या इसके आयात का विषय है।

उसी प्रकार से, एफटीपी 2009-14 के अनुबंध करता है कि रत्न एवं आभूषण निर्यातक को सीमाशुल्क नियम तथा विनियमों तथा प्रक्रिया हस्तपुस्तिका (एचबीपी) खंड-1 के अन्तर्गत आदेशित प्रक्रिया के अनुसार प्रेषण आधार पर हीरे, रत्न तथा आभूषणों के निर्यात की अनुमति है। आगे , एचबीपी निर्दिष्ट करती है कि प्रेषण आधार पर निर्यातित इन मदों (या सम्पूर्णता में या आंशिक रूप से) का पुन: आयात इस शर्त का विषय है कि निर्यातक सुसंगत सीमाशुल्क अधिसूचना के नियत प्रावधानों का अनुपालन करेगा यह सिद्ध करने के लिए कि माल समान है जो कि निर्यात किया गया है। सीपीडी के पुन: आयात को शासित करने वाली कतिपय महत्वपूर्ण छूट अधिसूचनाएं परिशिष्ट 9 में सारणीबद्ध है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रेषण आधार पर निर्यात के प्रति पुन: आयातों के मामले में, सीमाशुल्क अधिसूचनाओं में या एफटीपी के अन्तर्गत सीपीडी के पुन: आयात की जांच के लिए किसी नियंत्रण रजिस्टर या रिपोर्टिंग प्रणाली के अनुरक्षण के लिए कोई प्रक्रिया आदेशित नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुन: आयातित सीपीडी समान है जो निर्यात किए गए थे तथा आयातक ने ऐसे निर्यात पर किसी निर्यात प्रोत्साहनों का दावा नहीं किया है, कोई तंत्र व्यवस्था में नहीं है। 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान पीसीसीसीसी, मुम्बई पर किए गए सीपीडी के पुन: आयात का मूल्य ₹ 1,17,698.14 करोड़ (परिशिष्ट 10) था। पीसीसीसीसी, मुम्बई में ईडीआई के माध्यम से आयात जनवरी 2014 से कार्यान्वित किए गए थे तथा निर्यातों को ईडीआई के साथ अभी भी एकीकृत नहीं किया गया है।

2010-11 से 2014-15 के दौरान पीसीसीसीसी के माध्यम से सीपीडी के आयात तथा पुन:आयात के विश्लेषण से पता चला कि सीपीडी के कुल आयातों के प्रति कुल पुन:आयात मामलों की प्रतिशतता 2010-11 में केवल 27 प्रतिशत तथा 2011-12 में 30 प्रतिशत थी जब सीपीडी पर कोई शुल्क नहीं था। यद्यपि बाद के वर्षों में पुन: आयात के मामले महत्वपूर्ण रूप से बढ गए जब सीपीडी पर 2 प्रतिशत का शुल्क प्रारंभ किया गया था तथा वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 में कुल आयातों के क्रमश: 73 प्रतिशत, 66 प्रतिशत तथा 79 प्रतिशत के समान था। यह ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2014-15 में सीपीडी का पुन: आयात ₹ 40,440 करोड़ के समान था जो पीसीसीसीसी मुम्बई से सीपीडी के कुल निर्यात का 29 प्रतिशत है।

सीबीईसी ने उनके उत्तर (दिसम्बर 2015) में बताया कि पुन: आयातित माल की पहचान स्थापित करने के लिए उपयुक्त क्रियाविधि पहले से ही व्यवस्था में है। आकार रंग, कैरेट, शुद्धता प्रमाणन इत्यादि के समान निर्यातक द्वारा निर्यात के समय बनाए गए प्राचल निर्यात दस्तावेजो पर समर्थित है तथा ये प्राचल पुन: आयातित माल के साथ मेल खाते है।

वर्ष 2014-15 में सीपीडी के पुन: आयात पर लेखापरीक्षा निरीक्षण के संबंध में पीसीसीसीसी, मुम्बई पर अभिलेख सत्यापित किए जा रहे है। इस संबंध में एक विस्तृत उत्तर जल्दी ही प्रस्तुत किया जाएगा।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि किसी सीमाशुल्क अधिसूचना में या एफटीपी के अन्तर्गत सीपीडी के पुन: आयात निगरानी के लिए कोई नियंत्रण रजिस्टर या रिपोर्टिंग प्रणाली के अनुरक्षण के लिए कोई प्रक्रिया या शर्ते निर्धारित नहीं है। पुन: आयात के किसी अभिलेख के बनाए रखने की अनुपस्थित में यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभाग ने पुन: आयात अनुमत करने के समय पर उपयुक्त प्रक्रिया का अनुसरण किया है, कोई लेखापरीक्षा ट्रेल नहीं है। पीसीसीसीसी पर 2014-15 में सीपीडी के पुन: आयात के संबंध में विस्तृत उत्तर प्रतीक्षारत है।

सिफारिश सं.6: *राजस्व के बचाव तथा आवर्तन ट्रिपिंग को रोकने के लिए, पुन: आयातों के शामिल परिणाम तथ मूल्य को ध्यान में रखते हुए, वाणिज्य विभाग जी एंड जे निर्यातों उत्पाद वर्ग तथा देश वार पर अनुमत निर्यात प्रोत्साहनों की समीक्षा कर सकता है।*

(ख) स्वर्ण आभूषण पर आयात शुल्क वृद्धि में देरी

बोर्ड ने स्वर्ण आभूषण तथा स्वर्ण बारों पर शुल्क की दरों को क्रमश: 10 प्रतिशत तथा चार प्रतिशत पर अधिसूचित (17 मार्च 2012) किया। स्वर्ण बार पर शुल्क की दर आगे, 21 जनवरी 2013 से छः प्रतिशत से बढाकर, जून 2013 से आठ प्रतिशत तक तथा 13 अगस्त 2013 से दस प्रतिशत तक कर दी गई थी।

एक उल्टे शुल्क ढॉचे को टालने तथा धरेलु स्वर्ण आभूषण विनिर्माण उद्योग की सुरक्षा के लिए स्वर्ण तथा स्वर्ण आभूषण की सीमाशुल्क दरों के बीच उपयुक्त अन्तर रखा गया था। यह देखा गया था कि स्वर्ण आभूषण पर शुल्क की दर वर्तमान दस प्रतिशत से साथ-साथ नहीं बढाया गया जब स्वर्ण बारों पर शुल्क की दर 13 अगस्त 2013 से दस प्रतिशत बढा दी गई थी। स्वर्ण आभूषणों पर शुल्क की दर 17 सितम्बर 2013 से 15 प्रतिशत बढा दी गई थी। यह देखा गया था कि ₹ 13.79 करोड़ पर मूल्यांकित स्वर्ण आभूषण दस प्रतिशत की दर पर सीमाशुल्क के भुगतान द्वारा 13 अगस्त 2013 से 16 सितम्बर 2013 की अवधि के दौरान पीसीसीसीसी पर आयातित किए गए थे। यदि स्वर्ण आभूषणों पर शुल्क दर 13 अगस्त 2013 से 15 प्रतिशत बढा दी गई होती, अवधिके दौरान सरकार अकेले पीसीसीसीसी, मुम्बई के माध्यम से

किए गए स्वर्ण आभूषणें के आयात से अतिरिक्त ₹ 68.96 लाख अर्जित कर सकती थी। 2013-14 के दौरान किए गए आयातों का अखिल भारत डाटा डीजी, (प्रणाली) नई दिल्ली से मंगवाया गया, जो विस्तृत जांच के लिए लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

सीबीईसी ने उनके उत्तर (दिसम्बर 2015) में बताया कि स्वर्ण पर आयात शुल्क में वृद्धि के बाद, डीआरआई ने सुझाव दिया कि प्राथमिक दर से न्यूनतम 5 प्रतिशत अधिक का शुल्क विभेदक इस श्रम गहन क्षेत्र को सस्ते आयातों से बचाने के लिए प्रदान करना चाहिए। उसी प्रकार, विशेषाधिकार समिति, लोकसभा ने भी सुझाव दिया था कि ईट (स्वर्ण तथा चांदी) तथा इसके आभूषणों के बीच न्यूनतम 10 प्रतिशत का अन्तर, इस क्षेत्र पर उनकी आजीविका के लिए आश्रित कारीगरों के हितों की रक्षा के लिए, रखना चाहिए। तदनुसार, विषय की जांच की गई तथा दिनांक 17 सितम्बर 2013को स्वर्ण आभूषण पर शुल्क की टैरिफ दर को बढाने के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। उपर्युक्त प्रक्रिया ने लगभग एक महीने का समय लिया तथा आपात कालीन शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वर्ण पर शुल्क दर बढाई गई है। 1 महीने की समय समाप्ति भारतीय आभूषण इकाईयों को अस्थिर करन के लिए बहुत अधिक नहीं है।

विभाग का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि शुल्क दर 15 प्रतिशत तक रोजगार तथा घरेलु मूल्य संवर्धन श्रृंखला को बचाने के लिए एक सुविचारित परिवर्तन की बजाय केवल डीआरआई तथा विशेषाधिकार समिति, लोकसभा की सिफारिशों के बाद बढाई गई थी।

(ग) आयात लाईसेंसो के लिए पत्तन का अपूर्ण प्राधिकरण

एचबीपी के अनुसार प्रत्येक लाईसेंसधारक को प्रतिबंधित मदों के मामले में डीजीएफटी द्वारा आयात लाईसेंस के जारी करने के लिए फार्म एएनएफ 2बी मे संबंधित आरएलए को मौलिक रूप में एक आवेदन भर कर देना है। इसके साथ ही आवेदक द्वारा घोषणा के अनुसार एक प्रतिबंधित मद के लिए आयात प्राधिकरण समुद्री पत्तनों या हवाई पत्तनों या आईसीडीज या सीएफएस में से एक के माध्यम से आयात के लिए जारी होंगीं।

आरएलए मुम्बई तथ जेडीजीएफटी, देहरादुन ने 2010-11 से 2014-15 के दौरान गोल्ड डोर बार्स के आयात के लिए क्रमश: 26 तथा 2 प्राधिकृत लाईसेंस जारी किए थे। लेखापरीक्षा ने लाईसेंसों से देखा कि रजिस्ट्रेशन का पत्तन ''ओ'' के रूप में उल्लिखित है जो कि लाईसेंसधारक द्वारा उनके आवेदन में उल्लिखित विशेष पत्तन की बजाए रजिस्ट्रेशन के पत्तन के प्रति भारत में किसी पत्तन को इंगित करता है। इडीआई के माध्यम से नहीं भेजे गए आयातों के कारण, डीजीएफटी गोल्ड डोर बार्स की निगरानी तथा लाईसेंसो में रजिस्ट्रेशन के विशेष पत्तन को भी पकड़ने की स्थिति में नहीं था।

विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकृत करते समय कहा कि उन्होंने प्रासंगिक प्राधिकरण के जारी तथा प्रकाशन के लिए नियत वर्तमान सॉफ्टवेयर प्रणाली में आवश्यक रूपांतरण करने के लिए एनआईसी/कम्प्यूटर सैल को अनुरोध किया है।

डीजीएफटी ने उनके उत्तर (दिसम्बर 2015) में कहा है कि डीजीएफटी में एनआईसी को सॉफ्टवेयर में समुचित व्यवस्था के लिए अनुरोध किया जा रहा है ताकि जारी किए जाने वाले लाइसेंस में रजिस्ट्रेशन का पत्तन स्वत: आ जाए।

अंतिम परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित किया जा सकता है।

(घ) **अधिसूचनाओं तथा प्रावधानों में असंगतियां/अस्पष्टताएं**

(i) सीबीईसी ने निर्धारण तथा राजस्व के संग्रहण के लिए समान डाक तथा कूरियर के माध्यम से आयात के लिए 17 जनवरी 2012 से प्रभावी, स्वर्ण तथा चांदी पर टैरिफ मूल्य अधिसूचित किया। तथापि, स्वर्ण तथा चांदी के नियमित आयात यानी डाक, कूरियर तथा सामान के माध्यम से आयात के अतिरिक्त के लिए टैरिफ मूल्य बोर्ड द्वारा 30 मार्च 2012 का प्रारंभ किया गया। दो अलग श्रेणियों की आयात प्रक्रिया के लिए यानी डाक, संदेशवाहक तथा सामान के माध्यम से आयात तथा डाक, संदेशवाहक तथा सामान के माध्यम से आयात के अतिरिक्त स्वर्ण तथा चांदी के लिए टैरिफ मूल्य का अन्तर एसीसी, मुम्बई, चेन्नई, कोयम्बटूर, नेदुमबसरी तथा कोचीन हवाई कमिश्नरी में 17 जनवरी 2012 से 30 मार्च 2012 के दौरान 32 बीईज के

माध्यम से आयातित 50 मदों के आयात पर ₹ 1.55 करोड़ के बराबर राजस्व का कम संग्रहण में परिणत हुआ।

उसी प्रकार, ₹ 1.45 करोड़ के समान अधिक शुल्क चेन्नई, कोयम्बटूर, कोचीन तथा हवाई कमिश्नरी में 22 बीईज के माध्यम से 46 मदों के आयात पर संग्रहित किया गया ।

प्रासंगिक अवधि के दौरान सामान/कूरियर तथा नियमित आयातों के माध्यम से स्वर्ण/चांदी बारों के आयात पर दो अलग मूल्य निर्धारणों को अपनाने में बोर्ड द्वारा अपनाए गए निश्चित निर्णय में असंगतियां थी।

सीबीईसी ने उनके उत्तर (दिसम्बर 2015) में बताया कि विशिष्ट शुल्क दरों से यथामूल्य शुल्क में परिवर्तन के उपरांत, हवाई पत्तनों पर यात्रियों की तीव्र निकासी सुगम करने के लिए यात्रियों द्वारा स्वर्ण तथा चांदी के आयात के लिए टैरिफ मूल्य निश्चित किए गए तथा बाद में अभिवेदनों की एक संख्या पर आधार करके यह पौतभार के माध्यम से भी स्वर्ण तथा चांदी के निर्यात तक बढा दिया गया। तथापि, टैरिफ मूल्य का निर्धारण राजस्व बढाने वाला मापदण्ड नहीं है, परन्तु निर्धारण में निश्चितता तथा एकरूपता सुनिश्चित करने का एक मापदण्ड है। आगे विभाग ने कहा कि टैरिफ मूल्य या लेन देन मूल्य जो भी शुल्क प्रभार के लिए उच्चतर हो, को अंगीकार करने की सिफारिश स्वीकृत करना मूल्य निर्धारण पर डब्ल्यूटीओं समझौते का उल्लंघन होगा जिसका भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है।

आगे, सीबीईसी ने सूचित किया कि कोयम्बटूर एसीसी के मामले में, वर्षों 2012 तथा 2013 से संबंधित सभी छह बीईज (पांच आयातकों द्वारा फाईल) काल बाधित है, यद्यपि आयातकों को कम उदग्रहित शुल्क ब्याज के साथ भुगतान करने के लिए कहा गया था। पांच आयात को में से दो आयात को यथा मै. द हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्टस एक्सपोर्टस कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया तथा मै. रिद्धि सिद्धि बुल्यनस लिमिटेड ने ₹ 4.21 लाख की राशि के कम उदग्रहित शुल्क तथा ब्याज का भुगतान कर दिया है। शुल्क के अधिक संग्रहण के संबंध में, टैरिफ मूल्य के गैर अभिग्रहण तथा टैरिफ मूल्य के गलत अनुप्रयोग के कारण, जिसके लिए कोई कार्रवाई लंबित नहीं है क्योंकि किसी आयातक ने अधिक शुल्क भुगतान के लिए कोई प्रतिदाय दावा फाईल नहीं किया है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि टैरिफ मूल्य का निर्धारण अल्प मूल्यांकन को रोकने के लिए किया गया था जैसा सीमाशुल्क के चीफ कमिश्नरों की बैठक के विभिन्न लिखित ब्यौरों से देखा जा सकता है। वास्तव में, प्रासंगिक अवधि के दौरान सामान/कूरियर के माध्यम से स्वर्ण/चांदी बारों के आयात तथा नियमित आयात पर दो अलग मूल्यांकन अंगीकार करने के द्वारा बोर्ड द्वारा लिए गए निश्चित निर्णय में असंगति के कारण अव्यवस्था का निर्माण हुआ था। इसलिए एक लेखापरीक्षा सिफारिश का टैरिफ मूल्य या लेन देन मूल्य जो भी शुल्क प्रभार के लिए उच्चतर हो, को अंगीकार करने का प्रश्न ही नहीं है बल्कि सीबीईसी को नियम विरूद्ध परिस्थिति को समाप्त करने के लिए कहा गया है। यद्यपि शेष मामलों में परिणाम सूचित किया जा सकता है। सरकार द्वारा आयातको से संग्रहित अधिक राशि राष्ट्रीय ग्राहक निधि में जमा की जानी चाहिए जैसा कम्पनी अधिनियम, 1962 की धारा 27 में अनुबंध किया गया है।

(ii) शीर्षक 7113 के अन्तर्गत आने वाली आभूषण की वस्तुएं दिनांक 01 मार्च 2011 की अधिसूचना की शर्तों में 6 प्रतिशत पर सीवीडी को उदग्रहणीय है। लेखापरीक्षा ने देखा कि शीर्षक 7113 के अन्तर्गत आने वाली आभूषण की वस्तुओं के लिए सीवीडी की दर, जो 17 मार्च 2012 से 1 प्रतिशत प्रभावी थी, शुल्क की शूल्य दर पर संशोधित की गई थी, देखे वित्त अधिनियम 2012 (2012 का 23) दिनांक मई 2012, 17 मार्च 2012 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ।

चूंकि दोनो पूर्वोक्त अधिसूचनाएं लागू है, आभूषणों की वस्तुओं के आयात पर सीवीडी के उदग्रहण के संबंध में अस्पष्टता है। बोर्ड इन अधिसूचनाओं की समीक्षा कर सकता है तथा अस्पष्टता हटाने के लिए शुल्क दर की तर्कसंगत व्याख्या कर सकता है।

सीबीईसी ने उनके उत्तर (दिसम्बर 2015) में बताया कि यह एक निश्चित कानूनी स्थिति है कि जब निर्धारितियों को दो अधिसूचनाएं उपलब्ध है, वह उस अधिसूचना का प्रयोग कर सकता है जो उसके लिए लाभकारी हो।

सीबीईसी उनके उत्तर की इस तथ्य के संदर्भ में समीक्षा कर सकते है कि बोर्ड परिस्थिति के प्रति प्रतिक्रिया करके लाभ नहीं हो रहा बल्कि अग्रसक्रिय रूप से

लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हांकित अधिसूचनाओं में अस्पष्टताओं का परिशोधन कर सकता है।

(iii) एचबीपी के अनुसार, क्रमश: विदेशी खरीददार द्वारा आपूर्ति के प्रति निर्यात, तथा मनोनीत एजेंसियों द्वारा आपूर्ति के प्रति निर्यात, निर्यात 90 दिनों के अन्दर पूर्ण होगा तथा ईओ की पूर्ति के लिए किसी विस्तारण को अनुमति नहीं दी जाएगी।

यद्यपि, सीमाशुल्क अधिसूचनाएं 5 मई 2000 तथा 8 मई 2000, जिसके अन्तर्गत विदेशी खरीददार के द्वारा आपूर्ति के प्रति निर्यात तथा मनोनीत एजेंसियों द्वारा आपूर्ति के प्रति निर्यात की योजना सीमाशुल्क विभाग द्वारा योजना की निगरानी के लिए कार्यान्वित की गई थी, प्रावधान करती है कि आयातक आयात की तिथि से 120 दिनों के अन्दर स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम आभूषणों या वस्तुओं का निर्यात करेंगे। इसलिए, एचबीपी के प्रावधानों तथा ईओ की पूर्ति की अवधि से संबंधित सीमाशुल्क अधिसूचनाओं में असंगति विद्यमान है।

मै. मालाबार गोल्ड ओर्नामेंटस मेकर्स प्रा. लिमिटेड ने 995 शुद्धता स्वर्ण का 25 किग्रा. एसीसी नेदुमबसेरी (कोच्ची) के माध्यम से विदेशी खरीददार द्वारा आपूर्ति के प्रति निर्यात योजना के अन्तर्गत मै. ट्रेंडी ज्वैलरी एलआईसी, यूएई से आयात किया। 22 कैरेट के आभूषणों का आयात मै. मालाबार गोल्ड प्राईवेट लिमिटेड (एकीकरण के पश्चात नाम परिवर्तित) द्वारा आयात की तिथि से 112 दिनों के अवधि के बाद सम्पूर्ण (अप्रैल 2015) किया गया।

सीमाशुल्क अधिसूचना तथा एचबीपी के बीच प्रावधानों में असंगति निर्यात बाध्यता अवधि के 22 दिनों द्वारा विस्तारण के माध्यम से अनुचित लाभ में परिणत हुई तथा इस कारण से ₹ 65.11 लाख का छोडा गया शुल्क आयातक से वसूला नहीं जा सकता था।

सीबीईसी ने उनके उत्तर (दिसम्बर 2015) में कहा कि वे डीओसी के साथ परामर्श में अस्पष्टता को परिशोधित करेंगे। जबकि, डीजीएफटी ने उत्तर (दिसम्बर 2015) दिया कि सीमाशुल्क तथा डीजीएफटी प्रावधानों के मध्य

असंगति के लिए, सीमाशुल्क को एचबीपी का अनुसरण करने की आवश्यकता है।

अंतिम परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित किया जा सकता है।

(ड़) **बोर्ड द्वारा निश्चित टैरिफ मूल्य लेन देन मूल्य से संबंधित नहीं है**

सीमाशुल्क अधिनियम यह भी प्रावधान करता है कि यदि बोर्ड संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक या व्यवहारिक है, तो बोर्ड अधिकारिक गजट में अधिसूचना के द्वारा ऐसी या इस प्रकार के माल के मूल्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, आयातित माल या निर्यातित माल की किसी श्रेणी के लिए टैरिफ मूल्य निश्चित कर सकता है, तथा जहां ऐसा कोई टैरिफ मूल्य निश्चित होता है, शुल्क ऐसे टैरिफ मूल्य के संदर्भ में प्रभारित होगा। विश्व स्वर्ण समिति (डब्ल्यूजीसी) उनकी वेबसाईट www.gold.org में प्रतिदिन स्वर्ण की अन्तर्राष्ट्रीय दर अधिसूचित करती है।

बोर्ड ने 17 जनवरी 2012 से प्रभावी स्वर्ण तथा चांदी का टैरिफ मूल्य अधिसूचित किया था। तत्पचात, बाजार के उतार चढाव पर, बोर्ड समय समय पर स्वर्ण के आयात पर टैरिफ मूल्य संशोधित करता है।

एसीसी, मुम्बई एसीसी, बैगलोर, चेन्नई हवाई, कोयम्बटूर हवाई सीमाशुल्क, कोलकाता हवाई पत्तन तथा कोचीन सीमाशुल्क कमिश्नरी के माध्यम से आयातित स्वर्ण बारों के आयात के डाटा के विश्लेषण से पता चला कि बोर्ड द्वारा निश्चित टैरिफ मूल्य अवधि 2012-13 से 2014-15 के दौरान आयातित 646 माल में इनवॉइस मूल्य (सीआईएफ मूल्य) से कम था जो ₹ 46.55 करोड़ के शुल्क के कम उदग्रहण में परिणत हुआ।

बोर्ड द्वारा टैरिफ मूल्य निश्चित करने का उद्देश्य माल के अल्प मूल्यांकन को रोकना था। यद्यपि, बोर्ड द्वारा साप्ताहिक या पाक्षिक आधार पर निश्चित टैरिफ मूल्य स्वर्ण/चांदी की प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के साथ समपरिणाम नही थी क्योंकि दरें एक दिन में बहुधा परिवर्तित होती है। स्वर्ण तथा चांदी के अल्प/अधिक मूल्यांकन को रोकने के लिए, लेखापरीक्षा का यह मत है कि राजस्व संवर्धन के लिए, बोर्ड टैरिफ के निर्धारण के लिए वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करने पर विचार कर सकता है ताकि कोई राजस्व हानि न हो।

सीबीईसी ने उनके उत्तर (दिसम्बर 2015) में कहा था कि भारत के सीमाशुल्क मूल्यांकन कानून सीमाशुल्क मूल्यांकन पर डब्ल्यूटीओं समझौते (एसीवी) से निकलते है जो एक बाध्यकारी समझौता है। टैरिफ मूल्य की गणना स्वर्ण तथा चांदी के प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय कीमतो के आधार पर की जाती है। टैरिफ मूल्य इन वस्तुओं के लिए निर्धारणीय मूल्यों के रूप में स्वीकृत की जाती है, यह ध्यान दिए बिना कि इन वस्तुओं के लिए घोषित मूल्य इन टैरिफ मूल्यों से उच्चतर या निम्नतर है। ये टैरिफ मूल्य निर्धारित नहीं है परन्तु चल मूल्य हैं तथा प्रत्येक पखवाडे पर अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर आधारित करके समीक्षित तथा परिशोधित किए जाते है ताकि उन्हें लेन देन मूल्यों के समीप रखा जा सके।

लेखापरीक्षा टिप्पणी का केन्द्र टैरिफ के निर्धारण की प्रक्रिया सुदृढ करना है तथा डब्ल्यूटीओ नियम के विरूद्ध नहीं है। इस प्रकार से टैरिफ मूल्य निर्धारित करना ताकि राजस्व हानि न हो, पर विभाग का विचार स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मूल्यांकन निदेशक ने टैरिफ मूल्यों की सिफारिशों के लिए वस्तुएं चयन के लिए निम्नलिखित मानदंड विकसित किए: (i) आयातों का बडा परिमाण तथा महत्वपूर्ण राजस्व योगदान (ii) शुल्को की उच्च दर तथा अल्प मूल्यांकन की संवेदनशीलता, (iii) अलग सीमाशुल्क केन्द्रों पर निर्धारित मूल्यों में वृहत उतार चढाव (iv) अंतराष्ट्रीय कीमत से संबंधित विश्वसनीय सूचना उपलब्ध है। (डब्ल्यूजीसी द्वारा अधिसूचित दैनिक दरें), (v) यथेष्ट सूचना तथा डाटा टैरिफ मूल्य की आवधिक समीक्षा के लिए उपलब्ध है ताकि इसे अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के समीप रखा जा सके। उपरोक्त से स्पष्ट है कि एक आनलाईन वातावरण में अलग सीमाशुल्क केन्द्रों के प्राप्त लेन देन मूल्य पर डाटा पर टैरिफ मूल्य की समीक्षा के लिए विचार नहीं किया गया था। टैरिफ का अवास्तविक मूल्य अधिक निर्धारण के भरोसे की हानि तथा/या सरकार की राजस्व हानि होती है। लेखापरीक्षा राय बनाए रखता है कि टैरिफ मूल्य इस प्रकार से निर्धारित की जानी चाहिए जिससे अल्प मूल्यांकन को रोका जा सके।

सिफारिश सं.7: *टैरिफ मूल्य निर्धारण के लिए वर्तमान व्यवस्था की सीबीईसी द्वारा समीक्षा की जा सकती है ताकि राजस्व प्रबंधन तथा मूल्यांकन प्रयोजनो के मध्य एक संतुलन सुगम बनाया जा सके।*

(च) आयात निर्यात फॉर्म में घोषित वार्षिक निर्यात टर्नओवर के सहसम्बध के लिए व्यवस्था की अनुपस्थिति

एचबीपी के अनुसार, पुन: प्राप्ति (आरईपी) प्राधिकरण के लिए आवेदन संबंधित आरए को किया जा सकता है। लाईसेंसधारी उनके आवेदन में किसी गलत विवरण के लिए दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है।

आरएलए मुम्बई ने 2010-12 से 2014-15 के दौरान मै. विश्रुत जेम्स तथा मै. दीपक दीपचंद तसवाला को क्रमश: 19 तथा 36 आरईपी अनुज्ञप्ति प्राधिकृत की। लेखापरीक्षा ने देखा कि आयात निर्यात फॉर्म में पिछले तीन वर्षों के प्रकट निर्यात लाभ तथा हानि लेखे में घोषित निर्यात के साथ मेल नहीं खा रहा था। यह संकेत करता है कि विभाग के पास लाईसेंसधारक द्वारा उनके आवेदन में की गई घोषणा की सटीकता की जांच के लिए कोई तंत्र नहीं है तथा फलस्वरूप विभाग द्वारा लाईसेंसधारक के प्रति कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई थी।

विभाग की शुल्क क्रेडिट प्रमाणपत्र की अनुमति के लिए लाईसेंसधारक द्वारा प्रस्तुत घोषणा पर सम्पूर्ण विश्वास तथा अन्य सांविधिक दस्तावेजो जैसे लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे के साथ घोषणा का गैर सहसंबंध एक जोखिम क्षेत्र था जो विभाग द्वारा योजनाओं के दुरूपयोग के लिए खुला छोड़ दिया गया था।

डीजीएफटी ने उनके उत्तर (दिसम्बर 2015) में बताया कि कारोबार सरलीकरण के तात्पर्य के साथ, डीजीएफटी तथा डीओसी द्वारा अतिरिक्त दस्तावेजों पर आग्रह टालने के द्वारा लेनदेन मूल्य को कम करने के लिए प्रत्येक प्रयास किया गया है। किसी भी मामले में यदि बाद में भी कोई गलत घोषणा ध्यान में आती है, विदेश व्यापार (विनियम) नियमावली, 1993 की नियम 10 के अन्तर्गत प्राधिकरण धारक के प्रति अभियोग किया जा सकता है।

(छ) मानव निर्मित हीरे तथा प्राकृतिक हीरों के लिए अलग अंतराष्ट्रीय टैरिफ वर्गीकरण (सुसंगत प्रणाली) संहिता

(i) प्रयोगशाला में उत्पन्न /कृत्रिम/मानव निर्मित हीरे तथा प्राकृतिक हीरे 16 जनवरी2012 से समान आईटीसीएचएस संहिता के अन्तर्गत वर्गीकृत थे, उससे पहले वे अलग शीर्षकों के अन्तर्गत वर्गीकृत थे।

प्रयोगशाला में उत्पन्न/कृत्रिम/मानव निर्मित हीरे तथा प्राकृतिक हीरों दोनो को एक शीर्षक के अन्तर्गत वर्गीकृत करने का औचित्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि प्राकृतिक हीरे प्रयोगशाला में उत्पन्न हीरों की तुलना में बनने में लम्बा समय लेते है। अच्छी गुणवत्ता के कृत्रिम हीरे केवल प्रयोगशाला में विशिष्ट उपकरणों के प्रयोग के साथ पहचाने जा सकते है। मानव निर्मित हीरों की कीमते प्राकृतिक हीरों से 30-60 प्रतिशत की सीमा तक सस्ती होती है। डायमंड इंटैलीजेंस ब्रीफ्स के प्रतिवेदनों क अनुसार समान आईटीसी एचएस संहिता के अन्तर्गत इकट्ठा होने ने मानव निर्मित हीरों की प्राकृतिक हीरों के साथ अवैध तथा अघोषित मिश्रण की ओर ले गया। यह ग्राहकों को ठगने तथा संभवधन लांड्रिंग के लिए भी अवसर छोड़ देता है। आगे, यह भारतीय हीरा उद्यम में ग्राहक तथा व्यापार भरोसे को खतरे में डालती है। अत: मानव निर्मित हीरे के लिए विशिष्ट एक स्पष्ट वर्गीकरण, कृत्रिम हीरों की विशिष्ट खोज को समर्थ बनाने के लिए, की आवश्यकता है। डीओसी द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए उनके बजट प्रस्ताव में समान प्रस्ताव किए गए थे।

सीबीईसी ने उनके उत्तर (दिसम्बर 2015) में बताया कि इस विषय की जांच की जा रही है। यहॉ कोई राजस्व कोण नहीं है। जितना जल्दी संभव होगा निर्णय लिया जा सकता है।

(ii) जीजेईपीसी ने 25 अक्तूबर 2013 को, सीबीईसी के समक्ष अनैतिक पक्षों द्वारा तुरंत लाभ करने के लिए प्रयोगशाला में उत्पन्न हीरे को प्राकृतिक हीरे के रूप में प्रकट करने के माध्यम से संभव धोखाधड़ी करने के संबंध में समझाया । जीजेईपीसी ने यह मुद्दा भी उठाया कि ऐसी गतिविधि भारत में सम्पूर्ण प्राकृतिक हीरा उद्यम को दूषित कर सकती है, इस प्रकार अंतराष्ट्रीय

बाजार में भारत की विश्वसनीयता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है तथा सीमाशुल्क के चीफ कमिश्नर, गुजरात मंडल को ऐसी गतिविधि की जांच के लिए सीटीएच 7104.2000 तथा 7104.9000 (यानी, कृत्रिम या पुनर्निमित बहुमूल्य या अर्ध बहुमूल्य रत्नों) के अन्तर्गत आयातित/निर्यातित प्रेषण की जांच के लिए सिफारिश (नवम्बर 2013) की।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग ने उपर्युक्त सिफारिश के आधार पर, भारतीय हीरा संस्थान, सूरत को जांच के लिए सीटीएच 7104.2000 तथा 7104.9000 के अन्तर्गत वर्गीकृत वस्तु के रूप में घोषित, प्रत्येक प्रेषण के भेजने का काम शुरू किया।

माल की जांच की प्रक्रिया जो पहले से ही कृत्रिम हीरे घोषित किए जा चुके है, उस उद्देश्य को समाप्त कर देती है जिसके लिए जीजेईपीसी ने प्रेषण की जांच के लिए अनुरोध किया है। प्राकृतिक हीरे के रूप में घोषित माल की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए करना कि इसमें कृत्रिम हीरे समाविष्ट नहीं है, अधिक उचित होगा। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने कोई उदाहरण प्राप्त नहीं किया जा 'प्राकृतिक हीरे' के रूप में घोषित प्रेषण जांच के लिए भेजा गया था। अत: अनुपालन की जा रही वर्तमान प्रणाली की पुन: अभिव्यंजना की जा सकती है।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

सिफारिश सं. 8: *भारतीय हीरा उद्यम में ग्राहक तथा व्यापार भरोसा बनाए रखने के लिए, सीबीईसी प्राकृतिक हीरे को मानव निर्मित हीरों से विभेद करने के लिए एक स्पष्ट वर्गीकरण पर विचार कर सकता है।*

अध्याय 3: अनुपालन विषय

यह अध्याय इस पक्ष की जांच पड़ताल करता है कि क्या बहुमूल्य धातुओं तथा अन्य विनिर्दिष्ट उत्पादों के आयात के लिए एफटीपी 2009-14, सीमाशुल्क अधिनियम 1962, एफटीए छूट आरबीआई परिपत्रों के अन्तर्गत रियायत/छूट/माफी का लाभ उचित तरीके से स्वीकृत किया जा रहा है तथा ऐसे लाभों को प्रदान करने के लिए नियम एवं शर्ते पूरी की जा रही है। यह गलत निर्धारण, वर्गीकरण के मामलों के साथ साथ गलत इनवॉइस बनाने के कारण वित्तीय बहिर्गमन, प्रचलित नियमों का गैर अनुपालन, विनियमो, कार्य प्रणालियों तथा परिचालन संबंधी खराबी के अन्य मामलो को चिन्हांकित करता है।

3.1 गलत निर्धारण के मामले

(क) मनोनीत एजेंसियों द्वारा बहुमूल्य धातु के आयात के लिए नीति परिपत्र के गैर अनुपालन के लिए शास्ति का उदग्रहण नहीं

डीजीएफटी का दिनांक 31 मार्च 2009 का परिपत्र प्रावधान करता है कि एनए/पीटीएच/एसटीएच प्रमाणपत्र स्थिति प्रमाणपत्र की वैधता तथा वार्षिक आधार पर एनए के प्रदर्शन के आधार पर प्रत्येक वर्ष नवीकृत किया जाना चाहिए। एनएज से (आरबीआई द्वारा मनोनीत निर्दिष्ट बैंकों के अतिरिक्त) मूल्य वर्धित उत्पाद के निर्यातों के उद्देश्य के साथ साथ घरेलू खपत के उद्देश्य के लिए बहुमूल्य धातु (परिमाण तथा मूल्य दोनो) के आयातों तथा इसके वितरण के अभिलेखों का अनुरक्षण अपेक्षित है। एनए को मासिक आधार पर जीजेईपीसी, मुम्बई को प्रतिफल दायर करना था। परिणामस्वरूप जीजेईपीसी को आंकडे संकलित कर डीजीएफटी (मुख्यालय) को अनुवर्ती महीने के 15 तारीख तक अग्रेषित करना था। प्रत्येक तत्व के आयातों के न्यूनतम 10 प्रतिशत (27 अगस्त 2009 से 15 प्रतिशत) की निर्यातकों को आपूर्ति करनी थी। लेनदेन का पूर्ण विवरण उन मामलों में, जहां एकल आयातक के संबंध में लेनदेनो की संख्या एक महीने में दस लेन देनों से अधिक थी या आयातों का

कुल योग मूल्य ₹ 254 करोड़[9] (यूएस $ 50 मिलियन) से अधिक है, प्रदान करना था। आगे, देखे परिपत्र संख्या 24/2009-14 दिनांक 11 फरवरी 2010, यह स्पष्ट किया गया था कि ऊपर कथित न्यूनतम 15 प्रतिशत अनुबंध अर्ध वार्षिक आधार पर आयातित बहुमूल्य धातु की मात्रा के संचयी संवितरण के संदर्भ में था तथा प्रत्येक प्रेषण के प्रति आयातों के आधार पर नहीं था। दोनों परिपत्र दिनांक 31 मार्च 2009 तथा 11 फरवरी 2010, 1 फरवरी 2011 से वापिस ले लिए गए।

परिपत्र दिनांक 31 मार्च 2009 के अनुलग्नक की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्यातकों को आपूर्ति की गई मात्रा के अभिलेख को दर्शापे के लिए कोई पंक्ति नहीं है, भले ही परिपत्र ऐसा कहता है। मासिक प्रतिवेदन में निर्यातकों को आपूर्ति की गई मात्रा के विवरण की अनुपस्थिति में, यह समझना कठिन है कि कैसे डीजीएफटी निर्यातकों को स्वर्ण की न्यूनतम 10 प्रतिशत या 15 प्रतिशत की आपूर्ति को नियत शर्त की निगरानी करने में सक्षम है। परिशिष्ट 11 में गैर अनुपालन के कुल मामले चिन्हांकित है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि न तो एफटीडीआर अधिनियम के अनुसार शास्ति उद्ग्रहित की गई और न ही डीजीएफटी द्वारा नीति परिपत्र के उल्लंघन के लिए बहुमूल्य धातु आयात का लाईसेंस रद्द किया गया था। यह भी देखा गया था कि मनोनीत एजेंसिया नियमित आधार पर जीजेईपीसी को मासिक प्रतिफल फाईल कर रही थी। मनोनीत एजेंसियों में से किसी ने भी (मै. राजेश एक्सपोर्टस के अतिरिक्त) निर्यातकों को आपूर्ति की गई मात्राओं के ब्यौरे प्रदान नहीं किए थे। उन्होंने लेनदेन जहां मूल्य यूएस $ = ₹ 5 करोड़ से अधिक था, के ब्यौरे भी प्रदान नहीं किए थे।

सीबीईसी ने एसीसी नेदुमबसरी कोचीन के अन्तर्गत मै. एमएमटीसी तथा मै. एसटीसी के संबंध में कहा (दिसम्बर 2015) कि 20:80 योजना से पहले मनोनीत एजेंसी/बैंक द्वारा आयात उचित शुल्क के भुगतान पर था। माल को भंडारित नहीं किया गया था इसलिए सीबीईसी परिपत्रों दिनांक 14 अक्तूबर

---

[9] 31.3.2009 (डीजीएफटी परिपत्र के जारी होने की तिथि) को 1 यूएस$ = ₹ 50.8761 की विनिमय दर पर आधारित

2009 या डीजीएफटी नीति परिपत्र दिनांक 31 मार्च 2009 के अन्तर्गत कवर नहीं था । एसीसी के माध्यम से निकासी किया गया माल गृह खपत बीई के अन्तर्गत था।

अधिसूचना दिनांक 8 मई 2000 के अनुसार, माल के पुन:निर्यात के लिए नियम 120 दिन या उचित अधिकारी द्वारा प्रदत्त कोई विस्तारित अवधि थी। व्याप्ति उचित अधिकारी द्वारा यथायोग्य अनुमत की गई थी तथा इस कारण से कोई कम उदग्रहण नहीं हुआ।

सीबीईसी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शुल्क की रियायती दर पर आयात अधिसूचना की शर्तों के अधीन निर्यातकों को कुल आयातों के 15 प्रतिशत की आपूर्ति करनी थी, का अनुमत विषय है। चूंकि शर्त अपूर्ण रहीं, शुल्क की रियायती दर बढाई नहीं जा सकी तथा 578 किग्रा. की मात्रा पर 10 प्रतिशत की दर पर शुल्क मांगा गया था एवं शुल्क का अन्तर वसूलना था। इसके साथ ही, शास्ति निर्धारित की जानी चाहिए थी तथा नीति परिपत्र के उल्लंघन के लिए लगाई जानी थी।

आगे, निर्यातकों को वास्तविक रूप से आपूर्ति किए गए स्वर्ण के केन्द्रीकृत डाटा की अनुपस्थिति में आयातों के 15 प्रतिशत पर उपयोग तत्व लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा गैर अनुपालन के लिए कथित परिपत्र में कोई जुर्माना निर्धारित नहीं किया गया था।

(ख) वित्तीय वर्ष 2012-13 में गोल्ड डोर बार्स का अनियमित आयात

(i) आरबीआई ने, देखे उनका परिपत्र दिनांक 22 जुलाई 2013, देश में स्वर्ण के आयात पर कुछ प्रतिबंध लगाए तथा अधिकृत आयातकों द्वारा कुछ शर्तों के पालन के लिए कहा। परिपत्र ने यह भी निर्धारित किया कि भारत सरकार के सीमाशुल्क अधिकारियों/डीजीएफटी को आयात प्रतिबंधो के परिचालन तथा निगरानी के लिए निर्देश, यदि कोई है तो जारी करने है।

आरएलए, मुम्बई के अन्तर्गत प्रतिबंधित मद गोल्ड डोर बार्स के आयात के लिए मै. सीजेईएक्स बायोकैम प्राईवेट लिमिटेड की लाईसेंसधारक फाईल की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि प्रतिबंधित मद गोल्ड डोर बार्स के 2000 किग्रा. के आयात के लिए 12 जुलाई 2013 को प्राधिकरण के लिए आवेदन

फाईल किया गया था। प्राधिकरण 19 अगस्त 2013 को जारी किया गया था। आरएलए मुम्बई द्वारा प्रस्तुत डाटा के अनुसार प्रतिबंधित मद के लिए केवल एक प्राधिकरण/लाईसेंस कथित लाईसेंसधारक को 2010-11 से 2014-15 से जारी किया गया था। यद्यपि, आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज से यह देखा गया कि 2012-13 के दौरान लाईसेंसधारक ने 5.320 किग्रा. के 99.5 प्रतिशत शुद्धता के स्वर्ण बार का आयात किया था। चूंकि, गोल्ड डोर बार्स एक प्रतिबंधित मद है, इस कारण से उपरोक्त गोल्ड डोर बार्स का आयात अनियमित था तथा विदेश व्यापार (विकास विनियम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत शास्ति भी उदग्रहणीय थी।

डीजीएफटी ने उनके उत्तर (दिसम्बर 2015) में बताया था गोल्ड डोर बार्स के लिए आईटीसी (एचसी) संहिता 71021200 है तथा आरबीआई विनियमों के अन्तर्गत यह मद आयात के लिए मुक्त थी इस मद का आयात प्रथम समय के लिए आरबीआई परिपत्र दिनांक 14 अगस्त 2015 के द्वारा प्रतिबंधित था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रतिबंध 22 जुलाई 2013 से प्रभावी थी।

(ii) मै. पारिख इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि इकाई को क्रमश:2000 किग्रा: तथा 7200 किग्रा. के गोल्ड डोर बार्स के आयात के लिए 13 मार्च 2014 तथा 24 जून 2014 को आरए, मुम्बई द्वारा प्राधिकरण जारी किया गया था। यद्यपि, आवेदन के साथ जमा किए गए प्रमाणपत्र दर्शाते है कि लाईसेंसधारक इन सभी प्रमाणपत्रों में स्वर्ण, चांदी, प्लेटिनम, रोडियम तथा आभूषण वस्तुओं के निर्माणकर्ता के रूप में रजिस्टीकृत है तथा शोधनशाला के रूप में नहीं है। चूंकि आरबीआई परिपत्र डीजीएफटी द्वारा जारी लाईसेंसो के आधार पर केवल शोधनशालाओं को गोल्ड डोर बार्स आयात करने की अनुमति दी, अत: कथित लाईसेंसधारक को जारी उपर्युक्त लाईसेंस अनियमित थे।

डीजीएफटी ने उनके उत्तर (दिसम्बर 2015) में बताया कि मै. पारिख इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करते हुए एक निर्माण करने वाली इकाई के रूप में दस्तावेज जमा किए थे।

डीजीएफटी का उत्तर केवल लेखापरीक्षा आपत्ति को प्रमाणित करता है। विभाग द्वारा की गई उपचारात्मक कार्रवाई लेखापरीक्षा को सूचित की जा सकती है।

(ग) माल के स्टॉक पर शुल्क गैर भुगतान

सेज नियमावली के अनुसार इकाई सेज से बाहर जाने का चयन कर सकती है तथा ऐसी निकासी आयातित या स्वदेशी पूंजीमाल पर लागू शुल्कों के भुगतान, कच्चा माल, घटको उपभोज्य वस्तुएं, अतिरिक्त पुर्जे तथा स्टॉक में तैयार माल का विषय है।

डीओसी ने 25 अप्रैल 2013 से स्वर्ण पदको तथा सिक्को के निर्माण तथा तराशे तथा पॉलिश किए गए हीरो की 31 दिसम्बर 2013 से एसईजेड इकाईयों द्वारा व्यापारिक गतिविधियों को अस्वीकार कर दिया था।

एमईपीजेड एसईजेड, चेन्नई के अन्तर्गत दो एसईजेड इकाईयों मै. फोरएवर प्रेशियस ज्वैलरी एंड डायमंडस लिमिटेड तथा मै. विनसम डायमंडस एंड ज्वैलरी लिमिटेड (पहले मै. सूरज डायमंडस एंड ज्वैलरी लिमिटेड के नाम से) को प्रारंभिक रूप से सादे स्वर्ण आभूषण के निर्माण तथा निर्यात एवं सीपीडी के व्यापार के लिए एलओए जारी (सितम्बर 2005 तथा अक्तूबर 2006) किया गया था। बाद में, इकाईयों को पहले से ही अनुमत मदों के साथ स्वर्ण सिक्को तथा पदक के निर्माण की अनुमति (सितम्बर 2009) दी गई थी। इकाईयों ने नवम्बर 2005 तथा जनवरी 2007 में व्यापारिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया था।

मंत्रालय के निर्णय के आधार पर, यूएसी ने मई 2013 में स्वर्ण पदकों तथा सिक्कों तथा फरवरी 2014 में सीपीडी की निर्माण गतिविधियों को अस्वीकार करने के द्वारा उचित रूप से एलओएज को संशोधित कर दिया।

इकाईयों ने वर्ष 2013-14 के दौरान उनकी गतिविधियां बन्द कर दी तथा निकासी के लिए आवेदन (अप्रैल 2014) कर दिया, इकाईयों के पास स्वर्ण, चांदी, तॉबा, सीपीडी का स्टॉक था जिनका वजन क्रमश: 541.16 ग्राम, 2509.75 ग्राम, 9732.78 ग्राम तथा 34931.51 कैरेट था, जो वे न तो पुन: निर्यात करने, न डीटीए में निकासी में सक्षम थे। मै. विनसम डायमंडस एंड

ज्वैलरी लिमिटेड ने एमईपीजेड अधिकारियों को स्टॉक के निपटान के लिए अनुरोध भी किया था।

चूंकि 4 फरवरी 2014 से सीपीडी पर व्यापारिक गतिविधि की अनुमति नहीं थी तथा मै. फोरएवर प्रैशियस ज्वैलरी एंड डायमंडस लिमिटेड द्वारा स्टॉक पुन: निर्यातित नहीं किया जा सकता था, ₹41.04 करोड (लगभग) का मूल्यांकित सीपीडी के 34931.51 कैरेट के स्टॉक पर ₹ 1.06 करोड़ का राशि शुल्क वसूली योग्य था। इसके साथ ही विभाग इसकी ओर से मनोनीत एजेंसी को स्वर्ण तथा अन्य बहुमूल्य धातुओं के स्टॉक की आपूर्ति तथा ₹12.46 लाख की राशि के शुल्क की वसूली में असफल रहा।

सीबीईसी ने उनके उत्तर (दिसम्बर 2015) में कहा कि मै. पंजाब नेशनल बैंक ने इकाईयों के परिसरो को सील कर दिया है तथा इस कारण इन इकाईयों में कोई स्टॉक सत्यापन नहीं किया जा सकता । आगे, सीबीआई, बैंक धोखाधड़ी सैल, मुम्बई ने मै. फोरएवर प्रैशियस ज्वैलरी एंड डायमंडस लिमिटेड तथा मै. विनसम डायमंडस एंड ज्वैलरी लिमिटेड के विरूद्ध मुकदमा दायर किया था तथा मामला जांच के अधीन था। अत: कोई भी कार्रवाई केवल जॉच के सम्पूर्ण होने के बाद ही प्रारंभ की जा सकती है।

अंतिम परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित किया जा सकता है।

(घ) **गलत निर्धारण के कारण राजस्व की हानि**

बहुमूल्य रत्न (हीरे के अतिरिक्त) तथा अर्ध बहुमूल्य रत्न कार्य या श्रेणीबद्ध किए गए या न किए गए परन्तु बंधे, जडे या जोड़े हुए नहीं, अश्रेणीबद्ध बहुमूल्य रत्न (हीरे के अतिरिक्त) तथा अर्ध बहुमूल्य रत्न, परिवहन की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से बांधे हुए के विवरण वाला माल, शीर्षक 7103 के अन्तर्गत, शुल्क की मानक दर के लिए उदग्रहणीय है।

दिनांक 1 मार्च 2012 की अधिसूचना के अनुसार, 15 प्रतिशत की दर पर सीमाशुल्क की मानक दर अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाले 'तराशे और पॉलिश किये गये रंगीन जैमस्टोन' पर लागू था।

जयपुर में बीई/कुरियर आयात की संवीक्षा में लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि मार्च 2011 से मार्च 2015 के दौरान 215 मामलों में 'तराशे और पॉलिश

किये गये रंगीन जैमस्टोन' आयात किये गये और दिनांक 17 मार्च 2012 और 11 जुलाई 2014 की अधिसूचना के लाभ को गलत रूप से प्रदान करते हुए शुल्क रियायती दर पर निर्धारित किये गये थे। सीमा शुल्क टैरिफ और अधिसूचना में माल के वर्णन में हुई विसंगति को लाभ को आयातक ने उठाया। शीर्ष 7103 के अंतर्गत आने वाले तराशे और पॉलिश किये गये कम कीमती स्टोन टैरिफ दर के अनुसार शुल्क की पूरी दर पर प्रभारित होंगे क्योंकि दिनांक 1 मार्च 2002 की अधिसूचना के अंतर्गत रियायत उपलब्ध नहीं है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.74 करोड़ की कम वसूली हुई।

सीबीइसी ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में कहा कि दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना की क्रम सं. 313 के अंतर्गत 'तराशे और पॉलिश किये गये रंगीन जैमस्टोन' में दोनों तराशे और पॉलिश किये गये महगे स्टोन के साथ-साथ तराशे और पॉलिश किये गये कम महंगे स्टोन शामिल हैं। जीजेइपीसी द्वारा इस विचार की पुष्टि भी की गई थी और अधिसूचना के क्रम 313 के अंतर्गत शुल्क सही रूप से प्रभारित किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तराशे और पॉलिश किये गये कम महंगे स्टोन टैरिफ दरों के अनुसार शुल्क की पूरी दर हेतु प्रभार योग्य हैं। दिनांक 01 मार्च 2002 की अधिसूचना के अंतर्गत रियायत उपलब्ध नहीं है। तराशे और पॉलिश किये गये कम महंगे स्टोन टैरिफ और अधिसूचना में विवरण में असंगति के कारण गलत रूप से अधिसूचना के लाभ प्रदान करते हुए शुल्क की रियायती दर पर आयात किये गये थे।

(ड) अस्वीकृत आभूषणों के पुन: आयात पर शुल्क उद्ग्रहण न किया जाना

एफटीपी ने जैम्स और ज्वैलरी के निर्यातकों को अस्वीकृत आभूषणों के पुन: आयात के लिए अनुमति प्रदान की।

जयपुर में जैम्स और ज्वैलरी से संबंधित बीई की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि खरीददार ज्वैलरी को खरीददार से प्रत्यक्ष/स्थायी/विक्रय आधार पर निर्यात किया गया था जिसमें माल का स्वामित्व तुरंत खरीददार को चला ही जाता है जैसे ही वह निर्यात किया जाता है और विक्रेता और खरीददार के बीच का संबंध उस वक्त समाप्त हो जाता है जब भुगतान कर दिया जाता है और माल सुपूर्द कर दिया जाता है। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि 216

मामलों में निर्यातकों ने विदेशी खरीददारों से प्रत्यक्ष विक्रय पर ज्वैलरी निर्यात की थी यद्यपि इनकों खेप विक्रय दर्शा कर, इनका पुन: आयात किया गया था और शुल्क दर को यह मानते हुए 'शून्य' निर्धारित की गई थी कि माल को खेप विक्रय आधार पर बेचा गया था जो सही नहीं थी। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि प्रत्यक्ष विक्रय पर निर्यातित माल को अंतत: बेचा गया था और विदेशी मुद्रा भी प्राप्त की गई थी। इस प्रकार, पुन: आयात के समय पर, माल पर शुल्क की पूर्ण दर प्रभारित कर नये सिरे से निर्धारण किया जाना अपेक्षित था। गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹ 1.92 करोड़ की शुल्क राशि का उद्ग्रहण नहीं किया जा सका।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में कहा कि माल को विक्रय आधार या खेप आधार पर निर्यात किया गया था न कि गंतव्य पत्तन पर सुपूर्द किया गया था। पुर्वआयात यह स्थापित करने के पश्चात कि जो माल निर्यात किया गया था वह एक समान है एफटीपी एवं एचबीपी प्रावधानों के अनुसार अंनुमत था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एचबीपी के अनुसार, साधारण/जड़ित महंगी धातु आभूषणों के निर्यातक को आगामी लाइसेंस वर्ष में निर्यात के एफओबी मूल्य के 2 प्रतिशत तक खरीददार द्वारा खारिज की गई और वापस की गई शुल्क मुक्त आभूषणों के पुन: आयात की अनुमति है। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि निर्यातकों ने प्रत्यक्ष विक्रय आधार पर आभूषणों का निर्यात किया था और माल का स्वामित्व तब तुरंत खरीददार को हस्तांतरित हो जाता है जब वह विक्रय आधार पर निर्यात किया जाता है। ऐसे मामलों में भुगतान भी प्राप्त किये गये थे। इसलिए प्रत्यक्ष विक्रय पर निर्यातित माल को पुन: आयात किये जाने के समय पर नये सिरे से निर्धारित किया जाना चाहिए।

(च) ईपीसीजी योजना के अंतर्गत अनियमित डीटीए मंजूरी के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण

सेज के निर्गम से संबंधित सेज नियमावली, 2006 दर्शाती है कि इकाई को डीसी के अनुमोदन से सेज से बाहर किया जा सकता है और ऐसा निर्गम आयातित या स्वदेशी पूँजीगत माल, कच्चा सामान, संघटक, उपभोग्य, पूर्जें और स्टॉक में तैयार माल पर लागू शुल्कों के भुगतान के अंतर्गत होंगे,

यद्यपि वह इकाई जिसने सकारत्मक एनएफई प्राप्त नहीं किये गये, उस निर्गम पर वह जुर्माना लगाया जाएगा जो कि एफटी (डीएंडआर) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत उस पर लागू होता है। इसके अतिरिक्त, एकल समय विकल्प के रूप में, डीसी योजना के अंतर्गत पात्रता मानदंड पूरा करने वाली इकाई के अंतर्गत ईपीसीजी योजना के अधीन पूँजीगत माल पर शुल्क के भुगतान पर सेज़ जोन से निर्गम के लिए इकाई को अनुमति प्रदान कर सकता है।

मै. श्री गणेश ज्वैलरी हाऊस लिमिटेड (इकाई I और इकाई III), मणीकंचन सेज ने ईपीसीजी योजना के अंतर्गत ₹ 1.56 लाख की तीन प्रतिशत रियायती शुल्क के भुगतान पर अपनी डीटीए इकाई के लिए इकाई के पूंजीगत माल मंजूर किया, सेज योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त आयात किया ईपीसीजी योजना के अंतर्गत पूंजीगत माल (सीजी) की डीटीए मंजूरी सेज नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन था क्योंकि उक्त पूंजीगत माल के हटाये जाने के समय पर सेज योजना न तो निर्गम न ही डिबोंडिंग कर रही थी। इसलिए सेज से डीटीए को शुल्क मुक्त खरीदी गई सीजी की कोई भी मंजूरी के समय पर पूर्ण शुल्क के भुगतान पर दी जानी चाहिए और ईपीसीजी योजना के अंतर्गत रियायती दर के भुगतान पर नहीं दी जानी चाहिए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 10.69 करोड़ तक शुल्क का कम उद्ग्रहण किया गया।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(छ) पुन: निर्यात विवरण के अभाव में पूर्व-निर्धारित शुल्क की गैर-वसूली

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत, सीमाशुल्क के आयात शुल्क सभी आयात सामान पर उद्ग्राह्य हैं, और कोई अंतर नहीं किया जाता है चाहे निर्यात किये जाने वाला माल पूर्ववत ही शुल्क प्रभारित हो; विशेष उद्देश्यों हेतु निर्यात किये जाने के बाद पुन: आयात किये जा रहा हो। इसी प्रकार, चाहे माल को स्वदेश में ही निर्मित किया गया है या शुल्क वापसी दावे या किसी निर्यात प्रोत्साहन दावे के बिना भी जिसे विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत पहले ही निर्यात किया जा चुका था, जब ये पुन: आयात किये जाते है तो आयात किये जाने वाले माल पर सीमाशुल्क उद्ग्राह्य होगी जब तक कि छूट अधिसूचना जारी नहीं की जाती।

भारत विनिर्मित माल या इसका कोई भाग मरम्मत/पुन: ठीक करने/पुन: प्रसंस्करण/परिष्कृत करने/पुन: निर्माण हेतु जिसका पुन: आयात किया जाता है, वे वह शर्त सहित शुल्क से छूट प्राप्त होगा कि पुन: आयात विनिर्दिष्ट अवधि में किया जाएगा, माल के पुन: आयात के छ: महीनों के अंदर उसे पुन: निर्यात किया जाएगा; सीमाशुल्क के सहायक/उप कमिश्नर माल की पहचान के संबंध में संतुष्ट है, और बांड को लागू करने सहित पुन: निर्यात की विशेष अन्य शर्तें पूरी की गई है।

एसीसी, बैंगलोर में बीईज़ की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि नौ[10] आयातकों ने मरम्मत और वापसी, प्रदर्शनी और वापसी हेतु 32 बीईज़ द्वारा ₹ 10.07 करोड़ के पूर्व निर्धारित किये गये शुल्क ₹ 34.26 करोड़ के निर्धारण योग्य मूल्य वाले माल का सीटीएच के अध्याय-71 के अंतर्गत पुन: आयात किया। यद्यपि, उनके पुन: निर्यात के विवरण उपलब्ध नहीं कराये गये थे। पुन: निर्यात प्रमाण के अभाव में, पूर्वनिर्धारित शुल्क राशि वसूली योग्य है।

अपने उत्तर में सीबीईसी ने कहा (दिसम्बर 2015) कि निर्यातित माल प्रदर्शनी और अन्य उद्देश्यों के लिए ज्वैलरी थीं, दिनांक 16 दिसम्बर 2015 की अधिसूचना; जो कि बाद की पुन: निर्यात की शर्तो को विनिर्दिष्ट नहीं करती हैं, के अंतर्गत पात्रता छूट प्राप्त करते हुए भारत में पुन: आयात किया गया।

उपरोक्त सीमाशुल्क अधिनियम के प्रावधान के मद्देनजर उत्तर स्वीकार्य नहीं है।

(ज) घरेलू उद्देश्य हेतु आयातित सोने की छड़ो की अनियमित मंजूरी

दिनांक 14 सितम्बर 2013 के सीबीईसी परिपत्र के साथ पठित दिनांक 14 अगस्त 2013 के आरबीआई परिपत्र के अनुसार, सेज़ इकाईयां, इओयू, पीटीएच और एसटीएच केवल निर्यात उद्देश्यों के लिए अनन्य रूप से सोना आयात कर सकती हैं और ये सत्त्व निर्यात (इस पर ध्यान दिये बिना कि क्या

---

[10] मै. अनमोल स्वर्ण (इंडिया) प्रा. लि., मै. सी. कृष्णा चेट्टी एंड संस प्रा. लि., मै. फेसे डायमंड प्रोसैसिंग प्रा. लि., मै. इंडो स्टार, मै. निशा ज्वैल डिजाईनर, मै. पिकोक ज्वैलरी लि., मै. सु.रज डायमंड एंड ज्वैलरी लि., मै. टाईटन इंडस्ट्रीज लि., मै. विसम डायमंडस एंड ज्वैलरी लि.

ये नामित एजेंसिया है या नहीं) की अपेक्षा किसी अन्य उद्देश्य के लिए आयातित सोने की मंज़ूरी की आज्ञा नहीं देंगे।

मै. श्री गणेश ज्वैलरी हाऊस (I) लि. कोलकाता, ने 26 अगस्त 2013 को कोलकाता (हवाई अड्डा) से सोने की छडो (125 किग्रा.) की एक खेप आयात की। यद्यपि 125 किग्रा में से, 100 कि.ग्रा. की सोने की छड़े उपरोक्त प्रतिबंधित शर्तों के विपरीत क्रमश: ₹ 2.33 करोड़ तथा ₹ 77.58 लाख की सीमा शुल्क के भुगतान के प्रति 30 अगस्त 2013 पर प्रविष्टि की दो एक्स-बांड बिलों के अंतर्गत घरेलू उद्देश्य के लिए मंजूरी दी गई थी। शुल्क निर्धारण करते समय, सीमा शुल्क विभाग द्वारा घरेलू मंज़ूरी के लिए उक्त प्रतिबंधों की अनेदेखी भी की गई।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

3.2 छूटों की अनियमित मंज़ूरी के मामले

(क) जैम भराई लाइसेंसों की अधिक मंज़ूरी

एचबीपी के अनुसार, जैम भराई प्राधिकरण महंगे स्टोन, कम मंहगे और सिंथेटिक स्टोन और पर्ल मोतियों के आयात के लिए वैध होंगे। एफटीपी दर्शाता है कि जैम भराई प्राधिकरण एचबीपी के परिशिष्ट में दिये गये स्केल के अनुसार उपलब्ध होंगे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 2010-11 से 2014-15 के दौरान ₹ 25.23 करोड़ की सीआईएफ मूल्य की जैम भराई प्राधिकरण योजना के अंतर्गत आरएलए मुंबई ने 86 लाइसेंस प्राधिकृत किये। ये लाइसेंस एचबीपी के दिये गये मानदंड के अनुसार एफओबी मूल्य के 60 प्रतिशत की अपेक्षा मोतियों के किये गये निर्यात के कुल एफओबी मूल्य के 65 प्रतिशत की दर पर सीआईएफ मूल्य के प्राधिकरण हेतु अनसेट/अनड्रिलिड असली और कृत्रिम मोतियों के आयात के लिए जारी किये गये थे। इस कारण ₹ 1.94 करोड़ के सीआईएफ मूल्य की अधिक अनुज्ञप्ति हुई।

इसी प्रकार, मै. मेहर चंद जैन एंड संस, आरएलए जयपुर के मामले में वर्ष 2011-12 में 11 एसबी द्वारा निर्यातित सोने और चाँदी के आभुषणों के लिए ₹ 2.15 करोड़ के जैम आरईपी अधिकार पत्र जारी किये जिनके प्रति ₹ 3.75

करोड़ वसूल किये गये। हकदारी मानदंड के अनुसार, निर्यातक ₹ 1.87 करोड़ अर्थात वसूले गये एफओवी मूल्य के 50 प्रतिशत के लिए हकदार था। इस प्रकार, ₹ 28.15 लाख तक जैम भराई लाइसैंस की अधिक मंजूरी दी गई थी।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2015) कि अधिक हकदारी को सौंपने के लिए आरए, मुंबई के अंतर्गत मामलों के संबंध में अधिकार-पत्र धारकों से एफटीडी और आर अधिनियम, 1992 के अंतर्गत एससीएन जारी किया गया था।

अंतिम परिणाम लेखापरीक्षा को सौंप दिये जाएंगे।

(ख) डीएफआईए के अंतर्गत मूल्यवर्धन का प्राप्त न होना

₹ 1,262.21 करोड़ के सीआईएफ मूल्य हेतु 48.09.180 कि.ग्रा. की सोने की छड़ों के आयात के लिए जेडीजीएफटी, बैंगलोर द्वारा 14 अगस्त 2013 को डीएफआईए लाइसेंस राजेश एक्सपोर्ट को इस शर्त पर जारी किया था कि आयातक को ₹ 1,281.16 करोड़ के एफओबीमूल्य के ''99.5 प्रतिशत और इससे अधिक उत्कृष्टता के सोने के सिक्के'' के 4797.188 कि.गा. निर्यात करने आवश्यक हैं। सीआईएफ और एफओबी मूल्य को क्रमश: ₹ 1,262.21 करोड़ और ₹ 1,400.61 करोड़ को आगे संशोधित किया (12 सितम्बर2013)।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि 11 बीई द्वारा 4809.1725 कि.ग्रा. की सोने की छड़े आयातक द्वारा यूएसडी 213298479.9 के सीआईएफ मूल्य हेतु एसीसी, बैंगलोर द्वारा आयात की गई थीं। उक्त माल पर पूर्व निर्धारित शुल्क ₹ 405.07 करोड़ था। एचबीपी के अनुसार, यूएसडी 216497957 का मूल्यवर्धन प्राप्त किया जाना है। आयातक ने निर्यात किया (11 एसबीज़ द्वारा) और यूएसडी 49592 (₹ 29.58 लाख लगभग) की कम वसूली करते हुए यूएसडी 216448365 की वसूली की।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित हैं (जनवरी 2016)।

(ग) मूल्य वर्धन की प्राप्ति न होना

एफटीपी के अनुसार 'विदेशी खरीददार द्वारा आपूर्ति के प्रति निर्यात' हेतु योजना के अंतर्गत नामित एजेंसी या स्टेटस धारक द्वारा जब भारत में आयात किया गया, तो उस पर उद्ग्राहय कुल सीमाशुल्क और सीमाशुल्क का

अतिरिक्त शुल्क से इसे दिनांक 5 मई 2000 की अधिसूचना सीटीएच के अध्याय 71 के अंतर्गत आने वालीसोना/चांदी प्लेटिनम आदि को छूट प्रदान करती है। एफटीपी में निर्धारण के अनुसार मूल्य वधर्न या निर्यात दायित्व को पूरा न करने के मामले में, स्टेटस धारक को शुल्क भुगतान की तिथि तक शल्क मुक्त आयात की तिथि से 20 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ब्याज सहित उक्त आयात पर शुल्क अदा करना होगा।

इसके अतिरिक्त, एचबीपी के अनुसार, 3 प्रतिशत का न्यूनतम मूल्य वर्धन सामान्य सोने के आभूषणों पर अपेक्षित थी।

(I) एक एसटीएच मै. श्री गणेश ज्वैलरी हाऊस (ई) लिमि., कोलकाता ने 25 कि.ग्रा. की सोने की छड़ों (कुल पूर्व निर्धारित शुल्क राशि- ₹ 77.07 लाख) का शुल्क मुक्त मंजूरी प्रदान की।

आयात ने निर्यात ने प्रमाण के रूप में दिनांक 07 सितम्बर 2013 की एसबी प्रस्तुत की। यद्यपि, 12/2014 को समाप्त अवधि बकाया निर्यात वसूली विवरण (एक्सओएस) के अनुसार, उक्त एसबी में निर्दिष्ट ₹ 10.13 के निर्यात की एक ओबी मूल्य की निर्यात वसूली नहीं की गई। इसलिए, निर्यात मूल्य वर्धन हेतु नहीं आंका गया था। इस प्रकार, आयातक को ₹ 29.81 लाख के ब्याज सहित ₹ 77.07 लाख के कुल हुए प्राप्त शुल्क को अदा करना था।

इसके अतिरिक्त, निर्यात बीजक की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि उपर्युक्त एसबी के अंतर्गत निर्यात द बैंक आफ नोवा स्कोटिया, मुंबई से खरीदी गई अन्य 10 कि.ग्रा. की सोने की छड़ों के प्रति था। एसबी के प्रति कोई निर्यात वसूली नहीं की गई थी, इस सोने के प्रति निर्यात दायित्व (अर्थात मूल्य वर्धन) पूरे नहीं किया गया था जिसके लिए लागू ब्याज के साथ शुल्क छूट वसूली योग्य थी।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(II) मै. इडसइंड बैंक लिमि., कोलकाता और मै. इडलवैस कमोडीटीज़ सर्विसेज लिमिटेड (एनए/एसटीएच क्रमश:) ने आयातक नामश: मै. इडंलवैस कमोडिज़ लिमिटेड और मै. इडलवैस कमोडीटीज़ सर्विसेज लिमिटेड ने क्रमश: भंडारित निर्यातित 100 कि.ग्रा. और 20 कि.ग्रा. की सोने की छड़े शुल्क मुक्त

प्रदान की। उपर्युक्त निर्दिष्ट आयातकों ने सामान्य सोने के आभुषण निर्यात किये परंतु अपेक्षित 3 प्रतिशत का न्यूनतम मूल्य वर्धन प्राप्त करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप एनए/एसटीएच से वसूली योग्य लागू ब्याज के साथ ₹ 3.22 करोड़ के अनुपातिक शुल्क छोड़ा गया।

(III) मै. श्रीनुज एंड कंपनी लिमि. (ट्रेडिंग खंड) इकाई ने तराशे और पॉलिश किये गये डायमंड, सामान्य और जड़ित सोने और प्लेटिनम तथा चांदी के आभुषण, धातु और उपयोग योग्य व्यापार गतिविधियों हेतु 08 मई 2003 को एक एलओए जारी किया तथा उक्त को ट्रेडिंग इकाई से निर्माण इकाई में बदलने की पांच वर्ष की आगामी अवधि हेतु 08 अप्रैल 2013 तक आगे बढ़ा दिया। यद्यपि, इकाई द्वारा दाखिल की गई 2013-14 की एपीआर से पता चला कि 2013-14 के दौरान विनिर्दिष्ट मूल्य वर्धन अर्थात जड़ित आभूषणों के निर्यात हेतु 5 प्रतिशत ₹ 17.64 करोड़ तक कम था।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(घ) एनएफई की प्राप्ति

(i) एक सेज इकाई मै. राजेश एक्सपोर्ट लिमि. ने 15 नवम्बर 2007 को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया। इकाई ने यूएस डॉलर के परिवर्तन हेतु आरबीआई दैनिक संदर्भ दर अपनाते हुए रूपये के रूप में 2007-08 से 2011-12 (सितम्बर 2012 तक) की अवधि हेतु एपीआर प्रमाणित सीए प्रस्तुत किया और एनएफई को सकारात्मक दर्शाया तथा एलओए के नवीकरण हेतु आवेदन किया। डीसी, सीएसईजैड ने आवेदन स्वीकार किया तथा 15 नवम्बर 2012 से प्रभावी पांच वर्षों की आगामी अवधि हेतु वैधता को आगे बढ़ाया।

डीसी, सीएसईजैड (जनवरी 2013) ने इकाई के निष्पादन की समीक्षा हेतु प्राधिकृत बैंक द्वारा प्रमाणित कंप्यूटेशन सहित डालर के रूप में एपीआर प्रमाणित सीए फाईल करने के लिए इकाई को निदेश दिये। यद्यपि, इकाई ने आवश्यकतानुसार प्राधिकृत बैंक द्वारा प्रमाणित डाटा प्रस्तुत नहीं किया। इसके विपरीत, उन्होंने आयात और निर्यात के विवरण प्रस्तुत किये तथा आरबीआई संदर्भ दर पर आधारित पांच वर्षों के ब्लॉक हेतु ₹ 118.66 करोड़ के सकारात्मक एनएफई का दावा किया।

सीएसइजैड द्वारा उपलब्ध कराये गये सोने के आयात और निर्यात से संबंधित डाटा की लेखापरीक्षा संवीक्षा तथा इकाई के स्टॉक रजिस्टर से पता चला कि वस्तविक रूप से इकाई ने ₹ 87,150.37 करोड़ के कुल सीआईएफ मूल्य वाले 456862.08 कि.ग्रा. सोना आयात किया जिसके प्रति 15 नवम्बर 2007 से 14 नवम्बर 2012 तक की अवधि हेतु ₹ 85,541.26 करोड़ के एफओबी मूल्य सहित 456862.08 कि.ग्रा. के आभूषण इकाई ने निर्यात किये। स्टॉक रजिस्टर के अनुसार पांच वर्षों के प्रथम ब्लॉक के अंत में सोने का क्लोजिंग स्टॉक 4.02 कि.ग्रा. था। इस प्रकार, इकाई वसूली योग्य तथा एफटी (डीएंडआर) अधिनियम के अनुसार, ₹ 215.92 करोड़ के साथ ₹ 1609.10 करोड़ तक सकारात्मक एनएफई प्राप्त करने में विफल रही। विभाग सेज के पास उपलब्ध डाटा से इकाई द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरण का प्रति-सत्यापन करने में विफल रहा।

चूंकि इकाई डीसी के निदेशों तथा मंत्रालय के निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रही, अनुमोदन समिति द्वारा 15 नवम्बर 2012 से आरंभ 5 वर्ष की आगामी अवधि हेतु मंजूर किया गया अतिरिक्त समय अनियमित था। इसके विपरीत, एलओए को रद्द किया जाना चाहिए था क्योंकि इकाई ने एनएफई की प्राप्ति से संबंधित गलत सूचना प्रस्तुत कर तथ्यों को अनुचित ढंग से प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त समय प्राप्त करने के बाद, इकाई ने 38037.838 किग्रा. सोने का आयात किया जिस पर पूर्व निश्चित शुल्क ₹ 594.33 करोड़ था जिसे ब्याज सहित वसूल किया जा सकता है क्योंकि दिया गया अतिरिक्त समय अनियमित था।

इसी प्रकार, कोचीन सेज में मै. एसजेआर कमोडिटीज़ और कंसल्टेंसिज़ प्रा. लिमि., कोहीनूर डायमंडस प्रा. लिमि., जेआर डायमंड्स प्रा. लिमि., और सु-रज ज्वैलरी (इंडिया) लिमि. सोने के सिक्कों के केवल निर्माण सहित सोने में ट्रेडिंग गतिविधियां अनुमत न करते हुए दिनांक 25 अप्रैल 2013 के मंत्रालय के निर्णय के परिणामस्वरूप 2013 में सेज योजना से बाहर निकल गये। उपर्युक्त सभी इकाईयों ने सेज में कार्य करने के 2-3 वर्ष पूरे किये थे और उनके द्वारा फाईल किये गये एपीआर के अनुसार एनएफई नकारात्मक थे।

इकाईयों ने पूर्ण निर्यात नहीं किया था और निर्यातित माल का मूल्य वसूल नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक एनएफई की प्राप्ति नहीं हो सकी तथा इसके परिणामत: इकाईयों को ₹ 24.45 करोड़ का शुल्क अदा करना था। इसके अतिरिक्त, इन इकाईयों पर एफटी (डीएंडआर) अधिनियम 1992 के अंतर्गत शास्ति कार्रवाई की जानी थी।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(ii) लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि एनसेज, नोयडा के अंतर्गत मै. एसआरएस लिमि.ने एपीआर में वर्ष 2013-14 हेतु सेज डाटा के अनुसार ₹ 329.17 करोड़ के स्थान पर ₹ 337.50 करोड़ की राशि के निर्यात दर्शाये थे। इसके परिणामस्वरूप एपीआर में ₹ 8.33 करोड़ के एनएफई राशि अधिक रिपोर्ट की गई।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(iii) डीसी (सुरसेज), सचिन, सुरत के अंतर्गत आने वाले मै. श्री नानशारदा ज्वैलरी के दो डिवीजन थे, एक निर्माण के लिए और दूसरी ट्रेडिंग के लिए जिसके लिए अलग-अलग एपीआरज़ फाईल किये गये थे। 2012-13 और 2013-14 की अवधि हेतु ट्रेडिंग डिवीजन के लिए फाईल की गई एपीआर की संवीक्षा से पता चला कि एनएफई ₹ 2.01 करोड़ (नकारात्मक) था। यद्यपि, इकाई ने अपनी एपीआर में ₹ 2.06 करोड़ (सकारात्मक) के रूप में संचयी एनएफई रिपोर्ट की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.07 करोड़ तक एनएफई को अधिक बताया गया।

डीसी (सुरसेज), सचिन, सुरत ने उत्तर दिया (जून 2015) कि सेज अधिनियम और नियमावली के प्रावधान के अंतर्गत, इकाई को केवल सकारात्मक एनएफई अर्जक होना आवश्यक है और अलग-अलग विभिन्न गतिविधियों हेतु सकारात्मक एनएफई प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

विभाग का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि अलग से पंजीकृत विनिर्माण और ट्रेडिंग इकाईयों के एनएफई को अलग एनएफई प्राप्त करने होंगे।

(iv) मै. अभिनंदन एक्सपोर्टस, एक सुरसेज इकाई एफओबी मूल्य को ध्यान में रखने की वजाय 2011-12 से 2013-14 के दौरान एनएफई संगणना करते

हुए मालभाड़ा और विनिमय दर अस्थिरता सहित कुल वसूली गई राशि प्राप्त की जिसके कारण ₹ 1.96 करोड़ के एनएफई की अधिक संगणना की गई।

इंगित किये जाने पर (जून 2015), विभाग ने उत्तर दिया (जून 2015) कि इकाई को संशोधित एपीआर फाईल करने का निदेश दिया गया है।

अंतिम निषकर्ष लेखापरीक्षा को सूचित किया जा सकता है।

(v) डीसी(सुरसेज), सचिन सुरत के अंतर्गत आने वाले मै. फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल ने 2013-14 के दोरान नोवा सकोटिया बैंक से ₹ 12.05 करोड़ का सोना खरीदा जिसे एवीआर में दर्शाये गये आयात की सीआईएफ मूल्य में दर्शाया नहीं गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.05 करोड़ तक एनएफई अधिक सूचित किया गया।

इसे इंगित किये जाने पर (अप्रैल 2015), डीसी (सुरसेज), सचिन, सुरत ने उत्तर दिया (जून 2015) कि इकाई को संशोधित एपीआर फाईल करने का निर्देश दिया गया है।

इसी प्रकार, रेंज-I, सिटी प्रभाग, भावनगर के क्षेत्राधिकार में आती है, एक 100 प्रतिशत ईओयू मै. रिनेसांस ज्वैलरी लिमि. ने एमएमटीसी और बैंक से ₹ 130.34 करोड़ मूल्य की सोने के छड़े खरीदी जिसमें आयातों के सीआईएफ मूल्य शामिल नहीं किये गये थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 130.34 करोड़ तक संचयी एनएफई को अधिक सूचित किया गया। इस प्रकार, एपीआर ने इकाई का वास्तविक निष्पादन नहीं दर्शाया, एनएफईई को एपीआर में उचित रूप से नहीं बताया गया था। विभाग के पास एपीआर में डाटा के सटीकता के सत्यापन के लिए कोई तंत्र नहीं था।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(vi) इसी प्रकार डीसी सेज I और डीसी सेज II, जयपुर के अंतर्गत नौ इकाईयों ने या तो आयात के सीआईएफ मूल्य में नामित एजेंसियों/सेज इकाईयों से उनकी खरीद शामिल नहीं की या एफओवी मूल्य में प्रदर्शनी/नमूने जिसे भारत में आयात किया गया था के संबंध में निर्यात के मूल्य को शामिल कर ₹ 27.52 करोड़ तक उनका एनएफईई को अधिक बताया गया था।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(vii) दिनांक 20 नवम्बर 2012, 20 मई 2013 और 20 नवम्बर 2014 के आरबीआई के परिपत्र के अनुसार, निर्यात तिथि से 12 महीनों की अवधि में वसूल किये जाने थे ताकि विदेशी विनिमय का सही मूल्य एनएफई गणना के उद्देश्य हेतु प्राप्त किया जा सके।

लेखापरीक्षा ने देखा कि तीन सुर सेज इकाईयो, कासेज गांधीधाम के अंतर्गत इओयू मे एक इका, सेज जयपुर मे छह इकाइयो लखनऊ मे सात इकाइयां, और मानिकचर सेज कोलकाता मे चार इकाइयो के निर्यात की वसूली अनुमत सीमा से विलंब से की गई थी। निर्यात लाभ की कुल राशि जिसकी वसूली लंबित थी ₹ 3,978.27 करोड़ थी (परिशिष्ट 12)।

इसे इंगित किये जाने पर (मई-जुलाई 2015), डीसी सुरसेज सचिन सूरत ने उत्तर दिया (जून 2015) कि उन्होंने लंबित वसूली निर्यात लाभ के संबंध में परिपत्र जारी किया है। इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि इकाईयों ने सूचित किया है कि मामला आरबीआई और इकाई के प्राधिकृत बैंक के विचाराधीन था। अत: विभाग ने मामले को अंतिम रूप देने के लिए तीस दिनों की अनुमति दी थी, जिसमें असफल रहने पर एससीएन जारी किया जाएगा। अन्य डीसीज़ से उत्तर प्रतीक्षित है।

(ड) ईपीसीजी लाइसेंस के ईओ का गलत निर्धारण

कोई ईपीसीजी अधिकार पत्र धारक अधिकार-पत्र जारी करने की तिथि से 8 वर्षो मे पूरी की जाने वाले ईपीसीजी योजनाओं के अंतर्गत आयातित पूंजीगत माल पर बचाया गया शुल्क से 8 गुणा के समान निर्यात दायित्व सहित शून्य और 3 प्रतिशत सीमाशुल्क कंप्यूटर साफ्टवेयर प्रणाली सहित उत्पादन-पूर्व उत्पादन और पश्च उत्पादन के लिए पूंजीगत माल का निर्यात अनुमत किया।

आरएलए मुंबई के रिकॉर्डों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 2010-11 से 2014-15 के दौरान ईपीसीजी लाइसेंस हेतु आवेदन भरते समय प्राप्त किये गये ईपीसीजी लाईसेंस पूंजीगत सामान (मै. सरीन टेक्नॉलाजिज लिमि., ईजरायल से आयातित डायमंड स्कैनिंग मशीन) के मूल्य को गलत घोषित किया। मै. सरीन टेक्नॉलाजिज लिमि., ईजरायल ने मशीनरी के बीजक अलग-अलग कर दिये और 2012-13 तक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हेतु दो अलग

बीजक अलग-अलग प्रस्तुत किये तथा आवेदन भरते समय इओ की संगणना हेतु हार्डवेयर बीजकों का लाइसेंस प्राप्तकर्त्ता ने ध्यान रखा तथा उक्त को ही आरएलए मुंबई द्वारा स्वीकृत किया गया था। अत: घटाये गये सीआईएफ मूल्य पर राशि को ध्यान में रखते हुए 2012-13 तक मशीनरी हेतु लाइसेंस जारी किये गये इसलिए निम्न स्तर पर ही निर्यात दायित्व निर्धारित किये। सॉफ्टवेयर बीजक को विचाराधीन न रखने के कारण बारह लाइसेंस प्राप्तकर्त्ताओं (परिशिष्ट 13) को जारी किये गये लाइसेंस के प्रति ईओ को ₹ 177.85 करोड़ तक कम निर्धारित किये गये। विभाग सभी अधिकार-पत्रों की समीक्षा कर सकता है और लेखापरीक्षा के लिए सूचना के अंतर्गत ईओ संशोधित कर सकता है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2015) कि डीजीसीईआई ने सेवा कर की मांग वाले सभी मामलों में कारण बताओं नोटिस जारी किये। डीआरआई ने सीमा शुल्क की मांग वाले सभी मामलों में कारण बताओं नोटिस जारी किये। विषय जटिल है क्योंकि पहली नजर में दोनों आधार ही तर्कसंगत प्रतीत होते है। उक्त लेन-देन पर दो करों का उद्ग्रहण कानून रोक नहीं लगा सकता है। बीएसएनएल के प्रसिद्ध मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि वैट और सेवा कर उक्त लेन-देन पर उद्ग्रहण किया जा सकता है।

ईपीसीजी लाइसेंस के निर्यात दायित्व की गणना करते समय सॉफ्टवेयर के सीआईएफ मूल्य को शामिल न करने के मामले पर विभाग का उत्तर तर्कपूर्ण नहीं है।

(च) ईपीसीजी लाईसेंसों के कारण एईओ का कम निर्धारण

ईपीसीजी अधिकार पत्र जिसे प्राप्त नहीं किया गया था; के प्रति किये गये एचबीपी निर्यात के अनुसार, बाद के ईपीसीजी अधिकार पत्र के उद्देश्यों के लिए औसत निर्यात निष्पादन की गणना के लिए नहीं जोड़ा जाएगा।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि इपीसीजी लाइसेंस निर्यात दायित्व को पूरा करने के बावजूद लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं भर रहे थे क्योंकि लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन भरने के लिए एफटीपी के साथ-साथ एचबीपी में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है। इसके कारण बाद के लाईसेंसों

में औसत निर्यात दायित्व कम निर्धारित किये गये। हमारे विचारानुसार निर्यात दायित्व के पूरा होने के बाद ईपीसीजी लाइसेंसों को प्राप्त करने के लिए समय-सीमा आरंभ की जा सकती है।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2015) कि 18 अप्रैल 2013 को संशोधित ईपीसीजी योजना के मामले पर विचार किया गया और अब किसी ईपीसीजी लाइसेंस के प्रति विशिष्ट निर्यात दायित्व को पूरा करने के प्रति किये गये सभी निर्यात औसत निर्यात दायित्व की गणना के लिए नहीं आके जाएंगे।

डीजीएफटी का उत्तर ईओ को पूरा करने के बाद ईपीसीजी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए समय-सीमा प्रदान करने के मामले को नहीं दर्शाता। इससे ईओडीसी लंबित पड़े रहेंगे जिसका प्रभाव सीमा-शुल्क विभाग द्वारा बांड के प्रबंधन और डीजीएफटी द्वारा लेन-देन को बंद करने के प्रबंधन पर पड़ता है।

(छ) ईपीसीजी लाइसेंसों को रद्द न करना

एफटीपी और एचबीपी ने कहा कि ईपीसीजी लाइसेंस धारकों (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में पंजीकृत हो या न हो) को आयात की पूर्णता की तिथि से छः महीनों के अंदर लाईसेंस धारक या उसके सहायक निर्यात की फैक्टरी/प्रांगण पर पूंजीगत माल के संस्थापन की पुष्टि करते हुए क्षेत्राधिकारी केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी से संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रमाण पर प्रस्तुत करेगा।

लेखापरीक्षा से पता चला कि आरएलए जयपुर के अंतर्गत जैम्स और ज्वैलरी के पांच निर्यातक 31 मार्च से 3 मार्च 2009 के दौरान जारी किये गये छः ईपीसीजी लाईसेंसों[11] के अंतर्गत आयात पूरे करने की तिथि से छः महीनों के अंदर संबंधित केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों/सनदी अभियंताओं से ईपीसीजी के अंतर्गत आयातित पूंजीगत माल का संस्थापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहे। विभाग ने लाइसेंस/अधिकार पत्र जारी करने की तिथि से छः से नौ वर्षों के बीच तक चूकपूर्ण अवधि के विलंब के बाद भी लाइसेंस के प्रति

[11] 1330001289/31.05.06, 1330001574/23.03.07, 1330001812/20.03.08, 1330001807/19.03.08, 1330002004/16.01.09 और 1330002050/09.03.09

कोई कार्रवाई नहीं की। एचवीपी की शर्तों को पूरा करने में असफल रहने पर लाईसेंस को रद्द किया जाना था और ₹ 55.79 लाख का बचाया गया सीमाशुल्क ब्याज सहित वसूली योग्य था।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(ज) ईपीसीजी लाइसेंस की गलत प्राप्ति

एचबीपी के अनुसार, अधिकार-पत्र धारकों को निर्यात दायित्व पूर्ण करने के प्रमाण प्रस्तुत करने थे। इसके अतिरिक्त, ईपीसीजी अधिकार-पत्र जिन्हें प्राप्त नहीं किये गये थे, के प्रति किये गये निर्यात को बाद के ईपीसीजी अधिकार-पत्र के उद्देश्य के लिए औसत निर्यात निष्पादन की संगणना के लिए नहीं जोड़ा गया था।

गलत प्राप्ति का एक मामला आरएलए जयपुर में पाया गया था। 14 नवम्बर 2005 को मै. सिल्वैक्स एंड कं. इंडिया लिमि. ₹ 4.54 लाख की बचाई गई राशि सहित ईपीसीजी लाइसेंस जारी किया गया था जिसके लिए ईओ और एईओ क्रमश: ₹ 27.24 लाख और ₹ 5.78 करोड़ निर्धारित किये गये थे और 2009 में लाइसेंस भुनाया गया था। लाइसेंस के प्रति आयातित मशीनरी 18 अप्रैल 2006 को संस्थापित की गई थी। यद्यपि, लाईसेंस प्राप्तकर्त्ता ने इओ पूरा करने के लिए 19 अप्रैल 2005 से 12 अप्रैल 2006 से संबंधित एसबी प्रस्तुत किये, जो मशीनरी के संस्थापन की तिथि से पहले था और ईओ की पूर्णता के लिए पूरा नहीं माना जा सकता था। इसके परिणाम स्वरूप ईपीसीजी लाइसेंस की गलत प्राप्ति हुई।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

3.3 अधिनियम, नियम, निर्देशों एवं संचालन शर्तों का उल्लंघन

(क) वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन की अननुपालना

जेडीजीएफटी ₹ 1,000 करोड़ तक लाइसेंस जारी करने के लिए सशक्त है। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि एक लाईसेंस (सं.0710107785/10.03.15) सोने की छड़े आयात करने के लिए ₹ 1,690.02 करोड़ के सीआईएफ मूल्य हेतु मै. राजेश एक्सपोर्ट प्रा. लिमि., बैंगलोर को जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह भी अवलोकन किया गया था कि अन्य दो मामलों

में,जेडीजीएफटी ने अन्य दो फाइलों के संबंध में अनुमोदन प्राप्त करते हुए डीजीएफटी, नई दिल्ली को एक पत्र लिखा। यद्यपि, मै. राजेश एक्सपोर्ट प्रा. लिमि. को जारी किये गये लाइसेंस के मामले में जेडीजीएफटी द्वारा ऐसा कोई अनमोदन प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए, मै. राजेश एक्सपोर्ट प्रा. लिमि. को जारी किया गया लाइसेंस अनियमित था। विभाग लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए इस मामला में सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2015) कि आरएलए बैंगलोर से विवरण मंगाये गये हैं। कार्योत्तर अनुमोदन हेतु डीजीएफटी को मामला प्रस्तुत किया गया था।

अंतिम निष्कर्ष लेखापरीक्षा को सूचित किया जा सकता है।

(ख) विनिर्दिष्ट समय सीमा के अधिक होने से खारिज आभूषणों का पुन: आयात

एचवीपी के अनुसार, सामान्य/जडित महंगी धातु आभूषणों के निर्यातक पूर्व लाइसेंस वर्ष (पूर्व वर्ष के निर्यात की सीए प्रमाणित प्रति के आधार पर) में निर्यात के एफओबी मूल्य के दो प्रतिशत तक शुल्क मुक्त खरीददार द्वारा खारिज और वापस किये गये आभुषण का पुन: निर्यात अनुमत था। शुल्क मुक्त खारिज आभुषण के पुन: आयातके मामले में निर्यात के एफओबी मूल्य की विनिर्दिष्ट समय सीमा के बाद में किया गया है तो निर्यातकसीमाशुल्क नियमावली और विनियमों के अनुसार किये गये निवेश पर प्राप्त किये गये किसी शुल्क छूट/प्रतिदाय/भ्राई लाभ के प्रतिदाय के लिए देनदार होगा।

तीन निर्यातकों[12] के रिकॉर्डों की नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि 2010-11 से 2014-15 के दौरान पूर्वलाइसेंस वर्ष के दौरान 2.96 से 22.10 प्रतिशत के बीच किये गये निर्यात के एफओबी मूल्य के 2 प्रतिशत से अधिक ₹ 77.83 करोड़ की शुल्क मुक्त खारिज, आभुषण निर्यातक ने पुन: आयात किये। विनिर्दिष्ट अवधि के बाद किया गया शुल्क मुक्त खारिज किये गये आभुषणो के किये गये पुन: आयात के लिए ₹ 3.27

---

[12] कमिश्नर सीमाशुल्क जेजीएसई जयपुर के अंतर्गत मै. गोसिल एक्सपोर्ट प्रा. लिमि., जयिपुर, मै. सोनी इंटरनेशनल मैन्यूफ. कं., एफ-22, सेज-2, सीतापुर, जयपुर और मै. जीआईई ज्वैलसएफ-33, सेज-II सीतापुर, जयपुर

करोड़ की राशि के आभुषण को तैयार करने में किये गये निवेश पर प्राप्त किये गये किसी शुल्क छूट/प्रतिदाय/भराई लाभ के प्रतिदाय के लिए देनदार होगा। इन सभी मामलों की समीक्षा की जा सकती है और प्राप्त किये गये शुल्क लाभ लेखापरीक्षा की सूचना के अंतर्गत वसूले जा सकते हैं।

विभाग ने उत्तर दिया कि खेप आधारपर निर्यातित माल यदि मेले/प्रदर्शनी में नहीं बिकता या खरीददार द्वारा नहीं खरीदा जाता तो पुन: अयात किया गया। प्रत्यक्ष बिक्रीआधार पर माल रद्द किये जाने या मरम्मत उद्देश्यों के लिए भी पुन: आयात किया गया। निर्यातक ने एफओबी मूल्य के 2 प्रतिशत की सीमा के अंदर पुन: आयात के उद्देश्य हेतु पूर्व वर्ष के निर्यात के सीए प्रमाणित आंकडें प्रस्तुत किये थे।

विभाग के उत्तर में केवल नियम स्थिति को दर्शाया गया है और यह तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उपरोक्त निर्यातक ने मरम्मत के लिए पुन: आयातित और फिर पुन: निर्यातित सामान जिसके लिए विभाग का सत्यापन आवश्यक है। के समर्थन में दस्तावेज प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये।

(ग) एफटीपी की शर्तों को पूरा न करना

(i) एफटीपी के अनुसार, जैम्स और ज्वैलरी के निर्यातक निर्माण के लिए आयात/खरीद शुल्क मुक्त निवेश के लिए अनुमत हैं, यदि भार से 50 प्रतिशत चांदी से अधिक वाले आंशिक रूप से प्रसंस्कृत आभुषण, चांदी के बर्तन, चांदी की पट्टियां और सामान सहित गोल पदक और सिक्कों (वैध निविदा सिक्के और कोई इंजिनियरिंग सामान को छोड़कर सहित चांदी आभुषणों के तैयार किये गये हैं, मदों को निर्यात किया गया था।

जयपुर में सात मामलों में निर्यातकों[13] के उत्पादन रिकॉर्डों की नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि निर्यातकों ने शुल्क मुक्त चांदी (शुद्धता 0.999 फाईन) खरीदी और 688.89 कि.ग्रा. (1 से 49 प्रतिशत भार

[13] मै. धीरेवाला ज्वैलरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ई-73, ईपीआईपी, सीतापुरा, मै. वैभव ग्लोबल लिमिटेड, ईपीआईपी, जयपुर, मै. धीरेवाला ज्वैलरी मैन्यूफ. कंपनी लिमिटेड, एसईजैड-1, जयपुर, मै. जयपुर सिल्वर ज्वैलस प्रा. रजत लिमिटेड, एफ-21, एसईजैड-1, जयपुर, मै. मिलेनियम ज्वैलस, (100% ईओयू), ईपीआईपी, जयपुर, मै. मेगा ज्वैलस (प्रा.) लिमिटेड, एफ-57-58, ईपीआईपी, जयपुर और मै. सगुण रत्न प्रा. एसईजेड लिमिटेड मैं, जयपुर

तक) चांदी वाले 2570.3 कि.ग्रा. चांदी आभुषण निर्यात किये। निर्यातित चांदी आभुषण में चांदी भाग का अनुपात शुल्क मुक्त चांदी के आयात/खरीद के लाभ को प्राप्त करने के लिए निविर्दिष्ट अनुपात से कम था। इस प्रकार, ₹ 2.78 करोड़ के मूल्य वाले ₹ 688.89 कि.ग्रा. की मात्रापर ₹ 24.70 लाख की शुल्क राशि ब्याज सहित वसूली योग्य है।

लेखापरीक्षा ने यह भी अवलोकन किया कि आरएलए, जयपुर ने 35 एसबी के प्रति तीन निर्यातकों[14] से ₹ 3.87 करोड़ राशि के जैम आरईपी की अनियमित/अधिक मंजूरी दी। इन एसबीज द्वारा निर्यात किये गये आभुषणों में चांदी का भाग कुल निर्यातित मात्रा के भार के 50 प्रतिशत के निर्धारित नियम से कम था।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(ii) डीओसी ने 25 अप्रैल 2013 से लागू सेज द्वारा सोने, चांदी, प्लेटिनम अन्य महंगी धातु, हीरा और अन्य महंगे और कम महंगे स्टोन में व्यापार गतिविधियों को अनुमत नहीं किया।

एसईईपीजैड, मुंबई में स्थित इकाई मै. निओजैम (I) लिमि. को तराशे और पॉलिश किये गये हीरे, सोने और रफ हीरे की ट्रेडिंग हेतु 5 अक्तूबर 2001 को एलओए जारी किया और एलओए का पांच वर्षों की आगामी अवधि हेतु 2008 और 2013 में विस्तार किया गया। लेखापरीक्षा ने इकाई के एपीआर से अवलोकन किया कि एमओसी द्वारा सेज में ट्रेडिंग गतिविधियां की अनुमति न देने के बाद इकाई ट्रेडिंग गतिविधियां नहीं चला रही थी।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(iii) मै. इलीगैंट क्लैक्शन इकाई को सामान्य और जड़ित सोने, प्लेटिनम और चांदी के आभूषणों को तैयार करने के लिए एलओए जारी किया। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट (फार्म-3 सीडी) अवलोकन किया कि इकाई ने कच्चा माल जैसे 96 कि.ग्रा. चांदी और 446.71 कैरट महंगे स्टोन

[14] एग्जोटिक इंडिया, जयपुर, गोसिल इक्सपोर्टस (प्रा.) लिमि., जयपुर और सिल्वैक्स इमेजिज़ इंडिया (प्रा.) लिमि. जयपुर।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान बेचे थे जबकि एलओए ने उसे उत्पादन इकाई के रूप में प्रदान किया गया था न कि ट्रेडिंग इकाई के रूप में।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(iv) 48000 सेट की वार्षिक क्षमता के साथ सामान्य और जड़ित सोने, प्लेटिनम और चांदी आभुषणों के तैयार करने और निर्यात करने के लिए एसईईपीजैड, मुंबई में स्थित मै. सिडस ज्वैलस प्रा. लिमि. इकाई को 2008 में एलओए जारी किया गया था। अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए 2013 में एलओए का दोबारा बढ़ाया गया। वार्षिक लेखे और कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि इकाई ₹ 1,350.36 करोड़ के अधिकतम मूल्य सहित वि.व. 2009-10 से 2013-14 के दौरान प्राधिकृत वार्षिक क्षमता से आगे बढ़ गई थी। अनुमोदित क्षमता से लगातार उच्च उत्पादन इकाई द्वारा की जा रही अप्राधिकृत गतिविधि के जोखिम से भरा हुआ था। एफटी (डीआर) अधिनियम 1992 के अंतर्गत एलओए की शर्त का उल्लंघन के लिए जुर्माना देय है।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(v) सामान्य सोने/जड़ित सोने के आभूषण, गोल पदक और सिक्कों के तैयार करने और निर्यात हेतु 09 मार्च 2000 को मै. राजेश एक्सपोर्ट, बैंगलोर को एलओपी जारी किया गया था। आगे के 5 वर्षों की अवधि हेतु 09 सितम्बर 2005 को एलओपी का बढ़ाया गया था।

ईओयू योजना से सैद्धांतिक एग्जिट हेतु 17 जुलाई 2012 को आवेदन किया गया और उत्पाद शुल्क विभाग से एओसी के लिए आवेदन किया गया। उत्पाद शुल्क विभाग ने इकाई को एनओसी के लिए इंकार कर दिया क्योंकि एलओपी 2010 में समाप्त हो चुका था और इकाई ने एलओपी के नवीकरण हेतु आवेदन नहीं किया था। उत्पाद शुल्क विभाग के इन्कार के बाद, इकाई ने इओयू योजना से डि-बोडिंग और इग्जिट की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए इकाई को समर्थ बनाने के लिए 23 अगस्त 2012 को एलओपी नवीकरण हेतु आवेदन किया। इकाई अभी भी किसी वैध को एलओपी के बिना इओयू की स्थिति में बनी हुई है।

इसी प्रकार, जड़ित और सामान्य ज्वैलरी तैयार करने निर्यात हेतु 12 सितम्बर 2005 को ईओयू इकाई के रूप में मुंबई में स्थित मै. टिलाईट ज्वैलरी प्रा. लिमि. इकाई को एलओपी प्रदान किया गया था। इकाई ने 27 जनवरी 2006 को उत्पादन आरंभ कर दिया था। इकाई ने 17 फरवरी 2011 को पांच वर्षों की अवधि हेतु विस्तार का अनुरोध किया। डीसी (एसईईपीजैड-सेज) ने 1 अप्रैल 2011 से लागू आगे के पांच वर्षों अर्थात् 2011-12 से 2015-16 के लिए एलओपी को आगे बढ़ाया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 27 जनवरी 2011 से 31 मार्च 2011 की अवधि के दौरान, एलओपी के समाप्त होने के बावजूद भी इकाई ने किसी एलओपी के बिना ही ईओयू के रूप में कार्य चालू रखा और एक ईओयू इकाई के लिए प्रदत्त सभी लाभ प्राप्त किये। उक्त अवधि के दौरान आयातित शुल्क मुक्त कच्चा माल और उपभोग्य सामान को वापस लिया जा सकता है।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(vi) एचबीपी के अनुसार, एलओपी उत्पादन/सेवा गतिविधि, उत्पादन क्षमता, के रूप में पहले पांच वर्षों के लिए निर्यात अनुमान विदेशी विनिमय प्रवाह, परिसीमन यदि कोई हैं तो डीटीए में तैयार माल की बिक्री उप-उत्पाद और रद्द करने के संबंध में और आवश्यक अन्य मामले तथा आवश्यक ऐसी ही शर्तों को भी लागू करने के लिए मद (मदों) को विनिर्दिष्ट करता था। एफटीपी के अनुसार, एलओपी को सभी उद्देश्यों के लिए प्राधिकरण के रूप में लिया जाना था।

रंगीन जैम स्टोन, जड़ित सोने के आभूषण चांदी के आभूषण, प्लेटिनम आभूषण आदि तैयार करने के लिए डीसी, नोयडा सेज द्वारा 100 प्रतिशत इओयू का एलओपी मै. वैभव जैनस लिमि. जयपुर (अब मै. वैभव ग्लोबल लिमि.) को जारी किया गया था। संयंत्र और मशीनरी की अधिकतम उपयोगिता के आधार पर वार्षिक उत्पादन क्षमता 2010-11 से 2014-15 के दौरान रंगीन जैम स्टोन की 60,000 कैरट और आभूषणों (सभी प्रकार के) के 54000 सेट थी।

इकाई के उत्पादन रिकॉर्ड और एपीआर की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि इकाई ने डीसी क्षेत्राधिकार से वार्षिक उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की अनुमति लिये बिना संस्थापन क्षमता से अधिक के 2,25,08,574 कैरट रंगीन स्टोन और 1,18,10,592 आभूषण सेट निर्यात किये। इसलिए, वार्षिक संस्थापन क्षमता से अधिक सामान तैयार करने में कच्चे माल की खरीद और उपयोगिता के संबंध में आनुपातिक पूर्व निश्चित शुल्क राशि आयातक से वसूली योग्य थी।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(vii) एचबीपी के अनुसार, ईपीसीजी के तहत ईओ छः वर्षों के भीतर पूरा किए जाने वाले लाइसेंसी द्वारा बचाए गए शुल्क से छः गुना निर्धारित किया जाना था। ईपीसीजी के तहत ईओ को विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, सहित सम्पूर्ण निर्यात देयता अवधि के भीतर उन्हीं और समान उत्पादों के लिए पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में लाइसेंसी द्वारा प्राप्त निर्यात स्तर के ऊपर और अधिक होना था अथवा प्राधिकार की किसी अन्य शर्त को पूरा करने में विफलता के मामले में प्राधिकार धारक पर एफटी (डीएण्डआर) अधिनियम एवं सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत कार्रवाई की जानी थी।

इसके अतिरिक्त, एसएसआई इकाईयों के लिए पूँजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति दी जा सकती थी बशर्ते कि 8 वर्षों में बचाए गए शुल्क के छः गुने के बराबर ईओ पूरा हो, इस योजना के तहत आयातित ऐसी पूँजीगत वस्तुओं का लैंडेड सीआईएफ मूल्य ₹ 50 लाख से अधिक न हो एवं ऐसे आयात के बाद संयंत्र एवं मशीनरी में कुल निवेश एसएसआई सीमा से अधिक न हो।

मै. हरी मैनुफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, आरएलए सूरत ने ₹ 18.91 लाख की शुल्क बचत राशि सहित ईपीसीजी लाइसेंस की मंजूरी दी। लाइसेंस के लिए ईओ ₹ 1.13 करोड़ (बचत शुल्क का छः गुना) की बजाए ₹ 28.36 लाख निर्धारित किया गया जिसके परिणामस्वरूप ईओ का ₹ 85.07 लाख तक कम निर्धारण हुआ।

विभाग ने बताया (जून 2015) कि सुधारात्मक कदम उठाये जाएंगे।

अंतिम परिणाम से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए।

(viii) इसी प्रकार मै. ओरोबेला ज्वैलरी प्रा. लि. के मामले में आरएलए जयपुर ने एएम-10 के दौरान दो ईपीसीजी लाइसेंस प्राधिकृत किए गए थे और निर्यात देयता शुल्क बचत की राशि से छः गुना निर्धारित की गई थी जिसे केवल एसएसआई इकाईयों के लिए अनुमत किया गया था, हालांकि लाइसेंसी की एसएसआई स्थिति को सिद्ध करने के लिए आरएलए कोई अभिलख नहीं प्रस्तुत कर सका। इसके अतिरिक्त, लाईसेंसी ने ₹ 51.51 लाख मूल्य के सीजी का आयात किया जो एसएसआई इकाईयों के लिए अनुमत नहीं था। इस प्रकार, इकाई, एसएसआई स्थिति हेतु अर्हक नहीं थी और शुल्क बचत के छः गुने की बजाए आठ गुने पर ईओ अवमुक्त किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 26.97 लाख तक ईओ का कम निर्धारण हुआ।

विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी2016)।

(ix) लेखापरीक्षा ने देखा कि आरएलए सूरत ने चार लाइसेंसियों[15] को ईपीसीजी लाईसेंस जारी करते समय औसत निर्यात देयता ₹ 127.21 करोड़ की बजाए ₹ 71.74 करोड़ निर्धारित की गई, जिसके परिणामस्वरूप औसत निर्यात देयता ₹ 55.73 करोड़ तक कम निर्धारित की गई।

विभाग ने बताया (जून 2015) कि सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

अंतिम परिणाम से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए।

(x) आरएलए जयपुर के मार्च 2015 के एमआईएस रिपोर्ट की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2004 और 2005 के दौरान जारी ₹ 38.71 लाख के छोड़े गए शुल्क की रशि सहित ₹ 3.10 करोड़ के कुल ईओ वाले पांच ईपीसीजी लाइसेंस[16] ईओ विवरण पूरा करने के अभाव में ऋमुक्ति हेतु लंबित थे। इन लाइसेंसों की ईओ अवधि जुलाई 2013 में समाप्त हो गई। विभाग ने इन लाइसेंसों के प्रति न तो ईओ विवरण प्राप्त करने हेतु कोई कार्रवाई की, न ही एफटीडीआर अधिनियम की शर्तों के अनुसार इन लाइसेंस धारकों के विरूद्ध कोई कार्रवाई की गई थी।

विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

---

[15] मै. एन.जे. जेम्स, मै. श्री हरि जेम्स, मै. भादियद्र इंप्लेक्स और मै. ओम आनंद एक्सपोर्ट

[16] सं. 1330000678, 1330000533, 1330000652, 1330000660 और 1330001001

3.4 प्रचालनात्मक विनिर्माण के मामले

(क) केपीसी के संग्रहण हेतु निर्धारित प्रक्रिया का गैर अनुपालन

किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम (केपीसीएस) देश के अंदर आने एवं देश के बाहर जाने वाले सभी कच्चे हीरे को ''विवाद-मुक्त'' के रूप में प्रमाणित करने के प्रवाह के डाटा एवं दस्तावेज के रख-रखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

डीओसी ने अपने पत्र दिनांक 13 नवम्बर 2002 द्वारा केपीसीएस की धारा IV (बी) के भीतर ''आयात एवं निर्यात प्राधिकारी'' के रूप में जीजेईपीसी को नामित किया था।

इसके अतिरिक्त, सीबीईसी के दिनांक 23 जून 2003 के परिपत्र के अनुसार कच्चे हीरे की आयातित खेप किम्बरले प्रक्रिया प्रमाणपत्र (केपी प्रमाणपत्र) के साथ होनी चाहिए थी। खेप/पार्सल के पहुँचने के पूर्व या पहुँचने पर आयातक अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा केपी प्रमाणपत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज जैसे कि एयरवे बिल, बीजक, पैकिंग सूची आदि सत्यापन एवं प्रमाणन हेतु जीजेईपीसी को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। जीजेईपीसी को दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात् इसे केपी प्रमाणपत्र की प्रति पर पृष्ठांकित करना था। आयातक/सीएचए को कच्चे हीरे के निर्धारण एवं निकासी हेतु बीई भरते समय अपेक्षित आयात दस्तावेजों के साथ जीजेईपीसी द्वारा पृष्ठांकित केपी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना था। सीमाशुल्क को जीजेईपीसी द्वारा सत्यापित केपी प्रमाणपत्र की प्रति पर खेप की मंजूरी पृष्ठांकित की जानी थी तथा मूल प्रति रोक लेना था। जीजेईपीसी का प्राधिकृत प्रतिनिधि सीमाशुल्क द्वारा रोके गए सभी मूल केपी प्रमाण पत्रों का संग्रहण करता।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सीमाशुल्क उपायुक्त कार्यालय, सूरत हीरा बोर्स और सूरत के कार्यालय से जीजेईपीसी के किसी भी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मूल प्रमाणपत्र नहीं लिए जा रहे थे। इसके बजाए वे सीमाशुल्क भवन एजेंट (सीएचए) के कार्मिकों द्वारा जीजेईपीसी को प्रस्तुत किए जा रहे थे। निर्धारित प्रक्रियाओं का गैर-अनुपालन धोखाधड़ी के जोखिम से भरा है।

डीओसी से उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(ख) पेशेवर सक्षमता के अनुसार चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया

एचबीपी के अनुसार, आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र चार्टर्ड इंजीनियर (सीईसी) से गठजोड़ प्रमाणपत्र के आधार पर आरएलए ईपीसीजी प्राधिकार जारी करता है। व्यापार सूचना दिनांक 10 जुलाई 2008 में यह स्पष्ट किया गया था कि एक विशेष क्षेत्र/शाखा का चार्टर्ड इंजीनियर केवल उसी इंजीनियरिंग क्षेत्र की तकनीकी आवश्यकताओं को प्रमाणित करेगा। इंजीनियर्स संस्थान की आचार संहिता के अनुसार, जिसमें प्रावधान है कि "पेशेवर इंजीनियर ऐसे कार्य करेंगे जहां पेशे से सक्षम इंजीनियर केवल अपने तकनीकी सक्षमता क्षेत्र में ही सेवायें देंगे।

लेखापरीक्षा ने आरएलए मुंबई में देखा कि सूरत में हीरे को तरासने एवं उसके उत्पादन से जुड़े इस ईपीसीजी लाइसेंसी ने 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान मशीनरी के आयात के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियर से गठजोड़ प्रमाणपत्र एवं स्थापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था। चूँकि मशीनरी की आवश्यकता हीरे तरासने और उसके निर्माण के लिए थी, इसे केवल मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों द्वारा ही प्रमाणित किया जाना था। इस प्रकार सीई ने व्यापार सूचना दिनांक 10 जुलाई 2008 के साथ-साथ इंजीनियर्स संस्थान (भारत) के आचार संहिता का पालन नहीं किया था।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में बताया कि एफटीपी और/या एचबीपी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि गठजोड़ या स्थापन का प्रमाणन केवल संबंधित स्ट्रीम से ही किया जाएगा। लेखापरीक्षा द्वारा उल्लिखित मामलों में यह देखा गया कि आयातित उपकरण कच्चे हीरे की स्कैनिंग, मार्किंग और कटिंग के लिए प्रयुक्त मशीनें है। ये पूँजीगत वस्तुएं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतीत होती हैं और इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर द्वारा प्रमाण सही प्रतीत होता है।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि आयातित उपकरण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं बल्कि मशीनरी थीं। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने यह देखा कि सूरत में स्थित सभी दस इकाईयों में गठजोड़ एवं स्थापन प्रमाणपत्र इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर द्वारा दिए गए थे जबकि मुंबई में स्थित तीन इकाईयों

में आयातित समान उपकरण मैकेनिकल इंजीनियर द्वारा प्रमाणित किए गए थे।

इस प्रकार, चार्टर्ड इंजीनियर्स के आचार संहिता के अनुरूप नीति में प्रमाणन प्राधिकार विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता है।

(ग) गैर वसूली और समाप्त निर्यात लाभ पर निर्यात प्रोत्साहन की गैर वसूली/परित्याग

एचबीपी की शर्तों के अनुसार, निर्यात लाभ को एफटीपी के तहत किसी भी निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाना था यदि आरबीआई मेरिट के आधार पर निर्यात लाभ की वसूली आवश्यकता समाप्त करता है तथा निर्यातक क्रेता द्वारा निर्यात लाभ की गैर वसूली के तथ्य के बारे मे संबंधित भारतीय विदेश मिशन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया हो। हालांकि यह ''स्व समाप्त मामलों'' में लागू नहीं था। आरबीआई ने दिनांक 22 जुलाई 2010 के अपने परिपत्र में स्पष्ट किया कि जहां एडी वर्ग-। बैंक को निर्यातक द्वारा समाप्त किए गए अनुरोध मानने की अनुमति थी बशर्ते कि अन्य बातों के साथ-साथ निर्यातक को तत्संबंधी लदानों के संबंध में लिए गए समानुपातिक निर्यात प्रोत्साहन वापस लौटा दे। यह भी स्पष्ट किया गया कि छूट वहां लागू नहीं होगा जहां निर्यात 27 अगस्त 2009 से पहले किया गया हो।

डीसी, सेज, सीतापुर, जयपुर के अंतर्गत चार निर्यातकों[17] के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि ₹ 1.84 करोड़ की गैर वसूली किए गए निर्यात लाभ को निर्यातकों द्वारा स्वयं ही अपने लेखा बहियों से समाप्त कर दिया गया था। चूँकि निर्यातकों ने स्वयं ही विदेशी आय की गैर वसूली वाली राशि को समाप्त कर दिया गया था। इसलिए लिया गया समानुपातिक निर्यात प्रोत्साहन निर्यातकों से वसूल किया जाना था।

विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

---

[17] मै. डेरेवाला ज्वैलरी इंडस्ट्रीज, निर्यात भवन, मै. शाह जेम्स एंड ज्वैलरी मै. कं, सेज-।, मै. लूनावाट जेम्स, जेस-॥, जयपुर एवं एवं मै. जीआईई ज्वैल्स, सेज-॥

(घ) गोल्ड डोर बार्स में सोने की मात्रा का स्व-निर्धारण

सीमाशुल्क विंग को गोल्ड डोर बार्स में सोने की मात्रा सुनिश्चित करने के लिए गोल्ड डोर बार्स के प्रत्येक खेप से नमूना संग्रहण करना था।

मै. कुंदन केयर प्रोडक्ट्स लिमि. हरिद्वार के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि इकाई ने जून 2013 से मार्च 2015 की अवधि के दौरान 21,503 किग्रा गोल्ड डोर बार्स का आयात किया जिसमें इसकी अपनी प्रयोगशाला में विश्लेषण के पश्चात इकाई द्वारा 71 प्रतिशत सोने की मात्रा (15,276 किग्रा) घोषित की गई।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 766.72 किग्रा गोल्ड डोर बार्स की एक खेप में दिनांक 23 जून 2013 की स्व-निर्धारण रिपोर्ट में केवल 16 प्रतिशत सोना दर्शाया और बाकी खेप में चांदी और अन्य मिलावट प्रकट की, जिसे विभाग द्वारा मान लिया गया। विभाग ने इकाई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर भरोसा कर लिया और गोल्ड डोर बार्स में सोने की मात्रा सुनिश्चित करने के लिए अलग से नमूना नहीं लिया।

इकाई की स्व-निर्धारण रिपोर्ट के अलावा सीमाशुल्क विंग द्वारा लिए गए नमूनों के निर्धारण पर रिपोर्टों के अभाव में गोल्ड डोर बार्स के सोने की मात्रा पर विश्वास नहीं किया जा सकता था।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में बताया कि सोने की छड़ों के आयात पर सममूल्य शुल्क और लागू सीवीडी है। इकाई ने बताया कि सभी आयातों का अस्थायी निर्धारण किया गया था और जांच के समय सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा लिए गए नमूने को लैब जांच के लिए सरकारी लैब में भेजा गया था। लैब से परिणाम आने के बाद बीईज़ का अंतिम रूप से निर्धारण किया गया था। मै. कुंदन केयर प्रोडक्ट्स लि. ने 10 दिसम्बर 2014 को नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एवं कैलिबरेशन लेबोरेटरीज़ से आधिकारिक मान्यता प्रमाणपत्र लिया है।

उत्तर इस तथ्य के मद्देनजर तर्कसंगत नहीं है कि 766.72 किग्रागोल्ड डोर बार्स की खेप 23 जून 2013 को स्व-निर्धारण थी जिसके लिए सीमाशुल्क प्राधिकरण की जांच लैब रिपोर्ट अपेक्षित थी। इसके अतिरिक्त, नेशनल

एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एवं कैलिबरेशन लेबोरेटरीज़ से प्रमाणपत्र दिसम्बर 2014 में ही इकाई को जारी किए गए थे।

(ड) जीजेईपीसी की अनुमति के बिना विदेशी प्रदर्शनी में भागीदारी

एचबीपी में प्रावधान है कि नामित एजेंसी के अलावा कोई भी व्यक्ति प्रदर्शनी लगाने/निर्यात प्रोत्साहन यात्रा/ब्रांडेड आभूषण के निर्यात के लिए जेम्स एण्ड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी) की मंजूरी सहित इसकी मूल या सत्यापित प्रति में सहायक आयुक्त (सीमाशुल्क) को पत्र भेजेगा।

अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि चार मामलों में उपायुक्त (सीमाशुल्क), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, जयपुर के अंतर्गत निर्यातकों ने जीजेईपीसी की अनुमति के बिना विदेशी प्रदर्शनी में भाग लिया। चूँकि इन निर्यातकों ने वैध अनुमति के बिना विदेश में आयोजित प्रदर्शनी में भाग लिया, ये ₹ 94.92 लाख को शुल्क भुगतान हेतु दायी थे।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में बताया कि निर्यातकों ने प्रदर्शनी में भाग नहीं लिया बल्कि वस्तुएं अन्य पक्षों को खेप के आधार पर निर्यात की गई थी और प्रदर्शनी स्थल पर प्राप्त हुई थी। अत: इन निर्यातकों को जीजेईपीसी से अनुमति की आवश्यकता नहीं थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्यातक अर्थात् मै. ब्लू स्टार, जयपुर ने हांगकांग में आयोजित प्रदर्शनी/मेले-2014 में भाग लेने हेतु खेप भेजी थी (एसबी सं. 2741 दिनांक 13.03.2014) जिसमें निर्यातक स्वयं ही वस्तुओं का प्राप्तकर्त्ता था। हांगकांग में आयोजित मेले में भाग लेने हेतु उक्त निर्यातक द्वारा कोई अनुमति नहीं ली गई थी। इसके अलावा, एक्जिम नीति विदेशों में प्रदर्शनी केंद्र में भाग लेने हेतु वस्तुओं को अन्य व्यक्ति को सौंपने के मामले में जीजेईपीसी से अनुमति लेने से निर्यातक को छूट नहीं देती थी।

(च) आपराधिक मामलों के अधिनिर्णयन में देरी

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की शर्तों के अनुसार, अधिनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा आगे की कार्यवाही से पूर्व एक सुनवाई में पार्टी को सुनने का अवसर दिया जाना था, यदि पार्टी इसके लिए इच्छुक हो। अधिनिर्णयन प्राधिकारी पार्टियों को समय देने तथा लिखित में दर्ज करने के कारणों की सुनवाई को

स्थगित कर देना था यदि सुनाई के किसी भी स्तर पर पर्याप्त कारण दर्शाये गए थे, बशर्ते कि सुनवाई के दौरान पार्टी को तीन बार से अधिक ऐसे स्थगन की मंजूरी न दी गई हो।

चेन्नई एयर कस्टम में ₹ 6.71 करोड़ मूल्य के 21.533 किग्रा सोने की छड़ों को जब्त करने पर 2013-14 के दौरान 23 आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे और अगस्त 2015 तक 18 महीने से अधिक समय से लंबित थे। इसी प्रकार, एयर कस्टम, नेडुम्बसेरी, कोचीन के मामले में केवल एक मामला एक वर्ष से अधिक समय से लंबित था जिसका कारण प्रतीक्षित है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में बताया कि एयर कस्टम, नेडुम्बसेरी, कोचीन के मामले में 26 अगस्त 2015 को मामले का निर्णय कर दिया गया है।

विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(छ) विदेश में प्रदर्शन हेतु जड़ित आभूषण के निर्यात में अनियमिततायें

एचबीपी में प्रावधान है कि इकाई को बैंकिंग चैनलों के माध्यम से प्रदर्शनी की समाप्ति की तिथि से पैंतालिस दिनों के भीतर वस्तुओं को वापस लाना था या बेचना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डीसी ने मै. डायलमा एक्सपोर्ट्स को अक्टूबर 2012 से मई 2013 के दौरान आयोजित तीन विदेशी प्रदर्शनियों के माध्यम से आभूषण के निर्यात तथा दुबारा अक्टूबर 2013 से जून 2014 के दौरान आयोजित तीन विदेशी प्रदर्शनियों के लिए निर्यात की अनुमति दी (सितम्बर 2012)।

इस प्रकार, ऐसी दीर्घावधि (लगभग छः महीने) के लिए प्रदर्शनियों के माध्यम से निर्यात की अनुमति देने के कारण प्रदर्शनी समाप्ति से 45 दिनों के पश्चात् गैर बिकी वस्तुओं का पुनर्आयात सुनिश्चित नहीं किया जा सका। वस्तुएं पांच से छः महीनों की देरी के बाद लौटाई गई थी।

इसने दर्शाया कि विभाग ने विदेशी प्रदर्शनी हेतु निर्यात के लिए अनुमत गैर बिकी वस्तुओं के पुनर्आयात की निगरानी के लिए कोई प्रणाली नहीं बनाई थी और साथ ही विदेश व्यापार (निर्देशक विनियामक) अधिनियम के तहत कोई भी कार्रवाई करने में विफल रहा।

विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(ज) स्वर्ण आभूषण के संबंध में अनिश्चित आवक प्रेषण

सेज नियमावली, 2006 में प्रावधान था कि विदेशी प्रदर्शनी लगाने या भाग लेने हेतु व्यक्तिगत रूप से दो मिलियन डॉलर मूल्य तक के रत्नों और आभूषणों की विकास आयुक्त की मंजूरी से अनुमति थी बशर्ते कि इकाई को प्रदर्शनी में बेची गई वस्तुओं के संबंध में आवक प्रेषण का साक्ष्य प्रस्तुत करना था।

डीसी, नोएडा सेज ने 2011-12 से 2014-15 की अवधि के दौरान विदेशी प्रदर्शनियों के माध्यम से आभूषण के निर्यात हेतु मै. बीई ज्वैल्ड इंडिया प्रा. लि. को 15 अनुमतियां दी। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि पांच अनुमतियों के संबंध में ₹ 27.12 करोड़ के विदेशी आवक प्रेषण प्रमाणपत्रों (एफआईआरसी) की तिथियां, विदेशी प्रदर्शनियों की तिथियों से पूर्व की थी। इसने स्वर्ण आभूषण के संबंध में संदिग्ध आवक प्रेषण दर्शाया।

इसके अतिरिक्त, एक मामले (अवधि 20.09.2013 से 20.12.2013 के लिए अनुमति सं.9537) में ₹ 84.36 लाख के एफई वसूली का विवरण इकाई द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था।

विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(झ) इकाई के अलग वार्षिक लेखे का गैर अनुरक्षण

सेज नियमावली, 2006 के अनुसार यदि एक इंटरप्राइजेज़ एक घरेलू टैरिफ क्षेत्र के साथ-साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई दोनों के रूप में कार्य करती है तो इनके दो अलग-अलग बहीखाते वाली पहचान होनी चाहिए थी। इसके अलावा, सेज नियमावली के अनुसार, व्यापार और विनिर्माण गतिविधियों में संलग्न प्रत्येक इकाई द्वारा व्यापार एवं विनिर्माण गतिविधियों के लिए अलग-अलग अभिलेख बनाए जाने थे।

एसईईपीजेड, मुंबई में स्थित इकाई मै. नियोजेम (इं.) लि. को 11 फरवरी 1991 को जड़ित एवं सादे स्वर्ण आभूषण के विनिर्माण एवं निर्यात हेतु एलओए जारी किया गया था और फिर से पांच वर्ष अर्थात् 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए 2010 में एलओए में विस्तार किया गया था।

उपरोक्त कम्पनी एक सूचीबद्ध कम्पनी थी और इसके पास तीन इकाईयां, एक डीटीए में, व्यापार इकाई के रूप में एसईईपीजेड में एक तथा विनिर्माण इकाई के रूप में एसईईपीजेड में एक इकाई थी। उपरोक्त सभी इकाईयां एक दूसरे से अलग थी। हालांकि, लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि इकाई डीटीए, व्यापार एवं विनिर्माण इकाईयों के लिए सेज नियमावली, 2006 के नियम 19(7) को प्रावधानों के अनुसार अलग-अलग बहीखाते नहीं बना रही थी।

दो मामले में यही आपत्ति देखी गई थी जहां डीसी ने जुलाई 2014 में मै. कनक एक्सपोर्ट्स और जनवरी 2004 में मै. एमडी ओवरसीज़ के पक्ष में एलओए जारी किया और ये इकाईयां 2010-11 और 2011-12 के दौरान स्वर्ण पदक और सोने की छड़ें बनाने की गतिविधि के साथ-साथ व्यापार में संलग्न थी। हालांकि उपरोक्त नियम के उल्लंघन में इकाईयों द्वारा कोई अलग लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(ञ) डीटीए क्रय एवं सीपीडीज़ की खपत

डीसी, एनसेज ने जुलाई 2007 में हाथ से बने/मशीन से बने स्वर्णाभूषण/ सादे/जड़ित लूज कट और पॉलिश किए गए आभूषण के लिए मै. डायलमा एक्सपोर्ट्स के पक्ष में एलओए जारी किया।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि इकाई ने 46 एसबीज़ के माध्यम से 2010-11 से 2014-15 के दौरान ₹ 71.04 करोड़ मूल्य की कटे एवं पालिश किए गए हीरे वाले स्वर्णाभूषणों का निर्यात किया। इन एसबीज़ के अनुसार निर्यात किए गए कटे एवं पालिश किए गए हीरे का मूल्य ₹ 52.93 करोड़ था, लेकिन सीपीडी (डीटीए से क्रय) का विवरण न तो सीमाशुल्क विंग और न ही विकास आयुक्त के पास उपलब्ध था। इसके बावजूद विभाग ने डीटीए से खरीदे गए कटे एवं पालिश किए गए हीरे की खपत की जांच के लिए कोई तंत्र नहीं बनाया गया था, जबकि इकाई ने 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान ₹ 30.74 करोड़ राशि के कटे एवं पालिश किए गए हीरे का क्रय किया था।

विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(ट) शास्ति की गैर वसूली

डीसी, कोचीन (सीसेज) ने 14 फरवरी 2000 को मै. डी.टी.एस डायमंड टूल्स सी प्रा. लि. को पांच वर्षों के लिए सर्कुलर आरी के ब्लेड, हीरे के भाग वाले ब्लेड के निर्माण एवं निर्यात के लिए एलओपी जारी किया। एलओपी को फिर से 28 मार्च 2010 तक विस्तारित कर दिया गया था। इकाई ने शुरूआती पांच वर्षों में सकारात्मक एनएफई प्राप्त किया लेकिन प्रचालन के दूसरे ब्लॉक में इकाई प्राप्त नहीं कर पाई। वास्तविक आधार पर ₹ 1.75 करोड़ की गिरावट हुई थी।

डीसी, सीसेज़ ने 25 अप्रैल 2012 को एलओपी रद्द कर दिया और सकारात्मक एनएफई प्राप्त न करने के कारण ₹ 2 करोड़ की शास्ति लगाई। इसके अतिरिक्त आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बैंग्लुरू-I, कमिश्नर, बैंग्लुरू ने माल जब्त कर लिया और 8 जून 2012 को शुल्क की मांग की तथा शास्ति लगाई जो इस प्रकार है:

I. इकाई द्वारा आयातित कच्चे माल और जब्त पूँजीगत वस्तुओं का मूल्य ₹ 6.79 करोड़ था और ₹ 60 लाख के विमोचन जुर्माने के भुगतान पर जब्त वस्तुओं को छोड़ने का प्रस्ताव दिया गया;

II. ₹ 2.07 करोड़ सीमाशुल्क और उस पर ब्याज वाली राशि की वसूली की पुष्टि की गई और आदेश दिया गया;

III. ₹ 25 लाख की शास्ति लगाई।

डीसी, सीसेज ने ''जमीन पर सार्वजनिक राजस्व के अलावा राशि की वसूली जो राजस्व वसूली अधिनियम के तहत वसूली योग्य है'' के रूप में ₹ 2 करोड़ की वसूली के लिए 24 अगस्त 2012 को उप जिलाधिकारी, बैंग्लुरू को भी लिखा था।

इसके अलावा, सीसेज ने ₹ 2 करोड़ की वसूली के लिए प्रथम सचिव (वाणिज्यक), भारतीय दूतावास, विदेश मंत्रालय को भी पत्र लिखा (24-8-2012) चूँकि इकाई एक इटालियन कंपनी (मै. सी यूटेन्सिली डायामंटिटी एस.पी.ए वाया ऑगेरे) की 100 प्रतिशत सहायक कम्पनी है।

विभाग के पत्राचार के बावजूद लगभग 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी राशि की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(ठ) केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) का गलत प्रतिदाय

एफटीपी के अनुसार, ईओयू भारत में बनी वस्तुओं पर सीएसटी की क्षतिपूर्ति की हकदार होंगी।

रेंज-I, सिटी डिवीज़न, भावनगर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली एक 100 प्रतिशत ईओयू, मै. रिनाईनसैंस लि. ने डीसी (केएएसईजेड), गांधीधाम से 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए इनपुट खरीद पर अपने सीएसटी क्षतिपूर्ति के प्रति ₹ 1.47 करोड़ प्राप्त किया जिसमें से ₹ 1.13 करोड़ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से सोने की खरीद के लिए अदा किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को एफटीपी के तहत सोने के आयात एवं विभिन्न उद्योग/विनिर्माताओं को आपूर्ति के लिए प्राधिकृत नामित एजेंसियों की सूची में शामिल किया गया था। चूँकि आयातित सोना भारत में नहीं बना था इसलिए ₹ 1.02 करोड़ के सीएसटी की क्षतिपूर्ति गलत थी और इकाई से वसूलीयोग्य थी।

विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(ड) पीटीएच के निर्यातक को अनुचित स्थिति प्रमाणपत्र जारी करना

मै. लक्ष्मी डायमण्ड प्रा. लि. जिसे पहले निर्यात भवन प्रमाणपत्र धारक के रूप में मान्यता दी गई थी, ने अवधि (4 सितम्बर 2009 से 31 जुलाई 2009) सहित पिछले तीन वर्षों के निर्यात निष्पादन के आधार पर ₹ 2,691 करोड़ के एसटीएच प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिए आवेदन दिया था। निर्यात निष्पादन के एफओबी/एफओआर मूल्य के आधार पर क्षेत्रीय संयुक्त डीजीएफटी ने 31 दिसम्बर 2010 को निर्यातक को एसटीएच प्रमाणपत्र जारी किया था। हालांकि प्रमाणपत्र स्थिति जारी करते समय यह उल्लेख किया था कि प्रमाणपत्र पीटीएच था।

प्रमाणपत्र में गलत स्थिति उल्लेख से आयातकों को लाभ लेने की अनुमति मिली जो एसटीएच के कारण लाभ के बदले पीटीएच के लिए बने हैं।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में कहा कि सत्यापन करने पर यह पाया गया कि इस विशेष कम्पनी को ईपीसीजी के तहत लाभ नहीं मिला है।

विभाग यह बताए कि स्थिति प्रमाणपत्र में पुन: प्रमाणन किया गया है अथवा नहीं।

(ढ) एलयूटी बांड मूल्य के कम/गैर निष्पादन

सेज नियमावली, 2006 के अनुसार, प्राधिकृत संचालन हेतु छूट, फिरती एवं रियायत लेने के लिए इकाई को आयातित ईंधन या शुल्क मुक्त और सकारात्मक एनएफईई प्राप्त करने सहित पूंजीगत वस्तुओं, कलपुर्जों, कच्चे माल अवयवों और उपयोज्य वस्तुओं सहित वस्तुओं के समुचित उपयोग और लेखांकन से संबंधित अपने दायित्व के संबंध में बीएलयूटी निष्पादित करना था। बीएलयूटी का मूल्य डीटीए से आयात या खरीद पर आरोप्य शुल्क की राशि के बराबर होना चाहिए था। जहां निष्पादित बीएलयूटी, अतिरिक्त वस्तुओं की आवश्यकता के लिए कम हो, इकाई को अतिरिक्त बीएलयूटी प्रस्तुत करना था। रत्न एवं आभूषणों के संबंध में बीएलयूटी के मूल्य की गणना इकाई द्वारा केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दर पर किया जाना था।

(i) 2010-11 से 2013-14 के एपीआर और मै. नियोजेम (I) लि., एसईईपीजेड, मुंबई के मामले में बीएलटीयू की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि इकाई ने एपीआर में खरीदी गई पूँजीगत वस्तुओं का मूल्य ₹ 3 करोड़ दर्शाया था जबकि इकाई ने 2008 में ₹ 1.26 करोड़ एवं 2013 में ₹ 1 करोड़ का बीएलयूटी निष्पादित किया था।

मै. श्री राज ज्वैल्स, एसईईपीजेड मुंबई के मामले में भी यही चूक देखी गई जहां 31 मार्च 2014 तक खरीदी गई पूँजीगत वस्तुओं का कुल मूल्य ₹ 2.44 करोड़ था जबकि इकाई ने केवल ₹ 1 करोड़ मूल्य की पूँजीगत वस्तुओं के आयात के लिए बीएलयूटी निष्पादित किया था।

विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(ii) मै. श्री राज ज्वैल्स, एसईईपीजेड मुंबई ने 3 अक्टूबर 2011 को ₹ 2.72 करोड़ का बीएलयूटी निष्पादित किया। लेखापरीक्षा ने वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए निर्यात/आयात निष्पादन से देखा कि इकाई लक्षित निर्यात/आयात को पार गई थी। हालांकि, इकाई ने 15 अप्रैल 2014 तक बीएलयूटी निष्पादित नहीं किया। 2014-15 के लिए इकाई ने आयात एवं निर्यात का संशोधित लक्ष्य भरा और लक्ष्य को स्वीकार करते हुए 2 मई 2014 को एसईईपीजेड द्वारा तदनुसार एलओए में संशोधन कर दिया गया और इकाई से संशोधित बीएलयूटी निष्पादित करने का अनुरोध किया गया। संशोधित लक्ष्य के अनुसार अगले तीन वर्षों के लिए समेकित एफओबी/सीआईएफ मूल्य क्रमश: ₹ 616.07 करोड़/₹ 432.46 करोड़ था। इकाई ने संशोधित बीएलयूटी नहीं भरा था।

सूरसेज़ (सूरत) में भी समान चूक देखी गई जहां छ: सूरसेज़ (सूरत) इकाईयों अर्थात्, मै. गोयनका डायमण्ड्स एण्ड ज्वैल्स लि., मै. वी स्ववायर इंटरनेशनल, मै. फार्च्यून जेम्स, मै. कामिनी ज्वैल्स, मै. किरन डिजाइन और मै. डायमण्ड फोरएवर इंटरनेशन द्वारा वर्ष में आयात की मात्रा में वृद्धि के बावजूद भी निष्पादित बांडों में वृद्धि नहीं की गई थी।

विभाग ने बताया (जून 2015) कि इकाईयों को नए बांड भरने का निर्देश दिया गया था।

विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2016)।

(iii) मै. ईजी फिट ज्वैलरी प्रा. लि., (सेज इकाई), मणिकंचन के मामले में इकाई ने 11 जुलाई 2008 को 50 लाख के मूल्य का बीएलयूटी निष्पादित किया। इकाई की वार्षिक क्षमता को 03 अप्रैल 2010 को 50000 पीस से संशोधत करके 2500 किग्रा कर दिया गया था, हांलाकि तदनुसार संशोधित बीएलयूटी का निष्पादन नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप सोने के शुल्कमुक्त आयात के लिए ₹ 16.23 करोड़ (लगभग) के बांड-कम-एलयूटी का कम निष्पादन हुआ।

इसे बताए जाने पर विभाग ने आपत्ति स्वीकार कर ली तथा बताया कि सभी एमकेसेज़ इकाईयों से उनकी मौजूदा क्षमता के अनुरूप बीएलयूटी राशि बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।

(iv) हैदराबाद कमिश्नरी के अंतर्गत निष्पादित किए गए बीएलयूटीज़ की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि चार इकाईयों[18] के संबंध में इकाईयों ने आयातित पूँजीगत वस्तुओं और अपेक्षित स्वदेशी पूँजीगत वस्तुओं का मूल्य लक्षित किया। बांड का मूल्य निकालते समय लक्षित आयातित पूँजीगत वस्तुओं के मूल्य को समेकित लक्षित मूल्य पूँजीगत वस्तुओं की लेने की बजाए आयातित एवं स्वदेशी पूँजीगत वस्तुओं के लिए दो भागों में बांट दिया गया था। तदनुसार, निकाला गया शुल्क गलत माने गए मूल्य के आधार पर था। इसके परिणामस्वरूप बीएलयूटीज़ का ₹ 3.25 करोड़ तक कम निर्धारण हुआ।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में बताया कि वे डीसी को एक प्रति संलग्न करते हुए क्षेत्रीय कार्यालयों को फिर से निर्देश देंगे।

अंतिम परिणाम से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए।

(ण) आयात हकदारी को सहसंबंधित किए बिना खरीद प्रमाणपत्र जारी करना

एचबीपी में परिकल्पित था कि सीमाशुल्क एवं उत्पाद शुल्क के क्षेत्राधिकारी आयुक्त भी इओयू के यूएसी के सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त, यूएसी को इकाईयों की अनुमति मंजूरी, लाइसेंस देने की निगरानी एवं पर्यवेक्षण करना था तथा कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करनी थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि मै. लोढ़ा ज्वैलरी एक्सपोर्ट इंडिया प्रा. लि. को मरम्मत/पुनर्निर्माण के बाद निर्यात किए जाने वाले स्वर्ण आभूषणों के आयात हेतु केंद्रीय उत्पाद शुल्क डिवीजन द्वारा जुलाई 2012 में खरीद प्रमाणपत्र दिया गया था। खरीद प्रमाणपत्र एलओपी के साथ आयात हकदारी से सहसंबंधित किए बिना जारी किया गया था जो सोने की छड़ों की आयात के

[18] मै. फैंटेसी डायमण्ड कट्स प्रा. लि. (गीतांजली ब्रैंड्स लि.), मै. आसमी ज्वैलरी इं. प्रा. लि. (मै. डिजायर लाईफ स्टाइल प्रा. लि.), मै. ब्राइटेट सर्कल ज्वैलरी इंडिया प्रा. लि. (मै. नक्षत्र ब्रैंड्स लि.) और मै. डी डामास ज्वैलरी (इं.) प्रा. लि.

लिए है। उत्पाद शुल्क विभाग की ओर से चूक के कारण ₹ 1.31 करोड़ मूल्य के स्वर्ण आभूषणों की अप्राधिकृत आयात की अनुमति की गई।

सीबीईसी ने बताया (दिसम्बर 2015) कि शीघ्र ही विस्तृत उत्तर दिया जाएगा।

अंतिम परिणाम से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए।

(त) 24x7 कार्गो मंजूरी संचालन का कार्यान्वयन

सीबीईसी ने ब्यापार सुविधा उपाय के कवरेज में वृद्धि के लिए चिह्नित एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेज में 01 सितम्बर 2014 से पायलट आधार पर 24x7 सीमाशुल्क मंजूरी संचालन शुरू किया। बोर्ड ने इस सिफारिश के साथ कि मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क को कुछ समय के लिए उपलब्ध कर्मचारियों को सीमाशुल्क स्थल पर तैनात करने हेतु सीमाशुल्क कर्मचारियों को स्थानांतरित करना चाहिए तथा अतिरिक्त श्रमबल की गणना करके इसे बोर्ड को भेजें, 01 जून 2013 से अमृतसर के एयर कार्गो कॉम्लेक्स को सुविधा विस्तारित कर दी गई।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अमृतसर के एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में दिनांक 31 मई 2013 के बोर्ड के आदेशों के बावजूद 24x7 कार्गो मंजूरी संचालन नहीं किया गया था।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुए कहा कि कर्मचारियों को एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, अमृतसर में तैनात किया जा रहा है।

3.5 विविध अनियमिततायें

कृत्रिम आभूषणों पर छूट अधिसूचना का गलत लाभ लेने के उन्नत्तीस मामलों में मांग की गैर वसूली, सोने/चांदी के आभूषणों पर अपशिष्ट के अधिक दावे पर शुल्क की गैर वसूली, निर्धारित समय सीमा से अधिक वस्तुओं के पुनर्निर्यात पर शुल्क की गैर उगाही आदि के परिणामस्वरूप ₹ 2.82 करोड़ के शुल्क की गैर उगाही/कम उगाही के मामले भी देखे गए थे (परिशिष्ट 14), विभाग ने चार मामलों में आपत्ति स्वीकार कर लिया था और शेष मामलों में उत्तर प्रतीक्षित हैं।

अध्याय 4: समन्वय, आंतरिक नियंत्रण और निगरानी

इस अध्याय में आंतरिक लेखापरीक्षा क्रिया कलाप, विभिन्न मंत्रालयों और उनके क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच समन्वय, आंतरिक नियंत्रण तंत्र जैसे कि प्रतिवेदन, विवरणियां, सूचना, संप्रेषण एवं डीओसी, डीजीएफटी डीओआर, सीबीईसी द्वारा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों की निगरानी की समुचित पर्याप्तता पर प्रकाश डाला गया है। निम्नलिखित अवलोकन इस पर प्रकाश डालता है कि क्या मौजूदा प्रक्रियायें, प्रलेखन एवं तंत्र सरकार के उद्देश्यों और परिणामोन्मुख कार्रवाइयों का निष्पादन कर रही हैं।

4.1 सीमाशुल्क द्वारा नामित एजेंसियों की लेखापरीक्षा

बोर्ड के परिपत्र, दिनांक 14 अक्टूबर 2009 एवं 4 सितम्बर 2013 में क्षेत्राधिकारी आयुक्त को नामित एजेंसियों की यादृच्छिक तकनीकी लेखापरीक्षा प्रणाली बनाने का सुझाव दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेज, मुंबई, अहमदाबाद और सीमाशुल्क भवन कोलकाता में ऐसी कोई तकनीकी लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं थी। ऐसी निगरानी प्रणाली न होने के कारण नामित एजेंसियों द्वारा आयातित सोने के उपयोग की निगरानी सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में बताया कि चूँकि 20:80 योजना बंद कर दी गई है, दिनांक 04.09.2013 की अधिसूचना अब प्रभावी नहीं है।

विभाग का तर्क कि 20:80 योजना बंद करने के बाद ऐसी लेखापरीक्षा/जांच की अब कोई आवश्यकता नहीं है, सही नहीं है क्योंकि 20:80 योजना शुरू होने से पूर्व उपरोक्त उल्लिखित 14.10.2009 के परिपत्र सं. 28/2009 सी.शु. के पैरा 3(viii) में नामित एजेंसियों के लिए तकनीकी लेखापरीक्षा का प्रावधान किया गया था जो 20:80 योजना बंद करने होने के बाद भी लागू है।

4.2 डीओसी, डीओआर एवं डीजीएफटी के बीच समन्वय का अभाव

(क) विदेश व्यापार (विनियम) नियमावली 1993 के अनुसार महानिदेशक लाइसेंसिंग प्राधिकरण लाइसेंस देने या नवीकरण करने से मना कर सकते हैं बशर्ते कि उसमें कारण स्पष्ट करें जिसमें विदेशी विनिमय या सीमाशुल्क से

संबंधित किसी कानून का उल्लंघन शामिल हो जिसके लिए डीजीएफटी 'मना की गई इकाईयों की सूची' (डीईएल) बनाते हैं।

डीजी, सीसेज ने मै. अश्विन गोल्ड (प्रा.) लि. से संबंधित आयात एवं निर्यात दस्तावेजों के सत्यापन पर यह देखा कि 48.785 किग्रा सोने की कम गणना हुई थी। चूँकि इकाई को सेज परिसर के बाहर कार्य करने की कोई अनुमति नहीं दी गई थी, डीसी ने निष्कर्ष दिया कि इकाई अपने परिसर से अवैध तरीके से सोना बाहर ले गई और तदनुसार, डीसी ने एलओए निलंबित कर दिया (अगस्त 2014) और एफटी (डीएण्डआर) अधिनियम, 1992 के तहत गैर कानूनी गतिविधि के लिए ₹ 11.30 लाख का व्यक्तिगत जुर्माना लगाते हुए शुल्क छूट के पश्चात् आयातित सोने की अवैध निकासी, निर्यात प्रक्रियाओं का पालन करने में विफलता के लिए ₹ 11.32 करोड़ शास्ति लगाते हुए एक ओआईओ जारी किया। इसके अतिरिक्त, आयातक को 'डीईएल' के तहत लाया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डीसी ने डीईएल में शामिल करने के लिए मामला आरएलए को संदर्भित नहीं किया था, वैसे इकाई डीईएल के अन्तर्गत नहीं रखी गई थी। डीसी, सीसेज और आरएलए के बीच समन्वय की कमी के कारण एफटीडीआर अधिनियम, 1992 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2015) कि डीओसी को सभी डीसीज को निर्देश भेजने का अनुरोध किया जाएगा ताकि संबंधित आरएलएज को सूचना भेजी जा सके और डीजीएफटी सभी आरएलएज को सलाह देगा कि यदि ईओयू/सेज इकाई द्वारा कोई उल्लंघन उनके नोटिस में आए तो संबंधित डीसीज को सूचना दी जाए।

अन्तिम परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित किया जा सकता है।

(ख) एचबीपी के अनुसार यदि एक आईईसी धारक आवंटित आईईसी संख्या का उपयोग नहीं करना चाहता है, तो वह जारी करने वाले प्राधिकारी को सूचना दे कर उसे वापिस सौंप सकता है। ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, जारी करने वाले प्राधिकारी उसे तुरन्त रद्द कर सकता है और इलैक्ट्रानिक रूप से उसे डीजीएफटी और सीमाशुल्क प्राधिकारियों को प्रेषित कर सकता है। एफटी

(डीआर) अधिनियम, 1992 के अनुसार, कोई व्यक्ति डीजीएफटी द्वारा प्रदान की गई आईईसी संख्या के बिना आयात या निर्यात नहीं करेगा।

मैसर्स मालाबार गोल्ड आरनामेंटस मेकर्स प्रा. लि. को एक आईईसी संख्या जारी की गई थी (मई 2004) और इस कम्पनी का मालाबार गोल्ड प्रा. लि. में विलयन के परिणामस्वरूप उपरोक्त आईईसी को रद्द कर दिया गया था (फरवरी 2015)। डीजीएफट डाटाबेस से यह पाया गया कि मैसर्स मालाबार गोल्ड आरनामेंट्स मेकर्स प्रा.लि. ने सहार एयर कार्गो, मुम्बई के माध्यम से 19 मार्च 2015 को रद्द आईईसी के अन्तर्गत एक प्रेषण का निर्यात किया था।

इस मामले में, पार्टी ने एफटी (डी एवं आर) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के उल्लंघन में रद्द आईईसी का उपयोग करते हुए निर्यात किया था और इस प्रकार वह इस अधिनियम के अन्तर्गत दांडिक कार्रवाई के लिए दायी था। यह एक और मामला था जिसमें डीजीएफटी (ईडीआई) में नियंत्रण को सुदृढ़ करने और डीजीएफटी और सीमाशुल्क विभाग के बीच समन्वय की आवश्यकता है।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2015) कि आईईसी रद्द करने का ब्यौरा सीमाशुल्क प्राधिकारियों को इलैक्ट्रानिक रूप से प्रेषित किया गया था। चूंकि निरस्तीकरण ब्यौरा, सीमाशुल्क विभाग की आइसगेट वेबसाइट पर उपलब्ध था, इसलिए सीमाशुल्क विभाग निर्यात/आयात पेरषण की अनुमति से पूर्व आईईसी को सत्यापित कर सकता था।

डीओआर से उत्तर प्रतीक्षित है।

(ग) सेज नियमावली, 2006 की शर्तों में, इकाईयां प्राधिकृत यात्रियों के माध्यम से व्यक्तिगत बैगेज के रूप में स्वर्ण का आयात कर सकता है बशर्ते कि (i) प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत सूचना की प्रति की पावती को हवाईअड्डे पर सीमा शुल्क प्रभारी को देने की आवश्यकता हो और (ii) प्राधिकृत यात्री जिसके पास माल है उसे यथा पैकड़ माल को जिसमें बीजक सहित परेषिति इकाई का नाम और पता लिखा हो और पैकेजिंग सूची हो को हवाईअड्डे पर सीमाशुल्क प्राधिकारियों को सौंपेगा और इकाई में ले जाने से पूर्व वेयरहाऊस में माल रखने के लिए अवरोधन रसीद प्राप्त करेगा।

वायु आसूचना इकाई, चेन्नई के अधिकारियों ने दो यात्रियों से 12 किलो सोना जब्त किया था (अगस्त 2014) जो उन्होंने बताया कि स्वर्ण, आभूषणों के विनिर्माण के लिए सेज इकाई मै. प्रकाश गोल्ड पैलेस (प्रा.) लि. को अग्रिम आपूर्ति के रूप में था। उनके दावे के समर्थन में अधिकारियों को उचित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे कि प्रेषण सेज इकाई के लिए था क्योंकि उसमें परेषिती का नाम नहीं था और वह बिना किसी चिन्ह और संख्या के था। कम्पनी ने स्वर्ण को छुडवाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है जो अभी लम्बित है।

इकाई का स्वर्ण के आयात से पूर्व एमईपीजैड-सीमाशुल्क के प्राधिकृत अधिकारी को सूचित करना चाहिए था जैसाकि इस तत्कालिक मामले में नहीं किया गया था। सेज नियमावली में मुहैया कराए गए हैंड कैरिज के माध्यम से स्वर्ण के आयात के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया के बावजूद नियमों के उल्लंघन के कारण अनियमित आयात हुआ जिसमें ₹ 32.56 लाख का शुल्क शामिल था।

डीओसी से उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(घ) मै. अभिलाषा ज्यूलर्स (ईओयू) को सादे और जड़ाऊ 21 केरट और 22 केरट स्वर्ण के आभूषणों के विनिर्माण के लिए 28 अगस्त 2003 को एलओए जारी किया गया था। एलओए को 2008 में 31 अक्तूबर 2013 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित किया गया था।

इकाई ने गैर बन्धक का विकल्प दिया (अगस्त 2010) और सिद्घान्ततः 14 दिसम्बर 2010 को निकासी का आदेश प्रदान किया गया था। सिद्घान्ततः आदेश जारी करने के छः महीने के अन्दर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों से 'कोई देय नहीं प्रमाण पत्र' प्रस्तुत न करने के कारण, इकाई ने 100 प्रतिशत ईओयू की स्थिति धारित करना जारी रखा। कम्पनी ने बताया कि बिना किसी स्टाक के इकाई ने अपना परिचालन 14 दिसम्बर 2010 को बन्द कर दिया था।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग ने पाया कि इकाई के पास कुछ पूंजीगत माल था और शुल्क की देय राशि ₹ 43.22 लाख निकाली गई थी, तथापि, गैर

बन्धन के कारण पूंजीगत माल पर शुल्क गैर भुगतान के लिए कोई एससीएन जारी नहीं किया गया था।

उपरोक्त के दृष्टिगत, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से एनओसी जारी नहीं की गई थी और इकाई ईओयू के रूप में कार्य करती रही और उसने वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए 'शून्य' वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट फाइल की। 4 वर्षों से अधिक की चूकों के बावजूद, इकाई किसी निर्यात निष्पादन के बिना अभी भी ईओयू के रूप में कार्य कर रही है। अभी तक एससीएन जारी न होने और उसके अधिनिर्णय के कारण राजस्व और संसाधनों का अवरोधन हुआ।

सीबीईसी ने अपने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2015) कि वे क्षेत्रीय संरचनाओं के लिए अनुदेशों की पुनरावृत्ति करेंगे और उसकी एकप्रति डीसी को भी प्रेषित करेगें।

(ड़) मै.पी एवं एस गोल्ड क्लेडस (ईओयू इकाई) बैंगलोर को गोल्ड प्लेटड नकली आभूषणों के विनिर्माण और निर्यात के लिए 18 अप्रैल 2005 को एलओपी जारी किया गया था। एलओपी को आगे 11 मई 2010 से 5 वर्षों की अवधि के लिए विस्तारित किया गया था। वर्ष 2009-10 की एपीआर के अनुसार, इकाई ने सकारात्मक एनएफई प्राप्त की थी अप्रयुक्त कच्चे माल का मूल्य (अन्त शेष) ₹ 9.96 लाख था।

इकाई ने 1 अप्रैल 2011 से अपना कारोबार संबंधी कार्य बंद कर दिया और विभाग ने 06 अप्रैल 2011 को सिद्धान्ततः गैर बंधक अनुमति जारी की और वर्ष 2010-11 के लिए एपीआर फाइल न करने के लिए एससीएन जारी किया (14 अगस्त 2012) जिसके लिए इकाई ने उत्तर दिया कि उन्होंने उत्पाद शुल्क विभाग से एनओसी के लिए आवेदन किया था जिसकी प्राप्ति नहीं हुई थी।

इकाई ने वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिए वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट फाइल नहीं की थी। चार वर्षों से अधिक बीत जाने के बावजूद, इकाई ने बिना किसी निर्यात निष्पादन के ईओयू की स्थिति बनाए रखी। उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा एनओसी जारी करने के लिए विशिष्ट समय सीमा के अभाव से ईओयू

योजना से निकासी पाने में इकाईयों में अनुचित विलम्ब हो रहा है जिससे व्यापार सुविधा प्रक्रिया में रूकावट आ रही है।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(च) डीसी, सुरसेज के अभिलेखों से, रत्न और आभूषण क्षेत्र की उन्नीस इकाईयों ने 2011-12 और 2014-15 के बीच निकास के लिए आवेदन दिया था, किन्तु उनका आवेदन अप्रैल 2015 तक लम्बित था। इसी प्रकार छियालीस इकाईयॉ थी जो दो या अधिक वर्षों के लिए गैर परिचालित पडी़ रही थी।

डीओसी का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016) ।

(छ) ईओयू के निष्पादन की विकास कमिश्नर और संबंधित सीमाशुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से छःमाही आधार पर ईओयू द्वारा प्रस्तुत तिमाही और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा की जानी है। संयुक्त समीक्षा के आधार पर, संबंधित डीसी डीओसी और सीबीईसी को सूचना के लिए एक रिपोर्ट तैयार करेगा और चूककर्ता इकाईयों को समर्थ बनाने के लिए अपनी देयताएं पूरी करने के लिए सुधारात्मक उपायों का सुझाव देगा। इसके अतिरिक्त दिनांक 15 जून 2001 के परिपत्र द्वारा संयुक्त समीक्षा पर ऐसी रिपोर्ट 7 दिनों के अन्दर सीबीईसी को प्रस्तुत की जानी थी।

जब 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान की गई ईओयू की संयुक्त समीक्षा के कार्यवृत्त का ब्यौरा मांगा गया तो विभाग ने उस अवधि के दौरान कुल दस बैठकों आयोजित की गई में से केवल 16 अगस्त 2012 को हुई ईओयू की एक संयुक्त समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त की प्रति प्रस्तुत कर दी। नियमित आधार पर संयुक्त समीक्षा बैठक के अभाव में, विभाग मानीटर और समस्याओं की पहचान नहीं कर सका, घटिया निष्पादन/कमी के कारण नहीं जान सका और ईओयू को संभावित उपायों का सुझाव नहीं दे सका। इससे समान रूप से विभाग के राजस्व की सुरक्षा का हित और प्रस्तावित निर्यात प्रोत्साहन नीति के साथ साथ अगले वर्ष का संभावित लक्ष्य भी प्रभावित हुआ।

सीबीईसी ने अपने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2015) कि बोर्ड डीसी को एक प्रति सहित क्षेत्रीय फोर्मेशनों को अनुदेशों की पुनरावृत्ति कराएगा।

अन्तिम परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित किया जा सकता है।

4.3 अनुचित निगरानी के मामले

(क) वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट (एपीआर) का अधूरा प्रारूप

ईओयू/सेज इकाईयों द्वारा डीसी को उनके निष्पादन की निगरानी के लिए प्रस्तुत एपीआरज की समीक्षा से पता चला कि एपीआरज के मौजूदा प्रारूप में डीटीए से कच्चे माल की खरीद और कच्चे माल और पूंजीगत माल के आयात पर छोडे गए शुल्क के संबंध में सूचना शामिल नहीं की गई थी। इसके अलावा, यद्यपि आभूषणों की विनिर्माण प्रक्रिया में आयातित और स्वदेशी कच्चे माल दोनो शामिल होतें है, उनके संबंध में एपीआर में सूचना नहीं दी गई थी। इस सूचना के अभाव में, विभाग एफटीपी के प्रावधानों के तहत जैसा अपेक्षित था निर्यात्त माल के मूल्य संवर्धन का पता नहीं लगा सका।

सीमा शुल्क विभाग लेखापरीखा आपत्ति से सहमत था और कहा कि उनके पास इकाईयों द्वारा विनिर्माण प्रकिया में उपयोग किए गए देशज कच्चे माल के संबंध में ब्यौरा नहीं है।

डीओसी का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(ख) एपीआरज और निर्यातकों के सनदी लेखाकारों द्वारा अनुरक्षित और प्रमाणित स्टाक में विसंगति

सेज विनियमावली 2006 में अनुबंधित है कि एक सेज में प्रत्येक इकाई को वित्तीय वर्ष वार उचित लेखों का अनुरक्षण करना है जिसमें स्पष्ट रूप से आयातित माल का मूल्य, माल का उपभोग और उपयोग, माल का उत्पादन, निर्यात द्वारा माल का निपटान और स्टाक में शेष दर्शाया गया और निर्धारित प्रारूप में डीसी को एपीआर, जो एक सनदी लेखाकार (सीए) द्वारा यथा प्रमाणित हो प्रस्तुत करनी होती है।

लेखापरीक्षा ने इकाईयों द्वारा अपनी प्रमाणित एपीआरज में प्रस्तुत डाटा का मिलान स्टाक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर और सीमाशुल्क अभिलेखों में उपलब्ध डाटा से किया और चार एसईईपीजेड-सेज इकाईयों में विसंगतियॉ पाईं।

इसी प्रकार, एचबीपी में प्रावधान है कि एक ईओयू प्रत्येक वर्ग के आयातित माल/अधिप्राप्त शुल्क मुक्त की पूरी मात्रा, जिसे निर्यात, डीटीए में बिक्री/आपूर्तियों या अन्य को सेज/ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाईयों द्वारा अन्तरण की मंजूरी दी गई हो और स्टाक में शेष के लिए उचित लेखाओं का अनुरक्षण करेगा।

एपीआर डाटा, इसके सत्यापन का आधार बनाता है कि क्या इकाईयों ने वास्तव में अपेक्षित सकारात्मक एनएफई प्राप्त किया है और एक मानीटरिंग तंत्र के रूप में भी सुनिश्चित करता है कि इकाईयॉ लागू नियमों की परिधि में कार्य कर रही हैं। अतः डाटा में विसंगतियॉ एनएफई को विकृत कर सकती हैं। कुछ निदर्शी मामले परिशिष्ट 15 में वर्णित है।

डीओसी का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(ग) एपीआर की गैर/विलम्बित फाइलिंग

डीसी कार्यालय, सूरत सेज, जयपुर सेज, एनसेज, नोएडा, ईपीआईपी, सीतापुर, जयपुर, इंन्दौर सेज, मनिकंचन, फाल्टा सेज और सीसेज, कोचीन में फाइल की गई एपीआरज की संवीक्षा से पता चला कि इकाईयों द्वारा एपीआर की गैर विलम्बित/गलत फाईलिंग की गई थी जैसा कि (परिशिष्ट 15ए) में वर्णित है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में मै. वर्ल्ड वाइड स्माल डायॅमड मेन्युफैक्चरिंग प्रा.लि. होशंगाबाद रोड, भोपाल द्वारा विलम्ब में भरी गई एपीआर को स्वीकार करते समय कहा कि इकाई को चेतावनी दे दी गई है।

बाकी मामलों में सीबीईसी का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

***सिफारिश सं. 9**: वाणिज्य विभाग द्वारा एक उचित नियंत्रण तंत्र स्थापित किया जा सकता है ताकि सेज/ईओयू द्वारा एपीआरज में प्रस्तुत डाटा का आश्वासन और विश्वसनीयता प्राप्त की जा सके।*

(घ) दैनिक ट्रेड रिटर्न (डीटीआर) में निर्यात का गलत डाटा

सीमाशुल्क प्राधिकरण द्वारा 'दैनिक ट्रेड रिर्टन' (डीटीआर) को तैयार करने के लिए एसबीज और बीईज स्रोत दस्तावेज हैं जिन्हें वाणिज्यिक आसूचना और

सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) को विदेशी ट्रेड डाटा के प्रसंस्करण और सांख्यिकी प्रस्तुतीकरण के लिए भेजा जाता है।

एफपीओ, जयपुर के अभिलेखों से पता चला कि 2012-13 और 2013-14 के दौरान आठ मामलों में डीटीआर में एफओबी मूल्य और निर्यात बीजक में एफओबी मूल्य मेल नहीं खा रहे थे। डीटीआर में ₹ 7.28 करोड़ की राशि के निर्यात मूल्य की अधिक रिपोर्टिंग थी। इससे पता चलता है कि डीजीसीआईएस के आयात निर्यात डाटाबेस को सही करने की आवश्यकता है कि ताकि वास्तविक आयात/निर्यात आंकडे दिए जा सकें।

सीबीईसी ने अपने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2015) कि डाटा के मिलान का कार्य प्रगति में है।

अन्तिम परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित किया जा सकता है।

(ड.) शुल्कयोग्य माल इत्यादि की पहचान के लिए अपर्याप्त प्रणाली

एमआईएस के भाग के रूप में शुल्क योग्य माल की पहचान, शुल्क संग्रहण हेतु कम्प्यूटरीकृत बिलिंग प्रणाली, शुल्क संग्रहण की मद वार डाटाबेस-वार प्रतिदिन के अनुरक्षण की प्रणाली और आवधिक रिपोर्टिंग प्रणाली सीमाशुल्क प्रशासन के लिए एक अच्छे आन्तरिक नियंत्रण तंत्र के लिए मापदंड हैं।

सीमाशुल्क संग्रहण और शुल्क संग्रहण के अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए मुम्बई अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा पर अनुसरण की जा रही प्रक्रिया और प्रणाली की लेखापरीक्षा जांच में कमियॉ पाई गई।

1. सभी सीमाशुल्क प्राप्तियों के लिए बैगेज प्राप्तियां प्रत्येक और प्रत्येक मद के लिए पैंसिल कार्बन का उपयोग करते हुए हाथ से तैयार और गणना की गई थी।

2. प्रतिदिन के उपयोग के लिए सोना शुल्क डेबिट रजिस्टरों (डीडीआर) के लिए बैगेज प्राप्ति बुक जारी और वापिस लाने के लिए कोई मानक प्रक्रिया अपनाई नहीं जा रही थी। कुछ डीडीआर में तिथि नहीं थी। कुछ मामलों में विदेश में रहने की अवधि विनिर्दिष्ट नहीं थी जिसके बिना लागू शुल्क का पता नहीं लगाया जा सकता था। कुछ मामलों में डीडीआर की तीसरी प्रति जो

एक कार्बन कापी होनी चाहिए थी पेन से लिखी हुई थी। इसके अलावा डीडीआरज अव्यवस्थित तरीके से उपयोग किए गए थे।

3. सीमाशुल्क संग्रहण के लिए डाटाबेस का अनुरक्षण नहीं किया गया था। प्रशासन (तकनीकी) के पास केवल रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए शुल्क संग्रहण के मासिक आंकडे थे।

4. वायु आसूचना इकाई (एआईयू) और बैच/यूनिफार्म अनुभाग (परिशिष्ट 16) द्वारा पिछले चार वर्षों में जब्त किए गए स्वर्ण की मात्रा और मूल्य के विश्लेषण से पता चला कि एआईयू द्वारा स्वर्ण की जब्ती कई वर्षों में काफी अधिक हो गई थी, तथापि, बैच (यूनिफार्म) अनुभाग द्वारा जब्त मात्रा में वृद्धि काफी अधिक नहीं थी, जबकि बैच अनुभाग की कार्यकारी क्षमता एआईयू विंग से काफी अधिक थी और उनका बैगेज कलीयेरंस पर सीधा नियंत्रण था।

सीबीईसी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया (दिसम्बर 2015) कि यात्री टर्मिनल पर कम्पयूटरीकरण प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई थी। यह प्राप्त होने वाले लाभ की तुलना में सही निवेश नहीं था। निर्धारण प्रक्रिया के कम्पयूटरीकरण के संबंध में पहलूओं को देखा जा रहा था और व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा था, उच्च प्राथमिकता पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

लागत लाभ विश्लेषण के संबंध में विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने गंभीर चूकें पाई जैसा कि ऊपर बताया गया है। इन सभी चूकों/कमियों के कारण शुल्क अपवंचन का गंभीर जोखिम हो सकता है। अतः लेखापरीक्षा का मत है कि यदि प्रक्रिया को ईडीआई प्रणाली के साथ जोड़ा जाए तो इन चूकों को समाप्त किया जा सकता है। विभाग का उत्तर तर्कसगंत नहीं है क्योंकि हवाईअड्डा पर सीमाशुल्क अधिकारियों की तैनाती का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यात्री परिचालन को सुविधाजनक बनाते समय कोई शुल्क योग्य माल सीमाशुल्क बैरियर से लागू सीमाशुल्क के उदग्रहण के बिना न निकल जाए। हवाईअड्डा पर शुल्क संग्रहण प्रणाली के कम्पयूटरीकरण से न केवल बैगेज निकासी प्रक्रिया में गति आएगी किन्तु आरएमएस/डीजीओवी के लिए सभी लेनदेनों का स्थायी डाटाबेस बनाने के

अलावा शुल्क अपवंचन का पता लगाने के महत्वपूर्ण कार्य के लिए मूल्यवान श्रमबल भी उपलब्ध होगा।

(च) रजिस्टरों का अनुचित अनुरक्षण

दिनांक 14 अगस्त 2013 के आरबीआई के परिपत्र के साथ पठित दिनांक 4 सितम्बर 2013 के परिपत्र के अनुसार, सीमाशुल्क अधिकारी परिपत्र में बताए गए दस्तावेजों की प्रस्तुती के बाद सुसंगत छूट अधिूसचना के तहत निर्यात उत्पादन हेतु स्वर्ण की मंजूरी की अनुमति दे सकेगा और रजिस्टर में निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक प्रविष्टियां करेगा। इस रजिस्टर का अनुरक्षण सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा उसके क्षेत्राधिकार के तहत स्वर्ण का आयात करने वाली प्रत्येक नामित एजेंसी के लिए अलग से किया जाना था।

एसीसी, मुम्बई में यह पाया गया कि सीमा शुल्क द्वारा परिपत्र की शर्तों के अनुसार रजिस्टरों का उचित रूप से अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था। विभिन्न निर्यातकों को जारी स्वर्ण की मात्रा से संबंधित प्रविष्टियां दर्ज नहीं की गई थी। रजिस्टरों में प्रविष्टियां सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी और कुछ रजिस्टरों में अनुवर्ती खेप में आयात के लिए अनुमत मात्रा की गणना नहीं की गई थी।

सीबीईसी ने आपत्ति को स्वीकारते हुए कहा (दिसम्बर 2015) कि रजिस्टरों का अनुरक्षण और उचित अद्यतन किया जाएगा।

(छ) सेज के अन्तर्गत इकाईयों द्वारा अभिलेखों का अनुरक्षण न करना

रत्न और आभूषण क्षेत्र में सभी इकाईयों को आयात, उपयोग और जारी, पुनः बनाने के लिए उपयोग किए गए आयातित टूटे हुए आभूषण, पुनः पिघलाने, मरम्मत इत्यादि के लिए रजिस्टर का अनुरक्षण करना अपेक्षित है। इसके अलावा, रजिस्टर में क्रमिक रूप से संख्या वाले पृष्ठ होने चाहिए और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अनुरक्षित होने चाहिएं और प्रत्येक महीने के अन्त पर शेष समंजित किया जाना चाहिए ताकि संबंधित प्राधिकारी आसानी से अनुरक्षित लेखे की जॉच और उसे सत्यापित कर सकें। इसके अलावा, ऐसे माल का अलग से भंडार किया जाना चाहिए और उसमें ऊपर निर्धारित आवश्यकता के

अनुसार स्टाक में मात्रा उचित अधिकारी द्वारा स्टाक चलान/स्टाक के साथ मिलाई जानी चाहिए।

तीन सुरसेज, सूरत इकाईयों नामतः मै. सोलर एक्सपोर्ट, मै. काव्या ज्यूल्स और मै. फायरस्टार इन्टरनेशनल प्रा. लि. ने ₹ 537.58 करोड़ के मूल्य के पूराने आभूषणों का आयात किया, तथापि, इकाईयों द्वारा उपरोक्त उल्लिखित अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया गया।

इसे बताए जाने पर (जून 2015) विभाग ने उत्तर दिया (जून 2015) कि सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अन्तिम परिणाम लेखापरीक्षा को बताया जा सकता है।

(ज) ईओयू के जाब कार्य की मानीटरिंग न करना

दिनांक 1 अप्रैल 2003 के परिपत्र के अनुसार, डीटीए में उत्पादन का उप ठेका अनुमत करने से पूर्व, सहायक कमिश्नर/उप कमिश्नर के क्षेत्राधिकार में डीटीए के उत्पादन के ऐसे उप ठेका की आवश्यकता से अपने आप को संतुष्ट कर सकता है। यह सुविधा ईओयू इकाईयों को नियमित रूप से अनुमत नहीं थीं। सरकार का उद्देश्य इकाई को डीटीए को या अन्य ईओयू को विनिर्माण देने की अनुमति देना था ताकि वास्तविक कठिनाइयों से उबरा और इकाईयों द्वारा निर्यात हेतु माल की अचानक मांग को पूरा करने में समक्ष बनाया जा सके।

जाब कार्य के लिए अनुमति से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि उत्पाद शुल्क विभाग एनएसईजेड के तहत 100 प्रतिशत ईओयू मै. लोधा ज्यूलरी एक्सपोर्ट इंडिया प्रा.लि. को 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए डीटीए में उत्पादन प्रक्रिया के लिए उप ठेका की अनुमति नेमी रूप से दे रहा था। यह भी पाया गया कि 2015-16 की अवधि के लिए डीटीए में उत्पादन प्रक्रिया के उप ठेका की पूर्व अनुमति बिना किसी कठिनाई और अचानक मांग का पता लगाए बिना दी गई थी जिससे उप ठेका आवश्यक हो गया।

डीओसी का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(झ) ईआर-2 विवरणी विलम्ब से फाइल करना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विनियमावली, 2002 के अनुसार, प्रत्येक निर्धारिती, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रारूप में माल के उत्पादन और निराकरण और अन्य प्रासंगिक विवरणों को महीने की समाप्ति के दस दिन बाद, जिससे विवरणी संबंधित है, को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक को एक मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

जयपुर में अभिलेखों की नमूना जॉच के दौरान हमने पाया कि दो 100 प्रतिशत ईओयू इकाईयों[19] ने 3 से 120 दिनों के बीच विलम्ब से अपने ईआर-2 विवरणी फाइल किए थे। उत्तर में विभाग ने कहा कि दोनों निर्धारितियों को एससीएन जारी किए गए थे।

अन्तिम परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित किया जा सकता है।

(ञ) सरकारी राजस्व का अवरोधन

स्वर्ण के सिक्कों पर शुल्क लगाने के उदग्रहण के संबंध में दिनांक 12 मई 2004 की अधिसूचना में अस्पष्टता के संबंध में लेखापरीक्षा आपत्ति के आधार पर एससीएन जारी किया गया था और आयातित स्वर्ण के सिक्कों पर शुल्क की प्रभावी दर पर स्पष्टीकरण हेतु मामला बोर्ड को भेजा गया था। चूंकि बोर्ड से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए मामले काल बुक को हस्तांतरित किए गए थे और अभी भी वह अधिनिर्णयन हेतु लम्बित हैं, जिसमें ₹ 3.29 करोड़ का शुल्क शामिल है। बोर्ड ने 17 मार्च 2012 को स्पष्ट किया कि 995 की शुद्धता और उससे ऊपर वाले स्वर्ण के सिक्कों पर शुल्क की कम दर उदग्रहीत की जाती है और कम शुद्धता के स्वर्ण के अन्य सिक्कों पर शुल्क की उच्च दर उदग्रहीत की जाती है और मार्च 2012 के बाद से निर्धारण तदनुसार किया जा रहा है। तथापि, बोर्ड ने काल बुक में पडे मामलों के निर्धारण के लिए कोई निर्देश जारी नही किए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.29 करोड़ का राजस्व अवरूद्ध हो गया।

सीबीईसी ने अपने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2015) कि शुरू से स्वर्ण के सिक्कों पर समय समय पर सीमाशुल्क की रियायती दर दी गई थी।

---

[19] मै. मिलेनियम ज्यूल्स (100% ईओयू), जयपुर, मै. ए.के. एक्पोर्टस (100% ईओयू), जयपुर।

यह भी कहा गया कि काफी हद तक संभावना है कि एक पण्य एक अधिसूचना से अधिक के तहत कवर हो सकती है जिस पर शुल्क के विभिन्न दर लगते हो। ऐसे मामलों में विषय पर विभिन्न कानूनी घोषणाओं के अनुसार शुल्क की कम दर के लाभ से निर्धारिती को वंचित नहीं रखा जा सकता।

सीबीईसी का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अपनी स्वयं की नीति के आधार पर कोयम्बेतूर कमिश्नरी द्वारा 5 वर्षों से अधिक के लिए काल बुक में लम्बित मामलों के साथ उन्हें रेफर करने के बावजूद बोर्ड ने इस मामले पर कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया।

(ट) विभाग में स्वर्ण भंडार का कम लेखांकन

कोई माल जो मूल्य के संबंध में या सीमाशुल्क अधिनियम के तहत की गई घोषणा के अनुरूप नहीं है, अधिनियम के तहत जब्ती और शास्ति के दायी है और आयातक/यात्री के पास जब्ती के बदले माल को शुल्क भुगतान और मुक्त करवाने का विकल्प है। जब्त माल का दिनांक 8 अगस्त 2005 के परिपत्र में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निपटान किया जा सकता है।

मुम्बई हवाईअड्डा में एमटीआर (परिशिष्ट 17) के अनुसार 31 मार्च 2015 तक 725.08 क्रि.ग्राम का स्वर्ण का भंडार था। ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निपटान के रूप में दर्शाए गए स्वर्ण में 'जब्ती का हस्तांतरण/राइप माल' के शीर्ष के तहत मूल्यांकन हेतु आईयू को सौंपे गए ₹ 3.63 करोड़ की सोनें की ईटें 14516.80 ग्राम और ₹ 1.12 करोड़ का अन्य रूपों में सोना 4517 ग्राम को निपटान के रूप में माना गया था। यह आन्तरिक हस्तांरण होने के कारण निपटान के रूप में नही माना जा सकता। इसके अतिरिक्त, जारी करने वाले प्राधिकार (स्ट्रांग रूम) द्वारा कोई अभिलेख अनुरक्षित नही किया जा रहा था। ताकि मूल्यांकन हेतु जारी स्वर्ण की वापसी को ट्रेक किया जा सके। इसके अतिरिक्त, स्वर्ण के स्टाक लेखे में स्ट्रांग रूम से जारी स्वर्ण और डीएस-1 अनुभाग (अनुभाग जहां स्वर्ण की मूल्यांकन हेतु मंजूरी दी गई थी और अन्य जब्त माल को अस्थायी रूप से रखा जाता है) में दर्शाए गए स्वर्ण के भंडार के बीच स्वर्ण का 13337.80 ग्राम का अन्तर पाया गया था। डीएस-1 अनुभाग ने कोई एमटीआर तैयार नहीं किया था और

इसलिए डीएस-1 अनुभाग में पडे स्वर्ण भंडार और अन्य वस्तुओं को मानीटर करने के लिए कोई सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआईएस) उपलब्ध नहीं थी।

कमिश्नरी द्वारा रिपोर्ट किए गए 725.08 कि.ग्रा के अन्त शेष स्टाक में 31.274 कि.ग्रा स्वर्ण शामिल नहीं था जो मार्च 2015 के लिए एमटीआर में 'निपटान हेतु राइप' के तहत दर्शाया गया है।

वर्ष 2014-15 के लिए 'जब्त और राइप माल के हस्तांतरण' शीर्ष के तहत एमटीआर में निपटान के रूप में दर्शाए गए 330.545 कि.ग्रा स्वर्ण की मात्रा के प्रति, 'राइप से पूर्व/निपटान हेतु राइप' शीर्ष के तहत स्वर्ण की अनुवर्ती प्राप्ति स्वर्ण केवल 91.437 कि.ग्रा थी जो 239.108 कि.ग्रा के स्वर्ण के निपटान का मिलान न होना दर्शाता है। ऊपर बताए गए स्वर्ण स्टाक के लेंखाकन में अन्तर के मिलान की आवश्यकता है।

एआईयू/डीएस-1 के मूल्यांकन उद्देश्य और उसकी वापसी के लिए स्ट्रांग रूप से जारी स्वर्ण के मिलान के लिए कोई प्रणाली नहीं थी। पिछले 5 वर्षों के दौरान स्ट्रांग रूम से निपटान के रूप में दर्शाए गए स्वर्ण के संबंध में 31 मार्च 2015 तक स्वर्ण के स्टाक का मिलान मांगा गया था और उसे लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाया गया था।

सीबीईसी ने अपने उत्तर में बताया (दिसम्बर 2015) कि सम्पूर्ण स्वर्ण स्ट्रांग रूम को वापिस कर दिया गया है और एक महीने का मिलान दिया गया था। इसके अलावा, उसने बताया कि डीएस 1 के साथ मिलान में स्पष्ट अन्तर केवल एमटीआर कालम में उचित शीर्ष की कमी के कारण था जहां स्वर्ण की ऐसी गतिविधि का लेखांकन हो सकता था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि विभाग ने पूरी लेखापरीक्षा अवधि के लिए मिलान कार्य प्रस्तुत नहीं किया और यह उचित मानीटरिंग प्रणाली में कमी दर्शाता है। विभाग ने यह भी बताया कि स्ट्रांग रूम में क्लीयरड के रूप में दर्शायी गई मात्रा डीएस 1 शेष के साथ कभी भी मेल नहीं खाएगी क्योंकि डीएस 1 से क्लीयरेंस को स्ट्रांग रूम में नई प्राप्तियों के रूप में दर्शाया गया है। यह लेखापरीक्षा के तर्क का समर्थन करता है कि स्ट्रांग रूम से क्लीयर स्वर्ण के लिए ट्रेकिंग प्रणाली की कमी है।

4.4 आन्तरिक नियंत्रण का अभाव

(क) सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 110 (1ए) के तहत कार्रवाई प्रारंभन करना

केन्द्रीय सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी माल का स्वरूप, समय के साथ माल के मूल्य में मूल्याहृास, माल के लिए भडांरण स्थान में बाधाओं या किसी अन्य प्रासांगिक विवेचन को ध्यान में रखते हुए माल या माल की श्रेणी को निर्दिष्ट कर सकता है, जिसे जितना जल्दी हो सके इसकी जब्ती के बाद प्रक्रिया के अनुपालन के बाद समय समय पर उसी तरीके में उचित अधिकारी द्वारा निपटाया जाए।

इसके अलावा, जहां एक उचित अधिकारी द्वारा किसी माल की जब्ती की जाती है वहॉ माल की एक सूची तैयार करेगा जिसमें उसके विवरण, मात्रा, गुणवत्ता, मार्क, संख्या, उदगम देश और अन्य विवरण से संबंधित ब्यौरे शामिल हो जैसा वह उचित अधिकारी अधिनियम के तहत किसी कार्रवाई में माल की पहचान के लिए सुसंगत समझे और इस प्रकार तैयार की गई माल सूची की सटीकता को प्रमाणित करने के उद्देश्य हेतु मजिस्ट्रेट को आवेदन करेगा और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ऐसे माल की फोटो लेगा और इसे सही के रूप में प्रमाणित कराए तथा मजिस्ट्रेट जितना जल्दी हो सके आवेदन को अनुमति देगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मुम्बई हवाईअड्डा में निपटाए गए कुल 262 मामलों में से (₹ 41.84 करोड़ का अंकित मूल्य), 69 मामलों (₹ 16.45 करोड़ का अंकित मूल्य) का निपटान माल की जब्ती और निपटान के लिए उचित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना किया गया था। इसके अलावा 2013-14 के दौरान निपटाए गए 157 मामलों में (₹ 6.84 करोड़ का अंकित मूल्य), विभाग इस बात की पुष्टि के लिए कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं कर सका कि क्या किसी प्रक्रिया का अनुसरण किया गया था या नहीं।

सीबीईसी ने अपने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2015) कि जहां तक जब्ती के तहत माल का संबंध है वहॉ सभी अनुबंधित प्रक्रियाओं का किसी विचलन के बिना उचित रूप से अनुसरण किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जैसा ऊपर उल्लिखित मामले के दृष्टिगत सत्यापन के लिए कोई समर्थित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था और विभाग 69 मामलों के बारे में मौन था जिनका धारा 110 (1ए) के तहत कर्रवाई किए बिना निपटान किया गया था।

(ख) जब्त/जब्ती माल का निपटान न करना

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में जब्त माल के निपटान के बाद सरकार को देय राशि की वसूली का प्रावधान करता है। सीबीईसी ने अपने विनिर्देशों (दिनांक 22 जुलाई 2010) में निर्देश दिया कि प्रत्येक सीमाशुल्क फोर्मेशन गैर मंजूर/गैर दावा किए गए कार्गो के शीघ्र निपटान के लिए एक समय व्यापक समीक्षा के लिए एक 'टास्क फोर्स' का गठन करेगा और लम्बित नौभार जो निपटान हेतु तैयार हो के वर्ष वार ब्रेक अप के साथ निपटान में की गई प्रगति के बारे में पूछेगा। सीबीईसी ने अपने अनुदेशों में भी दोहराया कि उन मामलों में जहां सीमाशुल्क द्वारा प्रेषणों को रोका गया था, वहॉ सभी लम्बित कार्यवाहियां जैसे जांच, अधिनिर्णय और संबंधित कानूनी कार्यवाहियों को बिना विलम्ब के पूर्ण किया जाना चाहिए। अनुदेशों के अनुसार यह कमिश्नरों की जिम्मेदारी थी कि वह नियमित आधार पर ऐसे नौभार का तुरन्त निपटान सुनिश्चित करें।

(i) मुम्बई हवाईअड्डा में, लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2015 तक ₹ 177.64 करोड़ तक का स्वर्ण, हीरे और कीमती पत्थर गैर निपटान किए पडे हैं। इनमें से ₹ 26.90 करोड़ के मूल्य के 95 मामले एक वर्ष से अधिक से लम्बित थे और ₹ 5.26 करोड़ के मूल्य के 27 मामले तीन वर्षों से अधिक से लम्बित थे।

इसी प्रकार डिप्टी कमिश्नर (सीमाशुल्क) जेजीएसई के कार्यालय और एयर कार्गो काम्पलेक्स सांगनेर, जयपुर में 319.87 कि.ग्रा (सीटीएच 71 के अंतर्गत) भार की आयातित वस्तुएं/माल अदावित पडे हुए थे और वे 1 वर्ष से 24 वर्षों की अवधि से निपटान हेतु लम्बित थे।

(ii) कोयम्बेतूर कमिश्नरी की सीमाशुल्क आसूचना इकाई में, 2013-14 और 2014-15 की अवधि के दौरान ₹ 5.01 करोड़ के मूल्य के स्वर्ण के 11 परेषणों को जब्त किया गया था। इनमें से, नौ मामले अधिनिर्णीत थे और अधिनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा ₹ 2.91 करोड़ के मूल्य के माल की पूर्ण जब्ती

के आदेश पारित किए गए थे और जुर्माना एवं शास्ति क्रमशः ₹ 65 लाख और ₹ 51 लाख की राशि भी लगाई गई थी। तथापि, छः मामलों में, यद्यपि 60 दिन की अपील अवधि समाप्त हो गई थी किन्तु जुर्माने और शास्तियों की क्रमशः ₹ 57 लाख और ₹ 42 लाख की राशि वसूली के लिए कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, जब्त माल निपटान हेतु तैयार है क्योंकि अधिनिर्णय आदेश ₹ 2.34 करोड़ के मूल्य की पूर्ण जब्ती के लिए पास किया गया था।

इसी प्रकार चेन्नई वायु सीमाशुल्क में, फरवरी और मार्च 2014 के दौरान चेन्नई हवाईअड्डा से संबंधित पांच मामलों जिसमें ₹ 68.93 लाख का मूल्य शामिल था के अधिनिर्णय पर जब्त 2.516 कि.ग्रा. की मात्रा और ₹ 18 लाख के शोधित जुर्माने और ₹ 7.55 लाख की राशि की शास्ति लगाई गई थी जो एक वर्ष से अधिक के लिए उगाही हेतु लम्बित है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2015) कि मुम्बई III कमिश्नरी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वह गैर मंजूर/दावा न किए गए/निपटान हेतु तैयार माल के शीघ्र निपटान के लिए सभी गतिविधियों की समीक्षा करे।

जयपुर के मामले में सभी गैर मंजूर/दावा न की गई कार्गो के लिए 07.02.2015 की नीलामी की गई थी। केवल एक प्रेषण आरक्षित कीमत की तुलना में कम बोलियों के कारण बिना नीलामी के रह गया था।

एसीसी कोयम्बेतूर के मामले में कोयम्बेतूर कमिश्नरी कर वसूली सैल को उसकी वसूली की आवश्यक कार्रवाही करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए है। निपटान मामलों के संबंध में सभी अधिनिर्णयन मामलों में कार्रवाई पहले से की जा रही है।

इन मामलों में अन्तिम परिणाम लेखापरीक्षा को बताया जा सकता है।

(ग) निपटान इकाई के हस्तांतरण में प्रक्रियागत चूकें

केन्द्रीय वेयर हाऊसिंग निगम (सीडब्ल्यूसी) और सीमाशुल्क कमिश्नर (सामान्य) के बीच 2001 में हुए आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली पर वेयरहाऊस के प्रबन्धन के संबंध में हस्ताक्षरित करार के अनुसार 'एयरलाइन्स या संबंधित यात्री द्वारा 30 दिन के अन्दर माल की मंजूरी न होने पर वह

माल सीमाशुल्क द्वारा उनकी निपटान इकाईयों के लिए हटाया जाना दायी होगा और इसके लिए सीडब्ल्यूसी सीमाशुल्क को आवश्यक ब्यौरा प्रदान करेगा जब और जहां ऐसा माल निपटान हेतु तैयार होगा।

निपटान नियमपुस्तिका के अनुसार, जब भी कोई माल रोका/जब्त किया जाता है, तब इस माल की विस्तृत माल सूची जिसमें ऐसा ब्यौरा जैसे माल का ब्यौरा, मात्रा, माल की स्थिति, उदगम देश, कुल अनुमानित बाजार मूल्य इत्यादि को रोक/जब्ती के समय जब्ती अधिकारी द्वारा तैयार किए जाने चाहिए।

अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि अप्रैल 2010 से मार्च 2015 की अवधि के दौरान कुल 179 मूल्यवान माल/मदें (स्वर्ण छडे/रोड/राउंडस, स्वर्ण आभूषण/चांदी/कृत्रिम आभूषण) सीडब्ल्यूसी के वेयरहाऊस में बिना मूल्यांकन के पडीं थी जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन में उनका निपटान नहीं हुआ।

विभाग जल्दी से जल्दी इस माल के निपटान के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर सकता है ताकि माल की किसी क्षति या उठाईगिरी से बचा जा सके और जब्त/जब्त किए गए कीमती माल की हानि के जोखिम को कम किया जा सके।

सिफारिश की, कि निपटान प्रणाली आईसीईएस प्रणाली में बनायी जानी चाहिए की प्रतिक्रिया में सीबीईसी ने कहा कि निपटान एक स्थानीय कार्य है और इसका अन्य कमिश्नरियों की कार्यप्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं है। अतः केन्द्रीकृत संसाधन के लिए माडयूल विकसित करने से मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हो सकती। तथापि, इस संबंध में एक नीति निर्णय लिया जा सकता है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने ऐसे उदाहरण पाए जहां सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 110 (1ए) के तहत कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। यह गैर निपटान किए गए माल की वर्ष वार स्थिति से स्पष्ट है कि निपटान समयबद्ध तरीके से नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा का मत है कि यदि इसे ईडीआई के साथ जोडा जाए, तो यह जब्त माल के समय से निपटान की मानीटरिंग में मदद करेगा, राजस्व के अवरोधन सरकारी

संसाधनों को हटानें में और सीबीईसी और इसके क्षेत्रीय फोर्मेशन के लिए एमआईएस का सृजन करेगा और मौजूदा प्रणाली पर भार की जगह मूल्य संवर्धन होगा।

5. निष्कर्ष

भारतीय अर्थव्यवस्था में रत्न एवं आभूषण उद्योग का महत्त्वपूर्ण स्थान है तथा यह कुल निर्यात में लगभग 15 प्रतिशत का योगदान देता है। रत्न एवं आभूषण क्षेत्र जो भारत की समग्र निर्यात वृद्धि को बढ़ा रहा था, 2014-15 में केवल 0.7 प्रतिशत की नगव्य वार्षिक वृद्धि तक घट गया था जबकि आयात 10.5 प्रतिशत तक बढ़ गया था जो व्यापार घाटे को बढ़ा रहा था। चूंकि भारत स्वर्ण का उत्पादक नहीं है तथा मुद्रा एवं संपत्ति को मानते हुए स्वर्ण आभूषण के एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक-सांस्कृतिक विस्तार के साथ स्वर्ण की सम्पति मॉग के साथ स्वर्ण के मूल्य में परिवर्तन, आयात विनियम एवं निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं का स्वर्ण व्यापार पर कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा। इसने भारत को सबसे बड़ा स्वर्ण आयातक बना दिया है। साथ साथ, अपर्याप्त मूल्य संवर्धन के साथ हीरे में व्यापार तथा सीपीडी बढ़ा है।

डीओसी को निर्यात में त्वरित वृद्धि के माध्यम से रत्न एवं आभूषण क्षेत्र की वृद्धि के लिए उदार परिवेश तथा अवसंचना के निर्माण को सुगम बनाने तथा बहूमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करने का आदेश दिया गया था। घरेलू मूल्य संवर्धन के कारण हुए निर्यात इस क्षेत्र में व्यापार घाटे को घटा सकते थे तथा परिणामस्वरूप चालू खाता घाटा (सीएडी) को कम कर सकते थे। तथापि, एफटीपी 2015-20 में, 2014 में 20.80 योजना के वापसी के बावजूद जीएवंजे क्षेत्र के लिए कोई निर्धारक प्रावधान नहीं बनाया गया था, एवं इसकी मध्यावधि समीक्षा के पश्चात यह डीओसी के नीतिगत निर्धारित लक्ष्य से नीचे आ गया।

आरबीआई का कार्य विदेशी विनियम को विनियमित करके वाह्रय क्षेत्र को विनियमित करना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि अकेले रत्न एवं आभूषण क्षेत्र ने कुल विदेशी विनियम व्यय के लगभग 13 प्रतिशत का योगदान दिया था। आरबीआई ने सरकार के परामर्श से चालू खाता घाटे को कम करने तथा घरेलू

बाजार में स्वर्ण की खपत को हतोत्साहित करने के लिए अगस्त 2013 में 20:80 योजना प्रारंभ की। परिणामस्वरूप डीईए द्वारा योजना को संशोधित किये जाने तक, स्वर्ण का आयात नियंत्रित हुआ था तथा मई 2014 में, आरबीआई ने स्टार/प्रीमियर व्यापार घरानों को स्वर्ण का आयात करने के लिए अनुमत किया।

इसी प्रकार, सीबीईसी/डीओआर को बेहतर करदाता सेवाएँ, निर्यात प्रोत्साहन उपायों को लागू करने तथा प्रभावी रूप से कर राजस्व का संग्रह करने का आदेश दिया गया था। 2010-11 से 2014-5 की अवधि के लिए छोडा गया कुल सीमाशुल्क ₹ 12,26,033 करोड़ था जबकि उपरोक्त में उसी अवधि के लिए रत्न एवं आभूषण क्षेत्र का हिस्सा 25 प्रतिशत (₹ 3,01,042 करोड़) था। इस अवधि में मूल्यांकन डाटावेस प्रबन्धन तथा सीमाशुल्क इलैक्ट्रानिक डाटा एप्लीकेशन में अन्तर से व्यापार गलत-बीजक बनाने मे उत्तरोत्तर वृद्धि हुई जिसके कारण विदेशी विनियम/पूँजीगत वाह्यप्रवाह हुआ।

अन्तिम बार 2008 में जी एवं जे क्षेत्र की लेखापरीक्षा की गई थी तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा सुझाए गए अधिकतर सुधार पूरे नहीं किये गए थे।

योजना को लागू करने से पहले इसको प्रभाव आकलन तथा लागू करने के बाद अथवा छोड़ देने पर परिणाम आकलन के अभाव तथा अपर्याप्त समन्वय, नियंत्रण एवं निगरानी; परिचालनात्मक खराबी के मामलों, अनुपालना; कर प्रशासन हेतू अपर्याप्त आईसीटी अवसरंचना, सीमा संबंधी नियंत्रण, सुविधाओं तथा प्रभावीकरण के कारण योजनाएँ अप्रभावी रह गयीं।

डीओआर, सीबीईसी तथा डीओसी, डीजीएफटी को केवल व्यापार लेखांखन के माध्यम से बढ़ा चढ़ा कर बढ़ाए गए निर्यात ऑकडों से बचने के लिए एक वृद्धि सम्मत विधिसंगत रत्न तथा आभूषण व्यापार हेतू समन्वय, पूरी कार्यात्मकता के साथ ईडीआई प्रणालियों को लागू करने, व्यवहार लागत घटाने, संबंधित पार्टी संव्यवहारों को विनियमित करने, टैरिफ तथा पुनर्नियात में सुधार करने की आवश्यकता है।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा का ₹ 19,522.67 करोड़ के प्रणालीगत मामलों के अतिरिक्त ₹ 1,003.37 करोड़ और आंतरिक नियंत्रण मामले जो निर्धारित नहीं किये जा सकते का राजस्व निहितार्थ है।

नई दिल्ली **(डा. नीलोत्पल गोस्वामी)**

दिनॉक: 16 मार्च 2016 **प्रधान निदेशक (सीमाशुल्क)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**

दिनॉक: 16 मार्च 2016 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1

(पैराग्राफ सं. 2.1 देखें)

सीटीएच 71 के अन्तर्गत आयात तथा निर्यात की प्रवृति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आयात						निर्यात						सीटीएच 71 के अन्तर्गत छोडा गया सीमा शुल्क
	खुरदरा हीरा	स्वर्ण	आभूषण	सीपीडी	अन्य	कुल सीटीएच 71	खुरदरा हीरा	स्वर्ण	आभूषण	सीपीडी	अन्य	कुल सीटीएच 71	
विव11	48832	184729	1532	95464	19839	350396	2212	5763	37373	131011	22527	198886	49164
विव12	65412	269900	4154	63637	31495	434598	6006	1980	68128	126071	24105	226290	65975
विव13	80115	292153	28183	36652	18753	455856	9898	23765	75073	116233	13490	238459	61676
विव14	98471	166243	5765	35031	39520	345030	9949	18351	65570	147716	10589	252175	48635
विव15	102251	210658	3431	22581	42594	381515	9390	17442	80679	138463	7966	253940	75592

स्रोत: *commerce.nic.in, http://indiabudget.nic.in*

परिशिष्ट 1क

(पैराग्राफ सं.. 2.1 देखें)

वर्ष	पिछले वर्षों से खुरदरा हीरे के आयात में % वृद्धि	पिछले वर्षों से स्वर्ण के आयात में % वृद्धि	पिछले वर्षों से आभूषण के आयात में % वृद्धि	पिछले वर्षों से पोलिश किये हुए हीरे के आभूषणों के आयात में % वृद्धि	पिछले वर्षों से अध्याय 71 के अन्तर्गत आयात में % वृद्धि	पिछले वर्षों से खुरदरा हीरे के निर्यात में % वृद्धि	पिछले वर्षों से स्वर्ण के आयात में % वृद्धि	पिछले वर्षों से आभूषण के निर्यात में % वृद्धि	पिछले वर्षों से पोलिश किये हुए हीरे के आभूषणों के निर्यात में % वृद्धि	पिछले वर्षों से अध्याय 71 के अन्तर्गत निर्यात में % वृद्धि
विव12	33.95	46.11	171.15	(-) 33.34	24.03	171.52	(-) 65.64	82.29	(-) 3.77	13.78
विव13	22.48	8.23	578.45	(-) 42.40	4.89	64.80	1100.25	10.19	(-) 7.80	5.35
विव14	22.91	(-) 43.10	(-) 79.54	(-) 74.42	(-) 24.31	0.52	(-) 22.78	(-) 12.66	27.09	5.75
विव15	3.84	26.72	(-) 40.49	(-) 35.54	10.57	(-) 5.62	(-) 4.95	23.04	9-) 6.26	0.70

अध्याय 71 के अन्तर्गत आयात के मूल्य की समग्र वृद्धि दर में (वाईओवाई-वर्ष दर वर्ष) विव 14 में 24.03 प्रतिशत (विव 12) से (-) 24.31 प्रतिशत का अन्तर था। यह विव 15 में 10.57 प्रतिशत के थोड़े उठाव के साथ विव 14 तक तेजी से कम हुई थी। इसी प्रकार, समान अवधि में स्वर्ण के आयात की वृद्धि दर ने विव 14 में 46.11 प्रतिशत (विव 12) से (-) 43.10 प्रतिशत की अनियमित गिरती हुई प्रवृत्ति दर्शायी है जो विव 15 में 26.72 प्रतिशत तक बढ़ी है। विव 12(-33.34 प्रतिशत) से विव 15 (-35.54 प्रतिशत) के दौरान पोलिश किये हुए हीरे के आभूषणों के आयात की वृद्धि दर में यही गिरती प्रवृति देखी गई थी। विव 14 में गिरावट शीर्ष पर (-) 74.42 प्रतिशत थी। तथापी, इसी तरह स्वर्ण आभूषणों के निर्यात की वृद्धि दर विव 12 में 82.29 प्रतिशत से गिरकर विव 14 में (-)12.66 प्रतिशत रह गई और जो पुनः विव 15 में 23.04 प्रतिशत तक पुनः बढ़ी थी।

वर्ष 2011-12 से 2014-15 में खुरदुरा हीरे के आयात के मूल्य की वृद्धि दर में 33.95 प्रतिशत (विव 12) से विव 15 में 3.84 प्रतिशत तक गिरती प्रवृति देखी गई है। तथापि, खुरदुरा हीरे के निर्यात की

वृद्धि दर ने 17.52 प्रतिशत (विव 12) से विव 15 में (-) 5.62 प्रतिशत तक समान गिरती प्रवृति दर्शायी है। तदनुसार रूप से, अध्याय 71 के तहत समग्र निर्यातों की वृद्धि दर अवधि के दौरान 13.78 प्रतिशत से 0.70 प्रतिशत तक गिर गई थी।

समान अवधि के दौरान स्वर्ण आभूषणों के आयात मूल्य की वृद्धि दर में एक असमान प्रवृति देखी गई है। वृद्धि 171.15 प्रतिशत (विव 12) से आगे 578.45 प्रतिशत (विव 13) तक बढ़ी थी जो कि (-) 79.54 प्रतिशत तक गिर गई और अन्ततः विव 15 में (-) 40.49 प्रतिशत रह गई। इसी प्रकार, स्वर्ण के निर्यात की वृद्धि दर विव 12 में (-) 65.64 प्रतिशत से 1100.25 प्रतिशत (विव 13) हो गई थी तथा फिर यह विव 14 में (-) 22.78 प्रतिशत तक नीचे आ गई और अन्ततः विव 15 में (-) 4.95 प्रतिशत रह गई।

विव 12 (-3.77 प्रतिशत) से विव 15 (-6.26 प्रतिशत) के दौरान पोलिश किये गए हीरे के आभूषणों के निर्यात के मूल्य की वृद्धि दर में गिरती प्रवृति देखी गई थी। तथापि, इसने विव 14 (27.09 प्रतिशत) में एक उठाव प्राप्त किया था। यह उठाव विव 14 में चरम (27.09 प्रतिशत) पर था।

परिशिष्ट 1ख

(पैराग्राफ सं. 2.1 देखें)

वर्ष	अध्याय 71 के अन्तर्गत कुल आयात में खुरदुरा हीरे के आयात का भाग %	अध्याय 71 के अन्तर्गत कुल आयात में स्वर्ण के आयात का भाग %	अध्याय 71 के अन्तर्गत कुल आयात में स्वर्ण आभूषणों के आयात का भाग %	अध्याय 71 के अन्तर्गत कुल आयात में तराशे हुए एवं पोलिश किये गए हीरे के आयात का भाग %	अध्याय 71 के अन्तर्गत कुल आयात में खुरदुरा हीरे के निर्यात का भाग %	अध्याय 71 के अन्तर्गत कुल आयात में स्वर्ण के निर्यात का भाग %	अध्याय 71 के अल्तर्गत कुल आयात में स्वर्ण आभूषणों के निर्यात का भाग %	अध्याय 71 के अन्तर्गत कुल आयात में तराशे हुए एवं पोलिश किये गए हीरे निर्यात का भाग %
विव11	13.94	52.72	0.44	27.44	1.11	2.90	18.79	65.87
विव12	15.05	62.10	0.96	14.64	2.65	0.87	30.11	55.71
विव13	17.57	64.09	6.18	8.04	4.15	9.97	31.48	48.74
विव14	28.54	48.18	1.67	10.15	3.95	7.28	26.00	58.58
विव15	26.80	55.22	0.90	5.92	3.70	6.87	31.77	54.33

परिशिष्ट 1ग

(पैराग्राफ सं. 2.1 देखें)

वर्ष	खुरदुरा हीरे के आयात पर खुरदुरा हीरे के निर्यात की प्रतिशतता %	स्वर्ण के आयात पर स्वर्ण के निर्यात की प्रतिशतता %	आभूषणों के आयात पर आभूषणों के निर्यात की प्रतिशतता %	आयात तथा तराशे एवं पोलिश किये हुए हीरे के निर्यात %	सीटीएच 71 के अन्तर्गत कुल निर्यात तथा सीटीएच 71 के अन्तर्गत कुल आयात की प्रतिशतता %
विव11	4.53	3.12	4.10	72.87	176.18
विव12	9.18	0.73	6.10	50.48	192.05
विव13	12.35	8.13	37.54	31.53	191.17
विव14	10.10	11.04	8.79	23.72	136.82
विव15	9.19	8.28	4.25	16.31	150.24

कुल आयात में खुरदुरा हीरे का भाग 13.94 प्रतिशत (विव 12) से विव 15 में 26.80 तक थोड़ी गिरने के साथ विव 14 में 28.54 प्रतिशत तक उठती प्रवृति पर था। इसी तरह स्वर्ण आभूषण के आयात का भाग विव 11 में 0.44 प्रतिशत से विव 13 में 6.18 प्रतिशत तक बढ़कर विव 14 में 1.67 प्रतिशत

तथा विव 15 में 0.90 प्रतिशत तक कम हो गया था। इसी प्रकार, खुरदुरा हीरों के निर्यात में भी विव 11 में 1.11 प्रतिशत से विव 13 मे 4.15 प्रतिशत तक बढ़ती प्रवृति दर्ज की गई थी, तथापि, विव 14 में यह 3.95 प्रतिशत तक नीचे आई तथा विव 15 में 3.70 प्रतिशत तक और नीचे आ गई थी ।

कुल आयात में स्वर्ण आयात के भाग में विव 11 में 52.72 प्रतिशत से विव 13 में 64.09 प्रतिशत तक एक अनियमित वृद्धि थी जो विव 14 में 48.18 प्रतिशत तक कम हो गई था तथा विव 15 में पुनः 55.22 प्रतिशत तक बढ़ गई थी। इसी प्रकार, कुल आयात में स्वर्ण आभूषण निर्यात के भाग ने विव 11 में 18.79 प्रतिशत से विव 14 में 26 प्रतिशत तक कम होने के बाद विव 15 में 31.77 प्रतिशत तक एक बढ़ती प्रवृति दर्शायी थी तथा अन्त में विव 15 में 31.77 प्रतिशत तक बढ़ गई था।

अध्याय 71 के अन्तर्गत कुल आयात में स्वर्ण निर्यात के भाग का जिगजैग वृद्धि पैटर्न है जो विव 11 में 2.90 प्रतिशत से विव 12 में 0.87 प्रतिशत तक नीचे आकर विव 13 में 9.97 प्रतिशत तक ऊपर चढ़ा एवं फिर विव 14 में 7.28 प्रतिशत तथा विव 15 में 6.87 प्रतिशत तक नीचे आ गया। इसी प्रकार कुल आयात में तराशे एवं पोलिश किये हुए हीरे के निर्यात का भाग विव 11 में 65.87 प्रतिशत से विव 15 में 54.33 प्रतिश्त तक गिर गया जो विव 11 के स्तरों से नीचे था।

खुरदुरा हीरे के आयात पर खुरदुरा हीरे के निर्यात की प्रवृति ने (विव 11) 4.53 प्रतिशत से विव 13 में 12.35 प्रतिशत तक बढ़ती प्रवृति दर्शायी है तथा फिर यह विव 15 में 9.09 प्रतिशत तक थोड़ी सी नीचे आ गई थी।

स्वर्ण के आयात पर स्वर्ण के निर्यात के मामले में, यह देखा गया था कि विव 14 तक 11.04 प्रतिशत तक एक बढ़ती प्रवृति थी (विव 11 में 3.12 प्रतिशत से) जो विव 15 में 8.28 प्रतिशत तक नीचे गिर गई थी।

आभूषण के निर्यात पर आभूषणों के आयात की प्रवृति ने 4.10 प्रतिशत (विव 11) से विव 13 में 37.54 प्रतिशत तक बढ़ती प्रवृति दर्शायी थी जो विव 15 में तेजी से 4.25 प्रतिशत तक गिर गयी।

तराशे एवं पोलिश किये हुए हीरे के निर्यात पर तराशे एवं पालिश किये हुए हीरे के आयात की प्रवृति ने 72.87 प्रतिशत (विव 11) से विव 15 में 16.31 प्रतिशत तक गिरती प्रवृति दर्शायी है।

जब अध्याय 71 के अन्तर्गत निर्यात पर कुल आयात की तुलना की गई तो यह देखा गया था कि विव 11 में 176.18 प्रतिशत से विव 15 में 150.24 तक इसमें एक समग्र गिरती प्रवृति थी। यद्यपि यह विव 12 में 192.05 प्रतिशत तक शिखर पर था तथा विव 14 में 136.82 प्रतिशत न्यूनतम था।

खुरदुरा हीरे के आयात की मात्रा 2014-15 में 1,12,781 कैरेट से 1,40,880 कैरेट तक बढ़ गई थी परन्तु इसकी वृद्धि की दर 2011-15 के बीच उत्तरोत्तर गिर गई थी। इसी प्रकार निर्यात किये गए खुरदुरा हीरे की मात्रा भी 2010-11 में 10,694 कैरेट (आयात का 8%) से 2014-15 में 40,201 कैरेट (आयात का 22%) तक बढ़ गई थी परन्तु 2010-13 के बीच वृद्धि दर भी बढ़ रही थी जो परिणामस्वरूप 2013-15 के बीच घट गई थी। इसी अवधि के दौरान 2010-11 में 50,809 कैरेट तराशे एवं पोलिश किये गए हीरे का आयात किया गया था जो 2014-15 में 9,587 कैरेट तक घट गया तथा 2010-11 में 66,028 कैरेट निर्यात किया गया था जो 2014-15 में 33, 007 कैरेट तक घट गया था।

2010-11 में 969 हजार इकाईयों की मात्रा में स्वर्ण के गैर मौद्रिक स्वरूप (710812/13) का आयात किया गया था जो 2011-12 में 1078 हजार इकाईयों तक बढ़ गया था तथा अन्ततः 2014-15 में 915 हजार तक घट गया। 2010-11 में समान वस्तुओं का निर्यात 57 हजार इकाईयों से 2011-12 में 169 हजार इकाईयों तक बढ़ कर अन्त में 2014-15 में 70 हजार इकाईयों तक घट गया था। इसी अवधि के दौरान आभूषण (711 311/19) आयात 2010-11 में 86 हजार इकाईयों से घट कर 2011-12 में एक गिरावट (33 हजार इकाई) के साथ 2014-15 में 46 हजार इकाई तक घट गया था तथा समान वस्तुओं का निर्यात 2010-11 में 475 हजार इकाईयों से घटकर 2014-15 में 438 हजार इकाई रह गया यद्यपि 2011-12 में 72339 हजार इकाईयों के निर्यात का उछाल भी था।

परिशिष्ट 2(क)

(पैराग्राफ सं. 2.1 देखें)

सिंगापुर, इन्डोनेशिया, हॉगकॉग, थाइलैण्ड तथा यूएई से स्वर्ण आभूषणों का आयात

वर्ष	सिंगापुर		इन्डोनेशिया		हॉगकॉग		थाइलैण्ड		यूएई	
	मूल्य (₹ करोड़ में)	पिछले वर्ष से % वृद्धि	मूल्य (₹ करोड़ में)	पिछले वर्ष से % वृद्धि	पिछले वर्ष से % वृद्धि	पिछले वर्ष से % वृद्धि	पिछले वर्ष से % वृद्धि	पिछले वर्ष से % वृद्धि	पिछले वर्ष से % वृद्धि	पिछले वर्ष से % वृद्धि
विव11	6.67	(-) 19.33	4.16	(-) 18.99	232.36	113.50	165.69	73.58	105.00	80.84
विव12	5.56	(-) 16.58	1.03	(-) 75.23	1533.41	559.94	687.40	314.87	879.68	737.81
विव13	25.00	348.33	0.33	(-) 67.95	3250.00	11.97	684.00	(-) 0.54	22859.00	2498.51
विव14	176.00	604.00	7.53	2181.82	679.00	-79.11	144.00	-78.95	3447.00	-84.92
विव15	91.00	-48.29	885.16	11655.11	441.00	-35.05	85.00	-40.97	870.00	-74.76

परिशिष्ट 2 (ख)

(पैराग्राफ सं. 2.1 देखें)

अध्याय 71 आयातों के सात प्रमुख स्त्रोत

रैंक वर्ष	1 (% शेयर)	2 (%शेयर)	3 (%शेयर)	4 (%शेयर)	5 (%शेयर)	6 (%शेयर)	7 (%शेयर)
विव11	स्विजरलैण्ड (29.59)	यूएई (27.16)	हॉगकॉग (10.12)	वेल्जियम (9.17)	दक्षिण अफ्रीका(5.76)	आस्ट्रेलिया (3.95)	यूएसए (3.62)
विव12	स्विजरलैण्ड (35.43)	यूएई (19.99)	वेल्जियम (9.24)	हॉगकॉग(9.02)	दक्षिण अफ्रीका(8.41)	आस्ट्रेलिया (4.25)	यूके (2.85)
विव13	स्विजरलैण्ड (35.31)	यूएई (24.36)	वेल्जियम (9.90)	हॉगकॉग (5.56)	दक्षिण अफ्रीका(6.07)	यूएसए (5.22)	आस्ट्रेलिया (3.79)
विव14	स्विजरलैण्ड (29.40)	यूएई (20.40)	वेल्जियम (15.70)	हॉगकॉग (8.27)	दक्षिण अफ्रीका(4.62)	यूएसए (4.34)	आस्ट्रेलिया (3.70)
विव15	स्विजरलैण्ड (32.68)	वेल्जियम (14.41)	यूएई (14.09)	हॉगकॉग (6.57)	यूएसए (5.66)	दक्षिण अफ्रीका(3.05)	आस्ट्रेलिया (2.65)

स्रोतः एक्जिम डाटा, वाणिज्य मंत्रालय

परिशिष्ट 2 (ग)

(पैराग्राफ सं. 2.1 देखें)

अध्याय 71 निर्यातों के सर्वोत्तम सात गंतव्य स्थान

रैंक वर्ष	1 (% शेयर)	2 (% शेयर)	3 (% शेयर)	4 (% शेयर)	5 (% शेयर)	6 (% शेयर)	7 (% शेयर)
विव11	यूएई (45.27)	हॉगकॉग(19.88)	यूएसए (12.08)	वेल्जियम (5.48)	ईजरायल (2.20)	सिंगापुर (1.12)	आस्ट्रेलिया (0.49)
विव12	यूएई (39.08)	हॉगकॉग(24.09)	यूएसए (14.34)	वेल्जियम (8.08)	ईजरायल (6.77)	सिंगापुर (1.33)	थाईलैण्ड (1.44)
विव13	यूएई (43.23)	हॉगकॉग(24.30)	यूएसए (15.39)	वेल्जियम (5.55)	ईजरायल (2.64)	सिंगापुर (1.45)	थाईलैण्ड (1.28)
विव14	यूएई (30.64)	हॉगकॉग(26.82)	यूएसए (18.73)	वेल्जियम (6.42)	ईजरायल (3.15)	थाईलैण्ड (1.81)	सिंगापुर (1.28)
विव15	यूएई (29.59)	हॉगकॉग(29.38)	यूएसए (20.27)	वेल्जियम (6.44)	ईजरायल (2.85)	थाईलैण्ड (1.60)	यूके (1.23)

स्रोतः एक्सिम डाटा, वाणिज्य मंत्रालय

परिशिष्ट 3

(पैराग्राफ सं. 2.2 देखें)

डीजीओवी एवं कमिश्नरी के आंकड़ो की तुलना

₹ लाख में

वि.व.	सीमाशुल्क स्टेशन का नाम	डीजीओवी डाटा के अनुसार				कमिश्नरी डाटा के अनुसार			
		बीई की संख्या	आयात का मूल्य	एसबी की संख्या	निर्यात का मुल्य	बीईज की संख्या	आयात का मूल्य	एसबीज की संख्या	निर्यात का मुल्य
विव11	एसीसी मुम्बई	4394	90117.54	8	5.21	1901	241183.55	6332	29186.34
	एनसीएच मुम्बई	4356	1520.05	0	0	200	662.26	0	0
	जेएनसीएच मुम्बई	4331	2715.51	4	32.66	716	2750.94	6510	86361.11
	पीसीसीसीसी मुम्बई	डाटा केप्चर नहीं किया गया				25754	4466555	124690	9914085
विव12	एसीसी मुम्बई	15676	392651.29	996	1331.73	2009	456245.63	6078	29250.12
	एनसीएच मुम्बई	6025	3261.47	0	0	229	1483.95	0	0
	जेएनसीएच मुम्बई	3120	2561.41	2540	12654.24	859	4501.25	6585	14522.26
	पीसीसीसीसी मुम्बई	डाटा केप्चर नहीं किया गया				36353	10111458	127077	11709480
विव13	एसीसी मुम्बई	12297	631210.25	2184	3376.87	1863	999770.07	6090	44316.86
	एनसीएच मुम्बई	4585	2618.27	2	1.48	228	1224.73	0	0
	जेएनसीएच मुम्बई	3423	2572.17	4965	22528.98	673	820.86	6658	88161.38
	पीसीसीसीसी मुम्बई	डाटा केप्चर नहीं किया गया				30539	7889510	133444	11544743
विव14	एसीसी मुम्बई	19253	626367.54	2290	4825.88	1845	1227556.5	6485	40486.09
	एनसीएच मुम्बई	5667	7114.09	0	0	70	4753.65	0	0
	जेएनसीएच मुम्बई	3028	2351.22	4681	27486.16	532	552.84	6784	68867.11
	पीसीसीसीसी मुम्बई	39220	2350258.7	डाटा केप्चर नहीं किया गया		29445	9866810	153908	14613334

परिशिष्ट 4

(पैराग्राफ सं. 2.3क देखें)

स्वर्ण आभूषणों के आयात से संबंधित डाटा का विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

स्वर्ण आभूषण का आयात (अखिल भारत)		
अवधि	**कुल आयात**	**प्रति महीना औसत आयात**
1 अप्रैल 2012 से 13 अगस्त 2013 (16.5 महीने)	783.55	47.49
14 अगस्त 2013 से 27 नवम्बर 2014 (20.80 योजना अवधि-15.5 महीने))	6588.27	425.05
28 नवम्बर 2014 से 31 मार्च 2015 (4 महीने)	1505.45	376.36

स्रोतः डीजी (प्रणाली), नई दिल्ली

परिशिष्ट 5

(पैराग्राफ सं. 2.3ख देखें)

2010-11 से 2014-15 के दौरान कुल स्वर्ण आयात			
वर्ष	**आयातित स्वर्ण की मात्रा (एमटीएस)**	**औसत मासिक स्वर्ण आयात (एमटीएस)**	
2010-11	970	80.83	
2011-12	1078	89.83	
2012-13	1014	84.50	
अप्रैल 2013 से जुलाई 2013	419	104.75	
अगस्त 2013 से मई 2014 (20:80)	336	33.60	
जून 2014 से नवम्बर 2014 (20:80)	553	92.16	
दिसम्बर 2014 से मार्च 2015	286	71.50	
20:80 योजना के दौरान मुख्य ट्रेडिंग हाऊसिस द्वारा आयात			
मैं.	**जून 2013 से नवम्बर 2013 में कुल आयात (कि.ग्रा)**	**जून 2014 से नवम्बर 2014 में कुल आयात (कि.ग्रा.)**	**प्रतिशत वृद्धि**
राजेश एक्सपोर्टस लिमिटेड	40791	68,500	67.93
एम डी ओवरसीज लिमिटेड	9626	49,450	413.71
कुंदन राईस मिल्स लिमिटेड	4552	39,000	756.77
कनक एक्सपोर्टस	0	24,896	अत्यधिक
एडलवेज कमोडिटीज सर्विसेज	4770	19000	298.32
जावेरी एंड का, प्राईवेट लिमिटेड.	5176	42000	711.44
रिद्धि सिद्धि बुल्यिन लिमिटेड	2004	22000	997.80
खनडवाला एंटरप्राइज प्रा. लिमिटेड	505	11700	2216.83
जिंदल डाईकेम इंडसट्रीज	1050	2800	166.67
गोपाल ज्वैलरस लिमिटेड	216	1728	700
रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड.	0	900	अत्यधिक
गीतान्जली जैम्स लिमिटेड.	300	400	33.33
सु-राज डायमंडस लिमिटेड.	75	400	433.33
जोड़	**69065**	**282774**	**309.43**

परिशिष्ट 6

(पैराग्राफ सं. 2.3ग देखें)

20:80 योजना के दौरान, पहले, बाद में सादे स्वर्ण आभूषण का निर्यात

सादे स्वर्ण आभूषण का मासिक औसत निर्यात					
अवधि	मात्रा (कि.ग्रा)	मूल्य (₹ करोड़ में)	औसत मासिक निर्यात (मात्रा)	औसत मासिक निर्यात (मूल्य)	अवधि
01.04.2012 से 31.03.2013	8363.52	2343.65	696.95	195.30	20:80 से पूर्व
01.04.2013 से 13.08.2013	4416	1067.52	981.33	237.14	
14.08.2013 से 31.03.2014	35564.96	3302.95	4741.99	440.39	20:80 के दौरान जब पीटीएच/एसटीएच शामिल नही थे।
01.04.2014 और 27.11.2014	151765	12186.49	18970.66	1523.31	20:80 के दौरान जब पीटीएच/एसटीएच को 20:80. के अन्तर्गत लाया गया था
28.11.2014 से 31.03.2015	108769.32	2728.07	27192.33	682.01	20:80 के बाद

परिशिष्ट 7

(पैराग्राफ सं. 2.4ख देखें)

अग्रिम प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा अर्जन की उच्च लागत

आयातक	लाईसेंस/फाईल सं. वर्ष	आयातित मद	मात्रा कि.ग्रा. में	सीआईएफ मूल्य आईएनआर (करोड़ में)	सीआईएफ मूल्य यूएस $ (करोड़ में)	छोड़ा गया शुल्क आईएनआर (करोड़ में)	एफओबी मूल्य आईएनआर (करोड़ में)	एफओबी मूल्य यूएस $ (करोड़ में)	विदेशी मुद्रा अर्जन यूएस $ (करोड़ में)	मूल्य संबर्धन के प्रति छोड़े गए शुल्क का अनुपात (₹ करोड़ में)	₹ में प्रति यूएस $ अर्जन की लागत
एमडी ओवरसीज लिमिटेड	510340873 वर्ष: 2012	99.5% शुद्धता के स्वर्ण वार	340	98.97	1.79	3.92	100.45	1.82	0.03	2.65	130.67
एमडी ओवरसीज लिमिटेड	510315775 वर्ष: 2012	99.5% शुद्धता के स्वर्ण वार	380	99.16	2.21	3.93	10065	2.25	0.04	2.64	98.25
कनक एक्सपोर्टस	510360640 वर्ष: 2013	99.5% शुद्धता के स्वर्ण वार	500	139.47	2.55	8.87	141.56	2.59	0.04	4.24	221.75
एसीपीएल एक्सपोर्टस	05/93/041/ 55100/0396 /8314 वर्ष: 2014	चॉदी उत्कृष्टता 0.999	9511	33.09	0.55	3.40	36.83	0.61	0.06	0.91	56.67
एसीपीएल एक्सपोर्टस	05/93/041/ 55100/0372 /5919 वर्ष: 2014	चॉदी उत्कृष्टता 0.999	6000	26.85	0.42	2.76	29.83	0.47	0.05	0.93	58.72

परिशिष्ट 8

(पैराग्राफ सं. 2.7ग देखें)

अध्याय 71 के अन्तर्गत वर्ष वार जब्ती मामलों का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अखिल भारतीय	डीआरआई	जोड़
वित्त11	20.86	1.25	22.11
वित्त12	71.09	23.75	94.84
वित्त13	106.81	49.80	156.61
वित्त14	698.97	251.19	950.16
वित्त15	1133.92	285.30	1419.22

डीआरआई चेन्नै द्वारा वर्ष वार जब्ती मामलों का ब्यौरा

क्रम. सं.	वर्ष	मामलों की संख्या जहाँ तस्करी शामिल थी	विवरण	किग्रा में मात्रा	मूल्य (₹ करोड़ में)
1	2010-11	2	स्वर्ण एवं चाँदी के आभूषण	1.378	1.05
2	2011-12	10	सोने की बार इत्यादि	16.049	3.55
3	2012-13	20	सोने की बार इत्यादि	114.309	32.64
4	2013-14	34	सोने की बार इत्यादि	216.964	65.40
5	2014-15	33	सोने की बार इत्यादि	249.369	68.86

परिशिष्ट 9

(पैराग्राफ सं. 2.8क देखें)

सीपीडी के पुनः आयात को शामिल करने वाली छूट अधिसूचनाएँ

अधिसूचना	मुख्य शर्तें
1. सीपीडी सहित सभी माल पर लागू अधिसूचना सं. 94/96 सीमाशुल्क दिनांक 16 दिसम्बर 1996	1. माल समान है जो निर्यात किया गया था। 2. 3 वर्षों के अन्दर पुनः आयातित (सीमाशुल्क कमिश्नर द्वारा 5 वर्षों तक विस्तारणीय)। डीईईसी, ईपीसीजी या डीईपीबी के अन्तर्गत निर्यातित माल के मामले में, निर्यात के एक वर्ष के अन्दर (कमिश्नर द्वारा 2 वर्षों तक विस्तारणीय)
2. अधिसूचना संख्या 9/2012 सीमाशुल्क दिनांक 9 मार्च 2012 प्रमाणीकरण/ग्रेडिंग के बाद केवल पुनः आयातित सीपीडी पर लागू	1. सीपीडी का निर्यातित सीपीडी के साथ मिलान होना चाहिए। 2. जैसा एफटीपी में यथा अधिसूचित, पुनः आयात प्रयोगशालाओं/एजेंसियों द्वारा प्रमाणीकरण/ग्रेडिंग के बाद होना चाहिए। 3. निर्यात की तिथि से 3 महीनों के अन्दर पुनः आयात किया जाना चाहिए।
3. अधिसूचना सं. 158/95 सीमाशुल्क दिनांक 14 नवम्बर 1995. सभी माल मरम्मत, रीकंडीशनिंग, रिमेकिंग इत्यादि के लिए	1. मरम्मत, रींकडीशनिंग, पुनः संसाधन, परिशोधन या रिमेकिंग इत्यादि के लिए पुनः आयातित। 2. पुनःआयात के पश्चात 6 महीनों के अन्दर पुनः निर्यात किया जाना चाहिए (कमिश्नर द्वारा एक वर्ष तक विस्तारणीय)। 3. यदि यह मरम्मत या रीकंडीशनिंग के लिए है तो, निर्यात के 3 वर्षों के अन्दर पुनः आयात किया जाना चाहिए (नेपाल तथा भूटान के लिए 10 वर्ष) 4. यदि यह पुनः संसाधन, परिशोधन या रिमेकिंग के लिए है तो, निर्यात की तिथि से एक वर्ष के अन्दर पुनः आयात किया जाना चाहिए।

परिशिष्ट 10

(पैराग्राफ सं. 2.8क देखें)

पीसीसीसीसी के माध्यम से सीपीडी का आयात तथा पुनः आयात तथा निर्यात का डाटा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सीपीडी के कुल आयात	सीपीडी का पुनः आयात (सीपीडी के कुल आयातों में शामिल)	सीपीडी के कुल आयात से सीपीडी के पुनः आयात का %	सीपीडी के कुल निर्यात	सीपीडी के कुल निर्यात से सीपीडी के पुनः आयात का %
2010-11	34323.82	9326	27	91570.03	10
2011-12	53711.92	15896.61	30	105474.07	15
2012-13	31027.97	22791.49	73	101991.84	22
2013-14	44260.13	29243.87	66	131045.79	22
2014-15	51093.60	40440.17*	79	139023.49	29

(स्रोत- 2010-11 से 2013-14 के लिए सीपीडी का आयात-निर्यात डाटा, जैसा जीजेईपीसी द्वारा प्रस्तुत)
(पीसीसीसीसी द्वारा प्रस्तुत 2014-15 के लिए आयात डाटा ईडीआई से प्राप्त किया गया। जेजेईपीसी द्वारा 2014-15 के लिए प्रस्तुत डाटा पर विचार नहीं किया गया क्योंकि पुनः आयात मामलों के संबंध में ईडीआई डाटा के साथ विसंगति थी तथा जीजेईपीसी के पास 2014-15 के लिए प्रेषण आधार पर निर्यात के प्रति पुनः आयातों का डाटा नही था) (* ₹ 7713.45 करोड़ के प्रमाणीकरण के पश्चात पुनः आयात शामिल)

परिशिष्ट 11

(पैराग्राफ सं. 3.1क देखें)

क्रम. सं.	**आयातक का नाम (मैसर्स)**	**आयातित मात्रा (कि.ग्रा.)**	**आयात की अवधि**	**डीटीए में बेची गई मात्रा (कि. ग्रा)**	**निर्यातकों को बिक्री हेतु अपेक्षित अधिकतम मात्रा (कि.ग्रा)**	**निर्यातकों को बेची गई मात्रा (कि.ग्रा)**
1.	एमएमटीसी, बैंगलोर	14,800	4/2010 से 1/2011	14,800	2,220	शून्य
2	रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	650	15.7.10 से 19.1.11	650	97.50	शून्य
3	एमएमटीसी, एसटीसी, एचएचईसी (चेन्नई एयर और कोयम्बटूर एयर सीमाशुल्क के अंतर्गत)	49186.5	एनए	6724.975	7377.975	653
4	एमएमटीसी,एसटीसी (एसीसी नेदमबसेरी, कोचीन के अन्तर्गत)	3850	4/2010 से 1/ 2011	ब्यौरे उपलब्ध नहीं कराए गए	578	ब्यौरे उपलब्ध नहीं कराए गए

परिशिष्ट 12

(पैराग्राफ सं. 3.2 घ vii देखें)

विदेशी मुद्रा की उगाही न होना

(₹ करोड़ में)

यूनिट का नाम		उदग्रहण हेतु लंबित राशि
मैसर्स ओरो गोल्ड ज्वेलरी प्राइवेट. लिमिटेड	:	2315.73
मैसर्स गोयनका डायमण्ड एण्ड ज्वेल्स लिमिटेड.	:	443.94
मैसर्स कामिनी ज्वेल्स	:	509.36
मैसर्स सीवीएम एक्सपोर्ट्स, 100% इओयू	:	0.83
मैसर्स डीजेएमसी एक्सपोर्ट सेज-I	:	0.63
मैसर्स जेम सेन्टर, सेज-I	:	0.16
मैसर्स लुनावट जेम्स, सेज-II	:	0.55
मैसर्स बीएमएल जेम्स एण्ड ज्वेल्स, सेज-II	:	0.25
मैसर्स सिल्वेक्स इमेज, एक्सपोर्ट हाऊस	:	45.14
मैसर्स सिल्वेक्स एण्ड कम्पनी इण्डिया लिमिटेड, निर्यात हाऊस	:	78.64
मैसर्स आगरा प्रोडक्टस प्राइवेट., एन सेज		0.64
मैसर्स बेरा इंटरप्राइज, एन सेज	:	0.38
मैसर्स दिव्या क्रिएशन्स, एन सेज	:	0.36
मैसर्स हनी-एमसी-डीईडब्ल्यू-गोल्ड आईएनसी	:	2.08
मैसर्स जय श्री ज्वेलर्स, एन सेज	:	2.79
मैसर्स लालसन्स ज्वेलर्स लिमिटेड, एन सेज	:	0.27
मैसर्स स्टेर्लिंग ओरनामेंटस प्राइवेट लिमिटेड, एन सेज	:	0.71
मैसर्स सेनको गोल्ड इम्पैक्स प्राइवेट. लिमिटेड. मणिकंचन मैसर्स इन्फील्ड जेम्स एण्ड ज्वेलर्स लिमिटेड, मणिकंचन मैसर्स ईजी फिट ज्वेलरी लिमिटेड., मणिकंचन	:	575.81
जोड़	**:**	**3978.27**

परिशिष्ट 13

(पैराग्राफ सं. 3.2ई देखें)

ईपीसीजी लाइसेंस के इओ का गलत नियतन

यूनिट का नाम	बीजक/ बीई की संख्या	बीजक/बीई की अवधि	₹ में सॉफ्टवेयर हेतु प्रदत राशि	बचाई गई शुल्क राशि	₹ में लगाया गया कम ईओ
मैसर्स. रोजी ब्लू इंडिया प्रा. लिमिटेड.	21	02/06/08 से 30/01/13	19299486	4631876	37055013
मैसर्स. लक्ष्मी डायमण्ड प्रा. लिमिटेड.	7बीईज	10/12/09 से 29/03/12	97724714	23453931	187631450
मैसर्स. धर्मान्द डायमण्ड प्रा. लिमिटेड.	37बीईज	18/06/09 से 29/03/12	155170754	37240980	297927847
मैसर्स. महेंद्र ब्रदर्स एक्सपोर्ट प्रा. लिमिटेड.	13बीईज	11/08/10 से 12/06/12	29318440	7036425	56291404
मैसर्स. शीतल मैन्युफैक्चरिंग का. प्रा. लिमिटेड.	33बीईज	28/10/09 से 26/06/12	251225847	60294203	482353626
मैसर्स. एशियन स्टार का. लिमिटेड.	13बीईज	10/12/09 से 16/09/13	64653538	15516849	124134792
मैसर्स. श्री रामकृष्णा एक्सपोर्ट प्रा. लिमिटेड.	14बीईज	15/06/09 से 06/01/12	60573798	14537711	116301692
मैसर्स. किरण जेम्स	51बीईज	22/10/09 से 28/06/12	194316104	46635865	373086920
मैसर्स. विनस जेम्स	15	26/06/08 से 01/10/12	15202432	3648583	29188669
मैसर्स. विशिन्दास होलाराम	6	15/08/11 से 28/12/11	28067745	6736258	53890070
मैसर्स. डयमेक्सोन डायमण्ड	16	28/10/08 से 22/10/11	10759420	2582260	20658086
		जोड़	926312278		1778519568

परिशिष्ट 14

(पैराग्राफ सं. 3.5 देखें)

विविध अनियमितताएँ

क्रम. सं.	क/डीसी	विवरण	राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत या नहीं
1	सेज-1, सीतापुरा, जयपुर	अनियमित डीटीए बिक्री	31.77	
2	नोयडा, सेज	एफई की उगाही न करना	29.73	स्वीकृत
3	एसीसी, नैडमबसेरी कोचीन	वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा रिफाइनिंग इत्यादि के उद्देश्य से स्वर्ण डोर बार का आयात नहीं किया गया	26.13	अस्वीकृत
4	हैदराबाद हवाई अड्डा अमृतसर हवाई अड्डा बैंगलौर हवाई अड्डा सांगानेर हवाइ अड्डा	शुल्क की गलत दर लगाने के कारण सीमाशुल्क का कम भुगतान	22.15	स्वीकृत स्वीकृत अस्वीकृत आंशिक रूप से स्वीकृत
5	डीसी सेज, सीतापुर जयपुर	निर्धारित समय सीमा से अधिक माल के पुनः निर्यात पर शुल्क का उदग्रहण न करना	17.18	उत्तर प्रतीक्षित है
6	एनसीएच, दिल्ली	फिरती की वसूली न होना	15.69	अन्तरिम उत्तर
7	दिल्ली	स्वर्ण आरभूषणों का अनाधिकृत आयात	13.47	अन्तरिम उत्तर
8	कोयम्बटूर हवाइ अड्डा	बैगेज स्वर्ण तथा चाँदी पर शुल्क का	12.83	स्वीकृत

	बैंगलौर हवाई अड्डा	भुगतान रूपये के बजाए विदेशी मुद्रा में		
9	सीसीज, कोचीन	सेज इकाईयों द्वारा आयातित स्वर्ण/चॉदी का गैर-लेंखाकन	12.28	उत्तर प्रतीक्षित है
10	एसीसी, मुम्बई	माल का गलत वर्गीकरण	12.06	स्वीकृत
11	एएसी, बैंगलौर	शुल्क एवं ब्याज का कम उदग्रहण	11.00	स्वीकृत
12	पीसीसीसीसी, मुम्बई	तराशे एवं पोलिश किऐ हुए हीरों(सीपीडी) के पुनः आयात पर दिये गए शुल्क से अनियमित छूट	10.61	स्वीकृत
13	नोयडा, सेज	नमूने का अधिक आयात	9.89	उत्तर प्रतीक्षित है
14	आरएलए, जयपुर एण्ड मुम्बई	लेट कट लागू न करना	9.54	स्वीकृत
15	दिल्ली	अत्यधिक फिरती दरों के परिणाम राजस्व निसरब	9.23	अस्वीकृत
16	डीसी (सीमाशुल्क, जयपुर, जयपुर	मॉग की वसूली न होना	7.44	स्वीकृत
17	सेज II, सीतापुरा, जयपुर	लकड़ी तथा स्टेनलैस स्टील फर्नीचर एवं एसीज के आयात पर शुल्क न लगाना	6.16	उत्तर प्रतीक्षित है
18	आरएलए जयपुर	शुल्क के बिना डूप्लीकेट प्राधिकरण जारी करना	5.10	उत्तर प्रतीक्षित है
19	सेज I जयपुर	शोधन प्रभार एवं परिगामों पर सीमा शुल्क का कम/गैर उदग्रहण	4.36	उत्तर प्रतीक्षित है
20	एसीसी, सॉगनेर	नकली आभूषण' पर छूट अधिसूचना की गलत प्राप्ति	3.65	अस्वीकृत
21	पीसीसीसीसी, मुम्बई	सिनथैटिक हीरों तथा सिनथैटिक रत्नों पर शुल्क का कम उदग्रहण	3.23	स्वीकृत और ₹ 1.81 लाख की वसूली सूचित नहीं की गई
22	डीसी सेज सीतापुरा, जयपुर	निर्धारित सीमा से अधिक नमूनों का आयात करने पर सीमाशुल्क का भुगतान न करना	3.08	उत्तर प्रतीक्षित है
23	सेज I, सीतापुरा, जयपुर	अतिरिक्त बीएलयूटी का क्रियान्वयन न करना	1.35	उत्तर प्रतीक्षित है
24	एसजीआरडी जे आई हवाई पत्तन, हवाई पत्तन	सीमाशुल्क का अधिक उदग्रहण	1.08	उत्तर प्रतीक्षित है
25	डीसी सेज सीतापुर	स्वर्ण/चॉदी के आभूषणों पर वेस्टेज के अधिक दावे पर शुल्क की वसूली न करना	0.94	उत्तर प्रतीक्षित है
26	सेज II, जयपुर	घरेलू टैरिफ क्षेत्र में वेस्टेज की निकासी पर शुल्क का उदग्रहण न करना	0.93	उत्तर प्रतीक्षित है
27	सेज I जयपुर	स्टॉक पर शुल्क का भुगतान न करना	0.50	उत्तर प्रतीक्षित है
28	डीसी सेज जयपुर	स्वर्ण/चॉदी के आभूषणों पर वेस्टेज के अधिक दावे पर शुल्क की वसूली न करना	0.27	उत्तर प्रतीक्षित है
29	सेज II, जयपुर	प्राधिकृत संचालनों के अन्तर्गत कवर ना किया गया निर्यातित माल	0.19	उत्तर प्रतीक्षित है
जोड़			281.84	

परिशिष्ट 15

(पैराग्राफ सं. 4.3 ख देखें)

एपीआरज में विसंगति

क्रम. सं.	यूनिट का नाम (मैसर्स)	डीसी	विसंगति की प्रवृति	स्वीकृत अथवा नहीं
1	फाईन ज्वैलरी मैन्यूफैक्चरिंग लिमिटेड	एसईईपीजेड मुम्बई	₹ 0.96 लाख की वास्तविक बिक्री के प्रति विव 12-13 एपीआर में ₹0.83 लाख की डीटीए बिक्री	स्वीकृत
			₹ 0.36 लाख की वास्तविक बिक्री के प्रति विव 13-14 एपीआर में ₹ 0 की डीटीए बिक्री	स्वीकृत.
			2012-13 की एपीआर में आयातित कच्चे माल तथा उपभोज्यों, पैकिंग सामग्री इत्यादि का अन्तः शेष ₹29.74 करोड़ दर्शाया गया था जबकि 2013-14 की एपीआर में अथशेष ₹22.15 करोड़ दर्शाया गया था। स्टॉक के अथशेष तथा अन्तः शेष के बीच ₹78.11 लाख का अन्तर जैसा कि 2012-13 तथा 2013-14 के लिए कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सीए द्वारा प्रमाणित किया गया था।	अस्वीकृत.
2	सीडडज ज्वैलर्स प्राइवेट. लिमिटेड	एसईईपीजेड मुम्बई	2012-13 की एपीआर में अन्तः शेष ₹0.62 लाख के स्टॉक का कम आकलन ₹ 20 लाख	अस्वीकृत.
3	श्री राज ज्वैलर्स	एसईईपीजेड मुम्बई	2012-13 की एपीआर में अन्तः शेष ₹27.12 करोड़ दर्शाया गया था जबकि 2013-14 की एपीआर में अथ शेष ₹27.20 करोड़ दर्शाया गया था।	स्वीकृत.
			ईकाई द्वारा प्रस्तुत की गई मात्रा तथा सीए द्वारा 2012-13 तथा 2013-14 के लिए कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के खण्ड 28 में प्रमाणित खपत किये गए हीरे तथा स्वर्ण की मात्रा में अन्तर।	अस्वीकृत
4	नियोजेम (आई) लिमिटेड	एसईईपीजेड मुम्बई	2011-12 के लिए एपीआर ने उदघोषित निर्यात के एफओबी मूल्य तथा देश वार निर्यात विवरणों के जोड़ के बीच अन्तर	उत्तर प्रतीक्षित है

परिशिष्ट 15क

(पैराग्राफ सं. 4.3 ग देखें)

सीपीआर न/विलम्ब से/गलत भरना

सेज का नाम	इकाईयों का नाम/सं.	अनियमितताओं की प्रवृति	Whether स्वीकृत or not
सूरत सेज,	11 सेज इकाईयां	02 से 950 दिनों तक विलम्ब	अस्वीकृत
जयपुर सेज	22 सेज इकाईयां	02 से 479 दिनों तक विलम्ब	आंशिक रूप से स्वीकृत
एनसेज, नोएड़ा	14 सेज इकाईयां	लेखापरीक्षा की तिथि तक नहीं भरा गया	स्वीकृत
ईपीआईपी, सीतापुरा, जयपुर	मैसर्स मिलेनियम ज्वैल्र्स (ईओयू इकाई)	1 से 34 दिन तक	स्वीकृत
जयपुर	मैसर्स ए.के. एक्सपोर्ट (ईओयू इकाई)	2014-15 की अवधि के लिए एपीआर नहीं भरी गयी	उत्तर प्रतीक्षित है

एनसेज नोएडा (ईओयू)	मैसर्स अनिल एण्ड कम्पनी, मै. आई.पी ज्वैलर्स एण्ड मै. ताज इन्टरनेशनल जवैलर्स	क्रमशः 2013-14, 2011-12 तथा 2011-12 की अवधि के लिए एपीआर नहीं भरा गया	स्वीकृत
सेज, इन्दौर (भोपाल)	मै. वल्ड्र वाईड स्माल डायमण्डस मैन्यूफैक्चरिंग प्रा.लि. (ईओयू इकाई)	वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के लिए क्यूपीआर, एपीआर नहीं प्रस्तुत किया गया	स्वीकृत
मणिकंचन एण्ड फाल्टा सेज	**15** सेज इकाईयां,	10 से 113 दिनों के विलम्ब से एपीआर प्रस्तुत किया गया	उत्तर प्रतीक्षित है.
	10 सेज इकाईयां	2013-14 की अवधि के लिए एपीआर नहीं प्रस्तुत किया गया	
	21 सेज इकाईयां	2014-15 की अवधि के लिए एपीआर नहीं प्रस्तुत किया गया	
सीसेज	मैसर्स जोयल ओरनामेन्ट्स एण्ड ट्रेड्स प्राइवेट. लिमिटेड	अन्य स्रोतो जैसे नामांकित एजेन्सी इत्यादि से प्राप्त किया गया स्वर्ण, जो ऊपर बताए गए नियम के उल्लघंन में वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट में घोषित नहीं किया गया था,	उत्तर प्रतीक्षित है
सीसेज	मैसर्स डीएआर पैराडाईज	बीजक (आयात) में दर्शायी गई कीमत ₹ 2.65 करोड़ तक कम बताई गई थी।	उत्तर प्रतीक्षित है

परिशिष्ट 16

(पैराग्राफ सं. 4.3 ई देखें)

मुम्बई हवाई अड्डे पर जब्त किये गए स्वर्ण की स्थिति	
जब्त स्वर्ण की स्थिति	संख्या कि.ग्रा में
जब्ती से पूर्व स्वर्ण बुलियन का भण्डार	564.32
निपटान हेतू तैयार होने से पूर्व स्वर्ण वुलियन	31.70
जब्ती से पूर्व अन्य स्वरूपों में स्वर्ण	124.53
निपटान हेतू तैयार होने से पूर्व अन्य स्वरूपों में स्वर्ण	4.53
जोड़	**725.08**

परिशिष्ट 17

(पैराग्राफ सं. 4.3 के देखें)

स्वर्ण का भण्डार

वर्ष	**एआईयू**			**यूनीफार्म**		
	एसीएस/एसीओ* की कार्यशील लागत	**जब्त स्वर्ण की मात्रा**	**मूल्य (₹ करोड़ में)**	**एसीएस/एसीओ* की कार्यशील लागत**	**जब्त स्वर्ण की मात्रा**	**मूल्य (₹ करोड़ में)**
2011-12	89	19.502	9.08	80	40.136	7.75
2012-13	93	28.279	9.51	122	29.774	12.39
2013-14	101	295.184	77.08	129	50.634	10.44
2014-15	80	843.443	214.82	96	80.504	19.93
जोड़		1186.408	310.49		201.048	50.51

*एसीएस- वायु सीमाशुल्क अधिकारी एसीओ-वायु सीमाशुल्क अधिकारी

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in